त्रयोदश माला, खंड 16, अंक 30 | गुरुवार, 26 अप्रैल, 2001
6 वैशाख, 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date .. 18/4/01

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 30, गुरुवार, 26 अप्रैल, 2001/6 वैशाख, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 561, 563 और 565	3–52
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 562, 564 और 566 से 580	52–78
अतारांकित प्रश्न संख्या 5818 से 6047	78–391
सभा पटल पर रखे गए पत्र	391–400
राज्य सभा से संदेश	400
लोक लेखा समिति	400–01
विवरण	
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
(एक) चौहत्तरवां प्रतिवेदन	401
(दो) साक्ष्य	401
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
अड़तालीसवां, उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन	401–02
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
सीमा शुल्क अधिकारियों पर छापे	
श्री यशवन्त सिन्हा	403–04
नियम 377 के अधीन मामले	420–425
(एक) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए वन कानूनों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता	
प्रो. दुर्गा भगत	420
(दो) राजस्थान के चुरु जिले के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	421

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(तीन)	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के नीलकंठ महादेव मंदिर का समुचित संरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
	डा. जसवंत सिंह यादव	421
(चार)	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को पुनः चालू करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनादि साहू	422
(पांच)	मुम्बई रेलवे विकास निगम परियोजना का कार्य शीघ्र आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री किरीट सोमैया	422
(छः)	चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए इसके निर्यात मूल्य में यथोचित स्तर तक कमी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई.वी. राव	423
(सात)	उत्तर प्रदेश में चित्रकूट धाम कार्वी रेलवे स्टेशन पर अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सजीवन	423
(आठ)	महाराष्ट्र में नासिक के मालेगांव में रेलवे टिकट काउंटर और आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरी भाऊ शंकर महाले	424
(नौ)	आन्ध्र प्रदेश में बुनकरों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस. जयपाल रेड्डी	424
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		425
सभा के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बारे में		
संयुक्त समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव		453–457
नियम 193 के अधीन चर्चा		
किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं		426–522
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	426
	श्री अनादि साहू	432
	श्री जे.एस. बराड़	439
	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	446
	श्रीमती प्रभा राव	449
	श्री ए. ब्रह्मनैया	457
	श्री चन्द्रभूषण सिंह	461
	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	467
	श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह	471
	श्री अरूण कुमार	473
	श्री सुबोध राय	476
	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	479
	श्री अवतार सिंह भडाना	482
	श्री हरीभाऊ शंकर महाले	486
	श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	487
	श्री रामदास आठवले	489
	श्री नीतीश कुमार	491

लोक सभा

गुरुवार, 26 अप्रैल, 2001/6 वैशाख, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे तीन सम्मानित सहयोगी सर्वश्री डी.के. नायकर, ओ. भारतन और कुंवर महमूद अली खान के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री डी.के. नायकर 1980 से 1996 के दौरान सातवीं से दसवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने कर्नाटक के धारवाड़ उत्तर संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री नायकर 1972 से 1978 तक कर्नाटक विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कर्नाटक सरकार के मंत्री के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया और विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

एक कुशल सांसद, श्री नायकर 1985-86 के दौरान विशेषाधिकार समिति के सभापति रहे। वह 1984 से 1986 तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति; 1989 के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति; और 1990 के दौरान श्रम तथा कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

पेशे से वकील, श्री नायकर एक सुविख्यात सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने समाज के गरीब, पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अथक कार्य किया।

श्री डी.के. नायकर का निधन 72 वर्ष की आयु में 31 जुलाई, 1999 को धारवाड़ कर्नाटक में हुआ।

श्री ओ. भारतन 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने केरल के बडागरा संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री भारतन 1982 से 1996 तक केरल विधान सभा के सदस्य थे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री भारतन विभिन्न मजदूर संघों से जुड़े थे।

श्री भारतन ने मलयालम में विभिन्न प्रकाशनों में लघु कहानियां, कविताएं और लेख लिखे और वे सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा अध्ययन कक्षों की स्थापना करने में सक्रिय रहे।

श्री ओ. भारतन का निधन 70 वर्ष की आयु में 3 मार्च, 2001 के कन्नूर, केरल में हुआ।

श्री कुंवर महमूद अली खान 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के हापुड़ संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री खान 1957 से 1962 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने उस सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री खान ने 1990 से 1993 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया।

एक सक्रिय सांसद, श्री खान 1977 से 1979 तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

कृषक परिवार से सम्बद्ध, श्री खान ने कृषकों की स्थिति, सुधारने, समाज के कमज़ोर वर्गों का उत्थान करने और श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार करने के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थापना करने सहित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने संबंधी क्रियाकलापों में विशेष रुचि ली।

एक सच्चे देशभक्त, श्री खान ने जीवन पर्यन्त राष्ट्रीय अखण्डता के लिए कार्य किया।

श्री कुंवर महमूद अली खान का निधन 81 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल, 2001 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में प्रश्नकाल होगा। इससे पहले मैं श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी को सूचित करता हूँ कि वह अपना मामला 'शून्य काल' में उठा सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

शीघ्र मामले निपटाने वाले न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट)

* 561. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में मामलों को शीघ्र निपटाने वाले न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) शुरू करने के लिए धनराशि तथा दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में स्थान-वार मामलों को शीघ्र निपटाने वाले कितने न्यायालयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है;

(घ) प्रत्येक राज्य में अपेक्षित संख्या में मामलों को शीघ्र निपटाने वाले न्यायालय स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) इन न्यायालयों में कितने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है; और

(च) सभी राज्यों में शेष न्यायालय कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां।

त्वरित न्यायालयों को आबंटित और निर्मुक्त की गई रकम का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध I में है।

राज्य सरकारों द्वारा त्वरित न्यायालयों को जारी किए गए दिशा-निर्देश अनुबन्ध II में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, यह आशा की जाती है कि अप्रैल-मई, 2001 में 480 न्यायालय स्थापित कर दिए जाएंगे। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायालयों के स्थान अनुबन्ध-III दिए गए हैं।

(घ) इन न्यायालयों के सृजन के लिए राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायालय भवन के सन्निर्माण, न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे अनेक उपाय किए जाने हैं। इस प्रकार कुछ राज्य इन अपेक्षाओं को पूरा करने में अधिक समय लगा रहे हैं।

(ङ) इन न्यायालयों में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों की बिल्कुल सही संख्या न्याय विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(च) कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है। तथापि, केंद्रीय सरकार इन न्यायालयों की शीघ्र स्थापना के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ निरंतर बातचीत कर रही है।

अनुबन्ध-I

राज्यवार वित्तीय आबंटन और प्रस्तावित न्यायालयों की संख्या

(करोड़ रुपए में दर्शित धनराशि)

क्रम सं.	राज्य	ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश		निर्मुक्त की गई राशि	प्रस्तावित न्यायालयों की संख्या
		2000-05	2000-01	2000-01	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	10.06	2.52	86
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.31	0.53	0.13	5

1	2	3	4	5	6
3.	असम	5.89	2.37	0.59	20
4.	बिहार	52.96	21.3	5.33	183
5.	छत्तीसगढ़	8.79	3.54	0.88	31
6.	गोवा	1.39	0.56	0.14	5
7.	गुजरात	48.22	19.39	4.85	166
8.	हरियाणा	10.50	4.22	1.06	36
9.	हिमाचल प्रदेश	2.70	1.09	0.27	9
10.	जम्मू-कश्मीर	3.34	1.34	0.34	12
11.	झारखंड	25.77	10.36	2.59	89
12.	कर्नाटक	27.02	10.87	*2.72	93
13.	केरल	10.87	4.37	1.09	37
14.	मध्य प्रदेश	24.71	9.94	*2.49	85
15.	महाराष्ट्र	54.08	21.75	*5.44	187
16.	मणिपुर	1.00	0.40	0.10	3
17.	मेघालय	1.00	0.40	*0.10	3
18.	मिजोरम	1.00	0.40	*0.10	3
19.	नागालैंड	0.91	0.37	*0.09	3
20.	उड़ीसा	20.74	8.34	2.09	72
21.	पंजाब	8.29	3.33	0.83	29
22.	राजस्थान	24.07	9.68	*2.42	83
23.	सिक्किम	1.00	0.40	0.10	3
24.	तमिलनाडु	14.12	5.68	1.42	49
25.	त्रिपुरा	0.82	0.33	0.08	3
26.	उत्तरांचल	13.04	5.24	1.31	45
27.	उत्तर प्रदेश	70.22	28.24	7.06	242
28.	पश्चिमी बंगाल	44.14	17.75	4.44	152
	कुल	502.90	202.25	50.56	1734

* समतुल्य दूसरी किश्त मार्च, 2001 के तीसरे सप्ताह में निर्मुक्त की गई है। निर्मुक्त की गई 13.36 करोड़ रुपए की इस अतिरिक्त रकम सहित अब तक कुल 63.92 करोड़ रुपये की रकम निर्मुक्त की गई है।

अनुबन्ध-II

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

प्रशासन के मानकों के उन्नयन और विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उपबंधों के उपयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने 25 राज्यों में प्रशासन के मानकों के उन्नयन के लिए निम्नलिखित सेक्टरों के लिए 3843.63 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है:-

i. जिला प्रशासन;

ii. पुलिस प्रशासन;

iii. कारागार प्रशासन;

iv. अग्निशमन सेवाएं;

v. न्यायिक प्रशासन;

vi. राज्य वित्तीय प्रशासन;

vii. स्वास्थ्य सेवाएं;

viii. प्राथमिक शिक्षा;

ix. स्कूली बच्चों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण;

x. सार्वजनिक पुस्तकालय;

xi. विरासत संरक्षण; और

xii. पारम्परिक जल-स्त्रोतों का संवर्धन।

2. उन्नयन के लिए अनुदान के अतिरिक्त आयोग ने राज्यों की विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए 1129.00 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में अध्याय 7 - 'उन्नयन और विशेष समस्या अनुदान' की प्रति अनुबन्ध IIक के रूप में संलग्न है। (संलग्न नहीं है।)*

3. भारत सरकार ने उन्नयन और विशेष समस्याओं के लिए अनुदानों से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

4. राज्यों को, उनके द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतो के भीतर स्कीमों की मंजूरी के लिए गुरूतर दायित्व देने के लिए व्यष्टिक स्कीमें मंजूर करने और इकाइयों की लागत अवधारित करने की शक्ति राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति में निहित होगी। एक बार राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति द्वारा परियोजना मंजूर किए जाने पर, परियोजना के विभिन्न प्रक्रमों के लिए समय-अनुसूची उपदर्शित करते हुए और निधियों की अपेक्षा के लिए उसकी एक प्रति, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। पुलिस और कारागारों से संबंधित स्कीमों के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत गृह मंत्रालय/पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा, उपस्करों, आयुधों आदि के मानकीकरण के हित में, पृथक रूप से जारी किए जाएंगे। तथापि, विनिर्दिष्ट मदों से विचलन के लिए किसी उपांतरण आदि का सुझाव व्यष्टिक राज्यों को किए गए समग्र आबंटन को ध्यान में रखते हुए दिया जाना होगा।

5. अनुदानों के माध्यम से आरंभ की गई परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय मानिटरिंग राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति द्वारा की जानी चाहिए। राज्य सरकारों की पहले कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों की मजबूतियों और खामियों को समझने के लिए वृत्तिक अभिकरणों के माध्यम से मूल्यांकन भी कराना चाहिए, जिससे आवश्यक सुधार करने में सहायता मिल सकेगी।

6. ग्यारहवें वित्त आयोग की संपूर्ण अवार्ड अवधि 2000-2005 के अंतर्गत, राज्य के व्यष्टिक प्रशासनिक विभागों द्वारा तैयार की गई वास्तविक और वित्तीय दोनों प्रकार की कार्य योजना राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए, परियोजना के विभिन्न प्रक्रमों के लिए समय अनुसूची और विधियों की अपेक्षा उपदर्शित करते हुए राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत कार्य योजना की एक प्रति, राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग वित्त मंत्रालय को भेजी जा सकेगी। राज्य सरकार के व्यष्टिक प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजना स्वीकार नहीं की जाएगी। इस विषय पर सभी पत्राचार, अंतर्वलित सेक्टरों पर विचार किए बिना, केवल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार के वित्त विभाग के बीच होगा।

7. राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति द्वारा कार्य योजना अनुमोदित किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार उपयुक्त लेखा शीर्ष के अधीन बजट में (जिसके अंतर्गत अनुपूरक मांग, जो आवश्यक हो, भी हैं) उपयुक्त व्यय के उपबंध करेगी। जबकि राज्य सरकार के व्यय बजट में ऐसा उपबंध सुनिश्चित क्रियात्मक मुख्य लेखा शीर्ष और उसके अधीन लघु लेखा शीर्ष के अधीन अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन किया जाना चाहिए, यह उपबंध "ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए प्रशासन के मानकों का उन्नयन" उपशीर्ष

---

* मंत्रालय ने उन्नयन और विशेष समस्या अनुदान के बारे में अनुबंध-IIक की प्रति संलग्न करना आवश्यक नहीं समझा। मंत्रालय के अनुसार इस संबंध में जानकारी ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रमाणित प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

के अधीन, व्यय की सुभिन्न और पहचान योग्य सरकार के रूप में किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की तदनुरूप राजस्व प्राप्तियों के अपने प्राक्कलनों में भी केन्द्रीय सरकार से तुल्य रकम की प्राप्तियों की उपधारणा करनी चाहिए। ऐसी प्राप्तियों की उपधारणा लेखा शीर्ष "1601 - केन्द्रीय सरकार से अनुदान सहायता - क - गैर योजना अनुदान" - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबंध के अधीन अनुदान-प्रशासन के मानकों का उन्नयन और विशेष समस्या के लिए अनुदान" के अधीन की जा रही है।

8. राज्य के बजट में इस प्रकार उपबंध किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार का सक्षम प्राधिकारी, अनुमोदित योजना में समाविष्ट विभिन्न स्कीमों/संकर्मों की बाबत व्यय के लिए औपचारिक मंजूरी (मंजूरियां) जारी करेगा और प्रत्येक की एक प्रति वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जा सकेगी।

9. ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 7.54 के अधीन यथापरिकल्पित वास्तविक निबंधनों में कार्य निष्पादन मानीटर करने के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि अनुमोदित कार्य योजनाओं के प्रति किसी राज्य सरकार द्वारा वस्तुतः उपगत व्यय उसके बजट और लेखा में, ऐसी रीति से जो संपरीक्षा द्वारा तुरंत पहचान, सत्यापन और प्रमाणन को सुकर बनाएगी, समायोजित किया जाता है। यह राज्य सरकार की योजना या गैर-योजना के वैसे ही व्यय की साधारण मदों के साथ प्रशासन के मानकों के उन्नयन और विशेष समस्याओं की अनुमोदित कार्य योजनाओं पर उपगत ऐसे व्यय को मिल जाने से बचाने के लिए आवश्यक है। ऐसा, ऊपर पैरा 7 में यथा अधिकथित राज्य के बजट में पहचान योग्य उपबंध रखकर और बजट में पहचानयोग्य उपबंध के प्रति संक्षिप्त वर्गीकरण करके व्यय के लिए औपचारिक मंजूरी में स्पष्ट रूप से उपदर्शित करके अभिप्राप्त किया जा सकेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो सामान्य रूप से महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि बजट और लेखा में उस पर विशिष्ट वर्गीकरण मानकों के उन्नयन में अनन्यतः उपदर्शित करने वाले उपबंध की ऐसी मदों के प्रति उपगत किए जाने वाले व्यय के लिए, जहां कहीं संभव हो, पृथक बिल तैयार किए जाएं जहां किसी विशिष्ट क्षेत्र में मानदंडों के उन्नयन पर ऐसे व्यय को सामान्य व्यय से आरंभिक तौर पर पृथक किया जाना संभाव्य नहीं है और परिणामतः जहां उनके लिए पृथक बिल तैयार करना व्यवहार्य नहीं है। वहां संबद्ध राज्य सरकार को महालेखाकार की सलाह से एक उपयुक्त प्ररूप विकसित करना चाहिए जिसमें उन्नयन के व्यय की विशिष्टयां पृथक रूप से, नियमित लेखा से परे प्रोफार्मा में रखी जा सकेगी। ऐसा प्रोफार्मा लेखा, जहां कहीं महालेखाकार की सलाह पर विनिश्चित किया जाए अध्यवसायपूर्वक मास से मास के आधार पर रखा जाना चाहिए और महालेखाकार द्वारा जांच और प्रमाणन के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

10. राज्यों के संबद्ध प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य-स्तरीय अधिकारिता समिति के अनुमोदन के लिए तैयार की गई कार्य योजनाएं:-

(क) वित्त आयोग द्वारा उन्नयन अनुदान के उपयोग के लिए विवक्षित प्रतिमान के अनुरूप होना चाहिए (उदाहरणार्थ स्कीमें विभिन्न सेक्टरों में आधारभूत स्तर पर प्रसुविधाओं का उपबंध करने के लिए परिकल्पित होना चाहिए, उच्चतर प्रशासनिक विरचनाओं में प्रसुविधाओं के सुधार के लिए नहीं)

(ख) पिछड़े क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों पर जोर दिया जाना चाहिए। समय-समय पर संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए व्यय निर्दिष्ट करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

(ग) वित्तीय और वास्तविक निबंधनों दोनों में पर्याप्त ब्यौरे दिए जाने चाहिए (जिसके अंतर्गत प्रस्तावित व्यय की प्रकृति, अपनाए गए मान, नवीनतम इकाई लागत, कार्य की अवस्थिति, कुर्सी क्षेत्र, स्थल की उपलब्धता आदि भी है) जिससे कि यह सार्थक हो सके और अन्य बातों के साथ-साथ पांच वर्ष (2000-2005) के दौरान व्यय का अनुमानित वार्षिक क्रम भी दे सके।

(घ) विद्यमान प्रसुविधाओं के, पहले ही से चल रहे संकर्मों के आधार पर सृजित की जाने संभाव्य प्रसुविधाओं के और सृजन के लिए आशायित अतिरिक्त प्रसुविधाओं के मोटे तौर पर ब्यौरे प्रदर्शित किए जाने चाहिएं जिससे कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान की जा सके।

11. राज्य सरकार को संकर्मों के शीघ्र निष्पादन के लिए कार्यपालक अभिकरणों को अपेक्षित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करनी चाहिए। संकर्म/स्कीमों के अनुमोदन के समय जारी की गई मंजूरी इस प्रकार डिजाइन की जानी चाहिए कि संकर्मों के निष्पादन के दौरान विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के लिए बार-बार निदेश करने की आवश्यकता से जहां तक संभव हो बचा जा सके।

12. राज्यों को सहायता अनुदान निम्नलिखित रीति से जारी किया जाएगा:-

i. वर्ष 2000-2001 के लिए उपबंध का 50 प्रतिशत, राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्य की विस्तृत योजना के प्राप्त होने पर वर्ष के दौरान लेखा के आधार पर लिया जाएगा।

ii. अनुदान का पश्चातवर्ती भाग पहले दी गई अनुदान के उपयोग और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करते हुए तिमाही किश्तों में दिया जाएगा। राज्य सरकार को तिमाही आधार पर संलग्न प्रोफार्मा अनुबंध (ख) में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें अतिरिक्त एक केन्द्र स्तरीय पुनर्विलोकन समिति होगी जिसमें भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, राज्य वित्तीय विभाग और संबद्ध प्रशासनिक विभाग होंगे जो निधियों के उपयोग का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगी।

iii. किसी विशिष्ट वर्ष में किसी राज्य सरकार को दी जाने वाली अनुदान की अधिकतम रकम, उस वर्ष के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई कुल रकम तक सीमित होगी, और

iv ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उन्नयन और विशेष समस्या अनुदान का 90 प्रतिशत राज्य सरकार को पहले दिए गए अनुदानों के उपयोग पर प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्टों के आधार पर दिया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत अनुदान विहित प्रोफार्मा अनुबंध (ग) में पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा।

v. वह अनुदान, जो 31 मार्च, 2005 को अनुपयोजित रहेगा, व्यपगत हो जाएगा।

vi. ऐसी पूंजी संकर्मों की बाबत दिए गए अनुदान, जो 31 मार्च, 2005 तक पूरे नहीं हो पाएंगे, राज्य सरकार से वसूल कर लिए जाएंगे।

अनुबन्ध-II (ख)

..... को समाप्त होने वाला तिमाही के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों की उपयोगिता

सेक्टर/स्कीम	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान		राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना		तिमाही के दौरान प्राप्त उपलब्धि		इस तिमाही को सम्मिलित करते हुए प्राप्त प्रगतिशील उपलब्धि		प्रगति के बारे में विशेष टिप्पणियां, यदि कोई है
	वा.ल.	वि.ल.	वा.ल.	वि.ल.	वा.ल.	वि.ल.	वा.ल.	वि.ल.	

टिप्पण: वा.ल.:- वास्तविक लक्ष्य (मात्रात्मक)
वि.ल.:- वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपए)

वित्त सचिव

अनुबन्ध-II (ग)

संकर्म निष्पादन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए प्रशासन के मानकों में सुधार और विशेष समस्या कार्य के अधीन आरंभ किए गए संकर्म, जो नीचे सूचीबद्ध है, पूर्णतया निष्पादित कर दिए गए हैं और उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध हैं। इनमें राज्य स्तरीय अधिकारिता समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना से न तो वास्तविक और न ही वित्तीय दृष्टि से कोई विचलन है तथा इनका उन प्रयोजनों के लिए पूर्णतया उपयोग किया जाता है, जिनके लिए इन्हें मंजूर किया गया था।

स्कीम/सेक्टर का नाम:

क्रम सं.	स्थानों सहित संकर्मों के नाम	मंजूरी संख्या और तारीख	वास्तविक		वित्तीय		संकर्म के निष्पादन की तारीख
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

वित्त सचिव के प्रति हस्ताक्षर

..... सरकार

अनुबन्ध-III

प्रत्येक राज्य में जिला-वार गठित किए जा रहे त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या और स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	प्रास्थिति	अप्रैल-मई, 2001 में गठित किए जा रहे न्यायालयों की संख्या/प्रास्थिति		टिप्पणियां
1	2	3	4		5
1.	आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद	2		
		अनंतपुर	4		
		चितौड़	2		
		कुडापाह	1		
		राजमुंद्री	2		
		काकीनाडा	1		
		गंतूर	3		
		गटवाला	1		
		गुडीवाड़ा	1		
		हैदराबाद	6		
		करीमनगर	1		
		खम्माम	2		
		मछलीपट्टनम	1		
		विजयवाड़ा	1		
		महबूबनगर	1		
		संगरेड्डी	3		
		नालगोंडा	2		
		नेल्लोर	2		
		अंगोल	1		
		एल.बी. नगर	4		
		श्रीकाकुलम	1		
		विशाखापटनम	2	44	
2.	अरूणाचाल प्रदेश	नमसई, लोहित जिला	1		
		बसर, पश्चिमी सियांग	1		
		जिला, यूपिया पपुमपारे	1	3	

1	2	3	4	5
3.	असम	जोरहट	1	
		तेजपुर	1	
		नगांव	1	
		होजई	1	
		बारपेटा	1	
		कोकड़ाझाड़	1	
		करीमगंज	1	
		बोंगाईगांव	1	
		मांगलडोई	1	
		गुवाहाटी	2	
		तिनसुकिया	2	
		सिबसागर	2	15
4.	बिहार	हाजीपुर	2	
		कटिहार	2	
		पटना	3	
		छपरा	1	
		बिहारशरीफ	2	
		आरा	2	
		सीतामढ़ी	1	
		खगड़िया	1	
		मुंगेर	4	
		नवादा	1	
		सीवान	1	
		दरभंगा	1	
		रोहतास	1	
		भभुआ	1	
		समस्तीपुर	1	

1	2	3	4		5
		औरंगाबाद	1		
		मोतीहारी	1		
		बेगुसराय	1		
		मुजफ्फरपुर	2		
		गया	2		
		गोपालगंज	1		
		बक्सर	1		
		भागलपुर	1		
		जहानाबाद	2		
		मधुबनी	1	37	
5.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर	1		
		रायपुर	2		
		सरगुजा	3		
		कांकेर	4		
		मेंगेली	3		
		जांजगीर	3		
		कोरबा	3		
		बिलासपुर	4		
		जसपुरनगर	2		
		सूरजपुर	6	31	
6.	गोवा	दक्षिणी गोवा जिला	2		
		उत्तरी गोवा जिला	1	3	
7.	गुजरात				
8.	हरियाणा				
9.	हिमाचल प्रदेश				
10.	जम्मू-कश्मीर				
11.	झारखंड				
12.	कर्नाटक	कोडगू-मादीकेरी	1		
		चित्रदुर्ग	1		

1	2	3	4		5
		गुलबर्गा	1		
		रायचूर	1		
		उत्तर कन्नड़-करवर	1		
		कोप्पल	1		
		बेल्लारी	1		
		दावणगेरे	2		
		गडग	1		
		नगर सिविल न्यायालय, बेंगलौर	3	13	
13.	केरल	तिरूअनंतपुरम	2		तारीख 18 मई, 2000 तक अधिकतर न्यायालय कार्य करना आरंभ कर देंगे।
		क्विलों	2		
		पाठनमथिट्टा	2		
		अलप्पझा	2		
		कोट्टायम	2		
		थोडुपुजा	2		
		एर्नाकुलम	2		
		त्रिशुर	2		
		पलक्कड़	2		
		मंजेरी	2		
		कोजीकोड़े	2		
		थलासेरी	2		
		कसरगोड	2		
		कालपेट्टा	1	27	
14.	मध्य प्रदेश	बेतूल	1		
		भोपाल	2		
		छिंदवाड़ा	2		
		दतिया	1		
		देवास	1		

1	2	3	4		5
		धार	2		
		ग्वालियर	3		
		होशंगाबाद	1		
		इंदौर	4		
		जबलपुर	6		
		कटनी	1		
		मंदसौर	1		
		रायसेन	1		
		रतलाम	1		
		सागर	1		
		सतना	1		
		सिवनी	1		
		शहडोल	1		
		टीकमगढ़	1		
		उज्जैन	1	33	
15.	महाराष्ट्र	पुणे	5		*3 अप्रैल, 2001 से ग्यारह न्यायालय कार्य करना आरंभ कर देंगे। शेष न्यायालय अप्रैल, 2001 के अन्त तक कार्य आरंभ करेंगे। इन 76 न्यायालयों के कार्य स्थल नहीं बताए गए हैं।
		औरंगाबाद	2		
		यवतमाल	1		
		परभनी	1		
		थाणे	1		
		कोल्हापुर	1	11+76*	
16.	मणिपुर				
17.	मेघालय				
18.	मिजोरम	आएजोल	1		
		लंग्लेई	1		
		चम्पई	1	3	

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	दीमापुर	2	2
20.	उड़ीसा		12	राज्य सरकार ने बारह न्यायालयों के कार्य स्थलों को उपदर्शित नहीं किया है।
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान		15	राज्य सरकार ने पन्द्रह न्यायालयों के कार्यस्थलों को उपदर्शित नहीं किया है
23.	सिक्किम	–	–	
24.	तमिलनाडु	चैन्नई	3	
		चेन्नागेलपट्टु	1	
		कांचीपुरम्	1	
		कोयम्बटुर	3	
		तिरुप्पुर	1	
		चिदम्बरम	1	
		धर्मापुरी	1	
		ईरोड	3	
		गोबीचेट्टीपलियम	1	
		धर्मापुरम	1	
		मदुरै	3	
		पुडुक्कोट्ई	1	
		रामनाथपुरम्	1	
		सलेम	2	
		तंजौर	1	
		पट्टूकोट्टी	1	
		थूथुकुडी	2	
		तिरुचिरापल्ली	1	

1	2	3	4	5
		चिरुनेलवेली	2	
		वेल्लौर	1	
		विरुधानगर	1	30
25.	त्रिपुरा	सोनमुरा, पश्चिम त्रिपुरा	1	
		खोवाई, पश्चिम त्रिपुरा	1	
		कैलाशाहर, उत्तरी त्रिपुरा	1	3
26.	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	2	
		बागेश्वर	1	
		चमोली	1	
		देहरादून	16	
		हरिद्वार	6	
		रुड़की (हरिद्वार)	3	
		नैनीताल	7	
		हल्द्वानी (नैनीताल)	1	
		पौड़ी	1	
		पिथौरागढ़	1	
		रुद्रप्रयाग	2	
		टिहरी	1	
		उत्तरकाशी	1	
		काशीपुर (उधम सिंह नगर)	1	
		उधम सिंह नगर	1	45
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा	5	
		इलाहाबाद	5	
		बदायूं	5	
		बुलंदशहर	5	
		गाजियाबाद	5	

1	2	3	4		5
		कानपुर	5		
		लखनऊ	5		
		मेरठ	5		
		मुरादाबाद	5		
		वाराणासी	5		
		अलीगढ़	5		
		शाहजहांपुर	5		
		सीतापुर	4	64	
28.	पश्चिम बंगाल	*प्रथम चरण*			
		उत्तरी 24 परगना	1		
		नादिया	4		
		बर्दवान	4		
		दक्षिण 24 परगना	4	13	
		कुल	480		

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस संबंध में मैं कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। यह सरकार का सौभाग्य है कि हमारे विधि मंत्री विधायिका के अच्छे जानकार हैं और अच्छे-अच्छे कानून हमें दिया करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, उनमें भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि कमजोर और गरीब आदमी को बिना पैसे दिये न्याय नहीं मिल पाता। इसके संबंध में अभी तक सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया ताकि गरीब व्यक्ति को कम पैसे में सही न्याय मिल सके। मुझे ताज्जुब होता है कि हाई कोर्ट जैसी संस्था में हमारे वकील साहेबान इस बात का इंतजार करते हैं कि कौन से जज की अब बेंच लगने वाली है और वह तब तक उस मुकदमे को आगे बढ़ाते रहते हैं जब तक कि उन जज महोदय की बेंच नहीं आ जाती। इस संबंध में मैं सरकार से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि आपने सन् 2000-2005 तक के लिए 70 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को देने की बात कही है। 502.90 करोड़ रुपये का टोटल एमाउंट सभी प्रदेशों को देने की बात कही है जिसमें अभी तक अपने उत्तर प्रदेश को 7.06 करोड़ रुपये रिलीज किये हैं। इसमें मुझे एक ही बात कहनी है और जैसा आपने अपने जवाब में भी कहा है कि मुझे यह सही जानकारी नहीं है कि कितने ज्यूडिशियल आफिसर और उनके संसाधन जुटाये गये। यदि आप प्रदेश सरकार की मौनीटरिंग नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सही और वक्त पर गरीबों को न्याय दिलवा पायेंगे। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गरीब व्यक्ति को सही वक्त पर न्याय मिले, इसके लिए सरकार फास्ट ट्रेक कोर्ट के अलावा उसकी मौनीटरिंग करने की क्या व्यवस्था करने जा रही है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न आप बाद में पूछ सकते हैं।

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसकी मौनीटरिंग का संबंध है, तो हर राज्य सरकार और हाई कोर्ट के साथ इसकी मौनीटरिंग की व्यवस्था बनाई गई है। अपेक्षा यह है कि हर प्रांत के अंदर राज्य स्तर के ऊपर एक स्टेट लैवल की इम्पावर्ड कमेटी है जो इसको लागू करने के लिए वहां की योजना बनाती है। हर स्टेट को 25 फीसदी ग्रांट योजना से पूर्व दे दी गई थी और 25 फीसदी ग्रांट अब दी जा रही है जबकि वह अपना पूरा प्लान बनाकर हमें भेजते हैं। रेगुलर इंटरवेल्स पर इसकी मौनीटरिंग की जा रही है कि कितने प्रांतों के अंदर इस प्रकार की कितनी अदालतों का गठन होना था और कितनी अदालतें गठित हो गई

हैं। कुछ प्रांतों ने उसके लिए सीमा मांगी है इसीलिए अभी तक उत्तर प्रदेश को 14.12 करोड़ रुपये दे दिये गये हैं।

वे अपने प्लान में जिन कोर्टस की योजना बना कर भेजते हैं, उसी प्रकार से उनकों ग्रांट दी जाती है। ये अदालतें किस-किस तारीख को आरंभ होगी, इसकी मौनीटरिंग हो रही है और ये कितने मुकदमे डिस्पोज़ ऑफ करेंगी क्योंकि इनसे अपेक्षा है कि इनकी गति तीव्र होगी, इसलिए अधिक मुकदमे होंगे, उसकी भी गाइडलाइन उनको दी गई है। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से मुकदमे उनके सामने जाएंगे, जो पुराने मुकदमे कई वर्षों से चल रहे हैं, उसकी भी गाइडलाइन हर प्रान्त को दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: चन्द्र भूषण जी, यह फास्ट ट्रेक कोर्टस का प्रश्न है। फास्ट सप्लीमैंट्री पूछेंगे तो समाधान भी फास्ट देंगे।

श्री चन्द्र भूषण सिंह: मैं बिल्कुल फास्ट ट्रैक से संबंध में ही प्रश्न पूछूंगा। फास्ट ट्रैक बने हुए आज काफी अर्सा हो गया है। मौनीटरिंग की व्यवस्था जैसी मंत्री जी ने बताई, जरूर रही होगी लेकिन में मंत्री जी से सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि जब से आपने फास्ट ट्रैक की व्यवस्था की है, तब से आज तक क्या किन्हीं केसेज में कोई ऐक्सपीडाइट हुए हैं? क्या केसेस का जल्दी डिस्पोज़ल हुआ है या नहीं?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, हमने जो योजना बनाई थी, उसके तहत तीन-चार महीने का समय हर राज्य को दिया था कि पहली अप्रैल से यानी आज से कुल 26 दिन पूर्व उनको गठित किया जाए और उनको गठित किए हुए 26 दिन हुए हैं और वह भी जो 1734 की पुरानी योजना थी, सभी राज्यों ने अभी उसे पूरे रूप से गठित नहीं किया है। हमें अभी तक मौनीटरिंग के तहत सूचना मिली है कि अप्रैल, मई में 480 आरंभ हो रही हैं और इसके अतिरिक्त क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनना था, कोर्टस की इमारतें बननी थी, जज की नियुक्ति होनी थी, पुरानी फाइल निकाल कर ट्रांसफर होनी थी, तो जो सूचना राज्यों ने दी है, लगभग एक हजार के करीब ऐसे हैं जो अगले तीन महीने में आरंभ होंगे क्योंकि उनको अभी से ऐस्टैबलिश किया गया है, अभी कौन से केस डिस्पोज ऑफ किए हैं, उनकी सूचना अभी हमारे पास नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राम नायडू दग्गुबाटि: महोदय, मुख्य प्रश्न के आधार पर मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि देश के हर जिले में पांच फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाने संबंधी परिकल्पित योजना के अनुसार क्या इन अदालतों ने पहली अप्रैल, 2001 से काम करना शुरू कर दिया है? यदि नहीं, दो जिलों में ऐसी अदालतें कब से कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। मैं यह भी जानना चाहतू हूँ कि क्या दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित सभी मामलों को इन फास्ट ट्रैक अदालतों को स्थानान्तरित कर दिया गया है ताकि इन मामलों का निपटान स्थानान्तरण की तारीख से 60 दिन के अन्दर कर दिया जाये और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

श्री अरुण जेटली: पूरे देश में कुल 1,734 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी है। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से सीधे प्राप्त उत्तरों के अनुसार अप्रैल और मई के महीनों में 480 अदालतों की स्थापना की रही है और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार अगले तीन महीनों में 1,001 अदालतों की स्थापना की जाएगी। शेष 253 अदालतों के बारे में राज्यों ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। हम इस बारे में उन राज्यों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं और अदालतों की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं।

जहाँ तक मुकदमों का सम्बंध है, हमने राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को सूचित किया है कि फास्ट ट्रैक अदालतें प्रथमत: दो प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं अर्थात, सत्र न्यायालयों के समक्ष दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित सभी आपराधिक मामले, ताकि उनका शीघ्र निपटान किया जा सके।

दूसरी श्रेणी ऐसे मामलों की है जहाँ विचरण लम्बित रहने के कारण विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखा गया है और उन्हें जमानत नहीं मिली है और मुकदमा लम्बित रहने के कारण व आज़ादी से वंचित हैं। ऐसे मामलों को भी इन अदालतों के समक्ष भी पहले सुनवाई का अधिकार दिया जा सकता है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: सबसे पहले में माननीय मंत्री महोदय को सही समय पर अत्यन्त अभीष्ट कदम उठाने के लिए बधाई देता हूँ। शेक्स्पीयर के हैमलेट के एकालाप 'टू बी ऑर नॉट टू बी' के अनुसार लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने का एक कारण हानि और विलम्ब है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपने इन फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए, इस बात की सम्भावना है या यह निश्चित ही है कि कोई भी पक्ष किसी न किसी बहाने से बार-बार कई महीनों या वर्षों तक स्थगन प्राप्त कर सकता है। कभी-कभी, वकील अपनी असमर्थताओं के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे सहयोगी ने दीवानी मामलों में 60 दिन की समय सीमा की सम्भावना का उल्लेख किया है। जजों द्वारा मामलों को बंद किए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, इस प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस दिशा में आपने क्या कदम उठाए हैं? यदि ऐसा नहीं किया गया तो 'फास्ट ट्रैक' अदालतें 'स्लो ट्रैक' अदालतों में तब्दील हो जाएंगी।

श्री अरुण जेटली: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके दो पहलू हैं। जहाँ तक दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के निपटान की प्रक्रिया के सामान्य प्रश्न का संबंध है, सरकार स्वतंत्र रूप से न केवल फास्ट ट्रैक अदालतों के मामले में, बल्कि सभी अदालतों में विचारण की प्रक्रिया को छोटा करने पर विचार कर रही है। सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया को छोटा करने के लिए एक विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यह विधेयक स्थायी समिति के समक्ष लम्बित है। अपराध प्रक्रिया, संहिता में समुचित संशोधन करके आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया तय करने के लिए सरकार एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर चुकी है। इस समिति की रिपोर्ट इसी वर्ष में मिल जाने की आशा है। लेकिन जहाँ तक इन अदालतों का सम्बंध है, इन पर वही प्रक्रिया संबंधी कानून लागू होंगे। किंतु उसमें एक अन्तर होगा। सामान्य प्रक्रिया में अदालतों में विलम्ब का एक कारण अदालतों के समक्ष बड़ी संख्या में मामलों का लम्बित होना है। उदाहरण के लिए, देश में किसी औसत मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लम्बित मामलों की औसत संख्या 4000 से 5000 के बीच है। ये नई अदालतें सृजित की गई हैं और इनके सामने बकाया सम्बंधी समस्या नहीं है। ये अदालतें बिल्कुल नई शुरूआत कर रही हैं। इसलिए, ये अदालतें हरेक मामले को कई महीनों तक अगली सुनवाई के लिए स्थगित करने की बजाए इन मामलों पर दैनन्दिन आधार पर विचारण करके मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह: मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि पंजाब के 2000-2005 तक जो एलोकेशन है, वह 8.29 करोड़ रुपये है। इसमें से 83 लाख रुपये रिलीज किये गये हैं और इससे 29 कोर्ट्स बनाई जाएंगी। लेकिन फरदर आपने उत्तर में बताया है कि अप्रैल-मई, 2001 में जो कोर्ट्स बन रही हैं, पंजाब में आपके आन्सर में निल है तो क्या आप बताएंगे।

[अनुवाद]

इसमें क्या बाधाएं हैं? क्या राज्य सरकार द्वारा किसी बाध्यता को पूरा किया जाना शेष है? इन अदालतों को कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

श्री अरुण जेटली: जहाँ तक पंजाब का सम्बंध है, हमें हाल ही में राज्य सरकार और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने राज्य-स्तरीय योजना को मंजूरी देने का काम शुरू कर दिया है। चूंकि राज्य स्तर की योजना तैयार की जा रही है, हमें भी आशा है कि इसका निपटान शीघ्र हो जाएगा।

पंजाब के लिए हमने किस्त जारी कर दी थी। अब दूसरी किस्त भी जारी की जाने वाली है। इसलिए, राज्य को इन अदालतों की तत्काल स्थापना के लिए धन भी उपलब्ध हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने व्यवस्था की है कि जल्दी ये केसेज निपटें, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में जब अदालतें बन्द हो जाती हैं और एक महीने के लगभग वे बन्द रहती हैं तो उस समय जिनको न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता, देर से न्याय मिलता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उस समय भी लोगों को न्याय मिलने की प्रक्रिया ठप्प न हो, न्याय मिलता रहे, क्या उस समय भी कोई ऐसी व्यवस्था की है?

श्री अरुण जेटली: हर अदालत का जो अपना टाइम टेबिल होता है, उसका छुट्टी का कलेण्डर भी होता है। प्रत्येक हाई कोर्ट उसको डिटरमिन करता है और सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करती।

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष जी, आप जब अलग से न्यायालय की व्यवस्था कर रहे हैं तो फास्ट ट्रैक का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि जून के महीने में, गर्मी के मौसम में जो अदालतें बन्द हो जाती हैं, उस समय जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता, तो सरकार को उस समय व्यवस्था करनी चाहिए। हाई कोर्ट का कहकर इसको टालना उचित नहीं होगा।

श्री अरुण जेटली: जो कोर्ट्स का अपना कार्यकाल होता है, जो कार्यक्रम रहता है, उसका निर्णय न्यायपालिका ही करती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के सम्बन्ध में गर्मी की छुट्टी इनको मिलनी चाहिए, तब भी ये अदालतें लगायें, इसका निर्णय भी उपयुक्त हाई कोर्ट्स ही करेंगे।

श्री विनय कटियार: तो सब को छोड़ दीजिए, जेल के अन्दर क्यों लोग रहें, उनको भी न्याय मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: महोदय, फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए सरकार की पहल की मैं सराहना करता हूँ। प्रक्रिया में संशोधन या उसका सरलीकरण किए बिना इन अदालतों की स्थापना करके भी मामले के शीघ्र निपटान के मकसद को पूरा किया जा सकता है। क्या यह मकसद वास्तव में पूरा होगा? यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है। यह एक राष्ट्रीय नीति है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरा कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के. येरननायडू: यह एक राष्ट्रीय नीति है। कितने राज्य फास्ट ट्रैक अदालतों को लागू कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप इसे मुख्य प्रश्न का भाग (ख) कहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: मेरा विचार है कि कुछ राज्य इसे लागू नहीं कर रहे हैं। इसके क्या कारण हैं? सदन उन कारणों को जानना चाहता है। कुछ राज्यों द्वारा इसे लागू न किए जाने के क्या कारण हैं? क्या कोई आपत्ति है? क्या इसके पीछे कोई कारण हैं?

श्री अरुण जेटली: कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने यह कहा हो कि वह इसे लागू करने की स्थिति में नहीं है। कुछ ऐसे राज्य अवश्य हैं जिन्होंने राज्य स्तरीय कार्यान्वयन योजना बहुत शीघ्रता से तैयार की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उनका अपना राज्य, आंध्र प्रदेश, एक ऐसा ही राज्य है जिसने यह योजना शीघ्रता से तैयार की है। उनके राज्य के लिए स्वीकृत 86 अदालतों में से 44 की स्थापना अप्रैल में की जा चुकी है और 42 की स्थापना अगले तीन महीनों में की जानी है। इस प्रकार, सभी अदालतों की स्थापना की जा रही है।

कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ योजनाएं तैयार कर ली गई हैं लेकिन इन योजनाओं को समुचित मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता है और 12 राज्यों से यह भी प्राप्त हो गई हैं। कुछ राज्यों ने इस कार्य में विलम्ब किया है। मैंने इन राज्यों के प्रमुखों से बात की है। वे अपनी योजनाएं हमें शीघ्र भेजने वाले हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया: देर से मिला न्याय न्याय ही नहीं रहता। इस देश के लोगों, विशेषकर समाज के गरीब तबकों के लोगों के भाग्य में वर्षों से यही बदा रहा है। फास्ट ट्रैक अदालतों का विचार प्रशंसनीय है क्योंकि शीघ्र निपटान इन अदालतों की मूल विशेषता है। उदाहरण के लिए हमें उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में पृष्ठ 10 पर देखा जा सकता है कि इनमें गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, जो मेरा अपना राज्य है, पंजाब और सिक्किम का कोई उल्लेख नहीं है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों का उद्देश्य ही न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है। इन न्यायालयों की स्थापना में बहुत विलम्ब हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार कितने राज्यों में फास्ट ट्रैक न्यायालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी इसका जवाब पहले ही दे चुके हैं। न्यायालयों को हाल ही में अप्रैल की पहली तारीख से आरम्भ किया गया है।

श्री पी.आर. किन्डिया: मैं पूर्वोत्तर के बारे में बात कर रहा हूँ। यहां तक कि धनराशि भी मंजूर नहीं की गयी है। यही मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे, पिछले वर्षों में हमारे देश के बहुत से राज्यों में न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार कानूनी सहायता संबंधी व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करती थी। इससे काफी मदद मिलती थी। मुझे नहीं मालूम कि उस व्यवस्था का क्या हुआ।

श्री अरुण जेटली: जहां तक पूर्वोत्तर का संबंध है, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य के लिए इन न्यायालयों को मंजूरी प्रदान की गई है। असम के मामले में उन्होंने 20 में से 15 न्यायालयों के लिए पहले ही एक योजना तैयार कर ली और उसे मंजूरी भी दे दी गई है। आगामी तीन महीनों में पांच न्यायालयें स्थापित किये जाने के लिए कार्यावाही चल रही हो। अन्य राज्यों के मामलों में संख्या इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश-5 न्यायालय; मणिपुर-3 न्यायालय; मेघालय-3 न्यायालय; मिजोरम-3 न्यायालय; नागालैंड-3 न्यायालय; और त्रिपुरा-3 न्यायालय। हमें प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुके हैं और अगले तीन महीनों में इन्हें स्थापित किया जाना है।

जहाँ तक इन्हें धनराशि की किस्त किये जाने का प्रश्न है, मेरे प्रबुद्ध मित्र यह जानने के इच्छुक होंगे कि मेघालय ने तीन न्यायालयों का प्रस्ताव किया है और मेघालय को पहले ही दो किश्त जारी की जा चुकी हैं।

जहाँ तक कानूनी सहायता का संबंध है, इसे सांविधिक रूप से लगभग अनिवार्य कर दिया गया है। देश के लगभग प्रत्येक न्यायालय में कानूनी सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं। इस संसद ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम बनाया है और इन अधिनियम में लोक अदालतों और कानूनी सहायता केन्द्रों दोनों का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ये कानूनी सहायता केन्द्र देश के लगभग प्रत्येक राज्य में कार्यरत हैं। हम इनकी बराबर जाँच कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय भी प्रत्यक्ष रूप से इनकी जाँच करता है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश उस समिति का राष्ट्रीय स्तर का संरक्षक होता है। इसीलिए, बहुत-से लोग इन कानूनी सहायता प्रकोष्ठों की सहायता लेते हैं। संख्या लाखों में नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा है। इन निदानालयों में देश के प्रत्येक राज्य को कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक गंभीर विषय के सार्थक प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन मेरी अपनी मान्यता है क्योंकि यह विषय ग्रामीण क्षेत्र और गरीबी से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर मुझे लगता है जो सरकार विचार कर रही है, वह सिर्फ कुछ स्थानों पर अगर जज की कमी है जिसे मजिस्ट्रैट कहते हैं। स्थानीय लैवल पर या कुछ भवन की या कुछ कर्मचारियों की कमी की तरफ ध्यान दे रही हैं और जो ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है, उसने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की शिकायत की है लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जिस प्रकार गतिशीलता के साथ निपटारे होने चाहिए, उसके लिए कुछ मजिस्ट्रैट की संख्या बढ़ जाएगी या कुछ भवन बन जाएंगे और इसलिए यह कार्य पूरा हो जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि कानून के ज्ञाता होने के नाते माननीय मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्य पद्धति में जिला न्यायालय की कार्य पद्धति में बहुत अंतर है और जो मैं आग्रह करना चाहता हूं,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, उसी के बारे में है लेकिन इस बात को इस लाइन में नहीं कहा जा सकता। मैं आग्रह करना चाहता हूं और आपसे संरक्षण भी चाहता हूं कि सरकार जब तक केन्द्र सरकार किसी प्रकार की कार्य पद्धति नहीं बनाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूं वहां पर पहले छोटे स्तर पर भी लोक अदालतें लगाई गई थी लेकिन उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जेलों में जिनको सजा हो जाती है और वे साठ साल से अधिक आयु तक के हो जाते हैं, उन जेलों में कहीं न्यायालय नहीं जाता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अगर अच्छी तरह से सप्लीमेंट्री नहीं पूछेंगे तो हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसी नियमावली बनाएगी जो राज्य स्तर पर सरकार के सामने पहुंचेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सरोकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स से इस प्रश्न का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य के उस विचार से काफी हद तक सहमत हूं कि केवल हर जिले में कुछ तीव्र गति से चलने वाली न्याय अदालतें बनाई जायें और उससे सारी समस्या हल हो जाएगी, नहीं होगी। इसमें कई कारण हैं क्योंकि मुकदमों की संख्या देश भर में बहुत है, लिस्ट बहुत लम्बी है और इसलिए इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें कई प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे। इसके संबंध में पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है। हमारा जो प्रोसीजरल कानून है, जिसके संबंध में माननीय सदस्य ने पहले भी प्रश्न पूछा था, उनको बदलने की आवश्यकता है। कुछ कानूनी ऐसे हैं जिनमें समय अधिक लगता है, उस समय को कम करने की आवश्यकता है। कुछ कानूनों में कुछ ऐसे संशोधन भी पेश किये जा चुके हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रैट की अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक जो स्थान रिक्त हैं, उन स्थानों को जल्दी से भरा जा सके ताकि अगर मुकदमों की संख्या अधिक भी है तो भी उनकी वजह से जो विलम्ब होता है, वह न हो।

श्री राशिद अलवी: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी कहा कि समर वैकेशन का फैसला भी हाई-कोर्ट करेगी। हमारे देश की बदकिस्मती यह है जो सिस्टम अंग्रेजों ने हमें दे दिया था, वह सिस्टम आज तक किसी तरह से चला आ रहा है। छुट्टियों का जो मसला था, वह अंग्रेजों ने हमें दिया था ताकि अंग्रेज लोगों को ज्यादा परेशानी न हो वे गर्मी में आराम करें और सर्दी में फैसला करें लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। इस देश की आबादी सौ करोड़ की है और सारे फैसले अगर हाई-कोर्ट पर छोड़ देंगे तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कानून लाने का इरादा सरकार रखती है कि जो समर वैकेशन है, वह खत्म हो जाये? दूसरे, क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम सरकार का है कि क्योंकि बहुत सारे देशों के अंदर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में है।

श्री राशिद अलवी: यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सरकार इस बारे में कुछ विचार कर रही है कि जजेज को यह अख्तियार दे दिया जाये कि जहां पर क्राइम हो, वहां पर वे खुद जाकर इन्वेस्टीगेट करे और उसका फैसला वहीं कर दिया जाये? बहुत सारे छोटे जुर्म ऐसे हैं और बहुत सारे देशों में जजेज को इस तरह का अख्तियार है। क्या सरकार के सामने इस तरह का कोई सुझाव है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, दो विषयों पर इन्होंने प्रश्न किया। क्या इस प्रकार का कोई कानून बनाने की योजना सरकार के पास है, मैं स्पष्ट कर दूं कि इन दोनों विषयों के संबंध में सरकार के समक्ष अभी कोई योजना नहीं है। जितनी भी संस्थाएं संवैधानिक हैं, न्याय पालिका है, या कार्य पालिका है, या लेजिस्लेचर है, उनके जो कार्यक्रम बनते हैं, या उसके संबंध में जो फंक्शनिंग होती है, हम उन संस्थाओं के ऊपर छोड़ते हैं और एक दूसरे की गतिविधियों के अंदर दखलंदाजी नहीं किया करते। जो संसद का अधिकार है, जो संसद का कार्यक्षेत्र है कि वह कानून बनाए लेकिन ये विषय कानून से बनेंगे या हर अदालतें अपना जो टाइम टेबल एक एतिहासिक दृष्टि से बनाती हैं, उस दृष्टि से बनाएंगी। जहां तक इन्वेस्टीगेटिव जजेज का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि दुनिया के कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था कानून प्रणाली में है लेकिन अपने देश में उस प्रकार की कानून प्रणाली को स्वीकार नहीं किया था। जिसके तहत गवाह भी खुद बन जाए और फिर निर्णय भी खुद दे।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश थी कि 2000-2001 के लिए 202.25 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, लेकिन इस राशि में से 63.92 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश को मानना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार उसको नहीं मान रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस राशि को देने में सरकार को क्या समस्या है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश थी कि 202 करोड़ रुपए पिछले वर्ष दिए जायें और 63-64 करोड़ रुपए की राशि दी भी गई है। वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि 25 फीसदी की राशि एडवांस में दी जाए और उसके बाद हर राज्य अपनी योजना बनाकर भेजें, फिर अगली 25 फीसदी की राशि उसके बाद दी जाए। राज्यों से योजनायें प्राप्त करने में उनकी ओर से विलम्ब हो रहा है, लेकिन जैसे ही उनकी ओर से योजनायें प्राप्त हो रही हैं, उनको क्लीयर किया जा रहा है।

श्रीमती जसकौर मीणा: अध्यक्ष महोदय, शीघ्र और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए फास्ट-ट्रैक-कोर्ट्स शुरू किए गए हैं। पचास फीसदी आबादी महिलाओं की है और हजारों की संख्या में केसेज हर प्रान्त के अन्दर कोर्ट्स में महिलाओं के मुद्दों पर विचाराधीन हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि महिलाओं के संबंध में जितने भी केसेज हैं, उनके लिए फास्ट-ट्रैक-कोर्ट्स की स्थापना पर विचार रखते हैं? यदि रखते हैं, तो कोर्ट में विशेषकर महिलाओं को ही सुना जाए और जहां तक संभव हो सके, महिला न्यायाधीश उपलब्ध की जायें।

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, पहले की योजना के तहत फैमिली कोर्ट्स - पारिवारिक अदालतें हैं, और इससे संबंधित योजना बन चुकी है और प्रान्तों को दी जा चुकी है। कई प्रान्तों में फास्ट-ट्रैक-कोर्ट्स स्थापित हो चुकी हैं और कई प्रान्तों में महिला अदालतें स्थापित होने आरम्भ हो चुका है। महिला अदालतों के तहत प्रीसाइडिंग आफिसर भी महिला होती है और स्टाफ भी महिलायें होती हैं। महिलाओं से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं, विशेषकर क्रिमिनल्स केसेज, जैसे दिल्ली में चार महिलायें अदालतें आज भी फंक्शन कर रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा: महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 80 प्रतिशत केसेज महिलाओं से संबंधित हैं।

श्री अरुण जेटली: ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की अदालतों का गठन करते हैं। केन्द्रीय सरकार को इसमें कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि हम उसको एन्क्रेज करने का प्रयास करेंगे।

श्री कांतिलाल भूरिया: महोदय, फास्ट-ट्रैक-कोर्ट्स स्थापित करने की भावना है, लेकिन न्यायालय में जाने से लोक घबराते हैं, कारण यह कि तारीख पर तारीख मिलती जाती है और गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में कोई कानून बनाकर संबंधित अदालतों को निर्देश देंगे कि समय सीमा के अन्दर केसेज का डिसपोजल हो? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, आप खुद वकील हैं, इस बात को जानते हैं, तारीखें लगातार दी जाती रहती हैं। वकील क्या करते हैं कि तारीखें बढ़ाते रहते हैं, उनको फीस मिलती रहती हैं। फीस के चक्कर में वह गरीब आदमी मारा जाता है।...*(व्यवधान)* मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। आम आदमी की यही भावना है, तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है, क्योंकि उनको फीस चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप न्यायधीशों को निर्देश देंगे कि समय सीमा के अन्दर केसेज का फैसला करें, ताकि गरीब आदमी के ऊपर जो अनावश्यक खर्चा है, जैसे बसों का किराया, होटलों में ठहरना आदि, उससे गरीब आदमी हताश होकर घर में बैठ जाता है और धन वालों के पक्ष में फैसला हो जाता है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे गरीब आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं और पिछले वर्ष दिसम्बर में हमने इसी भावना और विचार को मद्देनज़र रखते हुए सिविल प्रौसीजर कोर्ट के बारे में अमेंडमेंट हमने यहां संसद में पेश किया था जिसमें हर मुकदमें की समय-सीमा बांधी है। जवाब कितने समय में आयेगा, बहस की क्या सीमा होगी तथा एवीडेंस के बारे में है कि एवीडेंस 60 दिन के अंदर अदालत खुद करे या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करे। उसके संबंध में संशोधन संसद में पेश किये जा चुके हैं। माननीय संसद सदस्य सहयोग करेंगे तो तुरंत उन संशोधनों को इसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: अध्यक्ष जी, लॉ-प्रोसेस में सुविधा लाने के लिए आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में नेशनल इंस्टीयूट ऑफ लॉ स्थापित कर रहे थे मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा गया कि पैसा नहीं होने की वजह से वहां प्रौपर काम नहीं चल सका है। क्या उसको सुविधा देने के बारे में केन्द्र सरकार कुछ करेगी या नहीं?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के सुझाव को मद्देनज़र रखूंगा।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया धनराशि

+

*563. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि के एकमुश्त निपटान की कार्य विधि को अन्तिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया है;

(ख) क्या विशेषज्ञ दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेषज्ञ दल द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। 5 मार्च, 2001 को सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय बकाया राशियों के एकमुश्त भुगतान तथा सीपीएसयू को राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा देय बकाया रशियों के भुगतान के लिए उपाय सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। विशेषज्ञ दल रा.वि. बोर्डों की पुनर्संरचना समेत संरचनात्मक समायोजन ऋण के प्रावधान हेतु रणनीति सुझाएगा, जिससे कि विद्युत बोर्ड वर्तमान वित्तीय संकट से उबर सके, उन्हें प्रचालनात्मक रूप से जीवनक्षम बनाया जा सके तथा उनकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार हो।

(ख) से (ङ) विशेषज्ञ दल को 30 अप्रैल, 2001 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब तो दिया है लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगी कि राज्य विद्युत बोर्डों की देय बकाया राशि के लिए कौन से कारण जवाबदेय हैं। दूसरा, गत तीन वर्षों में राज्य विद्युत बोर्डों की देय बकाया राशि कितनी है और तीसरा यह कि राज्य एवं केन्द्र सरकार ने देय बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए हैं और यह जो एक समिति गठित करनी पड़ी उसके क्या कारण रहे?

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष जी, राज्य विद्युत मंडलों का जो बकाया है जिसमें उन्होंने पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स का जो पैसा देना है उसकी कुल राशि 30 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। इसकी एक वजह यह है कि राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने ग्राहकों से जितनी राशि उसे उगाहने की जरूरत है उतनी नहीं उगाह पाता है। नेशनल लेवल पर कॉस्ट ऑफ जैनरेशन ऑफ पावर के आंकड़े अगर दिए जाएं तो यह देखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ पावर इन इंडिया तीन रुपये प्रति-यूनिट बैठती है और एवरेज कॉस्ट ऑफ टैरिफ दो रुपये है। इसमें एक रुपये का घाटा राज्य विद्युत मंडलों को बिजली बेचने के बाद होता है। कारण यह है कि रिकवरी नहीं होती है और इस वजह से ऐसी स्थिति है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक परिषद् तीन मार्च को बुलाई थी। उसमें तय हुआ कि इस बकाया राशि को सैटल करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। तीन मार्च को बैठक हुई और उसी दिन कमेटी का गठन हुआ। श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में कमेटी काम कर रही है। उसने अपनी रिपोर्ट देने के लिए 30 अप्रैल तक का समय मांगा है। उनकी रिपोर्ट हमें अभी तक नहीं मिली है।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, राज्य विद्युत बोर्ड का घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और केवल एक वर्ष पहले यह लगभग 4000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष था। अब यह करीब 24,000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष तक पहुंच गया है यह भारी राशि है। माननीय मंत्रीजी ने भी अभी कहा कि बकाया राशि पहले ही 30,000 करोड़ रु. तक पहुंच गयी है। उन्होंने इसके एकमुश्त व्यवस्थापन के लिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया समिति बनाई है और बहुत से प्रस्ताव तथा मसले इत्यादि उसके विचाराधीन हैं।

लेकिन, महोदय, इस एक बारगी व्यवस्था से समस्या का समाधान एक बार ही होगा। जब तक प्रणालीगत बदलाव नहीं होते, यह समस्या दुबारा आयेगी और आप दस साल पीछे चले जायेंगे और फिर किसी अन्य मोंटेक सिंह अहलूवालिया समिति को यह समस्या देखनी होगी। अतएव, प्रणालीगत बदलाव एक सर्वथा अपरिहार्य आवश्यकता है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार कौन से प्रणालीगत बदलावों को क्रियान्वित करना अथवा राज्य विद्युत बोर्डों के समक्ष उन्हें प्रस्तावित करना चाहती है। क्या आप उनके लिए किन्हीं मार्ग निदेशों अथवा किसी आचार-संहिता का प्रावधान कर रहे हैं जिससे अधिक बेहतर कार्य-संस्कृति का उद्भव हो और, आज जो प्रणालीगत विफलताएं सामने आ रही है, वे भविष्य में फिर न हों तथा आपको पुनः, अगले दस वर्षों पश्चात्, 40,000 करोड़ रु. या 50,000 करोड़ रु. के घाटे का बन्दोबस्त न करना पड़े? यह मेरे प्रश्न का (क) भाग है।

मेरे प्रश्न का (ख) भाग इस प्रकार है:- यदि कोई बड़ा समूह विद्युत-उत्पादन के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाये तो निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी के विषय में अभी भी काफी संभ्रम उत्पन्न हो जाता है। 'एनरान' इसका ज्वलंत उदाहरण है। महोदय, 'एनरान' के विष में इस संभ्रम से देश, संबंधित राज्य और उपभोक्ता के हितों पर आघात पहुंचा है। बेशक, आज सरकार ने अवश्य यह कहा है कि इस समिति में जो गठित की जा रही हैं, उनका एक प्रतिनिधि रहेगा और पी.पी.ए. रख लिया जायेगा और फिर से बातचीत की जायेगी; आदि आदि। आज सरकार ने कह दिया कि हमारा एक प्रतिनिधि रहेगा और फिर आपने परिश्रम करना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि इस बारे में भारी संभ्रम है और उपभोक्ता तथा राज्य सरकार की हालत दयनीय बन गई है; और भविष्य में ऐसे कतिपय मामले हो सकते हैं जिनसे भारत सरकार को भी समस्या हो जाये। असल बात तो यह है कि 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में आज आपके सचिव का कथन है कि यदि एनरॉन-संवर्धित डाभोल विद्युत-परियोजना को समाप्त कर दिया जाता है तो केन्द्र को 2,840 करोड़ रु. का दावा देना पड़ सकता है। यह भारी देनदारी बनेगी। मैं नहीं समझता कि आपकी अकर्मण्ड भूमिका होनी चाहिए और आप केवल समिति के एक सदस्य बनकर बैठे रहें। आपको अकर्मण्य होकर नहीं बैठना है। आपको बहुत सक्रिय रूप से काम करना पड़ेगा; क्योंकि आपको इस देश में विद्युत-उत्पादन की भावी दिशा तय करनी है; एक सार्थक तरीके से— जिससे एक तरफ व्यवहार्यता तो रहे ही, दूसरी तरफ उपभोक्ता के हित भी सुरक्षित रहें। मैं यह जानना चाहूंगा कि 'एनरॉन' मसले के संबंध में भारत सरकार किस प्रकार की सक्रिय भूमिका निभाने का विचार रखती है।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, माननीय सदस्य ने इस विषय में बड़ी सारगर्भित और उपयुक्त बात कही कि बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान सही समाधान नहीं है, जब तक कि यही एकमुश्त भुगतान अंतिम तथा सार्वकालिक समाधान न बन जाये। इसे एकबार के साथ-साथ हर बार का समाधान होना ही चाहिए। अन्यथा, यह समस्या भविष्य में फिर खड़ी हो जायेगी। और इसके लिए, जैसा कि आपने बिलकुल सही कहा, उपयुक्त प्रणालीगत बदलाव लाने पड़ेंगे तथा उन्हें संस्थानीकृत करना होगा। हमने अनेकों बार यह देखा है कि किसी वक्तव्य में बड़े सराहनीय उद्देश्यों के साथ ऐसे बदलावों की बात की जाती है। लेकिन, यदि इनका संस्थानीकरण नहीं किया जाता-कुछ समय से हमने ऐसा देखा है कि इसमें त्रुटियाँ आ जाती हैं और पूरे का पूरे तंत्र ही ध्वस्त हो जाता है। इस तरह के प्रघटन के बचने के लिए, पहली बार, हम एक पैकेज तैयार कर रहे हैं। अब तक, विद्युत क्षेत्र में सुधारों के मात्र इस दृष्टिकोण से किया गया कि राज्य सरकारों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बकाया राशि का व्यवस्थापन कर दिया जाये; और राज्य सरकारों के सामने आ रही इस समस्या-जिसकी वजह से पुराना भारी बकाया हर साल बढ़ता जा रहा है, पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। अतएव, दो बातों पर ध्यान देने के लिए इस समिति का गठन किया गया। यह तो निस्संदेह यही है, कि एकमुश्त आधार पर केन्द्र सरकार के सरकारी उपक्रमों की बकाया राशि का निपटान किया जाये और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि स्थायी तौर पर राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन किया जाये। इसके लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। जिस वजह से यह समस्या बार-बार आती है, वह यह है:- जैसा कि प्रथम पूरम प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा; विद्युत-आपूर्ति पर आने वाली लागत और शुल्क-संरचना की औसत लागत के बीच अंतर ही इस समस्या का मूल है; क्योंकि, विद्युत की जो भी प्रत्येक यूनिट आप बेचते हैं, उस पर राज्य विद्युत बोर्ड को एक रुपये का नुकसान होता है; और इस तरह जब आप 500 बिलियन यूनिट बेच रहे हैं-इस वर्ष हमने 525 बिलियन यूनिटें बेचने का लक्ष्य रख है-तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले वर्ष का घाटा पूर्ववर्ती वर्ष को तुलना में बढ़ जायेगा और ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए, हम कई परिवर्तन करने जा रहे हैं। सभी उपभोक्ताओं द्वारा की गई खपत का मीटरीकरण होगा। जब सारी खपत को मीटरीकृत कर लिया जायेगा

तो हम कुछ विशेषज्ञ-दलों द्वारा परिक्षित की जा रही एक अनूठी प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं। भारत भर के सभी वितरण-फीडरों को एक लामदाता-केन्द्र के रूप में व्यवहृत किया जायेगा; उस केन्द्र में इस प्रकार से हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर फीडिंग-व्यवस्था रहेगी ताकि फीडर को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी आपूर्ति मिले उसका एक समुचित समन्वय हो जाये।

इस प्रकार से हम प्रत्येक वितरण फीडर-प्वाइंट पर ही पूरे घाटे का मूल्यांकन कर सकेंगे—इस प्रकार के हजारों फीडर-प्वांइट भारत भर में होंगे—और हम निवारक कदम भी उठा सकेंगे। साथ ही, हम इस बारे में भी कार्य कर रहे हैं कि सभी राज्य विद्युत बोर्डों को—चाहे वे तय करें अथवा हम उन्हें यह विकल्प दें कि एकमुश्त व्यवस्थापन कर लिया जाये, अगले दो वर्षों के लिए हमें एक अनुमानित लाभ-हानि खाता-पत्रक देना होगा, जिसमें वे यह उल्लेख करेंगे कि वस्तुत: दो वर्षों की समाप्ति तक वे 'न लाभ-न हानि' की स्थिति तक आ ही जायेंगे। उस तरह, इस कार्यक्रम को यथार्थत: शुरू करने के लिए यह एक पूर्वापेक्षा है।

मैं आपकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रणालीगत बदलाव किये जाने की आवश्यकता है। इसी कारण से तो हमने सुधार आरंभ किये थे। असल में, यह दुर्भाग्य की बात है कि 'सुधार' शब्द से पूर्वाग्रह झलकने लगा है; लोग सोचते हैं कि 'सुधार' का तात्पर्य है आवश्यक रूप से शुल्क बढ़ा देना। लेकिन दीर्घावधिक सुधारों का अभिप्राय केवल राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करना ही है, जिससे उन्हें वित्तीय और वाणिज्यिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सके और वे अपने सहारे चल जायें। केवल तभी विद्युत-क्षेत्र की समस्याएँ सुलझेंगी।

सही बात तो यह है कि आज भी, मुझे यह कहते हुए खेद होता है-भारत के 65 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है। 80,000 ग्राम ऐसे हैं जो विद्युत-व्यवस्था से वंचित हैं और प्राय: चार लाख पुरवों में भी बिजली नहीं है। अतएव, जब तक राज्य विद्युत बोर्ड पुन: वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं बन जाते, तब तक वे अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ नहीं होंगे-जो कि एक अत्यावश्यक उद्देश्य है और जिसे किसी भी सुधार-प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। अतएव, आपने बिल्कुल सही ही कहा कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए; और हम ध्यान दे रहे हैं।

आपके प्रश्न का भाग (ख) मूलत: प्रश्न से नहीं निकलता है। फिर भी मैं सभा की चिंता से अवगत हूँ जिसे सभा के एक माननीय सदस्य ने व्यक्त की है। अत: हम निश्चित तौर पर इसका ध्यान रखेंगे लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र बिजली बोर्ड और दाभोल विद्युत कंपनी के बीच बिजली की खरीद का समझौता हुआ है। अत: दोनों के बीच संविदात्मक बाध्यतायें हैं। किसी चूक की गारण्टी देने में केन्द्र सरकार की सीमित भूमिका है। वास्तव में अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई चूक होती है तब हम केवल काउंटर गारण्टर हैं। अत: भूमिका सीमित है। इस तथ्य के बावजूद कि हमारी भूमिका सीमित है, हमने बातचीत में हिस्सा लेने के लिये महाराष्ट्र सरकार की सहायता करने का फैसला किया है। विद्युत, वित्त और विधि मंत्रालय के सचिवों वाली एक स्थायी समिति है। हम उस समिति में पेट्रोलियम मंत्रालय को भी शामिल कर सकते हैं। ताकि यह समिति बातचीत की निगरानी करे और इसमें भाग लेने वाले समस्त सरकार के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दे ताकि हम इस समस्या को हल कर सकें।

माननीय सदस्य जब यह कहते हैं कि उत्पादन ही मुख्य है, तो सही कहते हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने संकेत किया है, जब तक हम वितरण क्षेत्र में सिलसिलेवार ढंग से परिवर्तन नहीं लाते, कोई उत्पादन कार्यक्रम सफल नहीं होगा। अत: अब वितरण कार्य में व्यवहार्यता बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, राज्य विद्युत बोर्डों का घाटा 24 हजार करोड़ से 30 हजार करोड़ रुपये के बीच है और यह घाटा मिसमैनेजमेंट की वजह से है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया था और स्वयं उन्होंने किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरों में वृद्धि किये जाने का सुझाव दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा किसानों को दी जाने वाली बिजली को महंगा करने का है? आर.इ.सी. योजना के अंतर्गत राज्यों को 730 करोड़ रुपया दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशि के संबंध में है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि उस सम्मेलन में विद्युत मंत्री जी जरूर रहे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सुझाव दिया था कि किसानों को मिलने वाली बिजली की दरों में वृद्धि की जायेगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरों में वृद्धि करने का है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह पूरक नहीं है। यह क्या है? आप यह प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? इसकी मुख्य प्रश्न से कुछ प्रासंगिकता होनी चाहिये।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, राज्यों के आमतौर पर सभी बिजली बोर्डों की आर्थिक दशा चौपट है। भारत सरकार के विद्युत संस्थान एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. पॉवर ग्रिड कारपोरेशन, आर.ई.सी. और पॉवर फाइनैंस कारपोरेशन का बिजली बोर्डों पर रुपया बकाया है परन्तु उसके लिये किस हिसाब से एकमुश्त धन देने का प्रावधान किया जायेगा। अभी चार दिन बाद 30 अप्रैल तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है।

हम सरकार से जानना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड का जो बकाया भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों पर हैं उस पर यह कमेटी क्या यह देखेगी कि बिजली बोर्डों का जो बकाया है वह भी मिलाकर दोनों का सध जाए और जिनकी हालत खराब है क्या उन्हें भारत सरकार माफ करने का भी विचार करेगी या खाली एकमुश्त हिसाब-किताब करके मुगलों की तरह इनका बकाया सध जाए, केवल उसी के लिए यह कमेटी बनाई गई है।

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदय, जैसा ऑनरेबल सदस्य ने कहा है यह बात सही है कि जब तक एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. जैसी पावर जनरेटिंग कम्पनियां है या आर.ई.सी. और पी.ए.सी. जैसी वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाएं हैं, यदि ये संस्थाएं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तो राज्यों को जो सहायता मिलती है वह भी मिलनी बंद हो जायेगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बकाये की जो रकम है, यदि वह उन तक नहीं पहुंचती है तो आगे आने वाले समय में जो उनकी अवेलेबिलिटी टू प्रोवाइड फंड्स है, वह भी खत्म हो जायेगी और उससे यदि किसी को नुकसान होगा तो ऐसे राज्यों को होगा जो राज्य उनकी सहायता पर निर्भर होकर ही काम चला रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी राज्यों का बकाया इन संस्थाओं को मिले और इसी के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों को केन्द्र सरकार की अलग संस्थाओं से भी बकाया मिलना है, उसका प्रबंध करने के लिए पार्ट-बी. में जो कमेटी बनाई है, उसमें भी उसका प्रावधान किया गया है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जो विशेषज्ञ दल गठित किया है वह राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए किया गया है। राज्य विद्युत बोर्डों को अगर सबसे ज्यादा वित्तीय संकट होता है तो वह विद्युत की चोरी के कारण होता है। चूंकि 40 से 50 प्रतिशत तक बिजली की चोरी हो जाती है। जो विशेषज्ञ दल गठित किया है क्या सरकार ने उसे जो बिजली की चोरी हो जाती है उसमें कमी लाने की कोई योजना बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिया है या राज्य सरकारों को इसकी सलाह दी है?

श्री सुरेश प्रभु: सर, यह बिल्कुल सही है कि आज विद्युत की चोरी की वजह से राज्य विद्युत मंडलों को जो लॉसेज होते हैं, उसकी कीमत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये है। इसलिए राज्यों को यह सूचित किया गया है और राज्यों के सम्मेलन में हमारे लिए यह सबसे अहम् विषय भी था और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में बिजली की चोरी की वजह से राज्य बिजली मंडलों को जो लॉसेज होते हैं, उन्हें पूरी तरह से कम किया जाए।

[अनुवाद]

पोतों के आयात पर लेवी

***565. श्री राजैया मल्याला: क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोतों के आयात पर लेवी के मद्देनजर भारतीय व्यापारिक पोत बेड़े में कमी होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में घरेलू पोत परिवहन उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय पोत कम्पनियों का विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन (आई एन एस ए) ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है जिसमें यह कहा है कि पोतों के आयात पर सीमा शुल्क की लेवी से भारतीय नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय के साथ-साथ घरेलू व्यापार में अलाभकारी स्थिति में आ जाएगा और भारतीय बेड़े में कमी होने की आशंका व्यक्त की है।

(ग) सरकार ने भारतीय नौवहन के विकास और भारतीय टन भार की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) प्रतियोगी मूल्य पर अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए जलयानों की अधिकांश श्रेणियों अर्थात् फूड टैंकर प्रोडक्ट टैंकर, बल्क कैरियर आदि को 1.4.1997 से खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत लाया गया है। (वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार अब सम/श्रेणियों के जलयानों का आयात पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर बिना लाइसेंस के किया जा सकता)

(ii) बेयर बोट चार्टर-कम-डिजाइज पद्धति के जरिए अधिग्रहण।

(iii) नौवहन कंपनियों को अपने जलयानों की बिक्री राशि को विदेशों में रखने और उसे नए अधिग्रहण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(iv) नौवहन कंपनियों को अब सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी शिपयार्ड में अपने जलयानों की मरम्मत कराने की अनुमति है।

(v) जलयानों की मरम्मत के लिए तिमाही ब्लाक आबंटन स्कीम को समाप्त कर दिया गया है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक आयातित पूंजीगत माल के लिए जलयान मरम्मत/ड्राई डाकिंग और अतिरिक्त पुर्जों के लिए किसी मूल्य सीमा के बिना विदेशी मुद्रा जारी करता है।

(vii) भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा जलयानों को टाइम चार्टर आउट करने की स्वतंत्रता।

(viii) ऋणदाता के पास जलयान को रेहन करके विदेशों से विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ix) आयकर अधिनियम की धारा 33एसी को इसके मूल रूप में बहाल कर दिया गया है जिससे नए अधिग्रहण के लिए पोत परिवहन कंपनियों द्वारा पुनः लाभ अर्जित करने की सुविधा प्राप्त हो गई है।

(x) जलयानों के आयात के लिए एक्जिग नीति के प्रावधान को 1.4.2001 से परिवर्तित कर दिया गया है जिससे नौवहन कम्पनियां अधिक जलयानों का अधिग्रहण कर सकती हैं।

(xi) जलयानों के मूल्यह्रास को दिनांक 1.4.2001 से 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

(xii) जलयानों के आयात पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लेवी को हटाने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है।

(xiii) पोत परिवहन क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

श्री राजैया मल्याला: महोदय, इस प्रश्न का बहुत ही लंबा उत्तर दिया गया है मुझे यह जानकर काफी खुशी हुई है कि 1.4.2001 से पोतों पर मूल्य ह्रास को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव किया गया है इसके अलावा मुझे यह पता चला है कि माननीय वित्त मंत्री ने 5 प्रतिशत के सीमा शुल्क को वापस लेना स्वीकार कर लिया है। इसलिए इसके द्वारा पोत उद्योग के लोगों को इससे कुछ आशाएं हैं।

क्या इसके अलावा सरकार द्वारा भारतीय पोत उद्योग में सुधार हेतु कोई अन्य उपाय किये गए हैं?

श्री अरुण जेटली: मुख्य प्रश्न 5 प्रतिशत के सीमा शुल्क से संबंधित था जिसे अभी नए पोतों की खरीद पर लगाया गया था उद्योग के साथ-साथ पोत परिवहन विभाग ने भी वित्त मंत्री को अभ्यावेदन किया है और मैं वित्त मंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने कल उस लेवी को वापस ले लिया और इस प्रकार मुख्य प्रश्न और माननीय सदस्य की चिन्ताओं का वास्तव में समाधान किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष वित्त मंत्री ने पोत परिवहन पर मूल्य ह्रास को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है और आयात निर्यात पर भी, पोतों के लिए पूर्व नीति द्वारा लागू एस.आई.एल. लाइसेंस प्रतिबंध जो दस वर्ष पुराना है, हटा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे कदम हैं जिसे गत कुछ वर्षों में सरकार ने पोत उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए हैं। उक्त सुविधाओं में शत-प्रतिशत मुनाफे के लिए आय कर अधिनियम की धारा 33(ग)(क) का लागू होना भी शामिल है और जिससे स्वयं उद्योग ही लाभान्वित होगा तथा जिससे कर छूट मिलेगी। खरीद हेतु ओ जी एल सुविधाओं का लाभ पोत उद्योग को दिया गया है। ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं लेकिन पोत उद्योग पोत परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए कई अन्य मांगें उठा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। यह सुनिश्चित करने के लिए हमने वित्त मंत्रालय से सम्पर्क बनाया हुआ है कि कम से कम भविष्य में उनमें से कुछ उपाय पोत परिवहन उद्योग के लिए भी किए जायें।

श्री राजैया मल्यालाः महोदय, मेरे पास दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री पी.सी. थामसः महोदय, इस मामले में मजबूती लाने का एक उपाय यह भी है कि आप अपने पोत निर्माण यार्ड को मजबूत करें। असल में हमें पता चला है कि मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने, पोत यार्डों के जरिए मामले को निपटाने के लिए शीर्षस्थ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने में कितनी सारी समस्याएं हैं। उदाहरण के तौर पर पोतों के मरम्मत के साथ-साथ अन्य मामलों में लिए पोत यार्डों को शुरू किये गए कार्य को पूरा करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे अनेक पोत यार्डों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

मुझे दूसरे मामले को भी प्रस्तुत करना है कि हमारे भारतीय नौवहन निगम हमारे घरेलू शिपयार्डों को कृयादेश नहीं दे रहे हैं। वे विदेशी कंपनियों के पास जाते हैं क्योंकि हो सकता है वे बेहतर विकल्प चाहते हों। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है इसे मजबूत करने और आधुनिक बनाने के लिए उपायों को सुगम बनाएं ताकि हमारे पोत यार्ड वस्तुओं की सुपुर्दगी समय पर और सही ढंग से कर सकें। अतः इस संबंध में क्या किया जा सकता है? मैं इस बारे में कोचीन पोत यार्ड का विशेष हवाला देते हुए बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं। आप इन बातों पर समुचित ध्यान दें।

श्री अरुण जेटलीः महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न में वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। मैं मानता हूं कि हमें अपने पोत यार्डों को मजबूत करने की आवश्यकता है और जिन सुझावों का उन्होंने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है वे निश्चित रूप से हम लोगों के ध्यान में रहेंगे।

श्री प्रभात सामन्तरायः महोदय, मैं माननीय मंत्री को यह प्रयास करने के लिए कि भारत में पोत उद्योग को कुछ राहत मिले धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यह सब राहत नहीं है। जैसाकि आप जानते हैं भारतीय तट पर भारत की प्रमुख पोत कंपनियां विदेश की प्रमुख पोत कंपनियों की तुलना में वर्ष प्रतिवर्ष पिछड़ रही हैं। इसका कारण बहुत ही सरल है। किसी पोत की खरीद में बहुत अधिक पैसा लगता है। उस पर ब्याज प्रभार बहुत-ज्यादा है। यही कारण है कि पोतों का आयात पिछले कई वर्षों से नहीं किया जा रहा था। इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में आपके द्वारा कुछ पहल की गयी है और क्या आप दो अथवा तीन प्रतिशत की ब्याज दर के लिए भारत सरकार को राजी करेंगे जो विदेशों में पोत निर्माण यार्डों में प्रचलित हैं ताकि भारत की प्रमुख पोत कंपनियों की संख्या बढ़ सके। *हमारे पोतकर्मी विदेशी पोतों में जा रहे हैं। हमारे भारतीय* पोतकर्मी को भारतीय पोत कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही है। उस स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि क्या पोतों की खरीद हेतु ब्याज दर में कमी करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है।

श्री अरुण जेटलीः महोदय, जैसा कि मैंने प्रथम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया है कि पोत उद्योग एक बहुत ही प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग है अतः जिस वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग कार्य करता है वह सिर्फ घरेलू प्रतिस्पर्धा नहीं है अपितु आपको अपनी प्रतिपक्षी विदेशी कम्पनियों के साथ भी मुकाबला करना होता है। इसलिए वित्तीय व्यवस्था को तुलनात्मक बनाना होगा और विश्व के अधिकांश भागों में पोत उद्योग लगभग शून्य कर ढांचे पर चल रहे हैं। इसलिए हम वाणिज्य विभाग और वित्त मंत्रालय पर यह जोर देते रहे हैं और इस वर्ष जहां तक पोत उद्योग का प्रश्न है, हम तीन प्रमुख रियायतों को पाने में सफल रहे हैं।

इसके अलावा कई अन्य क्षेत्र हैं जहां उद्योग को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाना होगा और हम विभिन्न मुद्दों को लेकर उन पर दबाव डालते रहे हैं जिनमें विदेशी वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज समाप्त करना भी शामिल है जिसका संभवतः संकेत दिया गया है और हम इन मुद्दों को समय-समय पर राजस्व विभाग के साथ उठाते रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ऋणपत्र की अदायगी

***562. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ऋण-पत्र की अदायगी हेतु आरक्षित धनराशि रखने के लिए निर्देश देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशकों को ऋण-पत्र खरीदते समय संरक्षा प्रदान की जाए, अन्य कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 में कम्पनी संशोधन अधिनियम, 2000 के माध्यम से एक नई धारा 117ग जोड़ी गई जो प्रत्येक वर्ष लाभांशों के मोचन किए जाने तक लाभों में से दिए जाने वाली पर्याप्त राशि के लिए लाभांश विमोचन रिजर्व का सृजन करने के लिए कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के आयोजन के बाद प्रत्येक कम्पनी के लिए लाभांश जारी करना आवश्यक होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। कम्पनी अधिनियम, 1956 में नई धारा 117ख जोड़ी गई है। इसके अनुसार कम्पनी को आवश्यक रूप से एक या अधिक लाभांश न्यासियों की नियुक्ति प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले करनी होगी। ऐसे न्यासी/न्यासियों के नाम उनकी सहमति से प्रोस्पेक्टस के मुख्य पृष्ठ पर होने चाहिए।

[हिन्दी]

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खेती में सुधार

***564. श्री रामशकल**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कपास निगम ने देश में कपास की खेती में सुधार लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत चुने गए गांवों के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत गांवों के चयन के लिए क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) भारतीय कपास निगम लि. (सी सी आई) ने वाणिज्यिक व न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान संबंधी अपने प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों/सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए देश में बेहतर कपास कृषि के विकास/विस्तार कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

(ख) विकास/विस्तार कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्न अनुसार हैं:-

(1) किसानों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए ग्राम अपनाने का कार्यक्रम, प्रमाणित व सही लेबल के बीजों और कोटि के कीट नाशकों का वितरण और एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं की व्यवस्था करना।

(2) कपास संबंधी अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों/परियोजनाओं का वित्त पोषण।

(3) किसानों को शिक्षित करके तथा उनमें जागरूकता पैदा करके गैर-परंपरागत क्षेत्रों में कपास कृषि को प्रोत्साहन देना।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान अपनाए गए राज्य वार ग्रामों की संख्या निम्न अनुसार है:-

राज्य	ग्रामों की संख्या
पंजाब	01
हरियाणा	16
राजस्थान	29
गुजरात	24
मध्य प्रदेश	15
आंध्र प्रदेश	10
कर्नाटक	11
उड़ीसा	02
कुल	108

(घ) 'एक ग्राम एक किस्म की अवधारणा' के मानदंड का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से ग्रामों को अपनाया जाता है ताकि कपास के निम्न उत्पादकता स्तर वाले सीमान्त किसानों को प्राथमिकता देने के अतिरिक्त कपास लिंट और बीज की शुद्धता को बनाए रखने में सहायता दी जा सके।

[अनुवाद]

तूर दाल बोर्ड

***566. श्री कोलूर बसवनागौड**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के तूर दाल उत्पादक किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'तूर दाल बोर्ड' स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां। सामान्यतया देश में तथा खास तौर से कर्नाटक में तूर दाल के उत्पादन इसके उद्योग में सुधार तथा सततता हेतु कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में तूर बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है, जिसका मुख्यालय गुलबर्गा में होगा।

(ख) प्रस्तावित तूर बोर्ड में सुझाई गई सभी गतिविधियां तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन में पहले ही कवर कर ली गई है। इसलिए प्रस्तावित तूर बोर्ड की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, भारत सरकार ने भोपाल में दलहन, विकास निदेशालय की स्थापना की है, जो कर्नाटक सहित देश के 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चलाई जा रही राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन का मानीटरन करता है। भारत सरकार तूर (अरहर) सहित दलहन उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मौसम से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। वर्ष 2000-2001 के लिए तूर (अरहर) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) खरीद की कार्रवाई शुरू करता है। सरकार देश के तूर (अरहर) उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सभी सम्भव उपाय कर रही है।

पर्यटन का विकास

*567. **श्री सईदुज्जमा**: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और थाइलैण्ड जैसे देशों की तुलना में पर्यटकों को आकर्षित करने में भारत निरन्तर पीछे है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च 2001 में नई दिल्ली में एक पर्यटन संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें मंत्री ने पर्यटन के माध्यम से गरीबी कम करने संबंधी एक पुस्तक जारी की थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) नीचे दी गई सारणी में वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान चीन, थाइलैण्ड और भारत में पर्यटक आगमन के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि चीन और थाइलैण्ड में भारत से कहीं ज्यादा पर्यटक आकृष्ट हुए-

वर्ष	पर्यटक आगमन (मिलियन में)		
	चीन	थाइलैण्ड	भारत
1997	23.8	7.3	2.4
1998	25.1	7.8	2.4
1999	27.0	8.7	2.5

(ख) माननीय गृह मंत्री महोदय ने प्रमुख पर्यटन और यात्रा ग्रुप द्वारा मार्च, 2001 माह के दौरान आयोजित एक समारोह में "पावरटी इरैडिकेशन एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म" शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर प्राथमिकता प्रदत्त पारिस्थितिकी मैत्रेयी पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान कर देश में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देता है। पारिस्थितिकी पर्यटन को देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है। ताकि अधिकाधिक पर्यटक आकृष्ट हो सकें। पर्यटन संबंधी गतिविधियों में लगे समस्त स्टेक होल्डरों के मध्य जागरूकता लाने तथा देश में सतत् पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने "पारिस्थितिकी पर्यटन नीति और दिशा-निर्देश" तैयार किए हैं। इन नीति और दिशा-निर्देशों को राज्य सरकारों तथा संघ शासित राज्यों को भेज दिया गया है ताकि वे इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें।

एन ई एल पी-दो के अंतर्गत दिए गए अन्वेषण खण्ड

*568. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी**:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा एन ई एल पी-दो के दूसरे दौर के अंतर्गत पेशकश किए गए अन्वेषण खंड प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सफल नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) किन कारणों से प्रमुख विदेशी तेल और गैस कंपनियां एन ई एल पी-दो के अंतर्गत अन्वेषण खण्डों के प्रस्ताव के अलग रहने के लिए बाध्य हुई; और

(घ) विदेशी तेल और गैस कंपनियों द्वारा अलग रहने का निर्णय लिए जाने के कारण सरकार को हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के तहत सरकार का मुख्य लक्ष्य तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम संगठनों के माध्यम से देश में तेल और गैस का अन्वेषण कराना है। ये संगठन भारतीय या विदेशी, छोटे या बड़े हो सकते हैं। इस प्रकार बोली देने वाली कंपनियों को कुछ तकनीकी और वित्तीय मानदंड पूरे करने होते हैं और चयन के लिए कंपनी का आकार मुख्य मानदंड नहीं है। एन ई एल पी (एन एल पी-2) के दूसरे दौरे के तहत बोली प्राप्ति की अंतिम तारीख 31.3.2001 तक प्रस्तावित 25 ब्लाकों में से 23 ब्लाकों के लिए कुल 44 बोलियां प्राप्त हुई और 6 विदेशी कंपनियों और 7 भारतीय कंपनियों ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया।

6 विदेशी कंपनियों में से कोई भी कंपनी "मुख्य" अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनी की श्रेणी में नहीं आती है। तथापि किसी अन्वेषण ब्लाक के लिए बोली में भाग लेने का निर्णय प्रत्येक तेल कंपनी की व्यवसाय कार्यनीति और भविष्य की योजनाओं पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई तेल कंपनियां तेल और गैस संसाधन सिद्ध होने के बाद की रकबों में हित (फार्म-इन) प्राप्त करना पसन्द करती हैं जिसकी एन ई एल पी के तहत उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में पहले से ही व्यवस्था की गई है।

(घ) "मुख्य" अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों द्वारा भाग न लेने के कारण सरकार को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है क्योंकि यह अनुमान है कि बोली के सारे ब्लाक अन्वेषण के लिए प्रदान किए जाएंगे।

महिलाओं पर अत्याचार के मामले

***569. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वे महिलाएं, जो दहेज उत्पीड़न और बलात्कार जैसे अत्याचारों की शिकार होती हैं, अभी भी न्याय से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेषरूप से ऐसे मामलों के निपटान हेतु महिला न्यायालयों की स्थापना की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या दोष सिद्धि की दर बहुत ही कम है और दर्ज किए जा रहे अत्याचार के मामलों की संख्या में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और कर्नाटक राज्य में महिला न्यायालयों की स्थापना की गई है। दिल्ली में चार और कर्नाटक में एक महिला न्यायालय है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बाबत रजिस्ट्रीकृत किए गए मामलों और ऐसे मामलों की, जिनमें दोषसिद्धि की गई थी, संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	रजिस्ट्रीकृत मामले	ऐसे मामले जिनमें दोषसिद्धि की गई है
1997	121265	24866
1998	131475	24079
1999	135771	27914

(ङ) महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। विवाह और कुटुम्ब और उससे संबद्ध मामलों से संबंधित विवादों के सुलह और शीघ्र निपटान को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार ने कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात् राज्यों में अब तक 51 कुटुंब न्यायालय स्थापित की गई हैं। कुटुंब न्यायालय अनिवार्यत: सिविल न्यायालय हैं। उनकी अधिकारिता वैवाहिक अनुतोष, धर्मजत्व, अभिभावकता और भरण-पोषण से संबंधित मामलों पर है।

बलात्संग, दहेज-मृत्यु, यंत्रणा देना, व्यपहरण और अपहरण, यौन-उत्पीड़न आदि जैसे अत्याचारों को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, बाल-विवाह अवरोध अधिनियम जैसे अनेक कानून अधिनियमित किए गए हैं। इन विधियों की नियमित मानिटरिंग की जाती हैं और जहां आवश्यक होता है संशोधन किए जाते हैं। इन अधिनियमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित है। तथापि, केंद्रीय सरकार महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में किए जाने वाले जरूरी निषेधात्मक, दंडात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को लिखती रहती है।

महिलाओं के हितों की अभिरक्षा के लिए सांविधानिक और उपबंधों को मानिटर करने के लिए कानूनी रूप से सर्वोच्च निकाय के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी, 1992 में की गई थी। यह दहेज/अत्याचार के मामलों, दहेज संबंधी आत्महत्या/मृत्यु/हत्याओं से संबंधित शिकायतें ग्रहण करता है। इन मामलों की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की सुसंगत धाराओं के अधीन आयोग द्वारा समीक्षा की जाती है और दांडिक विधि के अधीन शीघ्र कार्रवाई करने और दोषी व्यक्तियों को न्यायालय में विचारण के लिए लाने के लिए आयोग की सिफारिशों के साथ पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट आदि जैसे समुचित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए विशेष सेल की स्थापना की है।

बीज अधिनियम

*570. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एक व्यापक बीज अधिनियम लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) सरकार का बीज अधिनियम, 1966 में व्यापक संशोधन लाने का प्रस्ताव है। यह वर्तमान बीज विधान के अधिनियमन के पश्चात राष्ट्रीय आर्थिक और कृषि परिदृश्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आये दूरगामी परिवर्तनों के कारण आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही भविष्य में खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन पर विशेष जोर देने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

* केन्द्रीय बीज समिति और केन्द्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड के स्थान पर राष्ट्रीय बीज बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है।

* बुआई अथवा पौध रोपण के लिए किसी भी प्रकार या किस्म का बीज देश में केवल तभी बेचा जायेगा जब उक्त प्रकार या किस्म राष्ट्रीय बीज बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पंजीकृत की गयी हो।

* सरकार के पास सार्वजनिक आदेश अथवा लोक नैतिकता अथवा मानव, पशु और पादप जीवन और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए अथवा पर्यावरण के गंभीर नुकसान से बचने के लिए किसी खास प्रकार अथवा किस्म को पंजीकरण से अलग रखने का अधिकार होगा।

* राष्ट्रीय बीज बोर्ड पंजीकृत प्रकार अथवा किस्म के बीज के संबंध में अंकुरण, आनुवांशिक और वास्तविक शुद्धता पर न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट करेगा ।

* बीज परेषण (खेप) पर लगे मार्क अथवा लेबल पर यह उल्लेख होगा कि ऐसा बीज, यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुरूप है।

* बीजों की बिक्री के विनियमन हेतु, किसी भी व्यक्ति अथवा डीलर को किसी ऐसे बीज की बिक्री अथवा आपूर्ति विषयक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जो पंजीकृत प्रकार/किस्म का न हो ।

* किसानों को अपने किसी प्रकार अथवा किस्मों के पंजीयन की आवश्यकता से छूट दी जायेगी।

* राष्ट्रीय बीज बोर्ड अथवा राज्य सरकार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिमानों को पूरा करने पर स्व-प्रमाणन सहित प्रमाणन करने हेतु व्यक्तियों अथवा संगठनों को प्राधिकृत कर सकते हैं।

* सभी बीज प्रसंस्करण एककों को पंजीकृत होना तथा न्यूनतम विनिर्देशों को बनाये रखना आवश्यक होगा।

* केवल पंजीकृत किस्मों के बीज को बिक्री के लिए आयात करने की अनुमति दी जायेगी। ऐसे किस्मों का पंजीकरण भारत में 3 मौसमों की न्यूनतम अवधि तक किये गये परीक्षणों के आधार पर किया जायेगा।

* बीज अथवा पौध रोपण सामग्री के आयातक व्यक्ति को जैसी भी स्थिति हो, उसके अनुसार यह घोषित करना होगा कि ऐसी सामग्री ट्रान्सजेनिक स्वरूप की है, अथवा नहीं है।

* ट्रान्सजेनिक स्वरूप के बीज अथवा पौध रोपण सामग्री के लेबल पर इस आशय की घोषणा होगी।

* यदि किसी प्रकार अथवा किस्म में कोई संभावित हानिकारक प्रौद्योगिकी (जैसे टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी) शामिल हो, तो उसका पंजीकरण अथवा आयात नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लम्बित प्रस्ताव

***571. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से संबंधित कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) ये किस-किस स्तर पर लम्बित हैं;

(ग) सरकार को प्रत्येक प्रस्ताव किस-किस तिथि को प्राप्त हुआ था;

(घ) इन प्रस्तावों को अभी तक स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (घ) चार गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना ऐसी हैं जो तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदान किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के पास लम्बित पड़ी हैं। लम्बित निवेशों तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि के संबंध में ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है। के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किया जाना परियोजना प्राधिकारियों से स्वीकृतियां/लम्बित निवेश प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा (31.3.2001 की स्थितिनुसार)

क्र. सं.	परियोजना का नाम और स्थल	क्षमता (ईंधन)	डीपीआर प्राप्ति की तिथि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	आन्ध्र प्रदेश में मैसर्स जी.वी.के. इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा जेगरुपाडु विस्तार सीसीजीटी	230 मेगावाट (गैस/ नैफ्था)	मार्च, 2001	जांचाधीन है। क्षमता, ईंधन आवश्यकता और जल आवश्यकता के बारे में आई.पी.पी. से कुछ स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं।
2.	आन्ध्र प्रदेश में मैसर्स कोनासीमा ई.पी.एस. ओकवेल पावर लि. द्वारा कोनासीमा सीसीजीटी	450 मेगावाट (गैस)	दिसम्बर, 2000	जांचाधीन है। लंबित निवेश/स्वीकृतिक ये हैं:- 1. पूर्ण क्षमता हेतु ईंधन लिंकेज 2. राज्य सिंचाई विभाग से स्वीकृति 3. सीडब्ल्यूसी स्वीकृति 4. एन.ए.ए. स्वीकृति 5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति

1	2	3	4	5
	कर्नाटक			
3.	शिवपुरा कन्नूर, कर्नाटक में मै. वेस्को पावर जनरेशन लि. द्वारा एल.एन.जी. आधारित सीसीपीपी	483 मेगावाट (एलएनजी)	जनवरी, 2001	जांचाधीन है। कंपनी द्वारा निम्नलिखित निवेश/स्वीकृतियाँ अभी सुनिश्चित की जानी है 1. एल.एन.जी. आपूर्ति सुनिश्चित करना। 2. राज्य सरकार से जल उपलब्धता की स्वीकृति। 3. केन्द्रीय सरकार से जल उपलब्धता की स्वीकृति। 4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति।
	गुजरात			
4.	मैसर्स गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (जीएसईसीएल) द्वारा धुव्रण गैस आधारित विद्युत परियोजना	107.238 मेगावाट (गैस)	30.3.2000	निम्नलिखित निवेश/स्वीकृतियां लंबित हैं:- 1. ईंधन लिंकेज, धुव्रण परियोजना की विद्यमान जीटी यूनिटों के बंद होने के अध्याधीन उपलब्ध। 2. राज्य वन एवं पर्यावरण विभाग से एन.ओ.सी. 3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड से स्वीकृति 4. खारा जल निस्सरण के मही नदी में डालने के संबंध में एसपीसीबी की स्वीकृति।

पर्यटक/धार्मिक स्थलों की पहचान और विकास

*572. **श्री राजो सिंह:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक महत्वपूर्ण पर्यटक/धार्मिक स्थलों में, विशेष रूप से आदिवासी पिछड़े तथा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में, मूलभूत सुविधाओं की कमी है और उनकी पर्यटन की दृष्टि से उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार किन-किन पर्यटक/धार्मिक स्थलों की विकास के लिए पहचान की गई है और किन स्थलों के विकास का 2001-2002 के लिए प्रस्ताव है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों द्वारा उनके विकास के लिए अलग-अगल राज्यवार तथा स्थानवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित और स्वीकृत की गई;

(ङ) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में तथा निधियों के उचित उपयोग तथा पर्यटक/धार्मिक स्थलों के उचित रख-रखाव की जांच करने के लिए कोई निगरानी एजेंसी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) (क) और (ख) पर्यटक/धार्मिक स्थलों का विकास कार्य मुख्यत: सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्यों के साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श कर उनके प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए पर्यटक स्थलों तथा आदिवासी, पिछड़े तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर पर्यटक अवसंरचना विकास के लिए देश के 21 यात्रा परिपथों तथा 60 तीर्थ केन्द्रों का निर्धारण किया है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान पर्यटन विकास के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य प्रशासनों को स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा उनके त्वरित क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों तथा राज्य सरकार के क्षेत्रीय निदेशक/निदेशकों को शामिल कर एक मॉनिटरिंग समिति गठित की गई है। पर्यटक/धार्मिक स्थलों के रख-रखाव का कार्य राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण परियोजनाओं में मेले और उत्सव शामिल हैं

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001	
		स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	206.70	10	244.08	14	222.22	13	271.50
2.	असम	14	288.88	16	457.95	17	357.36	12	338.25
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	271.00	0	216.32	11	239.28	7	90.03
4.	बिहार	11	233.07	11	237.9	5	89.71	7	196.40
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	2	114.00
6.	गोवा	8	144.62	14	319.98	11	279.82	6	48.40
7.	गुजरात	7	111.84	15	449.57	19	327.64	8	325.86
8.	हरियाणा	6	96.62	12	333.93	9	238.33	3	47.15
9.	हिमाचल प्रदेश	5	119.00	10	318.00	17	691.79	16	321.04
10.	जम्मू एवं कश्मीर	10	293.35	6	192.85	16	334.58	9	304.93
11.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	6	205.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	10	130.78	13	407.48	36	856.40	22	514.47
13.	केरल	11	287.00	13	653.05	19	699.28	12	592.04
14.	मध्य प्रदेश	9	119.1	18	471.01	16	431.08	16	291.28
15.	महाराष्ट्र	12	169.84	18	496.27	30	1003.69	3	131.86
16.	मणिपुर	5	186.10	8	140.49	10	229.00	18	782.77
17.	मेघालय	5	97.70	5	120.48	5	30.72	4	83.46
18.	मिजोरम	6	142.45	8	203.34	13	267.23	13	304.19
19.	नागालैण्ड	3	119.90	11	230.54	16	291.80	8	156.53
20.	उड़ीसा	28	552.05	6	178.60	19	301.90	2	81.91
21.	पंजाब	6	52.87	7	241.9	8	175.00	5	111.50
22.	राजस्थान	14	135.33	22	436.28	12	131.22	4	62.06
23.	सिक्किम	11	73.20	15	136.03	13	118.96	32	368.79
24.	तमिलनाडु	7	59.74	17	316.20	27	531.95	7	101.10
25.	त्रिपुरा	8	126.68	9	169.21	7	340.76	13	333.23
26.	उत्तर प्रदेश	13	221.10	41	866.14	36	755.45	7	149.21
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	4	39.33
28.	पश्चिम बंगाल	7	125.76	12	211.13	6	194.01	16	281.69
29.	अण्डमान और निकोबार	–	–	4	162.50	1	32.37	–	–
30.	चण्डीगढ़	–	–	3	54.23	4	69.59	2	114.00
31.	दादर नागर हवेली	1	5.20	2	20.00	1	30.00	1	8.00
32.	दिल्ली	8	229.86	13	223.89	5	24.50	1	16.26
33.	दमन और दीव	4	60.17	–	–	–	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	1	6.00	1	29.00	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	4	25.64	2	15.00	10	163.89	–	–
	जोड़	255	4693.76	348	8552.13	415	9459.54	279	8786.90

दिल्ली में रिंग रेल सेवा

*573. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में परिवहन की समस्या को देखते हुए रिंग रेल सेवा में कुछ सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) दिल्ली रिंग रेलवे पर चल रही मौजूदा गाड़ियां पर्याप्त रूप से लोकप्रिय नहीं हैं, अत: फिलहाल दिल्ली में अतिरिक्त रिंग रेल सेवाएं चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों की परियोजनाओं के लिए धनराशि की मंजूरी

*574. **श्री जी.जे. जावीया:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2000-2001 के दौरान प्रस्तुत की गई अथवा मंजूर की गई अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस क्षेत्र में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने के लिए भविष्य की योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) वर्ष 2000-01 के दौरान मंजूर/स्थापित की गई विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के विवरण संलग्न विवरण-I हैं।

(ख) मंत्रालय ने देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के संवर्धन, विकास और उपयोग के लिए वित्तीय तथा संवर्धनात्मक प्रोत्साहनों के रूप में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कुल 947.32 करोड़ रुपये की राशि खर्च की।

(ग) वर्ष 2001-02 के लिए समूचे देश हेतु निर्धारित कार्यक्रमवार लक्ष्यों के विवरण संलग्न विवरण-II हैं। बायोगैस, उन्नत चूल्हा और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों को छोड़कर विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2001-02 के लिए राज्यों के विमर्श से ये अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया मे हैं।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 के दौरान मंजूर/स्थापित की गई अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के विवरण

कार्यक्रम/योजनाएँ	वर्ष 2000-01 के दौरान मंजूर/स्थापित की गई प्रणालियां/युक्तियां
1	2
बायोगैस संयंत्र	1,80,000 सं.
सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	400 सं.
उन्नत चूल्हा	20,00,000 सं.
बायोमास/गैसीफायर	10.59 मे.वा.
सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम	
एसपीवी घरेलू रोशनी	56,910 सं.
एसपीवी लालटेन	98,421 सं.

1	2
एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां	4,271 सं.
एसपीवी विद्युत संयंत्र	287.4 कि.वा.पी.
एसपीवी पंप	850 सं.
सौर तापीय ऊर्जा	
सौर जल तापन प्रणालियां	35,000 वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र
सौर कुकर	35000 सं.
पवन पंप	99 सं.
लघु एरोजनरेटर एवं हाइब्रिड प्रणालियां	283 कि. वा.
पवन विद्युत	173 मे.वा.
लघु पन बिजली	64.15 मे.वा.
बायोमास विद्युत	76.60 मे.वा.
सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	1716 कि.वा.पी.
ऊर्जा पार्क	46 सं.

कि.वा.पी.-किलोवाट पीक, कि.वा.-किलोवाट, मे.वा.-मेगावाट

विवरण-II

वर्ष 2001-02 के लिए विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्यों के विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम	वास्तविक लक्ष्य 2001-2002
1	2	3
1.	पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र	1,80,000 सं.
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	400 सं.
3.	उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	20,00,000 सं.
4.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	38 ऊर्जा पार्क
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	
	एसपीवी घरेलू रोशनी प्रणालियां	35,000 सं.
	एसपीवी लालटेन	85,000 सं.
	सड़क रोशनी प्रणालियां	3,000 सं.
	एसपीवी विद्युत संयंत्र	220 कि.वा.पी.

1	2	3
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	800 सं.
7.	सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम	
	सौर जल तापन प्रणालियां	40,000 वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र
	सौर कुकर	25,000 सं.
8.	पवन पंप	200 सं.
9.	लघु एरोजनरेटर एवं हाइब्रिड प्रणालियां	125 कि.वा.
10.	पवन विद्युत कार्यक्रम	200 मे.वा.
11.	लघु पनबिजली	30 मे.वा.
12.	बायोमास विद्युत	80 मे.वा.
13.	बायोमास/गैसीफायर	7 मे. वा.
14.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	300 कि.वा.पी.
15.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट	10 मे.वा.

मे.वा.-मेगावाट, कि.वा.-किलोवाट, कि.वा.पी.-किलोवाट पीक

भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि

*575. **श्री सुशील कुमार शिन्दे:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा जर्मनी के विशेषज्ञों ने अपने-अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए 12 से 14 मार्च, 2001 तक नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में भारत की छवि सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) "जर्मनी में उच्च शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भारत की छवि तथा भारत में उच्च विद्यालय शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों में जर्मनी की छवि" की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000-2001 में भारत में जर्मन महोत्सव के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान विशेषज्ञों में उपयोगी विचार-विनिमय हुआ।

[हिन्दी]

सूती वस्त्र उद्योग में वित्तीय संकट

*576. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपास के भारी उत्पादन के बावजूद कपास आधारित वस्त्र उद्योग गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) विगत 5 वर्षों के दौरान सूती, सूती यार्न और सूती फैब्रिक्स तथा सूती वस्त्र का निर्यात निम्नानुसार है:-

मदें उत्पादन	एकक	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अनंतिम)
कच्चा कपास*	मि. किग्रा.	3024	2686	2805	2652	2482
सूती यार्न	मि. किग्रा.	2148	2213	2022	2204	2073
सूती फैब्रिक	मि. वर्ग मी.	19841	19992	17948	18989	17874
निर्यात सूती वस्त्र	रु. करोड़ में	7252	7440	7660	7960	5700

* कपास वर्ष अक्टूबर-सितंबर

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विगत 5 वर्षों के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन तथा निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई गई है। तथापि, वर्ष 1998-99 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी के कारण सूती तथा सूती फैब्रिक के उत्पादन में गिरावट आई है।

सरकार सूती वस्त्र उद्योग की समग्र वृद्धि व विकास के लिए कुछ कदम उठा रही है। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(1) वस्त्र मिलों को उचित कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ कपास की उत्पादकता तथा गुणवता, उत्पादन के सुधार के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया गया है।

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय उन्नयन की परियोजनाओं पर ऋणदात्री एजेंसियों के द्वारा ब्याज शुल्क पर 5 प्रतिशत की अदायगी देकर सूती वस्त्र उद्योगों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना।

(3) कच्चा कपास की अपेक्षित गुणवत्ता के आयात के लिए उद्योग की सहायता के लिए कपास का आयात ओ.जी.एल. के अंतर्गत करना।

(4) कुछ निश्चित वस्त्र मशीनरी पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

[अनुवाद]

मल्टी-मॉडल सर्विसिस

***577. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कंटेनर निगम लिमिटेड घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई के लिए मल्टी-मॉडल सर्विसिस उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कंटेनर निगम द्वारा ऐसी सेवाएं किस सीमा तक दी जा रही हैं;

(ग) क्या भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) इस समय अपनी परिचालन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निगम की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) देश में कंटेनरों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, दोनों के लिए, रेल और सड़क परिवहन का उपयोग करके मल्टी-मोडल सेवाएं उपलब्ध कराता है।

(ख) ये सेवाएं कॉनकॉर के देशव्यापी जालतंत्र पर फैली हुई हैं।

(ग) जी नहीं, परिचालनिक क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप कंटेनरों की व्यवस्था करने सहित, बेहतर चल स्टॉक, टर्मिनलों और गोदामों की सुविधाएं प्रदान करना, कंपनी की कुशलता में और बेहतरी लाने के लिए उठाए जा रहे कुछ कदम हैं।

समवर्ती सूची से विद्युत क्षेत्र को हटाया जाना

*578. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत के समवर्ती सूची में होने के कारण विद्युत परियोजनाओं को अंतिम रूप देने तथा उनके निष्पादन में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी वित्तीय संस्थानों ने सरकार से विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिए और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए दूरसंचार की भांति विद्युत तो केन्द्रीय सूची में लाने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विद्युत को केन्द्रीय सूची में लाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

स्मारकों का संरक्षण

*579. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या **पर्यटन और संस्कृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ल्ड मोनुमेंट वाच के सहयोग से विभिन्न स्मारकों के संरक्षण तथा विकास के लिए कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं और इस संबंध में स्थान-वार/राज्य-वार किन स्मारकों का चयन किया गया है; और

(ग) वास्तविक वास्तुकला के संरक्षण तथा किलों की पूर्व प्रतिष्ठा बहाल करने तथा किलेबंदी के क्षेत्रों में भीतर व्यापारिक गतिविधियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) जी, नहीं। यद्यपि, राजस्थान में जैसलमेर किले के समग्र संरक्षण के लिए विश्व स्मारक निधि ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ विचार-विर्मश शुरू किया है, किन्तु इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को बंद किया जाना

*580. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पुस्तक परिदान अधिनियम, 1954 के उपबंधों को लागू न किया जाना

5818. **श्री रामजी मांझी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के निदेशक पुस्तक परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 को लागू करने में असफल रहे हैं जिसके कारण 1984-97 के दौरान 29.25 लाख रुपए की वह पुस्तकें और विदेशी पत्र-पत्रिकाएं प्राप्त नहीं हुई जिनका 8.26 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान पहले ही किया जा चुका था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) देश में प्रकाशित सभी नवीनतम पुस्तकें पुस्तक प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में प्राप्त की जाती हैं। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्राप्त हुई पुस्तकों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है। नवीनतम प्रकाशित पुस्तकों के प्राप्त न होने का मुख्य कारण है। (1) पुस्तक प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम के अन्तर्गत चूक को हतोत्साहित करने के लिए 50/- रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जोकि हतोत्साह करने वाला नहीं है। अन्य कारण है कि अधिकांश प्रकाशन छोटे प्रकाशकों द्वारा निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध सीमित साधनों के साथ उन तक पहुंच पाना कठिन और अधिक समय लेने वाला है। तथापि, संलग्नक से यह देखा जा सकता है कि अब किये जा रहे संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुई पुस्तकों में 25 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

वर्ष 1984-97 के दौरान 8.26 लाख रुपये मूल्य की पत्रिकाओं के प्राप्त न होने के निम्नलिखित कारण हैं:

(1) कतिपय अंकों का रास्ते में ही गुम हो जाना।

(2) जिस अवधि के लिए अंशदान का भुगतान किया गया है उसकी समाप्ति से पूर्व ही पत्रिकाओं के शीर्षकों में परिवर्तन।

(3) कभी-कभी 2 अंकों को संयुक्त कर दिया जाता है और एक संयुक्त अंक के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

(4) प्रकाशन बन्द होना।

(5) अग्रिम राशि और किसी विशेष विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन के कारण वास्तविक देय राशि में अन्तर।

(6) शीर्षक में परिवर्तन।

(ख) ऊपर स्पष्ट की गयी परिस्थितियों में इसका कोई औचित्य नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
पुस्तक प्रदाय अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकाशन

वर्ष

1	2
19990-91	18.065
1991-92	18,493
1992-93	18,051
1993-94	13,824
1994-95	14,525
1995-96	14,883
1996-97	12,504
1997-98	13,014
1998-99	15,922
1999-2000	20,012

[हिन्दी]

हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र में भ्रष्टाचार

5819. प्रो. दुखा भगत:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ हस्तशिल्पी और हथकरघा बुनकरों को नहीं मिल रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा द्वारा विपणन डिवीजन में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत से जाली पहचानपत्र जारी किए गये हैं जिससे इन जाली पहचान पत्र धारियों द्वारा वह सभी लाभ उठाये जा रहे हैं, जो वास्तव में हस्तशिल्पियों और बुनकरों को दिये जाने थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में जांच के पश्चात् कितने व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है और भ्रष्ट कार्यों में लगे इन दोनों आयुक्तों की क्या भूमिका है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शीतागारों की शृंखला

5820. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताजा सब्जियों, फलों, दुग्ध और अन्य शीघ्र खराब होने वाले सामानों का पारगमन/खरीद और विपणन को सरल बनाने के लिए शीतागारों परिवहन प्रणाली को शुरू करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्यों में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) सरकार कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संगठन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है, नामत: (i) मई, 2000 से फसलोपरान्त प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास और (ii) वर्ष 1999 में बागवानी उत्पाद हेतु शीतागारों/भंडारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम। (i) उपर्युक्त में उल्लिखित स्कीम में अधीन कुछ कटाई पश्चात घटकों में (i) रेफर वैन/कन्टेनर्स, पूर्व शीतन एककों और शीत भंडारों की स्थापना शामिल हैं। इस स्कीम के अधीन प्रति परियोजना 25.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा के साथ कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक न हो, की दर से पार्श्वान्त (बैंक इण्डेड) पूंजी राज सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राजसहायता की अधिकतम सीमा 30.00 लाख रु. प्रति परियोजना है। इस स्कीम को लागू करने के पहले, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड "बागवानी फसलों की कटाई पश्चात अवसंरचना पर समेकित परियोजना" नामक एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा था जिसके तहत पात्र लाभ भोगी द्वारा प्रशितीत परिवहन वाहन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही थी। वर्ष 1992-93 से 1999-2000 के दौरान इस स्कीम के अधीन राज्यवार निर्मुक्त सुगम ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

बागवानी उत्पाद हेतु शीतागारों आदि भण्डारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु स्कीम के अधीन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जरिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर से जो अधिक से अधिक 50 लाख रुपये है और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 33.33 प्रतिशत की दर से जो अधिक से अधिक 60 लाख रुपये है तथा ऋण वाली परियोजनाओं के मामले में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पार्श्वान्त (बैंक इन्डेड) पूंजी निवेश राजसहायता दी जाती है। उद्यमियों द्वारा अपने संसाधन द्वारा पूर्व वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में राहत सहायता सीधी ही जारी की जाती है। इस स्कीम के अधीन मंजूर प्रस्तावों (राज्यवार) की संख्या का ब्यौरा संलग्न-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 से 1999-2000 (31.3.2000) तक कटाई पश्चात प्रबंध स्कीम के अन्तर्गत मंजूर की गई राज्यवार बुनियादी सुविधाएं

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रशीतित परिवहन वाहन (संख्या)	जारी किए गए सुगम ऋण की राशि (लाख रु. में)
1.	गुजरात	3	14.00
2.	उत्तर प्रदेश	1	5.00
3.	हिमाचल प्रदेश	6	30.00
4.	पंजाब	14	55.00
5.	दिल्ली	4	19.95
6.	आंध्र प्रदेश	4	20.00
7.	कर्नाटक	4	17.30
8.	महाराष्ट्र	15	67.85
9.	तमिलनाडु	1	5.00
	कुल	52	234.10

विवरण-II

31 मार्च 2001 तक शीतागार/प्याज गोदामों पर पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के अधीन मंजूर की गई राज्यवार परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	नाबार्ड	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	24	–	3
2.	उड़ीसा	3	2	–
3.	मध्य प्रदेश	24	3	–
4.	आंध्र प्रदेश	18	–	–
5.	महाराष्ट्र	9	1	1
6.	पंजाब	24	–	–
7.	हरियाणा	6	–	2
8.	तमिलनाडु	14	–	–
9.	असम	1	1	–
10.	राजस्थान	22	–	–
11.	उत्तर प्रदेश	91	1	4
12.	कर्नाटक	7	–	1
13.	त्रिपुरा	–	1	–
14.	प. बंगाल	–	6	1
15.	बिहार	–	2	–
16.	दिल्ली	–	–	1
	कुल	243	17	13

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

5821. श्री रामानन्द सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश को प्रत्येक माह कितना डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या आपूर्ति मांग की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1999-2000 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से डीजल, पेट्रोल और मिट्टी तेल की बिक्री की माहवार मात्रा नीचे दी गई है:

(आंकड़े टी एम टी में)

उत्पाद	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नवं.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च	कुल
एम एस	24.3	24.3	23.3	21.5	21.0	20.4	22.5	24.1	24.1	24.6	25.9	26.0	282.0
मिट्टी तेल	56.8	55.2	55.3	55.3	55.4	55.6	55.8	55.6	55.5	55.4	55.8	55.9	667.8
एच एस डी	205.00	211.9	226.0	177.9	155.6	159.5	191.5	221.6	220.9	198.2	193.4	203.9	2365.6

मध्य प्रदेश राज्य को प्राकृतिक गैस की औसत वर्तमान आपूर्ति लगभग 3.5 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एम एम एस सी एम डी) है।

(ख) और (ग) जबकि पेट्रोल और डीजल बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध है और उनकी मांग पूरी की जा रही है। सार्वजनिक वितरण

प्रणाली का मिट्टी तेल एक आबंटित उत्पाद है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्त मिट्टी तेल को अनुपूरित करने के लिए सरकार द्वारा समानान्तर विपणन योजना (पी एम एस) के अंतर्गत भी मिट्टी तेल की बिक्री की अनुमति दी गई है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में वृद्धि करने के संबंध में पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) गेल, आई ओ सी एल, बी पी सी एल और ओ एन जी सी एल द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के माध्यम से दहेज में एल एन जी का आयात करने और दहेज को एच बी जे प्रणाली के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

नई लाइनों के लिए आवंटन

5822. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलने के अंतर्गत प्रत्येक नई लाइन के लिए कितना आवंटन किया गया है;

(ख) नई लाइनों के निर्माण में किये जाने वाले व्यय में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) उन नई लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन पर अधिक व्यय किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अधिक व्यय को किन साधनों से पूरा किया गया था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टी. एंड डी. सिस्टम के लिए आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक सहायता

5823. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2001 में विद्युत के संबंध में नीति पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पारेषण और वितरण प्रणाली सुदृढ़ बनाने के लिए एपीएल-II के अंतर्गत पहले से प्रस्तावित 100 मिलियन डॉलर की सहायता के अतिरिक्त विश्व बैंक से 500 करोड़ रु. की अतिरिक्त सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक यह सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार अपनी पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने में कब तक सफल हो जायेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश एवं एपीट्रांस्को से सूचना प्राप्त की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

अधिवक्ताओं को चैम्बरों का आवंटन

5824. श्री रामदास आठवले: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने अधिवक्ता पंजीकृत हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पंजीकृत अनेक अधिवक्ता, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिवक्ता बिना चैम्बर के कार्य कर रहे हैं; और

(ग) अधिवक्ताओं को चैम्बर आंबटन करने में क्या मानदंड अपनाये जाते हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने के लिए अलग से रजिस्ट्रीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य विधिज्ञ परिषद् में अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों में, साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने का हकदार है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई.आर.आर.आई.

5825. श्री महबूब जहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और कुछ अन्य विश्वविद्यालयों ने 21 एम.जी.

लौह और 34 एम.जी. जिंक मात्रा, वाले आई.आर. 68144 नामक चावल की किस्म विकसित की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस चावल को जैव प्रौद्योगिकी की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है;

(ग) क्या चावल में लौह की मात्रा से रक्त और जिंक मात्रा अतिसार से रक्षा करती है और रक्त में अधिक कोलेस्ट्रोल के बढ़ने को रोकती है;

(घ) क्या चावल की नवनिर्मित किस्म में लौह और जिंक की उपलब्ध मात्रा भारतीय चावल में पाये जाने वाली मात्रा से लगभग दोगुनी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विशेष किस्म के चावलों की खेती करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई.आर.आर.आई.), लास बेनोस, फिलीपिन्स ने 21 मि. ग्रा. आयरन और 34 मि. ग्रा. जिन्क अंश वाली आई.आर. 68144 नामक चावल की एक किस्म विकसित की है।

(ख) जैव प्रौद्योगिकी की सहायता के बिना प्रजनन के परम्परागत तरीकों को अपनाकर चावल की इस किस्म को विकसित किया गया है।

(ग) इस चावल का सेवन करने से यह पाया गया है कि इससे रक्त में लौह-तत्व की वृद्धि होती है और रक्त में ''हीमोग्लोबिन'' स्तर में भी सुधार होता है जिससे आयरन की कमी से होने वाली 'अनिमिया' नामक बीमारी से दूर करने में मदद मिलने की संभावना है। रक्त में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रोल की मात्रा से बचने के लिए जहां तक चावल में पाए जाने वाले लौह और जिंक तत्व का संबंध है, इसके बारे में नमूने के प्रमाणों की कमी है।

(घ) सामान्य भारतीय चावल की तुलना में नए विकसित चावल की इस किस्म में लौह और जिंक नामक तत्व लगभग दोगुनी मात्रा में उपलब्ध है।

(ङ) और (च) आई.आर.आर.आई. द्वारा विकसित 'वंशक्रमों' का विभिन्न 'बायोटिक और 'अबायोटिक' दबावों और उनकी उपयुक्तता का भारत की जलवायु संबंधी स्थितियों में उनकी उत्तमता के सिद्ध होने पर ही ऐसे 'वंशक्रमों' की सिफारिश खेती के लिए की जाती है।

गुजरात में विद्युत क्षेत्र को हुआ घाटा

5826. श्री अमर रायप्रधान: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) गुजरात में हाल के भूकम्प के कारण उनके मंत्रालय के केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों को कितना नुकसान हुआ; और

(ख) उनके मंत्रालय/विभागों द्वारा अपने विभागों तथा भूकम्प पीड़ितों के लिए कितनी राहत/सहायता भेजी गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) गुजरात सरकार ने रिपोर्ट दी है कि गुजरात में हाल में आए भूकम्प की वजह से, एक पवन विद्युत और एक बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत संयंत्र के सिविल ढांचों को मामूली नुकसान को छोड़कर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के संयंत्रों और मशीनरी को कोई प्रमुख क्षति नहीं पहुंची है। इन नुकसानों के मरम्मत की अनुमानित लागत लगभग 3.00 लाख रु. है।

(ख) भूकम्प पीड़ितों के लिए तत्काल राहत/सहायता के रूप में मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार को 5,000 और लालटेन, 1,000 सामुदायिक चूल्हे और 1,000 उन्नत चूल्हे भेजे गए हैं। गुजरात सरकार की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा उपकरणों की भी पेशकश की गई है।

सद्भावना-प्रयासों के रूप में मंत्रालय और इरेडा के कार्मिकों द्वारा भूकम्प राहत हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष में 16.91 लाख रु. की राशि का अंशदान भी दिया गया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पशु प्रजनन नीति

5827. श्री पी. आर. खूंटे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित नीति में पशुओं की विभिन्न नस्लों को विकसित करने का कार्य शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना शुरू की है जिसके तहत प्रत्येक प्रतिभागी राज्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने संसाधनों तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर तथा उसे कार्यक्रम से जोड़कर अपनी गोपशु नीति तैयार करे तथा उसे अधिसूचित करे। चूंकि योजना अक्तूबर, 2000 में ही अनुमोदित हुई थी तथा बहुत से राज्यों को अपनी गोपशु प्रजनन नीति अभी तैयार तथा अधिसूचित करनी है, अतः राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन नीति को तैयार करने के लिए आवश्यक स्पष्ट तस्वीर तभी उभरेगी जब स्वदेशी नस्लों के प्रजनन ट्रैक्टों वाले सभी राज्य अपने कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे देंगे।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना स्वदेशी नस्लों के विकास पर विशेष रूप से बल देती है। योजना के दिशानिर्देशों में राज्यों की प्रजनन नीति में स्वदेशी नस्लों पर समुचित ध्यान देने की सिफारिश की गई है।

[अनुवाद]

अप्रचालित शटल लूमों को बदलना

5828. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शटल लूमों के पुराने और अप्रचलित मॉडलों को नवीनतम मॉडलों से बदलने और शटलर्स लूमों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) भारत सरकार ने एक नई स्कीम तैयार की है जिसे दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.पी.आई) कहते हैं जिसके अंतर्गत वस्तु की लागत का 50 प्रतिशत की सहायता दी जाती है जो कि नये करघे को खरीदने के लिए 2000/- रुपये, डोबी के लिए 1500/- रुपये जैकार्ड के लिए 2000/- रुपये तथा अन्य कल-पुर्जो के लिए 1000/- रुपये बुनकरों को अनुदान देने तक सीमित है। स्कीम में शटल लूमों के पुराने और अप्रचलित माडलों को नवीनतम माडलों से बदलने और शटलर्स लूमों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

[हिन्दी]

कार्गों की ढुलाई में नुकसान

5829. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल तीसरी श्रेणी तक के पोत ही भारतीय पत्तनों पर लंगर डाल सकते हैं और बड़े आकार के पोत कार्गों की उतराई हेतु भारतीय पत्तनों के स्थान पर श्रीलंका और सिंगापुर पत्तनों पर चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पत्तनों के लिए इन पत्तनों से कार्गों की ढुलाई से भारी नुकसान हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। तीसरी पीढ़ी के कन्टेनर जलयान ही कुछ भारतीय पत्तनों में लंगर डाल सकते हैं जबकि पेट्रोलियम क्रूड/उत्पाद और लौह अयस्क के मामले में विशाल जलयान लंगर डाल सकते हैं। चूंकि भारत के कुछ पत्तनों में तीसरी पीढ़ी के कन्टेनर जलयान भी लंगर नहीं डाल सकते अथवा ऐसे जलयान भारतीय पत्तनों पर नहीं आ सकते काफी मात्रा में देश से/के लिए कन्टेनरीकृत निर्यात/आयात का कोलम्बों और सिंगापुर पत्तनों सहित पड़ोसी देशों के पत्तनों के माध्यम से यानांतरण किया जाता है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। विदेशी पत्तनों पर भारतीय कार्गो का यानांतरण कम करने के लिए जवाहर लाल नेहरू और चेन्नै पत्तनों को विशाल कन्टेनर जलयान हैंडल करने के लिए वृहत पत्तनों के रूप में उन्नत बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में डकैती

5830. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई से छूटने वाली लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रियों के साथ बड़ी संख्या में लूटपाट की गई थी और इस तरह के अपराधों में से औसतन केवल 18 प्रतिशत का ही पता लगाया जा सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्थानीय पुलिस के साथ परामर्श से रेलवे द्वारा तैयार की गई विस्तृत नीति क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं, यह सत्य नहीं है कि मुम्बई से चलने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों में बड़ी संख्या में यात्रियों को बेहोशी की दवा देकर लूटा गया था। चूंकि ऐसे मामले राज्य पुलिस द्वारा पंजीकृत व जांचे जाते हैं, इन मामलों को पता लगने की दर रेलों के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) राज्य पुलिस द्वारा किए गए उपायों के अतिरिक्त, रेलों ने रेल यात्रियों को जहर देने और बेहोशी की दवा देकर बेहोश करने के मामलों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. यात्रियों को अनजान व्यक्तियों/सह-यात्रियों के भोजन और खाद्य पदार्थों को न लेने के संबंध में शिक्षित करने और चेतावनी देने के लिए जन संबोधन प्रणाली से उद्घोषणा की जाती है।
2. इस संबंध में रेलवे स्टेशनों पर प्रचुर मात्रा में उपयुक्त पोस्टर लगाए गए हैं।
3. जिन गाड़ियों में ऐसी घटनाओं की अधिक संभावना हो, उन गाड़ियों के सवारी डिब्बों में चेतावनी प्रदर्शित कर दी गई है।
4. यात्रियों को शिक्षित करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं।
5. ऐसे अपराध करने के लिए जिम्मेदार गेंगों का पता लगाने के लिए आपराधिक आसूचना के संग्रहण को मजबूत किया गया है।
6. गाड़ियों और रेल परिसरों पर अनधिकृत फेरी वालों की विरुद्ध नियमित और प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

[हिन्दी]

अलाभकारी परियोजनाएं

5831. श्री जयप्रकाश: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने देश के विभिन्न भागों में चल रही कुछ रेल परियोजनाओं को अलाभकारी घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर पुन: विचार किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) जी हां, रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट के दूसरे भाग में उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित परियोजनाओं की अलाभप्रद के रूप में पहचान की है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
i.	आगरा-इटावा बरास्ता फेतेहाबाद: नई लाइन	109.00
ii.	न्यु-मोइनागुड़ी-जोगीघोपा: नई लाइन	733.00
iii.	न्यू-माल जं.-चेंगराबंध-पुनर्स्थापन	28.77
iv.	बारासात-हसनाबाद: दोहरीकरण	27.00
v.	आमगुड़ी-तुली: आमान परिवर्तन	738.54 (लमडिंग-डिब्रुगढ़ की समग्र आमान परिवर्तन परियोजना)
vi.	रूपसा-बांगरीपोसी: आमान परिवर्तन	80.00

(घ) और (ङ) न्यूमाल जं.-चेंगराबंध लाइन पूरी हो गयी है। ऊपरोल्लिखित अन्य परियोजनाएं कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। रेलों पर परियोजनाओं की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और सभी चालू रेल परियोजनाओं की प्रगति उनकी सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हो रही है।

[अनुवाद]

ट्रैक्टरों पर राजसहायता

5832. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि प्रयोजन के लिए ट्रैक्टरों की खरीद पर राजसहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसान वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अपने वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का किसानों द्वारा ट्रैक्टरों के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में सहायता/सहयोग के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम वृहत् कृषि प्रबंधन के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा 30 पी.टी.ओ.एच.पी. तक के ट्रैक्टर तथा अन्य उपकरणों की खरीद हेतु किसानों को वैयक्तिक रूप से या समूह में, पंजीकृत सहकारी समितियों, बहुद्देशीय कृषि समितियों, कृषि ऋण समितियों को लागत के 30 प्रतिशत की दर से 30,000/- रु. तक सीमित राजसहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में ट्रैक्टर के उपयोग के उदाहरण सरकारी की जानकारी में लाये गये हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्य सरक.रों से अनुरोध किया है कि सभी संबंधितों को इस बावत निर्देश जारी किये जाएं कि कोई भी ट्रैक्टर यात्री/माल (कृषि सामान के अलावा) लेकर सड़क पर न चलें जब कि उनके पास उचित परमिट और गाड़ी से संबंधित अन्य कागजात न हों।

खाली वैगनों की आपूर्ति

5833. श्री रघुनाथ झा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे मांग की नई वैगनों के स्थान पर खाली वैगनों की आपूर्ति कर रही है और खाली सवारी डिब्बे रेलगाड़ियों में आवश्यकता से अधिक लगे होते हैं इससे रेलवे को राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने वैगन/सवारी डिब्बों की आवश्यकता से अधिक आपूर्ति की गई और इससे रेलवे को कुल कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं,

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

तेल और निजी कंपनियों द्वारा तेल का उत्पादन

5834. श्री राजनारायण पासी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल का कितना उत्पादन किया गया और इनके उत्पादन की अलग-अलग लागत कितनी थी;

(ख) 31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार ओ एन जी सी और आयल इंडिया लिमिटेड में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे; और

(ग) बाजार में किफायत बरतने हेतु लागत में कमी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1997-98 से 1999-2000 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन और उसके उत्पादन की लागत:

		1997-98	1998-99	1999-2000
उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन)	ओएनजीसी*	28.25	26.39	24.65
	ओआईएल**	3.09	3.28	3.26
उत्पादन की लागत+ (रुपये/मीट्रिक टन)	ओएनजीसी	3203	3261	4020
	ओआईएल	2340	2347	2793

@सर्वाधिक उद्ग्रहणों सहित * आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.
** आयल इंडिया लि.

(ख) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार ओएनजीसी और ओआईएल में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या:

ओएनजीसी		4,021
ओआईएल	:	10,082

(ग) तेल और गैस के उत्पादन की लागत में वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए ओ एन जी सी और जो आई एल द्वारा अनेक उपाय किए गए/जा रहे हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. ओ एन जी सी

(1) समग्र उत्पादकता में सुधार करना और उसके द्वारा उत्पादन की प्रति इकाई लागत में कमी लाना।

(2) प्राकृतिक गैस के उपयोग में वृद्धि करना और एल एन जी, एन जी एल और मिट्टी तेल जैसा मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना।

(3) कूप विशेष की उत्पादकता में वृद्धि करने और अंततोगत्वा निकासी में सुधार करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को अपनाना।

(4) ऊर्जा बचत और संरक्षण विधियों को अपनाना।

2. ओ आई एल

(1) अधिकतम संभव सीमा तक सामान्य सेवाओं में भागीदारी करना।

(2) ह्रासमान कूपों अथवा क्षेत्रों से नए कूपों अथवा क्षेत्रों में उपस्करों को स्थापित करना।

(3) मानव शक्ति का पुनर्नियोजन।

(4) ईंधन खपत में बचत करना।

(5) नई प्रौद्योगिकी अपनाना।

गन्ना आधारित फसल पद्धति का सतत विकास

5835. **श्री के. येरननायडू:** *क्या* **कृषि मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या सरकार गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में "गन्ना आधारित फसल पद्धति का सतत विकास" नामक योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) अब तक क्या परिणाम हासित किए गए; और

(घ) राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए भविष्य में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी हां। सभी राज्यों तथा आंध्र प्रदेश को आवंटित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	सभी राज्यों को आवंटित धनराशि (केन्द्रीय अंश)	आंध्र प्रदेश को आवंटित धनराशि (केन्द्रीय अंश)
1997-98	2444.07	172.75
1998-99	2675.07	166.70
1999-2000	2019.76	135.00

(ग) गन्ने का उत्पादन निम्नवत है:-

(उत्पादन 000 मीटरी टन)

वर्ष	अखिल भारत	आंध्र प्रदेश
1997-98	279541.4	13955.0
1998-99	288722.4	16503.3
1999-2000	299227.3	18667.8

उक्त सारणी में स्पष्ट है कि उत्पादन में वृद्धि का रुख देखा गया है।

(घ) योजना आयोग ने अखिल भारतीय स्तर पर 325 मिलियन मी. टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें से आंध्र प्रदेश के लिए 17.0 मिलियन मी. टन का लक्ष्य है। गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का वृहत् कृषि प्रबंधन पद्धति में विलय कर दिया गया है, जिसमें राज्यों को अधिक सुविधा प्रदान की गई है।

प्याज की खरीद के कारण हानि

5836. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार प्याज की खरीद के कारण हुई हानि के लिए राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि और की गई क्षतिपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार का दावा केन्द्र सरकार के पास अंतिम स्वीकृति के लिए अभी भी लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन लंबित दावों को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार प्याज सहित उन महत्वपूर्ण बागवानी जिंसों की खरीद के लिए, मंडी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिनके मूल्यों में आर्थिक स्तर से नीचे गिरने की प्रवृति होती है और किसान उन्हें मजबूरन बेचते हैं, इस स्कीम के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की सलाह से निर्धारित मूल्य पर पूर्व-निर्धारित मात्रा की खरीद की जाती है। खरीद नैफेड द्वारा केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण के रूप में तथा राज्य द्वारा नामित अभिकरण/अभिकरणों द्वारा समान आधार पर की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत हुई लाभ/हानि भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर (50:50) वहन की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों 1998-99 से 2000-2001 के दौरान 20 जनवरी 2000 से 29 फरवरी, 2000 के अवधि में 65000 मी. टन प्याज की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम केवल महाराष्ट्र में कार्यान्वित की गई।

(घ) से (च) जी, हां। महाराष्ट्र में मंडी हस्तक्षेप स्कीम के कार्यान्वयन से हुई 487.50 लाख रु. हानि का केन्द्रीय अंश भारत सरकार के पास लंबित है। उपरोक्त लंबित दावे निधियों की उपलब्धता के आधार पर जारी की जाएगी।

डी एस बी द्वारा दी गई डीलरशीप को समाप्त करना

5837. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डी एस बी और तेल निगमों द्वारा की गई सभी नियुक्तियों/डीलरशीप के चयन/डिस्ट्रिब्यूटरशिप को समाप्त करने का निर्णय लिया है जिन्हें मुकदमों अथवा जिला प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति न दिए जाने/चयनित स्थानों पर भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं किया जा सकता था;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियों/सरकार का विचार उन्हें वैकल्पिक स्थान पर पुनर्वासित करने या ऐसे मामलों को लंबित सूची में रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो बदलते परिदृश्य अथवा इस व्यापार में निजी उद्यमियों के प्रवेश के मद्देनजर ऐसे मामलों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संग्रहण प्रभार

5838. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:** **क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड सरकार की नीति का घोर उल्लंघन कर उन बाहर स्थित डीलरों से जो पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हेतु चेक द्वारा भुगतान करते हैं, से प्रति हजार 7 रुपए प्रभार संग्रह कर रही है;

(ख) क्या तेल निगम उक्त श्रेणी के डीलरों से क्रमश: डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति के लिए प्रति किलोमीटर केवल 15 रुपए और 37 रुपये प्रभार लगाने के लिए ही पात्र हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे उल्लंघनों को कब तक बंद कर दिया जाएगा और इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन डीलरों से प्राप्त बाहरी स्थानों के चेकों के मूल्य पर वसूली प्रभारों के रूप में प्रति हजार 7 रुपए वसूली कर रही है, क्योंकि इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा बैंकरों को ऐसे ही प्रभारों का भुगतान करना होता है। इस मामले में कोई विशिष्ट सरकारी निर्देश नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा के डी एस बी द्वारा विभिन्न स्थानों हेतु उम्मीदवारों का चयन

5839. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा की पूर्ववर्ती डी एस बी द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए उम्मीदवारों के चयन के विरुद्ध शिकायतों के मामले में महाप्रबंधकों और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के विधि विभाग के स्थान-वार और उम्मीदवार-वार पता लगाए गए तथ्य क्या हैं;

(ख) ऐसे लंबित मामलों पर निर्णय लेने के पूर्व ऐसे बोर्डों के निलंबन की स्थिति में मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए किस प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है;

(ग) ऐसे चयनित उम्मीदवारों जिनकी उम्मीदवारी जांच दल द्वारा निपटा दी गई है, को एल ओ आई जारी करने के लिए संबंधित तेल कंपनियों को कब तक निर्देश दे दिए जाने की संभावना है; और

(घ) पूर्ववर्ती निलंबित बोर्डों के कितने अध्यक्षों को पुनर्नियुक्त किया गया है और तत्संबंधी बोर्ड-वार और अध्यक्ष-वार क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए अब तक के डीलर चयन बोर्डों द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए डीलरों/ डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के विरुद्ध शिकायतों की जांच सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी और जांच के बाद निरपवाद पाए गए चयनित उम्मीदवारों को आशय-पत्र जारी किए गए थे।

अब तक के डीलर चयन बोर्डों द्वारा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

"पहले से प्राप्त शिकायतों अथवा इन डीलर चयन बोर्डों अथवा अन्य किसी डीलर चयन बोर्ड की सिफारिशों के विरुद्ध और शिकायतों के संबंध में जांच संबंधित तेल कंपनी के कम से कम महाप्रबंधक के रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा सकती है और आवश्यक सिफारिश संबंधित तेल कंपनी के निदेशक (विपणन) द्वारा आवश्यक निर्णय हेतु सरकार को भेजी जा सकती है। नेमी और निरर्थक शिकायतों में निर्णय निदेशक (विपणन) के स्तर पर ही लिया जा सकता है।"

(घ) सूचना सदन के पटन पर रख दी जाएगी।

घरेलू/विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं

5840. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पर्यटन केन्द्रों का भ्रमण करते समय घरेलू और विदेशी पर्यटकों को वर्तमान में प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) पर्यटक सुविधाएं अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं का एक भाग है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जाता है। इनमें से कुछ परियोजनाओं को उनके गुण-दोषों, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा धन प्रदान किया जाता है। इनमें-मार्गस्थ सुविधाओं, यात्री निवासों का निर्माण, ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन आदि शामिल हैं।

हड़ताल के कारण हानि

5841. श्री तिरूनावकरसू:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पोत से पोत-वार और वर्ष-चार कितनी मात्रा में माल ढोया गया,

(ख) क्या हड़ताल के कारण पोतों के कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा था, और

(ग) यदि हां, तो देश में पोतों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न महापत्तनों पर निम्नलिखित मात्रा में कार्गो की ढुलाई हुई:-

(मिलियन टन)

पत्तन	1998-99	1999-2000	2000-2001
कलकत्ता	9.16	10.31	7.16
हल्दिया	20.22	20.71	22.80
पारादीप	13.11	13.64	19.90
विजाग	35.65	39.51	44.69
चेन्नै	35.20	37.44	41.22
तूतीकोरिन	10.15	9.99	12.28
कोचीन	12.67	12.80	13.12
नव मंगलूर	14.21	17.60	17.89
मुरगांव	18.02	18.23	19.63
ज.ला. नेहरू	11.72	14.98	18.58
मुम्बई	30.97	30.41	26.95
कांडला	40.64	46.30	36.74
जोड़	251.72	271.92	280.96

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार पत्तन में नियोजित श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने के लिए तथा पत्तनों में औद्योगिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रत्येक महापत्तन न्यास के बोर्ड में दो व्यक्तियों को श्रम न्यासी के रूप में नियुक्त करती है। विभिन्न विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए उद्देश्य से पत्तन प्राधिकारी पंजीकृत श्रमिक संघों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करते हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देना

5842. श्री ए. नरेन्द्र: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य-वार कितनी राशि उद्दिष्ट की गई है;

(ख) राज्यों में ऐसे नए स्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य-वार कौन से होटलों को बंद किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) पर्यटन का संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा उनके संबंधित राज्य में किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार अपने विदेशी कार्यालयों, साहित्य सृजन तथा सूचना तकनालॉजी उपकरणों के उपयोग से देश के लिए पर्यटन का संवर्धन करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निधि के आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम की अभी किसी होटल को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

विद्युत संयंत्रों की स्थापना

5843. श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन परियोजनाओं में निजी भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) 9वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि की स्थिति (राज्य-वार और क्षेत्रवार) दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

9वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में क्षमता अभिवृद्धि

(सभी आंकड़े मे.वा. में)

राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
i. भटिंडा (पंजाब)	210	210	–
ii. सूरतगढ़ (राजस्थान)	–	250	250
iii. टांडा (उत्तर प्रदेश)	110	–	–
iv. अपर सिंध (जम्मू व कश्मीर)	–	–	35
v. सोब्ला (उत्तर प्रदेश)	–	6	–
पश्चिमी क्षेत्र			
i. कच्छ लिग्नाइट (गुजरात)	75	–	–
ii. गांधी नगर (गुजरात)	210	–	–
iii. वांकबोरी (गुजरात)	–	210	–
iv. संजय गांधी विस्तार (मध्य प्रदेश)	–	210	210
v. चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	500	–	–
vi. कांदना (गुजरात)	–	60	–
vii. राजघाट (मध्य प्रदेश)	–	–	45
viii. कोपना (महाराष्ट्र)	–	250	750
ix. वारना (महाराष्ट्र)	8	8	–
x. दूधगंगा (महाराष्ट्र)	–	–	24
दक्षिण क्षेत्र एवं द्वीप समूह			
i. कोठामण्डम (आं. प्रदेश)	250	–	–
ii. रायचूर (कर्नाटक)	–	210	210
iii. ब्रहमपुरम (केरल)	80	20	–

1	2	3	4
iv. कोजीकोड (केरल)	–	–	128
v. कराइकल (पांडिचेरी)	–	22.9	9.6
vi. सिंगूर (आन्ध्र प्रदेश)	–	–	15
vii. कालिंदी कोडासाली (कर्नाटक)	50	180	40
viii भदरा (कर्नाटक)	6	–	–
ix. लोवरपेरि (कर्नाटक)	120	–	–
x. कक्कड (केरल)	–	–	50
xi. पोरिंगजल कुथु (केरल)	–	16	–
xii. लोवर भवानी (तमिलनाडु)	8	–	–
xiii. सतनूर (तमिलनाडु)	–	7.5	–
xiv. कुंडा- विस्तार (तमिलनाडु)	–	–	30
पूर्वी क्षेत्र			
i. बक्रेश्वर (प. बंगाल)	–	–	210
ii. पूर्वी गण्डक (बिहार)	5	–	–
iii. अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)	–	–	300
iv. तीस्ता नहर (प. बंगाल)	30	15	22.5
उ. पूर्वी क्षेत्र			
i. रोखिया (त्रिपुरा)	8	–	–
ii. नूरांग (अरूणाचल प्रदेश)	6	–	–
समस्त राज्य क्षेत्र	1676	1675.4	2329.10
केन्द्रीय सैक्टर			
i. उंचाहार (एनटीपीसी)	–	210	210
ii. कायमकूलम (एनटीपीसी)	–	230.6	119.4
iii. विन्ध्याचल (एनटीपीसी)	–	500	500
iv. फरीदाबाद (एनटीपीसी)	–	–	286
v. कैथलगुड़ी (निप्को)	60	30	–
vi. अगरतला (निप्को)	63	21	–
vii. मेजिया, (डीवीसी)	210	–	–

1	2	3	4
viii. रंगित-III एनएचपीसी	–	–	60
ix. आर.ए.पीपी. एनपीसी	–	–	220
x. कैंगा, एनपीसी	–	–	220
केन्द्रीय सैक्टर	333	991.6	1615.4
निजी क्षेत्र			
उत्तरी क्षेत्र			
i. मैग्नम पावर एफओ (हरियाणा) (लिक्यूड फ्यूल)	–	–	25
पश्चिमी क्षेत्र			
i. हजीरा सीसीजीटी (गुजरात)	185	–	–
ii. पघुथान सीसीजीटी (गुजरात)	405	250	–
iii. सूरत लिंग्नाइट (गुजरात)	–	–	250
iv. जीआईपीसीएल बड़ौदा (गुजरात)	167	–	–
v. डाभोल-I (महाराष्ट्र)	–	740	–
vi. सालगाँवकर सीसीजीटी (गोवा) लिक्यूड फ्यूल)	–	–	48
दक्षिणी क्षेत्र			
i. गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	114	–	–
ii. जेगरूपाडु (आन्ध्र प्रदेश)	77	–	–
iii. तोरांगल्लू (कर्नाटक)	–	130	130
iv. इलौर (बीएसईएस) (केरल) (तरल ईंधन)	–	–	135
v. बेसिन ब्रिज डीजी (तमिलनाडु) (तरल ईंधन)	–	200	–
पूर्वी क्षेत्र			
i. बज बज (पश्चिम बंगाल)	250	250	–
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
i. आदमटीला (असम)	9	–	–
ii. बानसकांडी (असम)	10.5	5	–
समग्र निजी क्षेत्र	1217.50	1575	588.00
संचयी प्राप्ति	3226.50	4242	4532.50

9वीं योजना के शेष दो वर्षों की अवधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि

(आंकड़े मेगावाट)

	2001-01	2001-02
1	2	3
केन्द्रीय क्षेत्र		
i. फरीदाबाद, एनटीपीसी	144 (जुलाई'00)	
ii. सिम्हाद्री एनटीपीसी		500
iii. नैवेली विस्तार, एनएलसी		210
iv. दोयांग, नीपको	75 (जून'00)	
v. रंगानदी, नीपको		405
vi. टिहरी एचईपी टीएचडीसी		250
vii. आरएपीपी, एनपीसी	220 (नवंबर'00)	
viii. कैगा, एनपीसी	220 (अक्तूबर'00)	
समस्त	659	1365
निजी क्षेत्र		
पश्चिमी क्षेत्र		
i. डाभोल-2 (महाराष्ट्र)		1444
ii. रतलाम डीजीपीपी (मध्य प्रदेश)		188
दक्षिणी क्षेत्र		
i. कोडापल्ली (आ.प्र.) (तरल इंधन)	112 (जून'00)	
	112 (सितंबर'00)	
	126 (अक्तूबर'00)	
ii. वेमागिरी (आ.प्र.)		132
iii. बीएसईएस (पेद्दापुरम) (आ.प्र.)		200
iv. बेल्लारी डीजी (कर्नाटक) (तरल ईंधन)	25.2 (सित. 00)	
v. तनीर बावी-बार्ज माउंटेड		200
vi. इलूर (बीएसईएस) केरल (तरल इंधन)	39 (नवं.00)	

1	2	3
vii. समयानल्लूर डीजी (टीएन) तरल ईंधन		106
viii. पिल्पईपेरुमलल्लर (टी एन)	जीटी-225 (मार्च, 01)	एमटी-105.5
ix. समलपटूटी डीजी (टी एन)	105 (मार्च, 01)	
x. बम्ब फ्लैट डीजी (अ. नि.)		
पूर्वी क्षेत्र		
i. जोजोबेरा (बिहार)	120 (अक्टू.00)	120
	864.20	2445.50

राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
i. पानीपत (हरियाणा)	210 (मार्च, 01)	
ii. धानबी (हि. प्र.)	11.25 (जुलाई, 00)	
	11.25 (दिसं., 00)	
iii. थीन बांध (पंजाब)	150 (जुलाई, 2000)	
	150 (जुलाई, 2000)	
	150 (जुलाई, 2000)	
	150 (अगस्त, 2000)	
iv. प्रगति सीसीपीपी (दिल्ली)		104.6
v. चेनानी-3 (जम्मू व कश्मीर)	7.5 जुलाई 00	
vi. अपर सिंध (जम्मू व कश्मीर)		35.0
vii. पहलगांव (जम्मू व कश्मीर)		3.0
पश्चिमी क्षेत्र		
i. खापरखेड़ा (महाराष्ट्र)	210 (मई, 00)	
	210 (जनवरी, 01)	
ii. सरदार सरोवर (म.प्र.)		450
iii. बाणसागर टोंस (म.प्र.)	20 (जनवरी,01)	20
दक्षिणी क्षेत्र और द्वीप समूह		
i. एलवीएस डीजीपीपी (आ.प्र.)		36.8
ii. रंगीत बे डीजी (अंदमान निकोबार)		5

1	2	3
iii. कोविकल्लप्पल (तमिलनाडु)	107 (फर./मार्च,01)	
iv. श्रीसेलम (आ.प्र.)	150 (मार्च, 01)	300
v. शरावती (कर्नाटक)	60 (जुलाई, 00)	180
vi. कुटीयाडी विस्तार (केरल)		50
vii. कोलपोंग (अंडमान व निकोबार)		5.2
viii. डीजी (अंडमान व निकोबार)	5.72 (नवंबर, 2000)	
ix. डीजी (लक्षद्वीप)	3.05 (नवंबर, 2000)	
पूर्वी क्षेत्र		
i. बक्रेश्वर	210 (मई, 2000)	
	210 (मार्च, 2001)	
ii. अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)	150 (सित. 2000)	
	150 (मार्च, 2001)	
iii. पोत्तेरु (उड़ीसा)		6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
i. लीमखोंग डीजी (मणिपुर)		36
समस्त	2325.77	1231.60
संचयी लक्ष्य	3848.97	5042.10

मत्स्य संबंधी अध्ययन

5844. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 2001 के "द टाइम्स आफ इंडिया" समाचार पत्र में "गंगा फिश ए हेल्थ हाजार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार कीटनाशकों की ऐसी उच्च सघनता के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए गंगा नदी से मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) यह बताया गया है कि गंगा के पानी की मछली में कीटनाशकों की अत्यन्त सघनता है और ऐसी संदूषित मछलियां उपभोक्ताओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्यायें उत्पन्न कर सकती है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार गंगा के पानी की मछली में कीटनाशकों की सघनता से स्पष्ट हुआ है कि 1987 में सघनता की तुलना में 1996 तक की अवधि तक सघनता में कमी रही। कुल गति तथा आरगैनो फास्फोरस कीटनाशक का अपशिष्ट स्तर का अधिक महत्व नहीं है। सरकार ने कीटनाशकों के उत्पादन तथा उपयोग की पहले ही समीक्षा की है तथा डी डी टी के प्रयोग

पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। गंगा को साफ करने के लिए एक बृहत "गंगा कार्य योजना" शुरू की गई है जिसका उद्देश्य निचली धारा के गंगा के पानी में रसायन की मात्रा को कम करना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गन्ना अपशिष्ट से विद्युत का उत्पादन

5845. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में गन्ना अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन क्षमता का मेगावाट में ब्यौरा क्या है;

(ख) गन्ना अपशिष्ट से उत्पादित विद्युत पनबिजली और ताप विद्युत से महंगी होगी या सस्ती;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गन्ना अपशिष्ट से उत्पादित विद्युत को किस क्षेत्र में उपयोग किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या देश की 500 चीनी मिलों को गन्ना अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन की अनुमति देने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) छः राज्यों में 35 खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं के माध्यम से 213 मेवा. की कुल अतिरिक्त विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। इसके अलावा, 263 मेवा. की अतिरिक्त विद्युत क्षमता कार्यान्वनाधीन है।

(ख) और (ग) विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और प्रचालन संबंधी पैरामीटरों पर निर्भर करते हुए खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की औसत प्रति यूनिट 1.50 रु. से 2.75 रु. है। खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की लागत तुलनात्मक रूप से पन बिजली और तापीय विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की लागत के अनुकूल है।

(घ) खोई आधारित सहउत्पादन से उत्पादित विद्युत का उपयोग कैप्टिव उपभोग के लिए चीनी मिलों में किया जाता है और अतिरिक्त विद्युत ग्रिड में दी जाती है।

(ङ) और (च) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय, चीनी मिलों में खोई से ईष्टतम अतिरिक्त विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम में सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र चीनी मिलों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी या ब्याज सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा, करों और शुल्कों से राहत, त्वरित अवमूल्यन, आदि सहित राजकोषिय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। आठ संभाव्य राज्यों ने इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की व्हीलिंग, बैंकिंग, तृतीय पत्र बिक्री और खरीद-वापसी के लिए संवर्द्धनात्मक नीतियों की घोषणा की है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए उदार ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी, व्यापार/पारस्परिक बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जलमार्गों की लम्बाई

5846. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परिवहन के अन्य साधनों पर से दबाव कम करने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों की मौजूदा लम्बाई का विस्तार करने का है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) तीन जलमार्गों अर्थात् हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा (1620 कि.मी.), धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र (891 कि.मी.) और चम्पाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तटीय नहर (205 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और नौवहन तथा नौचालन के लिए इनका विकास किया जा

रहा है। कई अन्य जलमार्गों अर्थात् बराक नदी, डी वी सी नहर, सुन्दरवन जलमार्ग, गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ एकीकृत काकीनाडा-मरकउनम नहर, ब्रह्माणी नदी प्रणाली के साथ एकीकृत पूर्व तटीय नहर और उत्तर तथा दक्षिण की ओर राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के विस्तार पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं। ये जलमार्ग अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए व्यवहार्य पाए गए हैं। तथापि, राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में उनकी घोषणा और उसके बाद उनका विकास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

शाकाहारी/मांसाहारी लेबल

5847. **श्री रामपाल सिंह:**
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों के लेबल पर शाकाहारी और मांसाहारी का उल्लेख करना आवश्यक बनाने हेतु निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्यमंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) जी हां।

(ख) मांसाहारी खाद्य के मामले में भूरे रंग का अथवा शाकाहारी खाद्य के मामले में हरे रंग का चिह्न ⊡ खाद्य के नाम या ब्राण्ड के एकदम पास मुख्य प्रदर्शन खण्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ग) शाकाहारी/मांसाहारी खाद्यों पर लेबल लगाना अनिवार्य करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पुष्प-कृषि को प्रोत्साहन

5848. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में पुष्प-कृषि के विकास की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस राज्य में पुष्प-कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा कर्नाटक कृषि उद्योग निगम को कितनी सहायता दी गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार ने आठवीं योजना के दौरान वाणिज्यिक पुष्प कृषि हेतु कर्नाटक सहित सभी राज्यों को कवर करते हुए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की है इस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पुष्पकृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक में निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किये गये है:- (1) बंगलौर के निकट नगरूर में मॉडल पुष्पकृषि केन्द्र की स्थापना (2) पुष्पकृषि के अंतर्गत 210 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार (3) प्रशिक्षण एवं पुष्पकृषि गांव अवधारणा के माध्यम से तकनीक अंतरण (4) राज्य में पुष्प उत्पादकों को पादप घरों की स्थापना हेतु सहायता दी गयी है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक कृषि उद्योग निगम ने हेब्बल में एक फूल निलामी केन्द्र की स्थापना की है। बंगलौर हवाई अड्डे पर 2.5 टन क्षमता का एक शीत गृह स्थापित किया गया है।

(ग) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कर्नाटक कृषि उद्योग निगम को हेब्बल में फूल नीलामी केन्द्र पर सुविधाओं में सुधार हेतु 5.00 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थोक बिक्री बाजार सह-नीलामी केन्द्र की स्थापना के लिए भी कर्नाटक कृषि उद्योग निगम को 3.75 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी है।

केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला

5849. **डॉ. वी. सरोजा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के मदुरै में एक केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) सरकार का मदुरै, तमिलनाडु में केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) चार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जो देश में विचारण न्यायालयों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत भेजे जाने वाले नमूनों के विश्लेषण की मांग को पूरा करती हैं।

''मैड काउ'' रोग

5850. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि भारत सहित विश्व के कुछ देशों में हाल ही में ''मैड काउ'' रोग का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के किसी भाग से संभावित ''मैड काउ'' रोग के बारे में सरकार को पता चला है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ''मैड काउ'' रोग के संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा रोगों के फैलने पर उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) हाल में जर्मनी, डेनमार्क तथा नार्वे में मैड काउ रोग (बोवाईन स्पांजीफार्म इन्सेफालोपैथी) की सूचना मिली है। इस रोग की सूचना भारत में अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) यद्यपि यह रोग भारत में व्याप्त नहीं है, रोग के फैलने को रोकने के लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें ऐसे देशों से जीवित गोपशु, भैंस, भेड़ तथा बकरी; बोवाईन, ओवाईन और कैपराईन इम्ब्रायो/ओवा/वीर्य; जुगाली करने वाले छोटे पशु मूल के ताजा मीट, मीट उत्पादों, टिश्यु/आरगन, मीट तथा बोन मील के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है जहां रोगों के ट्रांसमिसीवल स्पांजीफार्म इन्सेफालोपैथी समूह के प्रकोप की सूचना मिली है। बोवाईन स्पांजीफार्म इन्सेफालोपैथी की निगरानी एवं देखभाल का कार्य विभाग के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय रोग नैदानिकी प्रयोगशालाओं में शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ राज्य में रसोई गैस एजेंसियां

5851. **डा. चरणदास मंडल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में कितने रसोई गैस वितरक हैं और ये किस कंपनी से संबंधित है,

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य की आवश्यकता के अनुसार रसोई गैस एजेंसियां स्थापित की हैं,

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य में कितनी रसोई गैस एजेंसियां खोलने की लक्ष्य है; और

(घ) राज्य गठित होने के पश्चात राज्य में रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए है और उनमें से कितने आवेदनों को अब तक निपटा दिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के 77 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य कर रही हैं।

(ख) से (घ) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें ऐसे स्थानों पर खोली जाती हैं जहां एक स्वतंत्र एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता हो। पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने छत्तीसगढ़ राज्य में 1999-2000 की विपणन योजना में 28 स्थान सम्मिलित किए हैं। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप के चालू होने की तारीख तक आमतौर पर 6-12 महीने लगते हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र

5852. **श्रीमती रेनु कुमारी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के 22 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने और वहां स्थापित 8 नए केन्द्रों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव भेजा हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) परिषद ने पहले ही राज्य में 15 कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित कर दिया है और इसके अलावा दो जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र के अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को भी मजबूत किया गया है। परिषद ने राज्य के 5 जिलों में नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव भी तैयार किया है।

रूस के सखालीन तेल क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. का निवेश

5853. **डा. सुशील कुमार इंदौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम की सहायक कंपनी ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड ने रूस की सखालीन तेल क्षेत्र परियोजना में निवेश की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का निवेश कर किए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ग) ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड द्वारा विदेशी परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किया गया है;

(घ) उक्त कंपनी द्वारा कितनी औसत वार्षिक आय अर्जित की गई है; और

(ङ) विभिन्न देशों में उक्त कंपनी द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश किया गया और उन देशों के क्या नाम है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने रूस में सखालिन-1 परियोजना के अंतर्गत प्रतिभागिता के लिए 1-7 बिलियन अमरीकी डालर तक निवेश करने के ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (ङ) ओ वी एल द्वारा इसके प्रारंभ में 31.3.2001 तक विभिन्न देशों में किया गया कुल निवेश 188 करोड़ रुपए है। निवेशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

देश	निवेश (करोड़ रुपए)
मिश्र	20
ट्यूनीशिया	8
वियतनाम	120
यमन	40
योग	188

(घ) विगत तीन वर्षों (1998-99 से 2000-01 तक) के दौरान ओ वी एल ने प्रति वर्ष 12 करोड़ रुपए की औसत आय अर्जित की है।

[अनुवाद]

बंगलौर व्हाइट फील्ड रेल लाइन का दोहरीकरण

5854. **श्री आर.एस. पाटिल:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर और व्हाइट फील्ड के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं, बैंगलूरू से व्हाइफील्ड तक का खंड दोहरी लाइन वाला है. बहरहाल, बैंगलूरु-कृष्णाराजापुरम खण्ड से चौहरीकरण का कार्य रेल बजट में शामिल किया गया है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगामी वर्षों में सापेक्ष प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य पूरा किया जाएगा।

(ग) 2001-02 के दौरान इसके लिए 10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई हैं।

चारा बैंक की स्थापना

5855. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में चारा बैंक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु महाराष्ट्र सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) चारा बैंक कब तक स्थापित कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) गोपशु प्रजनन फार्म हिंगोली (महाराष्ट्र) में चारा बैंक की स्थापना के लिए 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 41.25 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी।

(ग) चारा बैंक की स्थापना के लिए समय सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी है।

नाफेड द्वारा मिर्च की खरीद

5856. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाफेड को मिर्च उत्पादक किसानों की रक्षा हेतु मिर्च खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर नाफेड की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में 15,000 मीट्रिक टन लाल मिर्च के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम की संस्वीकृति दे दी है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में कमी

5857. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में कमी आई है,

(ख) यदि नहीं, तो 2000-2001 के दौरान कितनी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, नाफ्था और मिट्टी के तेल की बिक्री हुई, और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में कमी आने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पिछले वर्ष में जहां पेट्रोल और नाफ्था की बिक्री में वृद्धि हुई है वहां मिट्टी तेल और डीजल की बिक्रियों में कुछ कमी आई है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान घरेलू खपत के लिए समानान्तर विपणन योजना (पी एम एस)/निजी आयातों सहित बिक्री किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा उत्पादवार नीचे दर्शाई गई है:-

(आंकड़े टी एम टी में)

उत्पाद	1999-2000	2000-2001	वृद्धि (प्रतिशत)
पेट्रोल	5909	6620	+12.0
नाफ्था	10898	11753	+7.9
मिट्टी तेल	11898	11265	-5.3
डीजल (एचएसडी)	39295	38227	-2.7

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में मिट्टी तेल की बिक्री मात्रा में कमी के कारण हैं कि सार्वजनिक वितरण पद्धति का मिट्टी तेल एक आवंटित उत्पाद है। तथापि भारी संख्या में नए एल.पी.जी. कनेक्शनों के जारी किए जाने के कारण इस उत्पाद में मांग पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में पी.एम.एस. के माध्यम से मिट्टी तेल की बिक्री में भी कमी आई है और इसका कारण मुख्यतया कदाचारों को नियंत्रित करने के लिए उच्च आयात कर लगाये जाने को ठहराया गया है। हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) के मामले में कमी के प्रमुख कारण अन्य बातों के साथ-साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में गंभीर सूखे की स्थिति, माल परिवहन के ढंग से सड़क मार्ग से रेल मार्ग में परिवर्तन और अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी रहे।

टिकटों की कालाबाजारी

5858. डा. बलिराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रेल अधिकारियों की मिलीभगत से दलालों द्वारा टिकटों की कालाबाजारी किये जाने के कारण रेल यात्रियों को दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन और कल्याण रेलवे स्टेशनों पर स्थित आरक्षण खिड़कियों से टिकट खरीदने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो रेल टिकटों की कालाबाजारी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) रेलों द्वारा की गई जांचों के दौरान टिकटों की कालाबाजारी के कुछ मामलें ध्यान में आए हैं। टिकटों की अनधिकृत बिक्री की बुराई को दूर करने के लिए वाणिज्यिक तथा सतर्कता विभागों द्वारा सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों के आरक्षण कार्यालयों में तथा उनके आस-पास नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं। दलालों के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियानों में पुलिस की सहायता भी ली जाती है जिस रेल कर्मचारी को कदाचारों में मिलीभगत करते हुए पाया जाता है उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत बड़ी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा भीड़-भाड की अवधि में महत्वपूर्ण स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी जाती है।

बौध स्थलों का विकास

5859. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विकास हेतु स्थान-वार किन-किन बौध स्थलों की पहचान की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त कार्य हेतु सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और 2001-2002 के दौरान स्थान-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराए जाने का विचार है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु विदेशों द्वारा स्थान-वार उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन विभाग ने वर्ष 1986 और 1987 में दो कार्य बल गठित किए थे जिसने विकास के लिए नीचे दिए गए 62 केन्द्रों का निर्धारण किया है:-

उत्तर प्रदेश	:	सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, श्रावस्ती और संकिसा
बिहार	:	बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली
आंध्र प्रदेश	:	नागार्जुन कोंडा, अमरावती, चंदवरम, गुंटूपली, शंकरम, शलीहुदम, जगयापेट्टा, भट्टीप्रोलू, रामतीर्थम, घंटशाला, फानीगिरी, नेलाकोंडापल्ली, बवीकोंडा, मंगामारीपेटा
अरूणाचल प्रदेश	:	तवांग
हिमाचल प्रदेश	:	रावलसार, टावो, ताशीजोंग, काई, करदंग, गुरू घंटाल, मैकलॉडगंज, बीर, त्रिलोकनाथ, चांगा
जम्मू और कश्मीर	:	हेमिश, लमयुरू, मुल्लबेक, अलेही, सनी, रंगडम, फग्ताल, कर्ष
मध्य प्रदेश	:	सांची
महाराष्ट्र	:	कन्हेरी, बेदसा, कर्ला, भाजा, एलोरा, अजन्ता, औरंगाबाद, पीतलखोरा
उड़ीसा	:	उदयगीर, रत्नागिरी, ललितगिरी, धौली
पंजाब	:	संघोल
राजस्थान	:	कोल्वी, बिनायामा
सिक्किम	:	पेमायांगत्से, रूमटेक, फोडांग
तमिलनाडु	:	कावेरीपट्टनम

(ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श कर प्राथमिकता के लिए निर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का कार्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में प्रारंभ हो जाता है। विगत तीन वर्षों यथा 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान बौद्ध स्थलों के विकास के लिए दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में है। वर्ष 2001-2000 के लिए योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर जून/जूलाई में किया जाएगा।

(ग) सरकार ने महाराष्ट्र के अजंता और एलौरा के संरक्षण तथा विकास के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ), जापान के साथ जनवरी 1992 में एक ऋण समझौता किया। इस कोष से सहायता की राशि 3745 मिलियन जापानी येन थी। इस ऋण सहायता से जुड़ी परियोजना के प्रमुख घटक में वृक्षारोपण, औरंगाबाद हवाई अड्डे पर सुविधाओं में सुधार, जल आपूर्ति तथा जल निकास व्यवस्था में सुधार, सड़कों का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण, विद्युत आपूर्ति में सुधार, स्मारकों का संरक्षण तथा पर्यटक प्रबंध सुविधाएं शामिल हैं। यह परियोजना मार्च 2002 तक पूरी होनी संभावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 86.83 करोड़ रुपये बताई गई है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अभिनिर्धारित बौद्ध परिपथ के साथ-साथ अवसरंचनात्मक विकास के लिए दिसम्बर 1998 में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष जापान के साथ एक ऋण करार भी किया था। इस पर सहमति हुई कि विदेशी आर्थिक सहयोग कोष 7.7. बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता देगा। परियोजना के मुख्य घटक - राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्गों, भूदृश्यांकन को सुदृढ़ बनाना, जल एवं विद्युत आपूर्ति का संवर्धन, मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान आदि थे। इस योजना के अंतर्गत - उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, श्रावस्ती और बिहार में बौधगया, नालंदा, राजगीर तथा वैशाली स्थल हैं। दिसम्बर 1998 में निम्नानुसार 251.050 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना पूरी की गई।

* उत्तर प्रदेश के घटक पर व्यय - 78.19 करोड़ रुपये
* बिहार के घटक पर व्यय - 113.00 करोड़ रुपये
* केन्द्रीय घटक पर व्यय - 59.86 करोड़ रुपये

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान बौध केन्द्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान का नाम	वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अवमुक्त की गई राशि (लाख रुपयों में)
1.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर, श्रावस्ती	23.10
2.	बिहार	राजगीर, नालंदा, वैशाली और पटना	33.18
3.	आंध्र प्रदेश	नार्गाजुन सागर	10.84
4.	अरुणाचल प्रदेश	तवांग	56.60
5.	हिमाचल प्रदेश	मैकलियाडगंज	53.90
6.	मध्य प्रदेश	सांची	4.50
7.	महाराष्ट्र	करला, अजंता	47.55
8.	सिक्किम	रुमटेक, फोडांग	10.09

[अनुवाद]

समेकित डेयरी विकास परियोजना

5860. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की समेकित डेयरी विकास परियोजना, चरण-दो के संबंध में 1941.55 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कुल परिव्यय में से 31 मार्च, 2000 तक केवल 475.26 लाख रुपए ही जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो पूरी धनराशि जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) भारत सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए 1941.55 लाख रुपए के परिव्यय से एक एकीकृत डेयरी विकास परियोजना-II स्वीकृत की थी। 31 मार्च, 2000 तक 475.26 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। 2000-2001 के दौरान 645.49 लाख रुपए की और राशि जारी की गई थी।

धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र, राज्य सरकार से प्राप्त और धनराशि की मांग तथा परियोजना की वास्तविक प्रगति के आधार पर जारी किया जाता है।

पंजीकृत कार्यालय को बदलना

5861. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य के अन्दर ही पंजीकृत कार्यालय को अधिसूचना द्वारा बदलने में संबंध में सामान्य नियमों और प्रपत्रों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने बदले हुए नियमों के कारण निवेशकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 में नई धारा 17 क के अन्तर्वेश के अनुसरण में दिनांक 1.2.2001 को अधिसूचना सा.का.नि. 51 (अ) के अनुसार कम्पनी (केन्द्रीय सरकार का) सामान्य नियमावली और फार्म, 1956 में संशोधन किया है। कोई भी कम्पनी एक ही राज्य में एक कम्पनी रजिस्ट्रार के न्यायाधिकार क्षेत्र के दूसरे कम्पनी रजिस्ट्रार के न्यायाधिकार क्षेत्र में अपना पंजीकृत कार्यालय प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी कार्या विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना स्थानान्तरित नहीं कर सकती। ऐसा परिवर्तन चाहने वाली कम्पनियों के लिए प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग को निर्धारित फार्म 1 ए डी में 500/- रुपये के शुल्क के साथ एक आवेदन करना आवश्यक होगा। केन्द्रीय सरकार ने अवलोकन किया था कि कम्पनियों द्वारा बार-बार पंजीकृत कार्यालयों का बदला जाना कम्पनी अधिनियम के उल्लंधन के लिए अभियोजन की प्रक्रिया को भ्रम में डालना था तथा निवेशकों को भ्रमित करना भी था।

(ग) और (घ) संशोधन निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है।

भंडार सामग्री की चोरी के कारण नुकसान

5862. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल विभाग को भंडार सामग्री की चोरी के कारण 1996-97 में 58.75 करोड़ रुपये के नुकसान की ही भांति 1997-98 में 86.44 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ हैं; और

(ख) यदि हां, को इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपास संगठनों का विलय

5863. **श्री राम मोहन गाड्डे:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कपास विकास निदेशालय (डी.सी.डी), भारतीय कपास विकास परिषद (आई.सी.डी.सी.), और कपास परामर्शदात्री बोर्ड (सी.ए.बी) को विलय करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) भारतीय कपास विकास परिषद (आई सी बी सी) की अवधि वर्ष 1998-99 में समाप्त हो गयी थी और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि परिषद का पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कपास विकास निदेशालय (डी सी डी) और कपास सलाहकार बोर्ड (सी ए बी) का विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ए टी एफ का विनियंत्रित मूल्य

5864. **डा. रमेश चंद तोमर:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "एविएशन टरबाइन फ्यूल" के मूल्यों को विनियंत्रित कर तेल कंपनियों को स्वयं मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दे दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को भी विनियंत्रित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) उड्डयन इंजन ईंधन के मूल्यों को 1.4.2001 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है।

(ख) से (ङ) वर्तमान में डीजल, मोटर स्पिरिट, घरेलू एल पी जी और सार्वजनिक वितरण हेतु मिट्टी तेल के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं। प्रशासित मूल्यनिर्धारण पद्धति को समाप्त करने के चरणबद्ध के संबंध में नवंबर, 1997 में लिए गए सरकारी निर्णय के अनुसरण में घरेलू एल पी जी पर राजसहायता का स्तर 2001-2002 तक आयात समता के 15 प्रतिशत तक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल पर आयात समता के 33.33 प्रतिशत तक कम किया जाना अपेक्षित है। पूर्ण नियंत्रणमुक्ति पर 2002 से आगे ये राजसहायताएं सरकार के राजकोषीय बजट में अंतिरत कर दी जाएंगी।

समुद्र तटीय विनियम जोन

5865. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्र तटीय विनियमन जोन बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशानिर्देश बनाए गए हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में छूट के लिए निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी हां। समुद्र तटीय विनियमन जोन अधिसूचना में विभिन्न कार्यकलाप सूचीबद्ध हैं, जिन्हें विनियमित किया जाना है और निषेध करना है तथा समुद्र तटीय जोन क्षेत्र को समुद्र तटीय जोन-I, II, III तथा IV में भी श्रेणीबद्ध करना है और इन श्रेणियों में विकास हेतु मानक निर्धारित करना है।

(ग) गुजरात सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अंतरज्वारीय क्षेत्रों में भी साल्ट पैन कार्यकलापों की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

(घ) गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया और उसे दिनांक 5.8.1999 की प्रारूप अधिसूचना में सम्मिलित किया गया। तथापि, दिनांक 4.8.2000 की अंतिम अधिसूचना में इसे सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा विद्युत संयंत्रों को गैस

5866. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. देश में विशेषकर महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी सिफारिशों के बिना निजी विद्युत परियोजनाओं को गैस न दी जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

(ओ.एन.जी.सी.एल) के द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस उनकी आंतरिक जरूरत को पूरा करने के पश्चात देश में विभिन्न उपभोक्ताओं, जिनमें विद्युत क्षेत्र शामिल है, को आपूर्ति हेतु गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल) को सौंप दी जाती है। महाराष्ट्र में, गेल वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, उरन को प्रतिदिन औसतन 2.47 मिलियन मानक धन मीटर तथा टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी, ट्रांम्बे को प्रतिदिन लगभग 0.78 मिलियन मानक धन मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है। तथापि, ओ.एन.जी.सी. के द्वारा सीधी विपणन योजना के तहत गुजरात में आपूर्ति हेतु प्राकृतिक गैस की 4000 एस.सी.एम.डी. मात्रा का आवंटन विद्युत उत्पादन के लिए गुजरात स्टेट एनर्जी जनरेशन लिमिटेड को किया गया है।

(ग) और (घ) निजी विद्युत परियोजनाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गैस का आवंटन, एक अंतर मंत्रालयीन समिति, नामत: गैस लिंकेज समिति की सिफारिशों पर किया जाता है।

झारखंड में रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

5867. श्री राम टहल चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड के लिए तेल चयन बोर्ड के गठन का ब्यौरा क्या है, और

(ख) झारखंड में नई रसोई गैस एजेंसियां खोलने हेतु अब तक पहचाने गए स्थलों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) झारखंड राज्य में दो डीलर चयन बोर्ड अर्थात डीलर चयन बोर्ड, जमशेदपुर तथा डीलर चयन बोर्ड, धनबाद है।

(ख) वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त, झारखंड राज्य के लिए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए 3 स्थानों को एल पी जी विपणन योजना 1999-2000 के अंतर्गत शामिल किया गया है।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

5868. श्रीमती जसकौर मीणा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल लाइनों के दोहरीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है3;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जिन रेल लाइनों का दोहरीकरण किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऊपरलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2500 कि. मी. रेल लाइनों के दोहरीकरण का लक्ष्य रखा गया था।

(ख) नौवीं योजना के पहले चार वर्षों में अब तक हासिल की गई प्रगति 840 कि.मी. की है। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-02) के दौरान 300 कि. मी. के दोहरीकरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) नौवी योजना के दौरान निष्पादन संसाधनों की तंगी और तकनीकी तंगी, समस्याओं, ठेकेदारों की विफलताओं आदि के कारण योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रहने की संभावना है।

(घ) नवीं योजना के पहले पांच वर्षों के दौरान दोहरी की गई रेलवे लाइनों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

रेलवे	खंड	कि.मी.
1	2	3
मध्य	दिवा-पनवेल	26
मध्य	दिवा-वसई (वसई-भिवांडी)	28
मध्य	हेतमपुर-घेर	1
मध्य	कटनी-कटनी "ए" केबिन	3
मध्य	दौंड-बिगवान	28
मध्य	निशांतपुरा "ए" और "डी" केबिन	1
मध्य	सेवाग्राम-चितोडा	04
पूर्व	खाना-सैथिया (चरण I) खाना:झापटेरढाल)	6
पूर्व	खाना-सैथिया (चरण II) खाना:झापटेरढाल-गुसकरा)	16

1	2	3
पूर्व	देहरी-ऑन-सोन-मुगलसराय तीसरी लाइन	94
पूर्व	साहिबगंज-न्यूफरक्का-मालदा टाउन	37
पूर्व	खाना-सैंथिया (चरण-III) (बोलपुर-बेड़िया)	20
पूर्व	चंदनपुर-बेलमुड़ी	05
पूर्व	पटना-परसा बाज़ार	07
पूर्वोत्तर	गोंडा-मैजापुर	11
पूर्वोत्तर सीमा	कनकी-दलकोला	14
उत्तर	गाजियाबाद-हापुड़	43
उत्तर	मुरादनगर-मेरठ	30
दक्षिण मध्य	रुकमापुर-विकाराबाद (बाड़ी विकाराबाद खंड)	30
दक्षिण मध्य	सोलापुर-होटगी	15
दक्षिण पूर्व	सरगबुंदिया-कोरबा	20
दक्षिण पूर्व	अकलतारा-नैला-हसदेव तीसरी लाइन (अकलतारा-चम्पा का भाग)	39
दक्षिण पूर्व	गजपतिनगरम-विजयानगरम	22
दक्षिण पूर्व	रजतगढ़-सलेगांव (अंशत:)	04
दक्षिण पूर्व	रघुनाथपुर-रहामा (अंशत:)	16
पश्चिम	कोटा-गुरला चंबलपुर	01
दक्षिण पूर्व	बालपुर-कोठारी रोड-सरगबुंदिया	15
दक्षिण पूर्व	रायपुर-सरोना	11
दक्षिण पूर्व	सरोना-भिलाई	11
दक्षिण	शोरूवण्णूर-मंगलोर	185
दक्षिण	कोरल्लम-तिरुवनंतपुरम	50
दक्षिण	मालूर-बंगारपेट	27
पश्चिम	बोलई-कालीसिंध	8
पश्चिम	बेडछा-कालीसिंध	12
	जोड़	840 कि.मी.

(ङ) नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान दोहरीकरण के कार्यों पर खर्च की गई राशि 1292.53 करोड़ रुपए है, चौथे वर्ष (2000-01) के लिए वास्तविक खर्च का पता जून, 2001 तक लेखों के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही चल सकेगा।

राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किये गए आय के ब्यौरे

5869. श्री विजय गोयल: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राजनैतिक दलों ने अपनी आय और व्यय का ब्यौरा भेज दिया है और किस-किस में नहीं भेजा है;

(ख) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने हेतु इन ब्यौरें को सार्वजनिक करने हेतु एक प्रस्ताव पर आम सहमति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राजनैतिक दलों द्वारा विदेशी स्त्रोतों से चंदा लेने के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसंधान संस्थान

5870. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषि अनुसंधान संस्थानों ने अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन अनुसंधान संस्थानों ने राज्यों में कुल कितनी धनराशि खर्च की है; और

(घ) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसंधान में कितना सहयोग मिला इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में 47 केन्द्रीय संस्थान, 5 राष्ट्रीय ब्यूरो, 30 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 11 परियोजना निदेशालय, 80 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं, 30 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं जो फसलों, बागवानी फसलों, पशु-विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, प्रबंध, कृषि इंजीनियरी और मात्स्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। चूंकि कृषि एक राज्य-विषय है, इसलिए विकास कार्यों के लिए प्रत्येक राज्य के संबंधित विभाग कृषि क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों को हाथ में लेते हैं। केन्द्रीय सरकार भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए समर्थन प्रदान करती है।

(ग) चूंकि इस विभाग द्वारा राज्यवार आबंटन किए जाते हैं इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किया गया कुल खर्च इस प्रकार से हैं:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	कृषि उत्पाद उपकर (ए.पी.सेस)	कुल
1997-98	323.01	351.04	21.32	695.37
1998-99	427.72	516.54	28.22	972.48
1999-2000	455.00	790.63	30.22	1275.85

(घ) 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसंधान संबंधी सहयोग/परिणाम की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आठवीं योजना और इस समय चल रही पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए कृषि अनुसंधान का योगदान/परिणाम

फसल विज्ञान

* आठवीं योजना के दौरान विभिन्न फसलों को 452 उच्च उपजशील किस्में व संकर जारी किए गए। इनमें अनाजों की 222 किस्में, दालों की 92 किस्में, तिलहन की 75 किस्में, रेशे वाली फसलों (कपास व जूट) की 41 किस्में, गन्ने की 12 किस्में तथा तम्बाकू की 10 किस्में शामिल है।

* नौवीं योजना अवधि के दौरान अब तक अनाजों की 173 किस्में/संकर, दलहन व तिलहन की 95 किस्में और व्यवसायिक फसलों की 38 किस्में बोए जाने के लिए जारी की गई।

* जोखिम वाले बारानी क्षेत्रों के लिए उत्पादक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों से चावल, दलहन और तिलहन की लोकप्रिय उच्च उपलशील किस्मों का विकास हुआ।

* बासमती चावल (पूसा बासमती 1), ड्यूमर गेहूं (पी डी डब्ल्यू 223, पी डी डब्ल्यू 215) और डाइकोकम गेहूं (डी डी के 1001) माल्ट बाजरे की बी सी यू 73 तथा मिठाई बनाने के लिए मूंगफली (बी ए यू 13, टी के जी 19 ए) की उच्च उपजशील किस्मों का विकास किया व उन्हें जारी किया गया जिससे निर्यात बढ़ावा देने और बढ़े हुए निर्यात को कायम रखने में सहायता मिलेगी।

* पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि चावल की संकर किस्मों का विकास व उन्हें

जारी किया गया। इस समय चावल की कुल 15 संकर किस्में बोए जाने के लिए जारी की गई है। इन संकर किस्मों की प्रति हैक्टर पैदावार 1.5 टन है।

* गॉल मिज के प्रतिरोधी दो जीनों की टैगिंग मार्कर द्वारा किए गए चयन में सुविधा प्राप्त करना तथा परिवर्तनीय प्रोटोकॉल के विकास में लगभग सफलता प्राप्त होना, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त की गई कुछ प्रमुख उपलब्धि हैं।

* विभिन्न नाशीजीवों से संक्रमित फसलों के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित आई पी एम मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। बहु-प्रगुणन के लिए पुनुर्त्पादकीय प्रोटोकॉल विकसित किए गए तथा परजीवी ट्राइकोगर्मा और परभक्षी काइसोपेरला जारी किया जाना ऐसी की कुछ व्याहारिक उपलब्धियां है। चावल, कपास, गन्ना और दालों के लिए पहले से विकसित किए गए आई पी एम पैकेज व्यापक रूप से अपनाए जा रहे हैं।

* अनाजों और अन्य फसलों की अनेक किस्मों में प्रमुख रोगों व नाशीजीवों जैसे कपास में पत्ती मोड़क विषाणु के प्रति प्रतिरोधिता, चावल में अंगमारी के प्रति रोधिता, दलहनों में चूर्णी फफूंद के प्रति प्रतिरोधिता विकसित की गई है।

* आठवीं और नौवीं योजना में विभिन्न फसलों के प्रजनक बीजों का उत्पादन क्रमश: 119460.91 क्विंटल और 73561.43 क्विंटल रहा।

बागवानी

* आम की 'मतवार पसन्द' किस्म सबसे अधिक वजन वाली रिकॉर्ड की गई। आम के आनुवंशिक संसाधनों का मूल्यांकन करने के बाद सूचीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमरूद के मुर्झान रोग के जैविक नियंत्रण के साथ-साथ पौधों की बढ़वार के लिए भी 'पूसा मृदा' आशाजनक पाई गई। पूरे वर्ष भर स्वस्थ पौधों के प्रगुणन के लिए नींबू वर्गीय पौधों के लिए माइक्रोबडिंग तकनीक का मानकीकरण किया गया।

* केले में 'सिगाटोका' पर्ण चित्ती रोग की सहिष्णु छ: प्रविष्टियों की पहचान की गई है। पपीते की 'सी ओ 6' किस्म में पेपेन की उच्च उपज प्राप्त करने के लिए 1.6 × 1.6 मी. (3900 पौध/है.) की दूरी रखना किफायती पाया गया। अंगूर के रोगों का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। अनार दाना बनाने के लिए 'अमलीदाना' के नाम से अनार की एक किस्म विकसित की गई। केले की 'पूवन' प्यूरी का इस्तेमाल करते हुए केले के बिस्कुट तैयार किए गए। अन्य उत्पादों की मूल सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मॉन्थन और 'नन्द्रन' केले का एक चूर्ण तैयार किया गया और उसका संग्रहण किया गया। फफूंदी नाशी से उपचारित किए गए अंगूर के गुच्छों की तुलना में ट्राइकोडर्मा से उपचारित अंगूर के गुच्छे अधिक समय तक ताजे बने रहे।

* बहुस्थानिक परीक्षणों के लिए शाकीय फसलों में टमाटर और भिंडी की एक-एक किस्म तथा टमाटर-मिर्च और बैंगन की एक-एक संकर किस्म विकसित की गई तथा उन्हें अखिल भारतीय समन्वित किस्म सुधान परियोजना में शामिल किया गया। परवल के प्रगुणन के लिए इसकी परखनली संवर्धन पद्धति का मानकीकरण किया गया। गोभी, मटर और भिंडी के लिए अनेक पौधों के बीच फासला रखना तथा उनकी पोषणिक जरूरतों से संबंधित कृषि तकनीकों का विकास किया गया। टमाटर के फल बेधक के समेकित प्रबंध और आल्टरनेरिया अंगमारी के भिन्न-भिन्न लक्षणों का पता लगाने के लिए एक तकनीक का विकास किया गया है।

* ताप सहिष्णु बटन खम्भी के दो नए प्रभेदों को व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया गया। दो नई प्रकार की खुम्भियों को उगाने की प्रौद्योगिकी विकसित की गई।

* आलू में नौ बी टी पराजीनी वंशक्रम आलू के कन्द कीट (ट्यूबर मॉथ) के प्रति प्रतिरोधी पाए गए। सभी व्यावसायिक और 14 पुरानी किस्मों के लिए डी एन ए फिंगरप्रिंट तैयार किए गए। शिमला की उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों, मोदीपुरम और शिलांग के लिए फसल प्रणालियां तैयार की गई। एक तीन पंक्ति वाला सब सोयलर विकसित किया गया। पश्चिमी मैदानी भागों में पूर्वानुमान के 10 दिन के भीतर ही पछेती अंगमारी रोग के लक्षण प्रकट होने के लिए फॉरकास्टिंग मॉडल विकसित किया गया है। काली पपड़ी, मृदुगलन, शुष्क गलन आदि के नियंत्रण के लिए पौध सुरक्षा तकनीकें विकसित की गई।

* कसावा के दो संकरों के जारी करने के लिए सिफारिश की गई है। पुष्प विज्ञान में गुलाब की आठ किस्में, ग्लेडियोलस की 2 और किसन्थमम की 7 किस्में व्यावसायिक खेती के लिए जारी की गई।

* नारियल में उत्कृष्ट जीन प्रारूपों के त्वरित प्रगुणन के लिए ऊतक संवर्धन अध्ययनों के लिए एम वाई डी

और एम ओ डी से 2,4-डी के 0.1 एम एम के तहत उत्तम, कैलस प्रतिशत (क्रमश: 16.6 और 20.6) प्राप्त हुआ। केरल में इरियोफाइड कुटकी के प्रादुर्भाव पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि त्रिशूर (77 प्रतिशत) और एर्नाकुलम (61 प्रतिशत) जिलों में सर्वाधिक प्रकोप था जबकि कोट्टायम और एल्पुझा जिलों में यह प्रकोप क्रमश: 58 और 56 प्रतिशत रहा। स्नोबॉल टैन्डर नट बनाने की प्रक्रिया विकसित की गई तेलताड़ में किस्मगत मूल्यांकन परीक्षणों के दौरान एफ एफ बी की उपज 7.81 से 11.61 टन एफ एफ बी प्रति है. प्रतिवर्ष के बीच रही। सर्वोच्च एफ एफ बी की उपज 18 सी × 2501 के संकर संयोग आइवरी कोस्ट से रिकॉर्ड की गई।

* गोआ के काजू की नई किस्म बल्ली -2 को जारी करने के लिए सिफारिश की गई है। परखनली में उगाई गई पौदों को मूलवृत्त के रूप में तथा परिपक्व वृक्ष से दोष रहित ग्रन्थि प्ररोह शीर्ष संवर्धों को सूक्ष्य कलम के रूप में इस्तेमाल करके सूक्ष्म कलम लगाने की तकनीक मानकीकृत की गई। काली मिर्च की पेन्यूर-6 और पेन्यूर-7, इलायची की आर आर-1, धनिये की आर सी आर-684, आर सी आर-436, आर सी आर-435, मेथी की गुज मेथी-1, आर एम टी-303, जीरे की गुज क्यूमिन-3, सौंफ की आर एफ-101 तथा मसाल बीजों को दो किस्में जैसे धनिए की आर सी आर-20 और मेथी की सी ओ-2 किस्में जारी की गई।

* इलायची के संकर के क्योनीय प्रगुणन की त्वरित पद्धति का मानकीकरण किया गया। इसमें नालियों में संकरों की संकरी रोपाई (0.9 × 0.9 सें.मी.) दो बराबर भागों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश/3000 पौध का 75:75 150 कि.ग्रा. उर्वरकों का अनुप्रयोग, नियमित पौध सुरक्षा उपाय, निराई-गुड़ाई, पलवार परिचालन शामिल है जिससे 4-5 रोपण क्लोनीय इकाइयां/टिलर/वर्ष प्राप्त होते हैं।

* ईसबगोल में फफूंद की रोकथाम के लिए मेटालेक्सिल + मेन्कोजेब के दो स्प्रे उल्लेखनीय रूप से श्रेष्ठ पाए गए। उपचार की श्रेष्ठता, खली या गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट के साथ यूरिया (1:1) की जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल से पत्ती की बढ़वार देखी गई।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंध

* प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाना और निगरानी

* कृषि-पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों के लिए कारगर भूमि उपयोग योजना

* उर्वरक अनुप्रयोग दक्षता में सुधार

* समेकित पादप पोषण प्रणाली द्वारा जैव उर्वरकों का अनुप्रयोग

* टिकाऊ उत्पादकता के लिए प्रबंधन तथा निगरानी

* जल उपयोग दक्षता और सिंचाई प्रणाली प्रबंधन

* लवणीय तथा जलमग्न मृदा के लिए जल निकासी प्रौद्योगिकी

* निम्न स्तर के सिंचाई जल का अनुप्रयोग

* माडल जलसंभर का विकास

* कृषि मौसम सलाहकार सेवाएं-मौसम आधारित विशेष प्रणाली

* फसल सघनता में सुधार

* कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र विशिष्ट कृषि प्रणाली का विकास

* कृषि वानिकी प्रणाली का विकास

* मौसम परिवर्तन की निगरानी और प्रबंधन

* संसाधन संरक्षण के कम खर्चिले तरीके

कृषि इंजीनियरिंग

* बड़े, मध्यम और छोटे आकार के बीजों के लिए उपयुक्त एक ट्रैक्टर में जुड़े बहु फसली रोपाई यंत्र का विकाय किया गया है। इसकी खेत क्षमता 3.15 है. प्रति दिन है। ट्रैक्टर से जुड़े एक टिलेज प्लांटर जो कि मूलत: बीज व उर्वरक ड्रिल है तथा जो रोटेवर से जुड़ा है, का विकास किया गया इससे परम्परागत पद्धति की तुलना में 20 प्रतिशत परिचालन लागत की बचत होती है।

* एक स्वचालित स्प्रेयर, ट्रैक्टर से जुड़ा गन्ना ट्रैस शैडर, उच्च क्षमता वाला अरहर थ्रेशर और स्वचालित सूरजमुखी कटाई यंत्र का विकास किया गया है!

* केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्तान, भोपाल द्वारा न्यूमेटिक प्लांटर, पैडी थ्रैशर (आई.वी.पी. मॉडल), उच्च क्षमता वाला बहुफसली थ्रैशर, ट्रैक्टर फ्रंट माउटेड रीपर और बैल द्वारा चालित बीज व उर्वरक ड्रिल की क्षमता बढ़ाने और लागत व्यय कम करने का कार्य किया गया।

* प्रोटोटाइप निर्माण कार्यशाला वाले आठ केन्द्रों ने 4730 मानव चालित, 344 पशु चालित और 53 ऊर्जा उपकरणों का निर्माण किया तथा किसान खेतों पर अग्रपंक्ति प्रदर्शन के लिए स्थानीय निर्माताओं द्वारा 5000 से भी अधिक इकाइयों का निर्माण किया गया।

* उन्नत फार्म उपकरणों नामत: लॉ लैन्ड पैडी सीडर, ट्रैक्टर से जुड़ा गन्ना कटर, कपास की फसल में अन्त: कृषि के लिए ट्रैक्टर से जुड़ा कल्टीवेटर, ट्रैक्टर से जुड़ा मल्टी-क्राप प्लांटर, स्वचालित राइडिंग प्रकार का राइस ट्रांस-प्लांटर आदि उपकरणों का किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया।

* संरचना की पहचाने के लिए सोया आटे पर अध्ययन किए गए तथा तेल प्राप्ति पर विलायकों के प्रभाव और उनकी धुलनशीलता का पता लगाने के लिए सोयाबीन मूंगफली और सूरजमुखी के तेलों का अध्ययन किया गया। सोया दूध इससे बनी आइसक्रीम और सोया के आटे के नमकीन विस्कुटों के विनिर्माण की क्रिया का मानकीकरण किया गया।

* ऊर्जा चालित ग्राउडनट डिकोर्टीकेटर, ग्रेन पर्लर और समेकित दाल मिल के परिशोधन का कार्य शुरू किया गया।

* तेल की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए जैव-रासायनिक उपचारों के साथ मिरेडो ऑयल एक्सपैलर (1 टन/टिन की क्षमता) का इस्तेमाल किया गया। पूर्व उपचारित मशीनें जैसे प्री-ग्राइन्डर और ब्लेन्डर-कम-मिक्सर और बॉयलर सहित कुकर आदि का डिजाइन तैयार व विकसित किया गया।

* लुधियाना स्थित सी आई पी एच ई टी में एग्रोप्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना की गई तांकि किसानों, निर्माताओं में खाद्यान्नों और तिलहनों के लिए उपलब्ध, कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाया जाए।

* पूर्ण रूप से देसी और 100-125 कि. ग्रा./घं. की क्षमता वाला झींगा और मछली आहार तैयार करने वाले पायलट प्लांट का डिजाइन बनाया गया और विकसित किया गया।

* ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शाक-उत्पादन पर पूरे वर्ष अध्ययन, ग्रीन हाउस के ढांचे का डिजाइन बनाना व उसे विकसित करना और गैर मौसमी सब्जियों के लिए उसका मूल्यांकन करना, घास का इस्तेमाल करते हुए लॉ-टनर की रचना करना और नर्सरी तैयार करने के लिए उनका मूल्यांकन करना, कार्प मछलियों के लिए ओपन एन्क्लोजर ब्रीडिंग सिस्टम का विकास, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी के अन्तर्गत फिश पीडर का विकास और मधुमक्खी के प्लास्टिक थर्मोकोल के छत्तों की जांच आदि का कार्य शुरू किया गया।

* गुड़ से चाकलेट बनाने, गुड़ की पट्टी, गुड़ और गेहूं के आटे से बने स्नैक्स तथा गुड़ और बेसन से बने स्नैक्स आदि के उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास व मानकीकरण किया गया। शक्कर और तरल गुड़ बनाने की प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया गया और उनका बहु-स्थानिक परीक्षण किया गया। अधिक पके और अध पके गन्नों से ये पदार्थ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। 13-15 कि. ग्रा. की टोकरी के आकार की गुड़ की भेलियों को गुड़ गोदाम में भंडारित किया गया तथा इनको सुखाने के लिए ताजा चलाए गए चूने का इस्तेमाल करने से इनमें बहुत कम भौतिक-रासायनिक बदलाव आया।

* 1200 से अधिक कपास नमूनों के सांख्यिकी आंकड़ों से युक्त कपास पर एक वार्षिक गुणवत्ता अद्यतन रिपोर्ट-2000 प्रकाशित की गई। ओटाई क्षमता और लिंट की क्वालिटी में सुधार के लिए आशानुकूल शेलर और बीटर स्पीड के द्वारा डबल रोलर वाली ओटाई मशीन में सुधार किया गया। ट्रैक्टर चालित कपास स्टॉक पुलर का विकास किया गया व उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई द्वारा रेशा और सूत की क्वालिटी पर प्रौद्योगिकी निवेश उपलब्ध कराकर आ. भा. स. अ. प. कार्यक्रमों में निरन्तर भाग लिया जा रहा है। कपास की प्रमुख व्यापारिक किस्मों और स्टैंडर्ड कपास की रिपोर्ट एकत्रीकरण, जांच और आंकड़ों को सम्पादित करके उन्हें प्रिन्ट कराकर प्रकाशित की गई।

* केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई द्वारा सुरक्षित माध्यमों और विभिन्न योजकों का इस्तेमाल करके तेरह नए पारिस्थितिक मित्र अजीव रंग तैयार किए गए है। कपास के स्टॉक की लुगदी से अच्छी क्वालिटी के जिल्द रहित फाइबर बोर्ड तैयार किए गए है। सिरकॉट केलिब्रेशन कपास के आठ नमूने ईरान को निर्यात किए जा रहे हैं।

* लाख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिक मित्र प्रौद्योगिकियों के विकास को ध्यान में रखते हुए

लाख के पर भक्षियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न मात्राओं पर बाहरी परजीवियों की परजीवी क्षमता का विकास सफलतापूर्वक किया गया। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची में, लाख पर आधारित कृषि वानिकी प्रणाली के तहत तथा इसके साथ-साथ लाख की खेती के तहत अक्षमणी के उत्पादन के लिए उपयुक्त पौध सघनता के लाख संवर्धन का समेकन किया गया। विभिन्न पोषी पौधों के लिए विभिन्न उत्पादक विशेषताओं, लाख के कीटों के छः उत्पादक स्टॉकों की पहचान की गई।

* विभिन्न प्रकार के बैल चालित उपकरणों, उन्नत जुआ और अन्य साज तथा खुरों में लगने वाली नाल (इफ शूज) आदि में संबंधित व्यावहारिक अनुसंधान परियोजना (ओ आर पी) संबंधी अध्ययन तथा अग्र पंक्ति प्रदर्शन किए गए। केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल द्वारा दो पहियों वाली बैलगाड़ी का विकास किया गया। भार के विभिन्न भुगतानों और सतही अवस्वथाओं संस्थान, को ध्यान में रखते हुए बोझा ढोने की अनुकूल जरूरतों पर ध्यान दिया गया।

* सर्ज सिंचाई पर अध्ययन किए गए। सी आई ए ई फार्म के लिए उप सतही प्रवाह प्रणाली और पम्प और ड्रिपर की जांच के लिए स्वचालित प्रणाली के डिजाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

* आंध्र प्रदेश में उप सतही प्रवाह प्रणाली के द्वारा अतिरिक्त मात्रा में लवण के निष्कर्षण के कारण तटीय लवणीय व सोडिक मृदा में चार वर्ष की अवधि में चावल की उत्पादकता 4 टन/है. से भी अधिक बढ़ाई गई।

* तवा कमान क्षेत्र के तहत पावर खेड़ा स्थिति क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र में उपयुक्त सतही अपवाह तंत्र शुरू किया गया तथा उनके प्रभाव पर किए जा रहे अध्ययन का कार्य चल रहा है।

* तलाऊ जमीन पर (लॉलैण्ड) परम्परागत प्रवाह प्रणाली के निर्माण की व्यवस्था न होने के कारण प्रत्येक वर्ष बहते जल के जमा होने का खतरा हो जाने से भू आवृति के सदृश क्यारी तालाब प्रणाली पर अध्ययन किया गया और लगातार तीन सालों तक सफल पाया गया। इस प्रणाली के तहत खरीफ की खेती की जा सकती है जो कि पहले संभव नहीं थी इसके अलावा रबी की फसल में भी अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने से रबी की उपज में बढ़ोतरी हुई।

पशु-विज्ञान

* *पशु गणना संबंधी आंकड़े:* पशु धन संबंधी पशु गणना द्वारा डाटा बैंक को भारत के पशु आनुवांशिक संसाधनों पर सूचना प्रणाली के साथ समेकित किया गया है। विभिन्न नस्लों के पशुओं की संख्या का मूल्यांकन, किसानों की सामाजिक व आर्थिक अवस्था, स्थानीय परिस्थितिकी का नस्लों के साथ उत्पादन निष्पादन और सामंजस्य का मूल्यांकन करने के लिए क्रमबद्ध फील्ड सर्वेक्षण किया गया। स्पिति घोड़े बीटल बकरियां, नीली रावी भैंस, साहीवाल के पशु और कोडू ओडू बकरियों से संबंधित विभिन्न जातियों के विकास के लिए स्व-पात्रे संरक्षण मॉडल विकसित किए गए।

* *गोपशु:* खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा सिफारिश किए गए बहु आवृति वाले 20 उच्च प्राइमरों का इस्तेमाल करते हुए गो पशुओं की सहीवाल नस्ल का आनुवांशिक लक्षण वर्णन किया गया। गो पशुओं की चार महत्वपूर्ण देसी नस्लों (हरियाणा, अंगोला, गिर, थारपरकार) के संरक्षण और आनुवांशिक सुधार का कार्य उनके मूल स्थान पर एसोसिएटड हर्ड प्रोजीनी टैस्टिंग प्रोग्राम के माध्यम से किया गया। फ़ीजवाल गायों का 300 या इससे कम दिनों में प्रथम दुग्ध उत्पादन, कुल दुग्ध उत्पादन, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन और दुग्ध काल की अवधि क्रमशः 2837.4 कि.ग्रा. 3013.2 कि.ग्रा. 14.2 कि.ग्रा. और 318.6 दिन रही।

* *भैंस:* मॉलिक्यूलर मार्कर और मुर्रा, महसाना, नीली रावी और जाफ्राबादी नस्लों की 20 भैंसों को एक पैनल पर हेटेरोलोगस (गोपशु) माइक्रोसैटेलाइट प्राइमर का मूल्यांकन किया गया। मुर्रा नस्ल के भैंसा में से प्रथम तीन श्रेणी के प्रजनक भैसाओं की पहचान की गई। प्रमाणित किए गए बैलों का वीर्य निर्दिष्ट समागम के लिए इस्तेमाल किया गया और यह प्रजनक एजेन्सियों को बिक्री के लिए भी उपलब्ध है।

* *बकरी:* बारबारी बकरियों का लक्षण निर्धारण उनके मूल प्रदेश में किया गया। नस्लों का स्पष्ट विवरण दिया गया तथा बढ़वार पुनर्जनन और दुग्ध उत्पादन के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई।

* डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग: सम्बन्धित प्रजातियों में जैविक सह संबंध स्थापित करने, सम्पर्क विश्लेषण और फाइलों आनुवांशिक सह संबंध के लिए आनुवांशिक फिंगर प्रिंटिंग प्रोफाइल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया।

* *मुर्गीपालन:* प्रति रक्षक सक्षमता गुणों के लिए चूजों की दो मूल नस्लों (असील और कड़कनाथ) और दो बाहरी नस्लों (व्हाइट लैगहॉर्न और देहलेन रैड) और इनके संकरों का मूल्यांकन किया गया। व्हाइट लैगहॉर्न चूजे के चयनित और नियंत्रित वंशक्रमों का उनकी आनुवांशिक जैव विविधता का डी.एन.ए. विधियों की सहायता से मूल्यांकन किया गया।

* *ऊंट:* दोहरे कूबड़ वाले ऊंट का हेमोग्लोबिन ट्रांसफैरीन, एल्बुमिन, एमीलेज, फास्फो-हैक्सोज-आइसोमीरेज ग्लूकोज 6-फास्फेट डिहाईड्रोजीनेज और एसिड फॉस्फेटेज के लिए जैव रासायनिक बहु आकारीय अध्ययन किए गए।

* *मिथुन:* देश में उपलब्ध मिथुन जननद्रव्य के एकत्रीकरण, मूल्यांकन और प्रलेखन पर प्रमुख बल दिया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के दो प्रमुख अल्प प्राय: पशु याक और मिथुन के शरीर क्रिया संबंधी व्यवहार का अध्ययन किया गया। इससे प्रारम्भिक रूप से यह संकेत मिला कि यदि इन पशुओं को पर्यावरण संबंधी प्रतिकूलताओं से सुरक्षा प्रदान की जो और सम्पूरक पोषण दिया जाए तो ये पशु काफी लाभदायक हो सकते है।

* *भेड़:* मटन के उत्पादन के लिए मद्रास रैड भेड़ में चयन के द्वारा सुधार लाया गया। मद्रास रैड भेड़ तमिलनाडु की प्रमुख भेड़ नस्लों में से एक है। तैयार चमड़े में बेहतर ग्रेन होने के कारण टैनिंग के लिए भेड़ की खाल को प्रमुखता दी जाती है।

* रंगदार शुद्ध वंशक्रम से तैयार की गई व्यावसायिक परीक्षण नस्ल (कृषि ब्रो) को जब कोई फिनिशर राशन नहीं दिया गया तो छ: सप्ताह की आयु में उनका शरीर भार 1339 ग्राम रहा। इसी आयु में आहार परिवर्तन का अनुपात 1.96 था तथा मृत्यु दर 2.62 प्रतिशत पाई गई।

* *पशु स्वास्थ्य:* उच्च प्रजनन वाले पशुओं में बेहतर निष्पादन के लिए अतिरिक्त वसा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। केरल और तमिलनाडु राज्यों में अतिरिक्त पोषक तत्वों को उत्सर्जन से बचाने के लिए क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए खनिजों की आपूर्ति का सुझाव दिया गया है। क्योंकि पोषक तत्वों के उत्सर्जन से पर्यावरण समस्या पैदा होती है। भ्रूण स्थानान्तरण प्रौद्योगिकी और पोषक तत्वों पर नैट वर्क कार्यक्रम से प्राप्त अनुसंधान संबंधी सूचना के अनुसार अव्यवस्था की समस्या से निपटने के उपाय सुझाए गए।

* *वीर्य शीतलीकरण:* बकरियों में संद्रवण के बाद की उच्च गतिशीलता और उर्वरता के लिए वीर्यशीतलीकरण संबंधी प्रोटोकाल का विकास किया गया तथा फील्ड अवस्थाओं के लिए वीर्य को सुरक्षित रखने की तकनीक का विकास किया गया जो व्यावसायिक दृष्टि से अत्यन्त आशाजनक है।

* मांस और दूध के उप उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए तथा कारगर प्रसंस्करण के साथ दूध व मांस के विभिन्न प्रकार के गुणवर्धित उत्पादों की प्रौद्योगिकी का विकास किया गया।

* *पशु रोग:* सुरक्षात्मक रोग प्रतिकारक अवस्थिति के साथ साथ लिक्विड फेज ब्लॉकिंग एलिसा (एल पी बी ई) में टीकाकरण का पुन: मूल्यांकन किया गया और सीरम के बहुत अधिक नमूनों की छटाई के लिए मानकीकरण किया गया। विकसित व जारी किए गए एलिसा आधारित आई बी आर किट और ब्रूसेला किट जब खेतों में इस्तेमाल किए गए तो इनसे उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए तथा परम्परागत नैदानिक उपायों से श्रेष्ठ पाए गए।

* राष्ट्रीय सीरो मॉनिटिरिंग और सीरो निगरानी कार्यक्रमों के लिए एलिसा किट के इस्तेमाल के लिए आर पी बी और पी पी आर बी की मोनोक्लोनल रोग प्रतिकारक आधारित एन और एच प्रोटीनों के उत्पादन के लिए एक विशिष्ट हाईब्रिडोगा प्रयोगशाला का विकास किया गया।

* 'एलिसा' परीक्षण द्वारा जीनोमी पहचान, क्रमण और सीरभ उपलब्धता के आधार पर भारतीय मवेशियों और भैंसों को संक्रमित करने वाले गो पशुओं के विषण्विक अतिसार की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। इसी प्रकार मवेशियों में गो पशु रोग रोध-कमी से संबंधित विषाणु के विषण्विक जीनोम की पहचान की गई। सूअरों में टांसिल-एपिथिलियम के गुप्त संक्रमण के मामले में जीनोम पहचान (जी [11] क्षेत्र) द्वारा सूकरों के आउजीस्की रोग को पहचाना गया। एलिसा-ब्लॉकिंग द्वारा रोग के सीरभ की भी पुष्टि होती है।

* केप्राइन आर्थेराइटिस और एन्सेफेलीटिस (सी ए ई) विषाणु प्राइमर का डिजायन तैयार किया गया और विश्लेषित किया गया, विषाणु पृथक्करण के लिए सीनोवियल मैब्रेन संवर्धन का मानकीकरण किया गया।

* कम्लीमैन्ट पिक्सेशन टैस्ट पर आधारित नैदानिक किट कम्प्लीमैन्ट फिक्सेशन फॉर एक्वाइन बेबीसिओसिस (सी ओ एफ ई बी) का विकास किया गया।

* दूध के नमूनों के छंटाई के लिए दूध पर आधारित बोवाइन ब्रसेलोसिस "एलिसा" का देसी रूप से विकास किया गया।

* एक शक्तिशाली पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान से संबंधित सॉफ्टवेयर इंडिया एडवांस एपिट्रक्ट के दो मॉड्यूल विकसित किए गए।

मात्स्यिकी

* केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा यह आकलित किया गया कि वर्ष 1999 के दौरान हमारे देश में समुद्री मछली का उत्पादन 2.44 मिलियन टन था जो कि वर्ष 1998 की तुलना में 8.6 प्रतिशत (230,00 टन) कम रहा। कुल पकड़ी गई मछलियों में 52.7 प्रतिशत भाग समुद्री मछलियों का है और डिमर्सल फिनफिश क्रस्टेसिअन्स और मॉलुसेस का 47.3 प्रतिशत भाग था।

* लक्षद्वीप के अलंकारिक मछली स्त्रोतों का आबादी वाले नौ द्वीपों नामत: अमीनों, अगाती, बितरा, चेटलेट, कडमट, कालपेनी, कावारती, किलटन और मिनिकोय में लैगूना में पकड़ी गई मछलियों के बहुत से नमूनों पर आधारित व्यापक सर्वे व मूल्यांकन किया गया। परिणामों से यह पता चला कि निर्यात शुरू करने के लिए लक्षद्वीप में अलंकारित मात्स्यिकी उद्योग विकसित करने की बहुत अधिक संभावनाएं है।

* गंगा, यमुना, हुगली, हल्दी और ताप्ती नदियों की पारिस्थितिकी पर इनके विभिन्न केन्द्र बिन्दुओं पर पर्यावरणीय विश्रृंखलता एवं इनके प्रभाव का मूल्यांकन किया गया तथा नदी घाटी प्रणाली जलीय प्रणाली से सुरक्षित जलीय स्त्रोतों में औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाह के लिए न्यूनतम मानकों का सुझाव देने के लिए हाइड्रो-बायोलोजिकल, जैव-रासायनिक, सूक्ष्म-जैविक प्राचलों पर अध्ययन किया गया।

* मध्यवर्ती हिमालय क्षेत्र के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों की कुछ प्रमुख नदी घाटियों जो पारिस्थितिक आक्षांको से जुड़ी है मत्स्य जैव विविधता पर महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए गए। स्नो-ट्राउट मछली के अंडों को एकत्र करने के संभावित स्थानों को निर्दिष्ट किया गया तथा उनका मूल्यांकन किया गया।

* दस हजार अंगुलिकाएं/है. स्टॉकिंग से कार्प मछली के बहु-प्रजनन और छ: प्रजातियों (कतला, रोहू, मृगाल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और सामान्य कार्प) के मिश्रण से इसी सघनता वाली तीन प्रजातियों के मिश्रण की तुलना में 46.1 प्रतिशत उच्च उत्पादन प्राप्त हुआ और 5000 एन ओ एस/है. स्टॉकिंग सघनता पर तीन प्रजातियों के मिश्रण से 103 प्रतिशत अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ।

* बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का मानकीकरण करने तथा महत्वपूर्ण समुद्री फिन-फिन के पालन से एशियन सी. बास के तटीय जल-जन्तु पालन क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हुई है।

* फार्म में तैयार किए गए ब्रूड स्टॉक में ठंडे पानी की मछली की प्रजाति स्नो ट्राउट के कृत्रिम प्रजनन में सफलता प्राप्त की गई। देश में किया गया यह पहला प्रयास है क्योंकि पहले प्रजनन संबंधी सभी परीक्षण प्रकृति के एकत्र किए गए ब्रूडर से किए गए थे।

* रोहू की प्रथम पंक्ति संतति में चयनित प्रजनन की दो संततियों के बाद प्रत्येक संतति से औसतन 22 प्रतिशत चयनित परिणाम पाया गया जबकि दूसरी बार की संतति में चयनित प्रजनन में प्रथम संतति के बाद 47.5 प्रतिशत चयनित परिणाम पाया गया। नर्सरी तालाबों में कुल 1.14 मिलियन सीफा-आई आर ई अंडज पैदा किए गए व उनका पालन किया गया।

* सी आई एफ टी द्वारा डिजाइन किया गया ईंधन की कम खपत वाला मछली पकड़ने वाले जहाज 'सागर कृपा' को फिशिंग बोट ऑनर्स एसोसिएशन (कोपरेटिव सोसाइटी, मुम्बम) को व्यावसायिक परीक्षण के लिए सौंपा गया तथा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इससे 13 से 15 प्रतिशत तक ईंधन की बचत होती है जिससे जहाज के इस डिजाइन की सफलता की पुष्टि होती है।

* रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के विभिन्न स्नातकोत्तर और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के अन्तर्गत मात्स्यिकी, संसाधन प्रबंध अन्तर्स्थलीय जल-जन्तु पालन तथा कटाई के क्षेत्र में कुल 83 छात्रों ने सफलता प्राप्त की। सी आई एफ ई द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान कुछ 89 छात्रों में स्नातकोत्तर व प्रमाण पत्र कार्यक्रम में भाग लिया।

कृषि आर्थिकी व नीति अनुसंधान

कृषि अर्थशास्त्र

* भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1991 में राष्ट्रीय कृषि आर्थिक व नीति अनुसंधान (एन सी ए पी) केन्द्र की स्थापना की।

* इस केन्द्र की नीति निर्माण में उच्च स्तरीय अनुसंधान सलाहकार समिति, जिसमें प्रख्यात व्यवसायी, प्रबंध समिति और अनेक आन्तरिक समितियां शामिल है, द्वारा दिशा-निर्देश प्रदान दिया जाता है। इस केन्द्र में अधिदेश है;

* नीति परक अनुसंधान; (i) प्रौद्योगिकी निर्माण, विस्तार व उसका प्रभाव; (ii) टिकाऊ कृषि उत्पादन प्रणालियां (iii) प्रौद्योगिकी तथा अन्य नीति उपकरण जैसे प्रोत्साहन, निवेश संस्थाएं, व्यापार आदि के बीच सम्पर्क स्थापित करना; और (iv) कृषि बढ़वार और समन्वय।

* राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भा. कृ. अ. प. के संस्थानों में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान और शिक्षण क्षमता को सुदृढ़ करना।

* नीतिपरक अनुसंधान और व्यावसायिक मेल-मिलाप के माध्यम से कृषि नीति निर्णयों में भा. कृ. अ. प. की भागेदारी बढ़ाना।

कृषि सांख्यिकी

* भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि सांख्यिकी गतिविधियों में संलग्न है। संस्थान ने निम्नलिखित 5 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है और 35 अनुसंधान परियोजनाएं जिनमें 11 बाह्य विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं शामिल हैं इस समय चल रही है।

  * फसल सर्वेक्षण में सुदूर संवेदन उपग्रह डाटा का इस्तेमाल।

  * भारत में विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात।

  * चावल की फसल के पूर्वानुमान मॉडल के विकास के लिए मौसम प्राचलों के विभेदक आंकड़ों का इस्तेमाल।

  * गेहूं की फसल पर किसानों द्वारा किए मूल्यांकन संबंधी आंकड़ों पर आधारित बेसिएन संभाव्यता पूर्वानूमान मॉडल के विकास के लिए अग्रत अनुसंधान।

  * परिवर्तनीय 2 जनसंख्या की गति और परिवर्तन का आकलन।

* संस्थान ने कृषि उत्पाद उपकर, एन ए टी पी परीक्रमी निधि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए बाह्य निधि प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। दो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है तथा उनका शीर्षक दिया गया है। जारी किए गए अनेक सॉफ्टवेयर पैकेज इस प्रकार है:-

  कृषि अनुसंधान के लिए सांख्यिकीय पैकेज (एस पी ए आर आई), कृषि अनुसंधान डाटा सूचना प्रणाली (ए आर डी आई एस), मिक्स मॉडल के लिए साफ्टवेयर, पशु प्रजनन आकड़े के लिए एनेजेसिस (एस एम एम ए), बैलेन्स्ड इन्कॉम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन के सांख्यिकी पैकेज (एस पी बी आई बी डी रिलीज 1.0) और तथ्यात्मक परीक्षणों के लिए सांख्यिकीय पैकेज (एस पी एफ ई) भा. कृ. अ. प. के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और मानद विश्वविद्यालयों में कृषि अनुसंधान शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली का विकास अन्तिम चरण में है।

* संस्थान द्वारा कृषि और कम्प्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर अल्प अवधि के पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। कृषि सांख्यिकी और कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली से संलग्न वैज्ञानिकों की अनुसंधान दक्षता को और बढ़ाया जाए।

मध्यावधि मूल्यांकन

5871. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि "अकल्पनीय और प्रतिकूल उत्पादन नीतियों के कारण खांडसारी का प्राकृतिक विकास अवरुद्ध हो गया है" जो न तो किसानों के हित में है और न ही उपभोक्ताओं के हित में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि जिन्सों के मूल्यों की समीक्षा

5872. श्री चिंतामन वनगा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि जिंसों की समीक्षा का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषक समुदाय की परेशानी और कठिनाई को कम करने हेतु कोई उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) कृषि जिंसों के मूल्यों की लगातार समीक्षा की जाती है तथा यथा आवश्यकता आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। सरकार ने कृषि जिंसों के मूल्यों में हाल ही मे आई गिरावट के कारण कृषि समुदाय के सामने आई परेशानियों एवं कठिनाईयों से छुटकारा दिलाने हेतु कई कदम उठाए हैं जिनमें मुख्य कृषि जिंसों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण तथा सार्वजनिक एवं सहकारी अभिकरणों के माध्यम से उनकी खरीद, राज्य सरकारों के अनुरोध पर बागवानी एवं उत्पादों के छोटे मदों को शामिल करते हुए मंडी हस्तक्षेप स्कीम शामिल हैं। (एम.आई.एस.) का कार्यान्वयन तथा आयातों को हतोत्साहित करना एवं निर्यातों को प्रोत्साहन का एक साधन के रूप में उपयोग शामिल हैं।

संगीत और नृत्य हेतु राष्ट्रीय केन्द्रों की स्थापना

5873. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संगीत और नृत्य में विशेष प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या दक्षिण कन्नड़ की लोक कलाओं हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की मांग लंबे समय से लम्बित पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) इन क्षेत्रों में विभाग द्वारा अपनी स्कीमों के संदर्भ में किए गए प्रयास समर्थनकारी है जिनके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं गतिविधियों के लिए मौजूदा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, संगीत नाटक अकादेमी ने सूचित किया है कि यह "संगीत और नृत्य में विशेष प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय केन्द्रों में स्थापना" नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित करती है। स्कीम का प्रयोजन उन कलात्मक परम्पराओं के मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया के कुटियाट्टम, छाऊ नृत्य और असम के सत्रिय नृत्य के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव संस्कृति विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना

5874. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "एस.सी. रुलिंग म्यूजिक टु पालिटीशियन्स इयर्स" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत क्षेत्र हेतु लाभ की दर

5875. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत परियोजनाओं पर लाभ की दर की 15 प्रतिशत सीमा समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वर्तमान परिदृश्य पूर्णतया बदल जाएगा और इस निर्णय का विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस नयी व्यवस्था से निजी और सरकारी क्षेत्र की सभी बड़ी विद्युत कंपनियों को लाभ होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय से देश में विद्युत की आवश्यकता के कहां तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43ए की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 30.3.1992 को जारी अधिसूचना में निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कम्पनियों के लिए उनके द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं के संबंध में प्रचालन के मानक स्तरों अर्थात् 68.5 प्रतिशत संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर इक्विटी (पूर्वदत्त और अंशदत पूंजी) पर 16 प्रतिशत (न कि 15 प्रतिशत) तक प्रतिफल की अनुमति प्रदान की गयी है। इसी प्रकार एनटीपीसी के विद्यमान केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों को भी 1.11.1998 से इक्विटी पर 16 प्रतिशत प्रतिफल दर की अनुमति प्रदान की गयी है। विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 के अधिनियमित हो जाने तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की स्थापना हो जाने के परिणामस्वरूप विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43ए की कथित उप धारा (2) को हटाते हुए टैरिफ निर्धारण की शक्तियां सीईआरसी को हस्तांरित हो गयी है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

प्लास्टिक के कचरे से विद्युत का उत्पादन

5876. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्लास्टिक के कचरे से विद्युत उत्पादन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी नहीं। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय केवल प्लास्टिक कचरे से विद्युत उत्पादन करने पर विचार नहीं कर रहा है। तथापि, शहरी एवं औद्योगिकी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय नगरीय ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पन्न करने के लिए परियोजनाओं का संवर्द्धन कर रहा है। जिसमें प्लास्टिक कचरे छोटे अंश (सामान्यत: 2-3 प्रतिशत से कम) निहित हो सकते हैं।

विद्युतकरघा क्षेत्र का उन्नयन

5877. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल वस्त्र उद्योग में विद्युतकरघा क्षेत्र का हिस्सा 70 प्रतिशत है;

(ख) क्या सत्यम समिति ने 140 से.मी. से अधिक चौड़ाई वाले विद्युतकरघों का उन्नयन करके उन्हें अर्धस्वचालित करघों में बदलने और 140 से.मी. से कम चौड़ाई वाले विद्युतकरघों को हटाकर उनके स्थान पर अर्ध-स्वचालित करघे स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) विद्युत करघा क्षेत्र, देश में कुल फैब्रिक्स उत्पादन में लगभग 59 प्रतिशत का योगदान देता है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र सहित वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 140 से.मी. से कम चौड़े साधारण करघों के बदले न्यूनतम 165 से.मी. चौड़े नए अर्ध-स्वचालित करघे लगाए जाने की व्यवस्था है तथा 140 से.मी. से अधिक चौड़े साधारण करघे के स्वस्थाने उन्नयन की अनुमति दी जाती है। इस वर्ष 2.50 लाख सादे करघों का आधुनिकीकरण करके उन्हें अर्ध-स्वचालित करघों/स्वचालित करघों में परिवर्तित करने की भी घोषणा की गई है।

मत्स्य उद्योग हेतु धनराशि

5878. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) विभाग को पश्चिम बंगाल सरकार से मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई अनुरोध हाल में प्राप्त नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मूल्य वर्धित

उत्पादों को बनाने के लिए कम मूल्य वाली मछली का उपयोग करने के लिए प्रदर्शन एकक की स्थापना के उद्देश्य से खाद्य प्रौद्योगिकी और जैव रसायन इंजीनियरी विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय का एक प्रस्ताव भेजा है तथा यह प्रस्ताव इस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के विचाराधीन है।

कम्पनी लॉ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक

5879. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत संगम अनुच्छेदों और कम्पनियों के संशोधनों का अनुमोदन करने में कम्पनी लॉ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों की भूमिका क्या है।

(ख) क्या क्षेत्रीय निदेशक यह देखने के लिए बाध्य है कि प्रस्तावित अनुच्छेद अथवा उनके संशोधन, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं; और

(ग) कम्पनी कार्य विभाग अथवा इसके सदस्यों को कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के संबंध में उस स्थिति में क्या उपचारी उपाय उपलब्ध है जब क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अनुच्छेद में संशोधनों का अनुमोदन कानून के लिखित उपबंधों के बिल्कुल विरुद्ध हो।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) संगम अनुच्छेदों के किसी भी उपलब्ध का संशोधन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 की शर्तों के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए सदस्यों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित करने की शर्त के तहत होता है। शक्तियां कम्पनी कार्य विभाग द्वारा संबंधित प्रादेशिक निदेशकों को प्रत्यायोजित की जाती है और प्रादेशिक निदेशक पंजीकरण से पहले संगम अनुच्छेद को अनुमोदित और साथ ही कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेंस की अनुमति देने के बाद उसमें संशोधन करते हैं।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 9 में अन्य बातों के साथ-साथ वह प्रावधान है कि अधिनियम के उपबन्ध किसी कम्पनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट के प्रतिकूल कुछ भी होते हुए भी प्रभावी होंगे। अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत दिए गए लाईसेंस को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (7) की शर्तों के तहत निरसित किया जा सकता है। इसका समाधान सक्षम न्यायालय में समावेदन करने में है।

[हिन्दी]

बरसिंहसार पलाना ताप विद्युत परियोजना की स्थापना

5880. **श्री रामेश्वर डूडी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरसिंहसार पलाना ताप विद्युत परियोजना की शुरूआत नैवेली लिग्नाइट ताप विद्युत निगम द्वारा की गई थी;

(ख) क्या उक्त निगम द्वारा इस परियोजना पर 60 करोड़ रु. खर्च किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या नेवली लिग्नाइट ताप विद्युत निगम उक्त परियोजना को पुन: शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पुन: शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि. (एनएलसी) ने बरसिंहसार पलाना ताप विद्युत परियोजना शुरू की थी और इस पर 43.09 करोड़ रु. का आरंभिक पूंजीगत व्यय किया था। राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना को एनएलसी को पुन: आवंटित करने की स्थिति में एनएलसी परियोजना को पुन: शुरू करने पर विचार कर सकता है। ऐसी स्थिति में एनएलसी सरकार से अनुमोदन एवं अन्य सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद परियोजना कार्य शुरू कर सकेगा।

[अनुवाद]

अगनूर जल विद्युत परियोजना की स्थिति

5881. **श्री अरुण कुमार:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के जहानाबाद जिले में अगनूर जल विद्युत परियोजना की क्या स्थिति है;

(ख) क्या इस परियोजना पर कार्य बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा परियोजना को पुन: शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस परियोजना हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) अगनूर जल विद्युत परियोजना (1 मेगावाट) का क्रियान्वयन बिहार हाइड्रो पावर कारपोरेशन (बीएचपीसी) द्वारा किया जा रहा है। परियोजना हेतु टर्न-की ठेका प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के पश्चात् वर्ष 1999 में मै. निप्पन पावर लि. कलकत्ता को प्रदान किया गया। मै. निप्पन पावर लि. द्वारा बाद में ई एंड एम उपस्कर के आदेश दिए गए थे। तथापि, मै. निप्पन पावर लि. और उपस्कर आपूर्तिकर्त्ता के बीच कुछ संविदात्मक विवाद पैदा हुआ था जिसके परिणामस्वरूप समय की कुछ हानि पैदा हुई।

(घ) अब यह निर्णय लिया गया है कि ई एंड एम उपस्कर पृथक आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त किये जायेंगे तदनुसार निर्माण कार्यों में कुछ छोटे-छोटे संशोधन किए जा रहे।

(ङ) बीएचपीसी अपने आंतरिक संशोधनों से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और नाबार्ड से भी ऋण हेतु अनुरोध कर रहा है।

[हिन्दी]

कृषिक वानिकी और बागान

5882. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में कृषिक वानिकी बागानों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जी, हां। भू-संसाधन विभाग और गैर-वनीय बंजर भूमि के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास विस्तार तथा प्रशिक्षण पर वर्ष 1993-94 से एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अधीन, देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि वानिकी माडलों के परीक्षण के विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। इलाहाबाद कृषि मानित विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उ.प्र. को इस स्कीम में शमिल किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं तथा निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा सलंग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र के जरिए देश में अखिल भारतीय कृषि वानिकी समन्वित अनुसंधान परियोजना चला रही है। वृहत् कृषि प्रबंधन-कार्य योजनाओं के जरिये राज्य के प्रयासों में सहायता/सहयोग की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन वर्षा सिंचित क्षेत्रों की अभिज्ञात पनधाराओं तथा साथ ही नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़-प्रवण नदियों के कृष्ट और अकृष्ट भूमियों में विविधीकृत कृषि प्रणालियां शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के अधीन, देश में फलों के विकास के लिए भी सहायता दी जा रही है। वर्ष 2000-01 के दौरान इस स्कीम के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार को 62.88 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। इस स्कीम के अधीन जारी निधियों का राज्यवार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भू-संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत कृषि वानिकी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य	क्रियान्वयक एजेंसी	निर्मुक्त निधियां (1993-94 से 2000-01)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद	8.30
2.	बिहार	बिहार, राज्य वन विकास निगम	6.22

1	2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	इन्दिरा 'गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (4 परियोजनाएं)	54.81
4.	गुजरात	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	3.64
		गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, बनस्कंथा (2 परियोजनाएं)	6.72
5.	हरियाणा	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रभाग वन विभाग, हरियाणा सरकार	5.49
6.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वद्यालय, पालमपुर	3.00
7.	मध्य प्रदेश	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वद्यालय, जबलपुर (2 परियोजनाएं)	28.39
8.	महाराष्ट्र	महात्मा फुले कृषि विश्वद्यालय, राहुरी (2 परियोजनाएं)	21.21
		महाराष्ट्र कृषि विश्वद्यालय, परभानी	6.03
9.	मेघालय	आई.सी.ए.आर. अनुसंधान परिसर एन.ई.एच. क्षेत्र के लिए, बारापानी	2.15
		कृषि-वानिकी प्रभाग आई.सी.ए.आर. परिसर एन.ई.एच. क्षेत्र के लिए उर्मेन	7.20
10.	नागालैण्ड	आई.सी.ए.आर अनुसंधान परिसर, एन ई एच क्षेत्र के लिए, झारनापानी	3.44
11.	उड़ीसा	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वद्यालय, भुवनेश्वर	54.31
12.	राजस्थान	केन्द्रीय एरिड जोन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (2 योजनाएं)	10.85
13.	उत्तरांचल	एन.एच.बी. गढ़वाल विश्वद्यालय श्रीनगर	34.64
14.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद कृषि मानित विश्वद्यालय, इलाहाबाद	25.23
15.	प. बंगाल	विधान चन्दर कृषि विश्वद्यालय, नादिया	4.20
	कुल		265.62

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान वृहत् प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधियां

(लाख रु.)

राज्य	जारी की गई धनराशि
1	2
आंध्र प्रदेश	1995.95
अरुणाचल प्रदेश	534.00
असम	492.06
बिहार	352.56
झारखंड	19.47
गोवा	29.42
गुजरात	3000.00
हरियाणा	1233.39
हिमाचल प्रदेश	1241.29
जम्मू व कश्मीर	848.32
कर्नाटक	6060.33
केरल	3026.70
मध्य प्रदेश	3920.42
छत्तीसगढ़	963.00
महाराष्ट्र	8935.09
मणिपुर	479.13
मेधालय	542.32
मिजोरम	553.16
नागालैण्ड	1170.67
उड़ीसा	614.89
पंजाब	714.65
राजस्थान	6575.15
सिक्किम	737.86
तमिलनाडु	4441.27
त्रिपुरा	476.40
उत्तर प्रदेश	6287.95
उत्तरांचल	920.00
प. बंगाल	1077.83
अंडमान व निकोबार द्वीप	38.87
चण्डीगढ़	0.65
दादर व नागर हवेली	21.61
दिल्ली	61.03
दमन व द्वीव	4.34
पाण्डिचेरी	15.14
लक्षद्वीप	10.18
कुल	57395.15

विश्व व्यापार संगठन

5883. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अप्रैल से विश्व व्यापार संगठन के उपबंधों के कार्यान्वयन के कारण खाद्य वस्तुओं के आयात का सामना करने के लिए 'बायोविजन' के विकास का आह्वान किया है;

(ख) क्या सरकार ने 'बायोविजन' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कारगर कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आम्र अनुसंधान संस्थान

5884. श्री अबुल हसनत खां: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आम्र अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग के जिला बीज फार्म की मालदा स्थित भूमि को केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, लखनऊ के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने के लिए चुना गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस भूमि को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को देने के लिए सहमति दे दी है।

उड़ीसा में स्मारकों/संग्रहालयों का संरक्षण

5885. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उड़ीसा में जिन ऐतिहासिक स्मारकों/संग्रहालयों का संरक्षण किया जा रहा है उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन स्मारकों/संग्रहालयों में किया जा रहा रख-रखाव कार्य पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन स्मारकों/संग्रहालयों के रख-रखाव कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक स्मारक/संग्रहालय के अनुरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और वर्ष 2001-2002 के लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव किया गया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उड़ीसा में 73 केन्द्रीय स्मारक हैं। सूची केन्द्रीय संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उड़ीसा में रत्नागिरी तथा कोर्णाक स्थित पुरातत्व संग्रहालय हैं।

(ख) और (ग) स्मारकों तथा संग्रहालयों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर आबंटन किये जा रहे हैं बशर्ते कि कुल मिलाकर धन उपलब्ध हो।

(घ) इन स्मारकों/संग्रहालयों को अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों तथा संग्रहालयों पर किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्मारकों/संग्रहालयों के लिए आबंटन क्रमश: 75.00 लाख तथा 15.00 लाख रुपये है।

विवरण

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	व्यय		
				1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7
1.	शैलकृत विष्णु	रासोल	अंगुल	25,812.00	38,122.00	4,057.00
2.	बृगेस्वर महादेव मंदिर	बाजराकोट	अंगुल	24,124.00	1,72,799.00	1,44,947.00
3.	64 योगिनी मंदिर	रानीपुर	बोलनगिर	60,422.00	54,046.00	13,960.00
4.	नीलमादेव तथा सिद्धेस्वर मंदिर	गांध्रादी	बौउध –	47,707.00	76,374.00	
5.	पश्चिम सोमनाथ मंदिर	बौउध	बौउध	22,426.00	34,609.00	18,035.00
6.	कोदारेस्वर मंदिर	चौदपार	कटक	3,57,949.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7
7.	बाराबती किला	कटक	कटक	3,58,707.00	5,15,779.00	1,83,360.00
8.	बौद्ध स्थल	ललितगिरि	कटक	1,07,785.00	35,756.00	51,638.00
9.	पांचपांडव मंदिर	गणेशवारपुर	कटक	23,651.00	34,006.00	52,401.00
10.	महिमणी मंदिर	रागड़ी	कटक	24,596.00	5,390.00	1,84,708.00
11.	सिंहनाथ मंदिर	गोपीनाथपुर	कटक	23,313.00	32,901.00	33,043.00
12.	प्राचीन स्थल	बानेसवारनस्त	कटक	25,149.00	46,576.00	-
13.	मंदिर समूह	महेन्द्रगिरि	गजपति	32,265.00	-	4,300.00
14.	अशोक शिलालेख	जौगढ़	गंजाम	8,961.00	33,729.00	-
15.	भुवनेश्वर महादेव मंदिर	भवानीपुर	जगतसिंहपुर	25,166.00	42,449.00	-
16.	मंदिर समूह	जाजपुर	जाजपुर	1,00,303.00	1,67,993.00	46,541.00
17.	बौद्ध स्थल	रत्नागिरि	जाजपुर	54,149.00	96,793.00	1,01,134.00
18.	बौद्ध स्थल	उदयगिरि	जाजपुर	1,90,466.00	3,71,912.00	-
19.	असुरगढ़ किला	असुरगढ़	कालाहांडी	18,638.00	47,081.00	-
20.	शैल चित्र	सीताभांजी	क्योंजर	48,787.00	82,240.00	-
21.	खंडगिरि तथा उदयगिरि स्थित जैन गुफाएं	भुवनेश्वर	खुर्दा	2,03,002.00	2,73,416.00	-
22.	मुक्तेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	18,002.00	3,37,748.00	1,59,162.00
23.	दक्ष प्रजापति मंदिर	बानापुर	खुर्दा	66,272.00	49,149.00	39.115.00
24.	बक्रेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	1,78,896.00	-	-
25.	भगवान लिंगराज मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	3,78,212.00	3,41,873.00	1,11,367.00
26.	जाम्बेस्वर मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	2,04,445.00	65,000.00	-
27.	रामेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	4,20,938.00	77,588.00	8,926.00
28.	राजारानी मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	36,230.00	1,10,485.00	1,67,596.00
29.	अशोक शिलालेख	धौली	खुर्दा	31,801.00	8,57,145.00	2,53,881.00
30.	पापलासिनी हौज	भुवनेश्वर	खुर्दा	1,975.00	30,000.00	1,34,228.00
31.	नवकिशोर मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	2,62,363.00	-	-
32.	प्राचीन स्थल	हरीपुरगढ़	मयूर भंज	1,79,190.00	2,06,856.00	-
33.	भगवान जगन्नाथ मंदिर	पुरी	पुरी	9,31,918.00	8,71,967.00	8,67,041.00

1	2	3	4	5	6	7
34.	सूर्य मंदिर	कोणार्क	पुरी	9,13,314.00	9,18.171.00	20,68,450.00
35.	वराही मंदिर	चौरासी	पुरी	–	2,154.00	70,582.00
36.	प्राचीन स्थल	हरीपुरगढ़	हरीपुरगढ़	–	–	10,973.00
37.	वेताल द्योल	भुवनेश्वर	खुर्दा	–	69,315.00	4,973.00
38.	प्राचीन स्थल	किरेपुर	खुर्दा	–	54,850.00	–
39.	मंदिर समूह	चौलवार	कटक	–	1,05,430.00	–
40.	मधेस्वर मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	–	37,649.00	–
41.	सहस्रलिंग हौज	भुवनेश्वर	खुर्दा	–	17,348.00	–
42.	सोम द्योल	भुवनेश्वर	खुर्दा	–	1,02,277.00	–
				54,06,934.00	64,16,976.00	47,36,345.00
			संग्रहालय			
1.	पुरातत्व संग्रहालय	कोणार्क	पुरी	8,25,000.00	4,80,000.00	5,01,493.00
2.	पुरातत्व संग्रहालय	रत्नागिरि	जाजपुर	2,00,000.00	2,00,000.00	4,00,000.00
			कुल	10,25,000.00	6,80,000.00	9,01,493.00

[हिन्दी]

अहमदाबाद राजमार्ग पर मेघनगर के निकट उपरि-पुल का निर्माण

5886. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में अहमदाबाद राजमार्ग पर मेघनगर रेलवे स्टेशन के निकट उपरि-पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त समपार पर उपरि-पुल का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलें केवल एक लाख अथवा उससे अधिक गाड़ी वाहन इकाई के यातायात घनत्व वाले (गाड़ी वाहन इकाई-24 घंटों में समपार से गुजरने वाली गड़ियों की संख्या को सड़क वाहन संख्या से गुणा करके प्राप्त इकाई) मौजूदा व्यस्त समपार के स्थान पर लागत में भागीदार के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुल की व्यवस्था करने पर विचार करती हैं। अन्य समपारों का ऊपरी/निचले सड़क पुलों से बदलाव पर विचार निक्षेप शर्तों पर किया जाता है अर्थात् इसमें प्रस्ताव प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण को आरंभिक पूंजी तथा अनुरक्षण की वार्षिक आवर्ती लागत वहन करनी होती है मेघनगर यार्ड में किमी. 574/25-27 पर स्थित समपार सं. 60 पर यातायात घनत्व केवल 33,426 गाड़ी वाहन इकाई है। अत: रेलवे निक्षेप शर्तों के आधार पर इस समपार पर ऊपरी सड़क के पुल की निर्माण पर विचार कर सकती है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी कृषि नीति

5887. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों के कृषि उत्पादों हेतु भारतीय कृषि बाजार के खुलने के मद्देनजर अपनी कृषि नीति को और अधिक निर्यातोन्मुखी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे किन-किन राज्यों का चयन किया गया है जिनमें कृषि निर्यात केन्द्रों की स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे केन्द्रों की स्थापना करते समय क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि नीति कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन पर जोर देती है इसमें कृषि उत्पादों के विविधीकरण तथा मूल्यवर्द्धन की द्विआयामी कार्यनीति के विकास की परिकल्पना की गई है ताकि उत्पादन प्रणाली को वाह्य वातावरण के अनुकूल बनाया जा सके तथा जिंसों हेतु निर्यात की मांग का सृजन किया जा सके।

(ग) और (घ) राज्यों को भौगोलिक रूप से निकटस्थ क्षेत्र से विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के लिए समग्र विकास हेतु उत्पादन विशिष्ट कृषि निर्यात क्षेत्र अभिज्ञात करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों के अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का सृजन

5888. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में पवन ऊर्जा, सुलभ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास आदि जैसी अपारंपरिक ऊर्जा के सृजन हेतु सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर कोई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करके ग्रामीण विद्युतीकरण को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) मंत्रालय देश भर में सौर, पवन, बायोमास तथा लघु पनबिजली जैसे विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय ने सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से इन कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विशेष बल देने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीप समूह जैसे प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकताओं और बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) मंत्रालय द्वारा सौर, बायोमास और लघु पनबिजली पनबिजली स्त्रोतों के माध्यम से वर्ष 2001-02 से देश के मुख्यतया जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 18,000 दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार की जा रही है। इन क्षेत्रों में प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षाकृत उच्च दरों पर वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पर नियोजित ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए भी विचार किया जाएगा।

विवरण

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	स्थान	शामिल किए गए गांवों की सं.	परियोजना का ब्यौरा
1	2	3	4	5
I. बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं				
1.	अरुणाचल प्रदेश	जिला लोहित	3	3×10 किवा.

1	2	3	4	5
		जिला पूर्वी कामेंग	1	1×20 किवा.
		जिला ऊपरी साइंग	1	1×20 किवा.
2.	मिजोरम	जिला आईजोल	7	2×100 किवा.
3.	नागालैंड	जिला जुनहेबोटो	4	2×100 किवा.
		जिला मोन	2	2×100 किवा.
4.	त्रिपुरा	जिला ढलाई	11	4×250 किवा.
5.	पश्चिम बंगाल	छोटामुल्लाखली द्वीपसमूह, सुन्दरबन	4	5×100 किवा.
		गासाबा द्वीपसमूह, सुन्दरबन	5	5×100 किवा.
		जिला पुरूलिया	2	2×50 किवा.
		जिला दार्जिलिंग	1	1×30 किवा.
II. सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं				
1.	असम	जिला कच्छार	36	एचएलएस-850 सं.
		जिला सोनितपुर	1 ब्लॉक	एचएलएस-400 सं.
		उत्तरी कच्छार पहाड़ी जिला	11	एचएलएस-357 सं. एसएल-11 सं. एसएलएस-11 सं. पीपी-1.5 केडब्ल्यूपी
2.	केरल	अ.जा./अ.जन.जा. कॉलोनी	135 कॉलोनी	एचएलएस-5,100 पीपी-12 सं./ 42 केडब्लूपी
3.	छत्तीसगढ़	जिला बस्तर	90	एचएलएस-3,50 सं. एचएलएस-1171 सं. एसएल-2921 सं. एस टीवी-183 सं.
4.	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स, राभोई, जयन्तिया हिल्स आदि	14	पीपी-35.5 केडब्ल्यूपी

एचएलएस-घरेलू रोशनी प्रणालियां, एसएलएस-सड़क रोशनी प्रणालियां, एसएल- सौर लालटेन
पीपी-विद्युत संयंत्र, केडब्ल्यूपी- किलोवाट पीक, केडब्ल्यू-किलोवाट, एस टीवी- सौर टेलीविजन।

प्रशासनिक सुधार

5889. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेलवे में प्रशासनिक सुधार लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक समान उद्देश्य वाले विभागों का विलयन और रिक्त पदों को समाप्त किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कार्यालयों के लिए बिजली और टेलीफोन बिलों की सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) रेल मंत्रालय में रेलों की कार्यप्रणाली में सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों का पता लगाने और जहां कहीं आवश्यक हो प्रशासनिक सुधार करने के लिए नियमित तंत्र विद्यमान है। रेलें, सभी खर्चों की निरन्तर समीक्षा करती हैं ताकि उन्हें न्यूनतम रखा जा सके। वार्षिक योजना तथा बजट प्रक्रिया के माध्यम से लागत पर नियंत्रण रखा जाता है।

पान का उत्पादन

5890. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मुख्य पान उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या पान उत्पादकों की दशा सुधारने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पान की फसल का बीमा करने के लिए कोई बीमा योजना तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) देश के मुख्य पान उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं।

(ख) और (ग) यह विभाग वर्ष 2000-01 से वृहत् कृषि प्रबंधन-कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसमें राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रदर्शन प्लांट की स्थापना तथा कमियों और रोगों के प्रति जैव नियंत्रक अभिकारकों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है।

(घ) से (च) वर्तमान राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम केवल खाद्य फसलों, दलहन और उन्हीं वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों को कवर करता है जिनके संबंध में पिछले वर्षों के उपज आंकड़े उपलब्ध है। पान की फसल को इस स्कीम में कवर नहीं किया गया है। तथापि भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियां वाणिज्यिक आधार पर पान के बेल सहित बागवानी फसलों की बीमा स्कीमें क्रियान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

मिट्टी के तेल पर सीमा शुल्क

5891. श्री मंजय लाल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिट्टी के तेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो मिट्टी के तेल के आयात पर सीमा शुल्क लगाने के क्या कारण हैं जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियां मिट्टी के तेल का निर्यात कर रही हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) (क) 2001-02 के केन्द्रीय बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी के तेल के आयात पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया गया है।

(ख) आयात-निर्यात नीति के अनुसार मिट्टी के तेल (एस के ओ) को निर्यात हेतु नियंत्रणमुक्त नहीं किया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान एस के ओ का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

खुमी का उत्पादन

5892. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र का विचार नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान खुम्भी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं कार्यान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग वर्ष 2000-01 से वृहत् कृषि प्रबंधन-कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। जिसके अधीन पास्च्यूराईज्ड कम्पोष्ट यूनिटों, स्पॉन उत्पादन प्रयोगशाला प्रसंस्करण एकक तथा प्रशिक्षण एकक को शामिल किया गया है तथा राज्य की आवश्यकता के अनुसार इससे लाभ उठाया जा सकता है। वर्ष 2000-01 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

इस मंत्रालय के अधीन स्वायतशासी संगठन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड खुंभी सहित, वाणिज्यिक बागवानी पर एक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम में पार्श्वान्त (बैंक एन्डेड) राज सहायता के रूप में 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएं लागत के 20 प्रतिशत की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा खाद प्रसंस्करण उद्योग विभाग की खुंभी की खेती और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु अपनी योजना स्कीमों के अन्तर्गत बुनियादी सुविधाओं के सृजित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों और सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दे रहा है।

विवरण

वृहत् प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी की गई निधियां

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य	2000-2001 में जारी की गई निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1995.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	534.00
3.	असम	492.06
4.	बिहार	352.56
5.	झारखंड	19.47
6.	गोवा	29.42
7.	गुजरात	3000.00
8.	हरियाणा	1233.39
9.	हिमाचल प्रदेश	1241.29
10.	जम्मू व कश्मीर	848.32
11.	कर्नाटक	6060.38
12.	केरल	3026.70
13.	मध्य प्रदेश	3920.42
14.	छत्तीसगढ़	963.00
15.	महाराष्ट्र	8935.09
16.	मणिपुर	479.13
17.	मिजोरम	553.16
18.	मेघालय	542.32
19.	नागालैण्ड	1170.67
20.	उड़ीसा	614.89
21.	पंजाब	714.65
22.	राजस्थान	6575.15
23.	सिक्किम	737.86
24.	तमिलनाडु	4441.27
25.	त्रिपुरा	476.40
26.	उत्तर प्रदेश	6287.95
27.	उत्तरांचल	920.00
28.	प. बंगाल	1077.83

1	2	3
29.	चण्डीगढ़	0.65
30.	दादर व नागर हवेली	21.61
31.	दिल्ली	61.03
32.	लक्षद्वीप	10.18
33.	पाण्डिचेरी	15.14
34.	दमन व द्वीव	4.34
35.	अंडमान व निकोबार द्वीप	38.87
	कुल	57395.15

प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग

5893. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो दुर्बल इकाइयों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन दुर्बल खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के पुनरुद्धार और विकास हेतु क्या वित्तीय पैकेज शुरू किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीति विषयक पहल की हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं आदि को खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण समेत इस क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग स्वयं किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता।

वर्ष 2000-2001 के बजट में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को, जो इस समय 16 प्रतिशत है, घटाकर शून्य स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति में इस क्षेत्र के और बुनियादी सुविधाओं आदि के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

5894. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन स्थानों पर गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने और उनसे कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होने की संभावनाएं है; और

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं से किन-किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदत्त कुल 57 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं में से 55 परियोजनाएं वर्तमान में विकास की प्रक्रिया में हैं (एक परियोजना हाल ही में राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित की गयी है और दूसरी को हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया गया है, दोनों को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है) 55 परियोजनाओं, जो अभी विकास की प्रक्रिया में हैं, में से 45 परियोजनाओं को अभी चालू किया जाना है। इन 45 परियोजनाओं के संबंध में अनुमानित लागत और प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता के ब्यौरे दर्शाने वाली एक राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	लागत (रुपये/करोड़)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	विजाग टीपीएस (मै. एचएनपीसीएल)	1040	4628.11

1	2	3	4
2.	रामागुण्डम विस्तार (मैं. बीपीएल ग्रुप)	520	2384.57
3.	कृष्णापटनम बी टीपीपी (बीबीआई पावर कृष्णापटनम कंपनी)	520	2221.329
4.	वेमागिरि सीसीजीटी (इस्पात पावर लिमिटेड)	492	1679.907
बिहार			
5.@	जोजोबेरा टीपीपी (मै. जमशेदपुर पावर कं.)	240	1025.19
गुजरात			
6.	जामनगर टीपीपी (मैं. रिलायंस पावर कंपनी)	500	2550.741
हिमाचल प्रदेश			
7.	बास्पा चरण-2 एचईपी (मै. जेपीआईएल)	300	949.23
8.	मलाना एचईपी (मै. राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.)	86	341.911
कर्नाटक			
9.	मंगलौर टीपीएस (मैं. कोर्जेंट्रिक्स)	1013.2	4253.399
10.	नागार्जुन टीपीपी (मै. नागार्जुन पावर कार्पोरेशन लि.)	1015	5495.99
11.	बंगलौर सीसीपीपी (मै. पीन्या पावर)	107.6	390.593
केरल			
12.	विपीन सीसीजीटी (मै. सियासिन एनर्जी प्रा. लि.)	679.2	1964.3
13.	कन्नूर सीसीजीटी (मै. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट्स लि.)	513	1470
मध्य प्रदेश			
14.	महेश्वर एचईपी (मै. एस. कुमार्स लि.)	400	1500
15.	कोरबा (पूर्व) टीपीपी (मै. डेवू पावर)	1070	4690.00
16.	बीना टीपीपी (मै. बीना पावर सप्लाई कं. लि.)	578	2443
17.	नरसिंहपुर सीसीपीपी (मै. जीबीएल पावर)	166	531.24
18.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार (मै. आईटीपीएल)	420	1766.78
19.	गुना सीसीजीटी (मै. एसटीआई पावर इंडिया लि.)	330	1079.39
20.	पेंच टीपीपी (मै. पेंच पावर लि.)	500	2183.50
21.	भिलाई टीपीपी (मै. भिलाई सप्लाई कंपनी)	574	2489.71
22.	रायगढ़ टीपीपी (मै. जिन्दल पावर लि.)	550	2411.80

1	2	3	4
23.	भाण्डेर सीसीटीजी (मै. भाण्डेर पावर लि.)	342	1048.072
24.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै. शपूरजी पलोनजी पावर कं. लि.)	119.7	442.096
25.	रतलाम डीजीपीपी (मै. जीवीके पावर (रतलाम) लि.)	118.63	451.294
26.	खण्डवा सीसीजीटी (मै. मध्य भारत एनर्जी कार्पोरेशन लि.)	171.17	550.667
महाराष्ट्र			
27.£	डाभोल सीसीजीटी (डाभोल पावर कंपनी-चरण-1	740	9051.27
	चरण-2	1444	–
28.	भद्रावती टीपीएस (मै. सेंट्रल इंडिया पावर)	1072	4630.90
29.	पातालगंगा सीसीजीटी (मै. रिलायंस पातालगंगा पावर)	447.1	1379.181
उड़ीसा			
30.	इब वैली टीपीएस (यूनिट 5 और 6) एईएस इब वैली कार्पोरेशन	500	2369.48
31.	दुबुरी टीपीपी यूनिट-1 और 2 (कलिंगा पावर कार्पोरेशन)	500	2191.534
राजस्थान			
32.	धौलपुर सीसीजीटी (मै. आरपीजी धौलपुर पावर कं. लि.)	702.7	2294.078
33.	बरसिंहसर टीपीपी (मै. हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि.)	500	2106.635
तमिलनाडु			
34.	नैवली टीपीएस जीरो यूनिट (मै. एसटी- सीएमएम)	250	1200
35.@	पिल्लईपेरुमलनल्लूर सीसीजीटी (मै. पीपीएन पावर)	330.5	1121.70
36.	नार्थ मद्रास टीपीएस-2 (मै. वीडियोकोन पावर)	1050	4423.80
37.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-5 (मै. स्पिक)	525	2324.10
38.	समयानल्लूर डीजीपीपी (मै. बालाजी पावर कार्पोरेशन लि.)	106	384.221
39.	नार्थ मद्रास टीपीएस-2 (मै. त्रि-शक्ति एनर्जी प्राइवेट लि.)	525	2246.77
40.	कुड्डालोर टीपीपी (मै. कुड्डालोर पावर कंपनी)	1320	6379.157
41.	वेम्बर सीसीजीटी (मै. इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स लि.)	1873	5060.165
उत्तर प्रदेश			
42.	विष्णुप्रयाग एचईपी (मै. जेपीआईएल)	400	1614.6
43.	रोजा टीपीपी (मै. इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स)	567	2432.10

1	2	3	4
44.	श्रीनगर एचईपी (मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि.)	330	1669.12
पश्चिम बंगाल			
45.	बालागढ़ टीपीएस (मै. बालागढ़ पावर कंपनी)	500	2234.69

@ अंशत: चालू हो गयी है।
£ चरण-1 पूर्णत: चालू हो गया है।

[अनुवाद]

बागवानी को प्रोत्साहन

5895. श्री अनन्त नायक:
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में, विशेषकर पिछड़े राज्यों में बागवानी को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए अदिलाबाद (आंध्र प्रदेश), पंचमहल (गुजरात), क्योंझर (उड़ीसा), बस्तर छत्तीसगढ़), रांची (झारखंड) के पांच जनजातीय जिले तथा अल्मोड़ा (उत्तरांचल) के पहाड़ी जिले में मार्गदर्शी आधार पर 15.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से नौवीं योजना के दौरान जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए समेकित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रत्येक जिला परियोजना के लिए इस अवधि हेतु 2.35 करोड़ रुपये के अधितकम परिव्यय का आबंटन किया गया है।

इसके अलावा नौवीं योजना के दौरान पिछड़े राज्यों सहित देश में बागवानी के विकास के लिए तैयार की गई विभिन्न स्कीमों के "बृहत कृषि प्रबंधन-कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में सहायता और सहयोग" पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में मिला दिया गया है। जिसमें राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार बागवानी को बढ़ावा देना शुरू किया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान बृहत प्रबंधन स्कीम के अधीन जारी राज्यवार निधियां संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन भी अनुमोदित की है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान वृहत प्रबंधन स्कीम के अधीन निर्मुक्त राज्यवार निधियां

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1995.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	534.00
3.	असम	492.06
4.	बिहार	352.56
5.	झारखंड	19.47
6.	गोवा	29.42
7.	गुजरात	3000.00
8.	हरियाणा	1233.39
9.	हिमाचल प्रदेश	1241.29
10.	जम्मू व कश्मीर	848.32
11.	कर्नाटक	6060.38
12.	केरल	3026.70

1	2	3
13.	मध्य प्रदेश	3920.42
14.	छत्तीसगढ़	963.00
15.	महाराष्ट्र	8935.09
16.	मणिपुर	479.13
17.	मेघालय	542.32
.8.	मिजोरम	553.16
19.	नागालैण्ड	1170.67
20.	उड़ीसा	614.69
21.	पंजाब	714.65
22.	राजस्थान	6575.15
23.	सिक्किम	737.86
24.	तमिलनाडु	4441.27
25.	त्रिपुरा	476.40
26.	उत्तर प्रदेश	6287.95
27.	उत्तरांचल	920.00
28.	प. बंगाल	1077.83
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप	38.87
30.	चण्डीगढ़	0.65
31.	दादर व नागर हवेली	21.61
32.	दिल्ली	61.03
33.	दमन व द्वीव	4.34
34.	पाण्डिचेरी	15.14
35.	लक्षद्वीप	10.18
	कुल	57395.15

कृषि परियोजनाएं

5896. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरोपीय देशों द्वारा प्रत्येक राज्य में वित्तपोषित/वित्तपोषण की जा रही कृषि परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक समेत किसी अन्य राज्य सरकार से बाह्य सहायता की मांग करते हुए कोई नई परियोजना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

5897. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में मांड्या और मैसूर में दो विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में विद्युत परियोजनाओं, जिनमें 2000 मेगावाट क्षमता वाली राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की ताप विद्युत परियोजना और वितरण नेटवर्क शामिल है, हेतु केन्द्र की सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उनके अनुरोधों पर किस हद तक कार्रवाई की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) कर्नाटक के माड्या एवं मैसूर के केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु सी.ई.ए को नहीं प्राप्त हुई है, हालाकि कर्नाटक के माड्या एवं मैसूर के राज्य/निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना स्थापित करने संबंधी तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु सी.ई.ए. को प्राप्त हुए प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

परियोजना का नाम	क्षमता	स्थिति
बृंदावन एच.ई.पी. (माड्या) राज्य क्षेत्र	2×6 मे. वा.	सी.ई.ए. द्वारा 1989 में स्वीकृत अन्तर्राज्यी पहलू के कारण क्रियान्वयन स्थगित।
कर्यानी डेम एच.ई.पी (मैसूर) राज्य क्षेत्र	1×20 मे. वा.	अन्तर्राज्यीय पहलू के कारण वापस की गई
शिवसमुद्रम एच.ई.पी. मौसमी विद्युत (मैसूर) राज्य क्षेत्र	2×135 मे. वा.	अन्तर्राज्यीय पहलू के कारण वापस की गई
माड्या सी.सी.पी.पी. (मांडिया) निजी क्षेत्र	164.37 मे. वा.	आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चत नहीं किए जाने के कारण वापस की गई।
मैसूर टी.पी.पी. (मैसूर) निजी क्षेत्र	4×250 मे. वा.	आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण वापस की गई।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार से राज्य में एनटीपीसी द्वारा 2000 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने नवंबर, 2000 में कर्नाटक सरकार को सूचित किया था कि अंतरर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि होने की वजह से, जिसके कारण एलएनजी मूल्य में भी वृद्धि हुई, गैस आधारित संयंत्र की टैरिफ अवहनीय हो जाएगी। एनटीपीसी को यह सलाह दी गयी है कि वह आगामी 20-25 वर्षों में एलएनजी की संभावित प्राप्ति दर के संबंध में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करे।

[हिन्दी]

शिल्प मेलों में अधिक शुल्क लिया जाना

5898. प्रो. दुर्गा भगत: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूरजकुंड, ग्वालियर, आगरा और दिल्ली हाट में शिल्पियों से बहुत अधिक धनराशि प्रभारित की गई है और जिम्मेदार अधिकारी बड़े अधिकारियों के संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को नई तकनीक

5899. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि संबंधी नई तकनीकें अपनाने के लिए दी गई शिक्षा/प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रशिक्षण किन-किन एजेंसियों के माध्यम से दिया जाता है; और

(ग) उक्त राज्यों से इस योजना को कितना समर्थ मिला हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) (i) विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना बिहार के 3 जिलों नामत: मुजफ्फरपुर, मुंगेर और मधुबनी तथा झारखंड के एक जिले नामत: दुमका में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत किसान हित समूहों, अधिमानत: कृषक महिलाओं को संगठित करने पर जोर दिया जाता है। किसानों/

कृषक महिलाओं को नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण और प्रतिभा विकास दौरों का आयोजन किया जाता है।

(ii) कृषि विस्तार की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम बिहार के तीन जिलों नामत: नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर और झारखंड के एक जिले रांची में स्वैच्छिक संगठनों के जरिये क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य किसानों/महिला किसानों को नई प्रौद्योगिकी के अन्तरण की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना है।

(iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बिहार में पांच कृषि विज्ञान केन्द्र और झारखंड में पांच कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष के दौरान 4371 कृषक महिलाओं ने नई प्रौद्योगिकियों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

(ख) (i) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण शीर्षस्थ अभिकरण हैं।

(ii) बिहार में स्कीम के क्रियान्वयन करने वाले गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित हैं:-

(i) ग्राम निर्माण मंडल, नवादा, बिहार

(ii) ग्रामीण विकास केन्द्र, जिला नालंदा, बिहार

(iii) मुजफ्फरपुर जन-हित प्रतिष्ठान मुजफ्फरपुर, बिहार

झारखंड

(i) राम कृष्ण आश्रम, रांची, झारखंड

(ii) बिहार में 15 कृषि विज्ञान केन्द्र और झारखंड में 5 कृषि विज्ञान केन्द्र स्कीम का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

(ग) इन सभी कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों को भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्राप्त होती है।

तुमसर और तिरोदी के बीच रेल बस सेवा

5900. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने तुमसर रोड और तिरोदी के बीच रेल बस सेवा के कार्यान्यवन को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सेवा के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) "रेल बस" सेवा चलाने के लिए तुमसार रोड-तिरोडी खंड की पहचान की गई है। रेल बस सेवा विनिर्माण पूरा होने और आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात शुरू की जाएंगी।

पत्तनों की यातायात संभलाई क्षमता में गिरावट

5901. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पत्तनों पर पोत खड़े करने के स्थानों, विशेषत: मुम्बई पत्तन जिस पर 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता तक यातायात क्षमता का उपयोग होता है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पत्तनों की मौजूदा यातायात क्षमता का उपयोग निजी क्षेत्र के पत्तनों की यातायात क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से निजी क्षेत्र से कराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पत्तनों की यातायात संभलाई क्षमता से होने वाले लाभ में लगातार गिरावट आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र की लाभकारी/अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) महापत्तनों पर 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 209 वर्थ थी। 1999-2000 के दौरान मुम्बई पत्तन के प्रिंसेस डॉक पर बर्थ सं. जी और बर्थ सं. पी/क्यू पर 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता तक यातायात क्षमता का उपयोग होता था।

(ख) और (ग) जी हां। महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ क्षमता में सुधार, कार्य क्षमता में वृद्धि सेवाओं की गुणवत्ता और उत्पादकता, के लिए अतिरिक्त धन जुटाना है।

(घ) और (ङ) जी हां। खर्च में अत्यधिक वृद्धि के कारण वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान सभी महापत्तनों में निवल लाभ में कमी आयी है। विभिन्न महापत्तनों में अनुत्पादक खर्च को नियंत्रित करने तथा कार्य बल को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

रेलवे दावा अधिकरण

5902. श्री किरीट सोमैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे, विशेषत: मुंबई में कितने रेलवे दावा अधिकरण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मुंबई रेलवे दावा अधिकरण पर कितना व्यय हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दावा अधिकरणों ने मुंबई में दावे के कितने मामलों का निर्णय किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग ने रेलवे अधिकरणों के कार्यालय भवनों के किराये के रूप में कुल कितनी राशि अदा की;

(च) क्या रेल विभाग द्वारा अपना भवन बनाने की कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) पश्चिम रेलवे पर रेल दावा अधिकरण की तीन पीठें हैं अर्थात् अहमदाबाद, जयपुर और मुम्बई। मुम्बई में रेल दावा अधिकरण की केवल एक ही पीठ है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल दावा अधिकरण की मुम्बई पीठ में किया गया कुल व्यय इस प्रकार है:

(आंकड़े हजार रुपयों में)

1998-99	1999-2000	2000-01
3355	3326	3330

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल निर्णीत दावा मामले इस प्रकार हैं:-

1998-99	1999-2000	2000-01
341	498	281

(ङ) रेल दावा अधिकरण, मुम्बइक्र कोई किराया नहीं दे रहा है। अधिकरण रेलवे भवन में ही स्थित है।

(च) जी नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टेहरी बांध योजना

5903. श्री जय प्रकाश: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टेहरी बांध के लिए गंगा के पानी के भंडारण की योजना को आस्थगित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बांध का निर्माण कार्य कब तक पुन: शुरू हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मेगावाट) टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजना है। परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य जारी है, हालांकि, स्टीलिंग बेसिन के सिविल कार्यों हेतु आवश्यक विपथन सुरंगों की बंदी, जो मार्च, 2001 में करने की योजना थी, जो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पशुधन का उपचार

5904. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुधन के उपचार में होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक औषधियों को भी उपयोगी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसे पशुचिकित्सा पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) पशुचिकित्सा उपयोग के लिए होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक औषधियों की उपयोगिता पर कोई स्थापित वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, पशुचिकित्सा पाठ्यक्रम में स्वदेशी औषधियां दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर

5905. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में राजस्थान में कृषि तकनीकों के संबंध में एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान महिलाओं को भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे शिविरों से किसानों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान में राष्ट्रस्तरीय पांच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन राष्ट्रस्तरीय पांच प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा सलंग्न विवरण में है।

(ग) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, महिलाओं सहित केवल विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किए जाते हैं। कृषक प्रशिक्षण संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

(घ) पांच राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 14 महिला विस्तार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

(ङ) ये सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विस्तार कार्यकर्ताओं के ज्ञान और दक्षता में सुधार करने तथा व्यवहार और कार्यनिष्पादन में परिवर्तन लाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त ज्ञान और दक्षताओं का सबसे निचले स्तर पर किसानों के बीच प्रसार किया जाता है। इस प्रकार किसान खेतों की वास्तविक स्थिति में अनुरूप अनुप्रयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियों के ज्ञान से लाभान्वित होते हैं।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान एस.एम.एस./मध्यम स्तरीय विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए राजस्थान राज्य को विस्तार निदेशालय द्वारा पांच राष्ट्रस्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रायोजित किए गए

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	स्थान और तारीख	भाग लेने वाले विस्तार कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4
1.	खाद्यान्नों के लिए कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी	आर.ए.यू., उदयपुर 1 से 8 दिसम्बर, 2000	24
2.	शुष्क कृषि	सी.ए. जेड.आर.आई, जोधपुर 3-12 जनवरी, 2001	10

1	2	3	4
3.	महिला, विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए कृषि प्रौद्योगिकी	आर.ए.यू. उदयपुर 17-24 जनवरी, 2001	14 महिला विस्तार कार्यकर्त्ता
4.	भेड़ और ऊन उत्पादन प्रौद्योगिकी	सी.एस.डब्ल्यू.आर.आई. अविकानगर 7 से 14 फरवरी, 2001	14
5.	शुष्क बागवानी	आर.ए.यू. बीकानेर 13-20 फरवरी, 2001	16
		कुल	78

उपर्युक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से एक राष्ट्रस्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम "महिला विस्तार कार्यकर्त्ताओं हेतु कृषि प्रौद्योगिकी" केवल महिला विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए आयोजित किया गया। कुल 78/एस.एम.एस. मध्यम स्तरीय विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया जो कृषक समुदाय में कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करेंगे।

[अनुवाद]

पुलों के भूमि किराये और अनुरक्षण प्रसार

5906. श्री रघुनाथ झा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित पुलों के भूमि किराये और अनुरक्षण प्रभार वसूल करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप कितनी राशि वसूल की जानी शेष हैं;

(ग) क्या इस मामले में कर्मचारी वर्ग पर कोई जवाबदेही सुनिश्चित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जिम्मेवारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अब कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अस्वीकार्य रियायती शुल्क के कारण घाटा

5907. श्री रामजी मांझी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग को 1994 से 1997 की अवधि में निर्यात परेषणों पर अस्वीकार्य रियायती शुल्क लगाने के कारण 17.14 करोड़ रुपये का घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा उस राशि की वसूली और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या रेल विभाग द्वारा 1992 के दौरान उर्वरकों के अलावा अन्यत्र उपयोग में लाए जाने वाले रॉक फास्फेट के परिवहन पर उच्च वर्गीकरण की व्यवस्था न होने के कारण भी 65.82 करोड़ रुपये का घाटा वहन करना पड़ा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और राशि की वसूली के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या इस मामले में कोई जिम्मेवारी और जवाबदेही निश्चित की गई है; और

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) जी नहीं, यह कथित हानि जो लेखा परीक्षा द्वारा 1998 की अपनी रिपोर्ट सं. 9 में भी इंगित की गयी थी, वास्तविक नहीं है बल्कि यह इस काल्पनिक तथ्य पर आधारित है कि निर्यात परेषण उच्चतर भाड़ा दर से प्रभारित किया जाना था। बहरहाल, यह

सुझाव कि निर्यात के प्रयोजनार्थ भेजी जाने वाले किसी पण्य को उच्चतर भाड़ा दर से प्रभारित किया जाना चाहिए, रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा भेदभाव निर्यात को हतोत्साहित करेगा और इसे लागू करना कठिन होगा।

(घ) से (छ) जी नहीं, यह कथित हानि जो लेखा परीक्षा द्वारा 1998 की अपनी रिपोर्ट सं. 9 में भी इंगित की गयी थी, वास्तविक नहीं है बल्कि यह इस काल्पनिक तथ्य पर आधारित है कि औद्योगिक उपयोग के लिए इस्तेमाल हो रहे पण्य को उच्चतर श्रेणी में प्रभारित किया जाना चाहिए और जब पण्य कृषि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो इसे निम्नतर श्रेणी में प्रभावित किया जाना चाहिए। सरकार ने रॉक फास्फेट के लिए भाड़ा दर कम रखने का निर्णय इसलिए किया था क्योंकि उर्वरक के निर्माण के लिए यह आधारभूत कच्चा माल है और रॉक फास्फेट की समग्र कीमत कम रखकर कृषि को सहायता देने के लिए यह आवश्यक था। रॉक फास्फेट सीधे उर्वरक के रूप में और जटिल खादों के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल होता है। यह एक निम्न दर वाली वस्तु है और उच्चतर भाड़ा दर वहन नहीं कर सकती है चाहे इसका इस्तेमाल औद्योगिक प्रयोजनों के लिए हो रहा हो। किसी पण्य का दोहरा वर्गीकरण भी लागू करना कठिन होता है क्योंकि निम्नतर वर्गीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए बेईमान परेषकों द्वारा गलत घोषणा किए जाने की संभावना होती है।

विदेशी पर्यटकों को ठगा जाना

5908. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 26 फरवरी, 2001 के 'द डेल्ही टाइम्स' में यथा प्रकाशित प्रतिष्ठित पांच सितारा होटलों में बुकिंग होने के बावजूद दिल्ली आने वाले पर्यटकों को ठगने और लूटने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(ग) इस संबंध में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य किसी उपयुक्त प्राधिकारी के माध्यम से किसी एजेन्सी या व्यक्ति से प्राप्त शिकायत को दूर करने हेतु उसकी जांच करती है।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय ने पहले ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित राज्य सरकारों को निवारक विधान एवं पर्यटक पुलिस के संबंध में लिखा है। कुछ राज्य सरकारों ने इस जोखिम से निपटने के लिए पहले ही ऐसे विधान अधिनियमित कर दिए हैं और पर्यटक पुलिस गठित कर ली है।

राष्ट्रीय जलमार्ग प्रणाली के परीक्षण हेतु पोत चलाया जाना

5909. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के पास राष्ट्रीय जलमार्ग प्रणाली के परीक्षण हेतु कोई पोत है;

(ख) यदि हां, तो निगम के पास ऐसे पोतों की संख्या कितनी है और इन पोतों के अनुरक्षण पर प्रतिवर्ष कितनी लागत आती है;

(ग) क्या इन पोतों का प्रयोग रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं। परीक्षण के लिए कोई विशेष पोत नियत नहीं किया गया है। तथापि, किसी भी मार्ग पर परीक्षण वाणिज्यिक पोत द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय संग्रहालय का कार्यकरण

5910. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय ने आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है और अधिक संख्या में दीर्घाएं बनाने के लिए परस्पर सम्पर्कशील और साइबर-अनुकूल पहल की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय संग्रहालय की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय संग्रहालय और अन्य महत्वपूर्ण संग्रहालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित है और गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनके लिए कितनी निधियां आबंटित की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी हां।

(ख) हड़प्पा दीर्घा का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। भारतीय लघु चित्र, मुद्राशास्त्र, पाण्डुलिपियाँ तथा केन्द्रीय एशियाई दीर्घाओं के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। आधुनिकीकरण प्रक्रिया में नवीन सूचना प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में "ए ए" तथा 'ए' कोटि की वस्तुओं के कम्प्यूटरीकृत अभिलेखन कार्य पूरा हो चुका है तथा एक वेबसाइट खोला गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय संग्रहालय में सांस्कृतिक वस्तुओं का एक उत्कृष्ट संग्रह है जो बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों को आकृष्ट करता है।

(ङ) सभी संग्रहालय दीर्घाओं के आधुनिकीकरण, प्रदर्शनियों के आयोजन, संरक्षण व अभिलेखन में सुधार। आवंटित की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है।

(लाख रु. में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	638.00	805.00	900.00	1050.00
भारतीय संग्रहालय, कोलकता	449.00	585.00	677.51	780.00
सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	541.00	477.10	635.00	740.00
इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद	96.05	87.00	120.00	178.00

तेल समन्वय समिति द्वारा गठित प्रवर्तनशाला के कर्तव्य

5911. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल पंपो, तेल निगम टर्मिनलों और कार्यालयों में कदाचारों और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए पेट्रोलियम नियामक प्राधिकरण की तेल समन्वय समिति में नवगठित प्रवर्तन शाला के कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेवारियां क्या-क्या हैं;

(ख) इस शाला/विभाग की शक्तियों का दुरूपयोग रोकने के लिए बनाई गई आदर्श आचार संहिता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शाला/विभाग या सरकारी तेल कंपनियों के महाप्रबंधकों के निर्णयों के विरुद्ध अपील किस प्रकार की जा सकती है;

(घ) क्या उनके कार्यकरण पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस छूट के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का निरीक्षण करने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल समन्वय समिति में मिलावट-रोधी/सतर्कता कक्ष का गठन किया है। आवश्यक वस्तु अधिनिय, 1955 के तहत विशेष आदेशों का प्राख्यापन करके कक्ष को शक्तिप्रदत्त करने का प्रस्ताव है जिसमें रिकार्ड मांगने, परिसर में प्रवेश करने और नाफ्था, विलायक और मिट्टी तेल का विपथन रोकने, उत्पादों के नमूने लेने और इन्हें जब्त करने, नियंत्रणमुक्त उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के बारे में तेल कंपनियों/रिफाइनरियों (संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित) से सूचना एकत्र करने आदि से संबंधित शक्तियां होंगी। मिलावट-रोधी कक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सीधी निगरानी और नियंत्रण से काम करेगा।

बायो-वोल्टिन सेरीकल्चर टेक्नॉलोजी प्रोजेक्ट

5912. **श्री कोलूर बसवनागौड़:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) की सहायता से कर्नाटक और अन्य राज्यों में बायो वोल्टिन सेरीकल्चर टेक्नॉलॉजी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उक्त परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ग) उक्त परियोजना कौन-कौन से जिलों में चलाई जा रही है और इसके तहत अब तक राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हो चुके हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के तहत बायो-वोल्टिन सिल्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग व सहायता से सख्त व लाभदायक द्विफसलीय रेशमकीट प्रजातियों और वर्ष 1997 से कर्नाटक राज्य में उष्णकटिबंधी दशा में शहतूती बागान और रेशम कीट पालन प्रौद्योगिकी के लिए प्रक्रियाओं के उपयुक्त पैकेज का विकास करने तथा उन्हें शुरू करने के लिए व्यावहारिक द्विफसलीय रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी (पीपीबीएसटी) के संवर्द्धन के लिए एक परियोजना क्रियान्वित कर रहा है तथा वर्ष 1999 से इस परियोजना को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। जेआईसीए जापान से केवल रेशम उत्पादन विशेषज्ञों, जापान में भारतीय रेशम उत्पादन विशेषज्ञों के प्रशिक्षण तथा साथ ही परियोजना के लिए जरूरी उपस्करों की भी व्यवस्था करता है तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। इसलिए खर्च की गई राशि के राज्यवार आंकड़े देना संभव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष 1997-98 से 2000-2001 (जून, 2000 तक) परियोजना पर 223.04 लाख रु. का कुल व्यय किया है।

(ग) परियोजना में कर्नाटक में मण्डपा, तुम्कर, चित्रदुर्गा और बंगलौर जिलों, तमिलनाडु में इरोड जिले तथा आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले का शामिल किया गया है तथा कर्नाटक में 103 किसानों तथा तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश में प्रत्येक में 19 किसानों को सीधे लाभान्वित किया है।

(घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्विफसलीय रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी को भारतीय परिस्थितियों में अपनाकर और विस्तार प्रक्रियाओं के सही सेट का पता लगा कर, क्षेत्र में अंतरित करने का कार्य कर रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के रेशम उत्पादन विभागों ने अपने-अपने राज्यों में द्विफसलीय रेशम उत्पादन को बढ़ाने और उसका विस्तार करने की व्यापक योजनाएं बनाई हैं। आशा है कि द्विफसलीय प्रजातियों के वाणिज्यिक प्रयोग से देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन होने लगेगा।

[हिन्दी]

केदारनाथ यात्रियों को राजसहायता

5913. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हज यात्रियों की तरह केदारनाथ यात्रियों को किसी प्रकार की राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान सहित तीर्थ केन्द्रों का विकास करना मुख्तया संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को तीर्थ केन्द्रों पर पर्यटन अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर उनसे विचार-विमर्श करके विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

तलाक के मामले

5914. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश की विभिन्न अदालतों में विभिन्न पर्सनल-लॉ के तहत राज्यवार तलाक के कितने मामले दर्ज हुए;

(ख) क्या तलाक के मामलों में अत्यधिक बढ़ोतरी तलाकशुदा और परित्यक्त पत्नियों के भरण-पोषण से संबंधित अपर्याप्त उपबंधों के कारण हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो कानून को अद्यतन और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) मंत्रालय में ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) महिलाओं से संबंधित अनेक विधानों को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है उनमें संशोधन किए जाते हैं। भरण-पोषण की सीमा हटाने और अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाहियों के खर्च के लिए उपबंध करने तथा अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे के लिए आवेदन को जहां तक संभव हो, सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटान के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विवाह-विच्छेद के आधारों में लिंगभेद (भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10) को दूर करने के लिए विधायी विभाग ने एक विधेयक अर्थात् भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित किया है, जो समीक्षा किए जाने और रिपोर्ट देने के लिए विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के समक्ष लंबित है।

[हिन्दी]

आपदा राहत कोष

5915. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपदा राहत कोष के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र राज्य की सरकार को धन, उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आपदा राहत कोष के अंतर्गत राज्यों को धन जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के लिए आपदा राहत कोष (आ.रा.को.) से महाराष्ट्र को 117.90 करोड़ रुपये का संपूर्ण केन्द्रीय अंशदान निर्मुक्त कर दिया गया है।

(ग) राज्यों को वर्ष 2000-2005 के लिए आपदा राहत कोष के अंतर्गत वार्षिक आबंटन ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किया गया है, जिसमें केन्द्र तथा संबंधित राज्यों द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान किया जाना है।

[अनुवाद]

राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट

5916. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री सुनील खां:
श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल पुनर्गठन संबंधी डा. राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट को पुन: लागू करने और अंतरिम रिपोर्ट की विस्तृत जांच का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में वित्त की व्यवस्था मुख्य बाधा है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने हाल ही में रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु निधियां जुटाने के लिए नई नीतियां तैयार करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) डॉ. राकेश मोहन को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है। राकेश मोहन समिति द्वारा अन्तरिम कार्यकारी सार में प्रस्तुत विभिन्न सिफारिशों की इस मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) वित्त की उपलब्धता रेलवे परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में से एक है। रेलों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) सामान्य राजकोष से बढ़ी हुई बजटीय सहायता प्राप्त करना।

(ii) राजस्व के गैर-परम्परागत स्त्रोतों यथा भूमि का वाणिज्यिक दोहन, आप्टिकल फाइबर केबलों को बिछाने के लिए मार्गधिकार को पट्टे पर देना, वाणिज्यिक प्रचार आदि का दोहन।

(iii) विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/निजी क्षेत्र के संगठनों की वित्तीय भागीदारी की व्यवस्था करना।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लिए विज्ञापन प्रक्रिया

5917. **श्री रामशकल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसी के लिए विज्ञापन प्रकाशन प्रक्रिया से संबंधित कोई नीति तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रिब्यूटरों के चयन के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए है:

> "विपणन योजना में सम्मिलित स्थानों को दो समाचार पत्रों में उपयुक्त श्रेणी में अंतर्गत विज्ञापित किया जाएगा। इन समाचार पत्रों में एक अंग्रेजी दैनिक और एक उस जिले में अधिकतम परिचालन वाला क्षेत्रीय भाषा का दैनिक समाचार पत्र होगा जिसमें उक्त डीलरशीप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थित हो।

आवेदकों को अपने आवेदन पत्र भेजने के लिए न्यूनतम 45 दिन की अवधि का नोटिस दिया जाएगा और आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख कोई कार्य दिवस होना चाहिए।

विज्ञापन की एक प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्र में स्थित सभी तेल कंपनियों के सभी डिपुओं/प्रतिष्ठानों/अंचलीय/मंडलीय कार्यालयों को परिचालित की जाएगी जिसे उनके द्वारा अपने सूचना पटों पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये प्रतिलिपियां संबंधित जिले में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/संसद सदस्य संबंधित राज्य के राज्य सैनिक बोर्ड (आर एस बी) और "रक्षा कार्मिक (डी सी)" के लिए डी जी आर को भी भेजी जाएगी। "रोजगार समाचार" में विज्ञापन को प्रकाशित कराने और आकाशवाणी/दूरदर्शन के माध्यम से इसके प्रसारण के प्रयास भी किए जाएंगे।

[अनुवाद]

एनटीपीसी टावर का गिरना

5918. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 30 मार्च, 2001 को 'द पायनियर' में यथा-प्रकाशित विशाखापत्तनम के निकट पारवाड़ स्थित एनटीपीसी के कूलेंट टावर के गिरने से कुछ व्यक्ति हताहत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई प्राथमिक जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके फलस्वरूप एनटीपीसी को कितना नुकसान हुआ; और

(ङ) एनटीपीसी ने पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन की सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना के शीतलन टावरों का निर्माण कार्य मै. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी), जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा टर्न-की संविदा के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। सामग्री की ढुलाई को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया अस्थायी मार्ग स्केफोल्डिंग पाइपों का बना हुआ था जो 165 मीटर ऊंचा था। यह अस्थायी स्केफोल्डिंग मार्ग 28.3.2001 की रात को लगभग 10.30 बजे गिर गया जिसके कारण मै. एनबीसीसी के उप ठेकेदार के छ: व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हो गए तथा एक व्यक्ति का किंग जार्ज हस्तपाल, विशाखापटनम में ईलाज चल रहा है और वह पहले से बेहतर है।

(ख) और (ग) दुर्घटना की जांच करने के लिए एनटीपीसी द्वारा एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है जो 15 मई, 2001 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

(घ) इस दुर्घटना के कारण एनटीपीसी को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

(ङ) दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवार को 2.50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि संविदात्मक एजेंसी मै. एनबीसीसी द्वारा दी जा रही है और इसके अलावा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का सांविधिक भुगतान लगभग 2 लाख रुपये बैठेगा। इसके अतिरिक्त, दाह-संस्कार के लिए प्रत्येक को 25000/- रुपये का भुगतान किया गया था। साथ ही, घायल व्यक्ति के चिकित्सा शुल्क का भुगतान भी मै. एनबीसीसी द्वारा किया जा रहा है।

चूंकि ऐसी दुर्घटना एनटीपीसी के परियोजना स्थलों में पहली बार हुई और इसमें प्रौद्योगिकी के विभिन्न मुद्दे शामिल हैं, इसलिए जांच समिति तथा मै. एनबीसीसी विभिन्न परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों इत्यादि के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे है और अपने तथ्यों को अंतिम रूप देने के लिए इसी प्रकार के ढांचों से संबंधित साहित्य/ आंकड़ों को भी देख रहे हैं। एनटीपीसी को भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृति से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गयी है।

माल ढुलाई में मात्रा आधारित छूट योजना

5919. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने मात्रा आधारित छूट योजना के तहत पहले आने वाले व्यक्तियों को अपनी महत्वकांक्षा माल ढुलाई विपणन पहल का लाभ देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या 2001-2002 के दौरान अनुपालन के लिए कोई दिशानिदेश तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे माल ढुलाई के लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी सहायता मिलेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) जी हां, एक विपणन नीति के रूप में वर्ष 2001-02 के लिए रेल उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निर्दिष्ट पण्यों में प्रतिबद्ध बढ़ते यातायात हेतु मात्रा आधारित छूट योजना पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

यह योजना 2001-02 की प्रत्येक छमाही अवधि के लिए अलग से परिचालित होगी। इस योजना में शामिल होने वाले पण्य निम्नानुसार हैं;

समूह-I सीमेंट, सीमेंट क्लिंकर लौहा अथवा इस्पात, ढलवां लोहा, लोहा अथवा इस्पात स्क्रैप, स्पंज लोहा, सोडा ऐश लाइट, सोडा बाइ-कार्बोनेट और चीनी।

समूह-II चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क, फेलस्पर ढेलों में जिप्सम और जिप्सम पाउडर - जब स्वदेशी स्त्रोतों से बुक हो।

प्रत्येक छमाही अवधि के लिए तलचिह्न पिछले तीन वर्षों की तदनुरूप अवधि के दौरान किए गए अधिकतम लगान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा केवल तलचिह्न स्तर से अधिक न्यूनतम 5 प्रतिशत बढ़ता यातायात प्रस्तुत करने वाली पार्टियां (प्रीमियर ग्राहकों को छोड़कर) ही मात्रा आधारित छूट योजना के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी जो प्रस्तुत किए गए समग्र बढ़ते यातायात के लिए देय होगा। यह छूट अर्हक मापदंड प्राप्त करते ही तत्काल देय है। यह छूट समूह-I के पण्यों के लिए 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की सीमा तक और समूह-II पण्यों के लिए 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की सीमा तक है। उन नई पार्टियों तथा प्रीमियर ग्राहकों के लिए विशेष छूट भी दी गई है जो अपना कुल 70 प्रतिशत प्रेषण रेल के लिए प्रस्तुत करते हैं।

इस स्तर पर कोई विशेष अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह योजना 2001-02 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लदान में वृद्धि करने में सहायता करेगी।

मानव संसाधन विकास

5920. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागवानी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास नाम की कोई नई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार को किसी प्रकार की सहायता की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। नौवी योजना के दौरान वर्ष 1999-2000 से योजना अवधि के लिए बागवानी में मानव संसाधन विकास पर 5 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की गई थी।

(ग) और (घ) जी हां। राज्य बागवानी विभाग के सेवारत कार्मिकों के लाभ हेतु 4 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु वर्ष 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 2.00 लाख रुपये की धनराशि मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा, वर्ष 1999-2000 के दौरान पर्यवेक्षकों और उद्यमियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए महात्मा फुले और विद्यापीठ, राहुरी को 14.00 लाख रुपये की धनराशि तथा मालियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ को 13.52 लाख रुपये की धनराशि मुहैया कराई गई थी।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में एल.पी.जी. एजेंसियां/पेट्रोल/डीजल पंप

5921. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में वर्ष 2000-2001 के दौरान जिलावार कितने नए डीजल/पेट्रोल पंपों और एल पी जी एजेंसियों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस समय गुजरात में चल रही गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए, पूर्ववर्ती विपणन् योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त गुजरात राज्य के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के लिए विपणन योजना 1999-2000 के अंतर्गत एक स्थान शामिल किया गया है तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए कोई स्थान शामिल नहीं किया गया है।

(ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में 1129 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 437 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थी।

[अनुवाद]

वीर्य बैंक

5922. श्री आनन्द राव विठोबा अडसुल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मवेशी तथा भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत देश में स्थापित किए गए वीर्य केन्द्रों/हिमीकृत वीर्य बैंकों की अवस्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में वीर्य केन्द्र या हिमीकृत वीर्य बैंक की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना अक्तूबर, 2000 में अनुमोदित की गई थी। इस योजना में राज्यों के मौजूदा स्पर्म केन्द्रों को उनकी कार्य प्रणाली के गहन विश्लेषण के आधार पर सुदृढ़ करने की व्यवस्था है। हरियाणा, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश राज्यों को परियोजना के तहत निधि प्रदान की गई है जो अपेक्षित विश्लेषण करने के बाद अपने वीर्य केन्द्रों को सुदृढ़ करेंगे।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र राज्य के पास पशुपालन विभाग के अधीन तीन, सहकारी क्षेत्र के अधीन एक तथा गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित दो अन्य स्पर्म केन्द्र हैं। इन छः स्पर्म केंन्द्रों के समुचित सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्विन्यास से राज्य की हिमित वीर्य आवश्यकता को पूरा करना संभव हो सकेगा तथा किसी नए स्पर्म केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, इस संबंध में आवश्यकता तथा सूक्ष्म स्तरीय नियोजन राज्य सरकार द्वारा करना होगा। राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस परियोजना के तहत राज्य सरकार का एक प्रस्ताव फरवरी, 2001 में प्राप्त हुआ था तथा राज्य से अनुरोध किया गया है कि वह योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव में संशोधन करे।

[हिन्दी]

समपारों पर दुर्घटनाएं

5923. श्री रामपाल सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार और जोनवार चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले समपारों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान अब तक जोनवार इन समपारों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए या घायल हुए;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदारों की तैनीती की गई;

(घ) क्या सरकार ने बिना चौकीदार वाले शेष समपारों पर चौकीदार की तैनाती के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) देश में 16313 चौकीदार वाले और 22346 बिना चौकीदार वाले समपार हैं। ये राज्यवार और जोनवार इस प्रकार है:-

राज्य	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले
असम	431	711
आंध्र प्रदेश	1214	1516
बिहार	1354	1864
दिल्ली	55	02
गुजरात	1491	2862
हरियाणा	550	378
हिमाचल प्रदेश	40	290
जम्मू और कश्मीर	17	34
कर्नाटक	632	947
केरल	409	313
मध्य प्रदेश	1323	1694
महाराष्ट्र	1159	1476
मणिपुर	1	1
मिजोरम	–	1
उड़ीसा	302	1157
पंजाब	763	1019
राजस्थान	1410	2115
तमिलनाडु	1227	1305
त्रिपुरा	–	19
उत्तर प्रदेश	2819	3138
पश्चिम बंगाल	1086	1491
चंडीगढ़	6	1
पांडिचेरी	9	9
गोवा	14	2
नागालैंड	1	1

राज्य	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले
जोनवार ब्यौरा		
मध्य	1857	1601
पूर्व	1282	1008
उत्तर	3261	4020
पूर्वोत्तर	1471	2657
पूर्वोत्तर सीमा	694	1334
दक्षिण	2131	2272
दक्षिण मध्य	1506	1944
दक्षिण पूर्व	1134	3504
पश्चिम	2977	4006

(ख) पिछले 1 वर्ष के दौरान चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं के आंकड़े आज तक जोनवार इस प्रकार हैं:-

रेलवे	समपारों पर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या				हताहत			
	2000-01 के दौरान		1.4.2001 से 15.4.2001 तक		2000-01 के दौरान		1.4.2001 से 15.4.2001 तक	
	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
मध्य	1	5	–	–	6	13	–	–
पूर्व	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर	6	25	–	–	51	56	–	–
पूर्वोत्तर	1	13	–	–	18	15	–	–
पूर्वोत्तर सीमा	–	5	–	1	15	9	–	3
दक्षिण	1	6	–	–	5	22	–	–
दक्षिण मध्य	1	12	–	1	24	18	4	–
दक्षिण पूर्व	–	5	–	–	12	19	–	–
पश्चिम	1	1	–	1	2	5	1	8
जोड़	11	72	कुछ नहीं	3	133	157	5	11

सभी आंकड़े अंनतिम हैं।

(ग) बिना चौकीदार वाले उन समपारों की संख्या जिन पर विगत तीन वर्षों के दौरान चौकीदार तैनात किए गए इस प्रकार हैं:

वर्ष	उन समपारों की संख्या जिन पर चौकीदार तैनात किए गए
1998-99	47
1999-2000	53
2000-01	165

(घ) और (ङ) नियमानुसार बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने की प्रारंभिक लागत संबंधित राज्य सरकार/ सड़क प्राधिकरण द्वारा वहन की जानी होती है और वार्षिक परिचालन तथा अनुरक्षण लागत रेलवे द्वारा वहन की जानी होती है। बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने जोखिम वाले समपारों पर अपनी लागत से चौकीदार तैनात करने का विनिश्चय किया है। 5 वर्षों की अवधि में 4449 ऐसे बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाने की योजना बनाई गई है। 1999-2000, 2000-01, 2001-02 के दौरान क्रमश: 686, 787 और 337 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

रेलवे ने अपनी लागत पर उतनी ही संख्या में चौकीदार तैनात करने का भी विनिश्चय किया है जितनी संख्या में माननीय संसद सदस्यों की सिफारिश पर एमपीएलएडीएस से निधि के माध्यम से चौकीदार तैनात किए जाएंगे।

[अनुवाद]

गुजरात के वस्त्र उद्योगों पर भूकंप का प्रभाव

5924. श्री जी.जे. जावीया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में हाल में आए भूकंप से कपड़ा मिलों को कितना नुकसान पहुंचा है;

(ख) इसके कारण कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या प्रभावित मिलों के पुनर्वास का कार्य किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य पर कितना खर्च किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के अनुसार, गुजरात में उनकी मिलों को भूकम्प के कारण लगभग 34.60 लाख रुपये की क्षति हुई है। इससे प्रभावित कर्मचारियों की संख्या 886 थी। यह रिपोर्ट है कि निजी क्षेत्र की मिलों में हुई हानि बहुत अधिक नहीं है।

(ग) से (ङ) वस्त्र मंत्रालय को भूकम्प क्षति से प्रभावित किसी भी मिल से पुनर्वासन सहायता के लिए कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सोयाबीन का समर्थन मूल्य

5925. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री कांति लाल भूरिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) क्या इस वर्ष सोयाबीन के समर्थन मूल्य की घोषणा राज्य सरकार के प्रस्ताव अनुसार किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया कि वर्ष 2001-2002 हेतु सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य सोयाबीन (काला) के लिए 850/- रु. प्रति क्विंटल तथा सोयाबीन (पीला) का 1025/- रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए।

कृषि लागत और मूल्य आयोग ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है तथा शीघ्र ही आने वाली वर्ष 2001-2002 की खरीफ रिपोर्ट में इस पर निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

5926. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के अंतर्गत लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अब तक सहकारी क्षेत्र की विभिन्न कृषि-प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए/दिए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) द्वारा क्रियान्वित स्कीमें संलग्न विवरण-I दर्शायी गयी हैं।

(ख) सहकारी क्षेत्र में विभिन्न कृषि-प्रसंस्करण परियोजनाओं को पिछले तीन वर्ष के दौरान अद्यतन राज्यवार संस्वीकृत/जारी ऋणों का विवरण संलग्न विवरण II तथा III में दिया गया है।

विवरण-I

एन.सी.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली स्कीमों का विवरण

(क) केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

1. सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण एवं भंडारण कार्यक्रम को सहायता।
2. सहकारी चीनी मिलों में शेयर पूंजी भागीदारी।
3. सहकारी कताई मिलों (उत्पादक) में शेयर पूंजी भागीदारी।
4. सहकारी कताई मिल (बुनकर) में शेयर पूंजी भागीदारी।

5. बिहार में यूरोपीय आर्थिक सहायता प्राप्त ग्रामीण विकास केन्द्र।
6. केरल में यूरोपीय आर्थिक सहायता प्राप्त नारियल विकास परियोजना।
7. नैफेड के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता।
8. चुने हुए जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं (आई सी डी पी) (राजसहायता)।
9. चीनी विकास निधि।

(ख) निगम प्रायोजित स्कीमें

1. एम ए आर के एफ ई टी को मार्जिन मनी।
2. प्राथमिक/जिला स्तर की विपणन सोसाइटी के शेयर पूंजी आधार को मजबूत करना
3. चीनी, कताई मिलों, पावरलूम और अन्य सहकारी प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता
4. सहकारी भंडारों/शीत भंडारों को सहायता
5. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण और छात्र उपभोक्ता भंडारों के लिए सहायता
6. कृषि सेवाओं के लिए सहायता
7. समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं (राज सहायता)
8. मत्स्यपालन, डेयरी, मुर्गीपालन, जनजातीय सहकारी समितियों, अनुसूचित जाति सहकारी समितियों, हस्तकरघा, नारियल और रेशम उत्पादन हेतु कमजोर वर्गों को सहायता
9. कम्प्यूटर एवं उपकरण वित्तपोषण हेतु वित्तीय सहायता
10. सवंर्धनात्मक एवं विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता

विवरण-II

कृषि प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए एन.सी.डी.सी. द्वारा 1998-99 से 2000-2001 तक राज्यवार संस्वीकृत निधियों का ब्यौरा

(लाख रु.)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	–	833.00	–
असम	–	11.300	–
बिहार	–	43.730	20.000
गुजरात	1799.600	790.00	45.500
हिमाचल प्रदेश	3.000	28.750	–
कर्नाटक	1947.425	6448.380	4730.180
केरल	1588.480	630.910	2602.900
मध्य प्रदेश	899.125	1403.290	695.200
महाराष्ट्र	5802.650	10583.810	24074.500
मणिपुर	4.500	6.230	–
नागालैन्ड	9.605	2.500	–
तमिलनाडु	423.000	–	–
उत्तर प्रदेश	4562.900	–	–
पश्चिम बंगाल	10.545	100.000	397.600
कुल	17050.830	20881.900	32565.880

विवरण-III

कृषि प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए एन.सी.डी.सी. द्वारा 1998-99 से 2000-2001 तक राज्यवार निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रु.)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	–	–	391.525
गुजरात	119.280	34.250	366.725
हिमाचल प्रदेश	–	5.000	–
कर्नाटक	1300.734	2590.255	5661.425
केरल	910.779	1074.525	2743.970
मध्य प्रदेश	988.445	915.915	880.375
महाराष्ट्र	7485.593	11031.880	21570.342

1	2	3	4
नागालैन्ड	22.560	–	43.180
राजस्थान	1000.000	–	–
तमिलनाडु	58.254	65.040	8.089
उत्तर प्रदेश	10760.980	3010.520	781.900
पश्चिम बंगाल	168.400	21.219	392.489
कुल	22815.025	18748.604	32840.020

सघन कपास विकास कार्यक्रम

5927. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:**
श्री के. येरननायडू:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सघन कपास विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इसके कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या उपलब्धियां रही है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में इस कार्यक्रम की भावी योजनाएं क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सरकार कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए आंध्र प्रदेश सहित कपास की खेती वाले राज्यों में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के उप मिशन-II के अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि का पैटर्न भारत सरकार तथा कार्यान्वयन करने वाले राज्यों क बीच अधिकांशत: 75:25 के आधार पर है। इस स्कीम के अंतर्गत खेत पर प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण, समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन तथा किसानों एवं विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण आदानों के उपयोग जैसे नई किस्मों के डीलिन्टेड बीजों, छिड़काव यंत्रों, फैरोमोन ट्रैप्स, जैव एजेन्टों, छिडकाव/टपका सिंचाई प्रणाली आदि के लिए सहायता दी जाती है।

आंध्र प्रदेश में विगत दो वर्षों अर्थात वर्ष 1999-2000 तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान इस स्कीम के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत वास्तविक प्रगति का ब्यौरा निम्नवत् है:-

घटक	1999-2000		2000-2001 (फरवरी, 2001 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
खेत पर प्रदर्शन (हेक्टेयर)	5640	5584	3360	3968
किसानों को प्रशिक्षण (संख्या)	200	166	460	277
आई पी एम प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण (संख्या)	126	120	125	106
छिड़काव यंत्रों/डस्टरों की आपूर्ति (संख्या)	2500	2386	2736	299
जैव एजेन्टों का वितरण (हेक्टेयर)	–	–	3000	281
प्रमाणित बीजों का वितरण (क्विंटल)	–	–	300	शून्य

इस स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में भावी कार्यक्रम यह है कि वर्ष 2001-2002 के दौरान भी इसे जारी रखा जाएगा। इसके लिए 452.91 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं, जिसमें केन्द्रीय अंश के रूप में 347.18 लाख रुपये तथा राज्य के अंश के रूप में 105.73 लाख रुपये शामिल हैं।

कृषि तकनीकें

5928. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में धान की अधिक पैदावार के लिए सघन कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आबंटित की गई और प्रत्येक राज्य द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा है;

(घ) क्या देश में धान की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कम होता जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) देश में धान की खेती योग्य उपलब्ध भूमि और इसके लिए उपयोग की जा रही भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या धान के अधिक पैदावार वाले बीजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नई वैज्ञानिक विधियों को लागू किए जाने का प्रस्ताव हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। देश में विभिन्न पारिस्थितिक स्थितियों के लिए नई कृषि तकनीकों का विकास किया जाता है तथा किसानों द्वारा इन्हें अपनाए जाने की दृष्टि से किसानों के खेतों पर इनका अन्तरण विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, मिनिकिट कार्यक्रम तथा अग्रणी प्रदर्शन शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए मिनिकिट कार्यक्रम तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चावल प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत आबंटित धनराशि का ब्यौरा निम्नवत हैं:-

(लाख रुपये)

	वर्ष	
	1999-2000	2000-2001
1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रौद्योगिकी विकास	2387.00	2254.00
2. मिनिकिट कार्यक्रम	195.84	281.76
3. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चावल	3290.11	771.40 (वृहद प्रबंध को छोड़कर)

इसके अलावा, विभिन्न राज्यों को समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल; गेहूं तथा मोटा अनाज के अंतर्गत आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) से (च) जी नहीं। विगत चार वर्षों में धान के क्षेत्र का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष	क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)
1996-97	43.433
1997-98	43.446
1998-99	44.802
1999-2000	44.972

भूमि का उपयुक्तता तथा जल संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार धान की खेती पूरे देश में की जा रही है। धान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि का रुख देखा गया है।

(छ) और (ज) किसानों की समस्याओं के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में विचार-विमर्श हेतु प्रति वर्ष फसल मौसम से पूर्व कृषि एवं सहकारिता विभाग-भारतीय अनुसंधान परिषद पारस्परिक बैठकों (डी.ए.सी.-आई. सी. ए. आर. इन्टरफेस) का आयोजन किया जाता है और नई किस्मों तथा अपनाई जाने वाले प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। इन पारस्परिक बैठकों की सिफारिशों से सभी राज्यों को अवगत कराकर उन्हें अपनाने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा रबी तथा खरीफ मौसम से पूर्व कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कृषि उत्पादन आयुक्त तथा सचिव (कृषि) एवं तकनीकी अधिकारी भाग लेते हैं और फसल उत्पादन कार्यनीति तथा कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। राज्यों को उनकी कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त घटक एवं उत्पादन कार्यक्रम अपनाने की दृष्टि से उन्हें अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए 4 अक्टूबर, 2000 से फसल विकास स्कीमों का परस्पर विलय कर दिया गया है।

विवरण

समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं, समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल तथा समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटा अनाज हेतु विगत दो वर्षों के दौरान राज्यवार आबंटित धनराशि (भारत सरकार का अंश)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	आबंटित धनराशि (भारत सरकार का अंश)	
		1998-99	1999-2000
1	2	3	4
क. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं			
1.	हरियाणा	507.93	595.35
2.	हिमाचल प्रदेश	125.25	145.88

1	2	3	4
3.	जम्मू एवं कश्मीर	76.66	80.55
4.	पंजाब	422.33	557.33
5.	उत्तरी राजस्थान	73.35	87.74
6.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	955.58	965.70
	कुल	2,161.09	2,432.55

ख. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल

1.	आंध्र प्रदेश	760.20	700.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	40.00	70.00
3.	असम	141.53	250.00
4.	बिहार	471.00	350.00
5.	गोवा	24.71	25.00
6.	केरल	134.78	130.00
7.	मध्य प्रदेश	345.75	300.00
8.	मणिपुर	52.50	120.00
9.	मेघालय	37.50	70.00
10.	मिजोरम	30.01	60.00
11.	नागालैंड	60.00	100.00
12.	उड़ीसा	893.33	750.00
13.	तमिलनाडु	596.72	600.00
14.	त्रिपुरा	52.50	130.00
15.	उत्तर प्रदेश	1031.91	1000.00
16.	पश्चिम बंगाल	298.20	300.00
17.	पांडिचेरी	33.10	25.00
	कुल	5003.73	4980.00

ग. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटा अनाज

1.	गुजरात	266.48	217.35
2.	कर्नाटक	248.71	299.52
3.	मध्य प्रदेश	673.92	723.72
4.	महाराष्ट्र	760.65	722.30
5.	राजस्थान	772.39	1159.85
6.	सिक्किम	22.55	22.26
	कुल	2744.70	3145.00

[हिन्दी]

डी.एस.बी. द्वारा अनियमितताएं

5929. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री अधीर चौधरी:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री जोरा सिंह मान:
श्री राम शकल:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल.पी.जी. एजेंसियों और मिट्टी के तेल के बिक्री केन्द्रों के आबंटन के लिए उम्मीदवारों के चुनाव में अनियमितताओं के आरोप के कारण डी.एस.बी. को बुलाए जाने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकार ने डी.एस.बी. के कार्य को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा डी.सी.बी. के कार्यकरण में पारदर्शिता लाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एलपीजी

डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एसकेओ/एलडीओ डीलरशिपों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर सरकार ने निम्न डीलर चयन बोर्डों (डी.एस.बी.) द्वारा साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी है:

1. डीएसबी, पटना-IV
2. डीएसबी, हिमाचल प्रदेश
3. डीएसबी, गोवा
4. डीएसबी, जम्मू एंड कश्मीर
5. डीएसबी, जबलपुर-I
6. डीएसबी, जबलपुर-II
7. डीएसबी, रायपुर
8. डीएसबी, भोपाल-I
9. डीएसबी, भोपाल-II
10. डीएसबी, इलाहाबाद-I
11. डीएसबी, आगरा-I
12. डीएसबी, आगरा-II
13. डीएसबी, लखनऊ-I

डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और उन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाती है।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए विद्यमान दिशानिर्देशों में एक शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान है जिसके द्वारा संबंधित तेल कंपनी डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के विरुद्ध सभी शिकायतों के संबंध में जांच करती है। सूचीबद्ध उम्मीदवारों के विरुद्ध शिकायतों की जांच संबंधित तेल विपणन कंपनी के दो अधिकारियों द्वारा की जाती है। तेल विपणन कंपनी द्वारा जांच रिपोर्ट डीलर चयन बोर्ड को भेजी जाती है। डीलर चयन बोर्ड के अध्यक्ष अन्य सदस्यों के साथ परामर्श से उक्त शिकायत के संदर्भ में रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और तेल कंपनी द्वारा अनुपालनार्थ अपने निदेश/आदेश संसूचित करते हैं।

डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

उपरि-पुलों का निर्माण

5930. डा. बलिराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में महत्वपूर्ण और व्यस्त रेलवे समपारों पर उपरि-पुलों के निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इन उपरि-पुलों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाना है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) भीड़ वाले समपारों को ऊपरी/निचले सड़क पुलों द्वारा बदलने की योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है। रेलवे, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार, लागत भागीदारी के आधार पर उन भीड़ वाले समपारों, जो एक लाख या अधिक टी वी यू की यातायात सघनता (24 घंटों में समपार से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या से सड़क वाहनों की संख्या को गुणा करके प्राप्त टी वी यू एक इकाई) रखते हैं, को ऊपरी/निचले सड़क पुलों के बदलने पर विचार करती है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का ब्यौरा	मौजूदा स्थिति
1	2	3
1.	दिल्ली-गाजियाबाद खंड पर कि.मी. 8/14-16 पर विवेक बिहार के निकट समपार सं. 156बी के बदले सड़क निचला पुल।	प्रस्ताव योजना स्तर पर है। रेलवे ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया था। एमसीडी द्वारा पूर्वापेक्षाएं अर्थात् पहुंच मार्गों के लिए अनुमान, समपार बंद करने की वचनबद्धता, राज्य बजट में प्रावधान आदि पूरी कर लिए

1	2	3
		जाने के पश्चात् इस कार्य को लागत में भागीदारी के आधार पर रेल बजट में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।
2.	दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर पंखा रोड, दिल्ली में समपार सं. 13-ए के बदले सड़क ऊपरी पुल।	कार्य पूरक रेल बजट 2000-2001 में स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य की रूप रेखा और सार अनुमान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं।
3.	दिल्ली-सहारनपुर लाइन पर दिल्ली में समपार सं. 3 पर सड़क 63 पर सड़क ऊपरी पुल।	यह एक निक्षेप कार्य है क्योंकि राज्य सरकार समपार को बंद करने के लिए सहमत नहीं हुई है। 6 लेन वाले सड़क ऊपरी पुल के लिए कार्य की रूपरेखा अनुमोदित कर दी गई है और सार अनुमान स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं अनुमान स्वीकृत हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा शेष राशि, राज्य सरकार ने 1.88 करोड़ रुपये जमा करा दिए गए हैं, के पश्चात् रेलें कार्य के निष्पादन की कार्रवाई शुरू करेंगी।
4.	दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर पालम रेलवे स्टेशन के निकट कि. मी. 18.02 पर समपार संख्या 15-सी के बदले सड़क ऊपरी पुल।	इस कार्य का प्रस्ताव मूल रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर 1994 में किया गया था लेकिन इसे लंबित कर दिया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जुलाई, 2000 में सूचित किया है कि परियोजना पुन: शुरू कर दी गई है। रेलवे ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को अद्यतन सूचना फरवरी 2001 में प्रस्तुत कर दी थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निक्षेप शर्त पर कार्य करने के प्रस्ताव को आशोषित कर दिया है। मौजूदा समपार को खुला रखा है। संशोधित सार अनुमान तैयार कर लिए गए हैं और राज्य सरकार से सेंटेज प्रभार जमा कराने के लिए अनुरोध किया गया है जो अभी तक जमा नहीं कराया गया है।

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

5931. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई) ने राज्यवार कितनी मात्रा में कपास की खरीद की;

(ख) भारतीय कपास निगम ने इस संबंध में कितनी देय राशि का भुगतान किया है और कितनी राशि भुगतान के लिए बकाया है;

(ग) क्या कपास की इस खरीद से भारतीय कपास निगम को लाभ हुआ है या हानि हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घाटा, यदि हुआ हो, के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) भारतीय कपास निगम लि. (सी सी आई) द्वारा चालू मौसम 2000-2001 (31.3.2001 तक) के दौरान खरीदी गयी कपास की राज्य वार मात्रा निम्नानुसार है:-

राज्य	मात्रा गांठ में प्रत्येक गांठ में 170 किग्रा.
1	2
पंजाब	62,084
हरियाणा	34,409
राजस्थान	1,21,961
गुजरात	1,49,130
मध्य प्रदेश	62,504
आंध्र प्रदेश	1,88,622

1	2
कर्नाटक	22,629
तमिलनाडु	2,780
महाराष्ट्र*	22,292
अन्य	5,240
कुल	6,71,751

* भारतीय कपास निगम राज्य में राज्य सरकार की कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना लागू होने के कारण प्रचालन कार्य नहीं करता है। तथापि, भारतीय कपास निगम ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघ से 22,292 तैयार गांठों की खरीददारी की है।

(ख) भारतीय कपास निगम ने कपास की खरीद (उपरोक्त अनुसार) के लिए 737.51 करोड़ रु. अदा किए हैं तथा इस संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय कपास निगम को इस संबंध में 15 करोड़ (अंतिम) का व्यापार लाभ हुआ।

उच्चतम न्यायालय में लंबित चुनाव याचिकाएं

5932. **श्री रामानन्द सिंह:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय में कितनी चुनाव संबंधी याचिकाएं लंबित हैं;

(ख) इनमें से कितनी याचिकाएं एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं; और

(ग) इन लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष 28 निर्वाचन याचिकाएं/अपीलें लंबित हैं। इनमें से तीन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

(ग) निर्वाचन अपील, न्यायालय के समक्ष शीघ्रपूर्वक सूची में रखी जाती है और न्यायालय भी ऐसे मामलों को सम्यक् पुर्विकता देता है।

[अनुवाद]

इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा धरोहर स्थलों का विकास

5933. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री शिवाजी माने:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री राजो सिंह:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 2001 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पांच धरोहर स्थलों को विकसित किये जाने के संबंध में इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार/राज्यवार इन धरोहर स्थलों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) विकसित किये जाने के लिए धरोहर स्थलों के चुनाव संबंधी क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान चुने गये धरोहर स्थलों में से प्रत्येक स्थल पर कितना व्यय किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या विकास करने वाले प्राधिकरणों को इन स्मारकों के सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इनका विकास किये जाने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा भविष्य में विकास के लिये अपनाई जाने वाले अन्य धरोहर स्थलों का स्थानवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित पांच स्थलों को विकसित करने के लिए भारतीय तेल प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं:-

(i) कुतुब मीनार, नई दिल्ली

(ii) सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा

(iii) चट्टान काट कर बनाई गई कन्हेरी गुफाएं, महाराष्ट्र

(iv) स्मारक समूह, हम्पी, बेल्लारी, कर्नाटक

(v) मंदिर समूह, खजुराहो, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश

(ग) बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण स्मारक जिन्हें अनिवार्य पर्यटक सुविधाओं की आवश्यकता है, की पहचान समग्र विकास के लिए की गई है।

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान चुने हुए पांच स्थलों के समग्र विकास के लिए 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि उद्दिष्ट की गई है।

(ङ) और (च) स्थलों के उन्नयन में निहित गतिविधियों में किसी भी रूप में स्थलों की ऐतिहासिक अखंडता से समझौता नहीं किया जाएगा।

(छ) आगे के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सरकार का मितव्ययिता अभियान

5934. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सरकार के मितव्ययिता अभियान के अंतर्गत व्ययों में कटौती संबंधी अनुदेशों का पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2000-2001 के दौरान क्या परिणाम हासिल हुए; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी हां। तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता उपायों का पालन किया है और अधिकतम बचत करने का प्रयास किया है। अधिकांश लागत कच्ची सामग्री की लागत (कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का मूल्य) और शुल्क और करों, मूल्यह्रास, वित्तपोषण लागत आदि से संबंधित है जिन पर उनका बहुत कम नियंत्रण होता है। नियंत्रण योग्य लागत कुल लागत की केवल लगभग 4 से 5 प्रतिशत होती है।

विभिन्न मितव्ययिता उपाय अपनाने के परिणामस्वरूप गैर-योजना व्यय में कमी करने, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए संसाधन जुटाने, ऊर्जा संरक्षण, निवेश लागत में कमी करने, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य उपायों के साथ-साथ लागत में कमी करने के विभिन्न उपाय अपनाना, उद्यम मरम्मत और रखरखाव की लागत में कमी करना आदि सम्मिलित हैं।

रोगियों के लिये तुरन्त आरक्षण

5935. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदराज के इलाकों के ऐसे रोगियों को तत्काल आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है जो दो परिचालकों या संबंधियों के साथ हो और जिन्हें बड़े शहरों में उच्च-तकनीक वाले अस्पतालों में तुरन्त इलाज की आवश्यकता हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके समर्थन में उपेक्षित दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) ऐसे अनुदेश मौजूद हैं कि जब कभी ऐसे रोगियों से अनुरोध प्राप्त होते हैं जिन्हें केंसर के उपचार और अन्य खतरनाक बीमारियों की जांच करने के लिए यात्रा करना अपेक्षित है और जिसे बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण यात्रा को टाला नहीं जा सकता है तो आपातकालीन कोटा नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे अनुरोधों का ध्यान रखना चाहिए और यात्रा की वास्तविकता से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद उन्हें उचित सीमा तक स्थान देना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे यात्री जिसमें किसी आकस्मिक कार्य के लिए अल्प समय में यात्रा करनी पड़ती है। वह तत्काल योजना के तहत आरक्षण प्राप्त कर सकता है जो कि समस्त भारतीय रेलों पर लगभग 100 महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में उपलब्ध हैं।

कृषि समायोजन निधि

5936. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कृषि समायोजन निधि की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से 550 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) प्रतिस्पर्धा और गुण ग्राहकों की अन्तर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिये दूसरे और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कृषि और सहकारिता विभाग को पंजाब सरकार से कृषि समायोजन निधि के सृजन के लिए 550 करोड़ रुपये का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय पोत-परिवहन नीति

5937. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोत-परिवहन और पोत-निर्माण नीति तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पोत परिवहन उद्योग के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार ने 1997 में एक राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति का गठन किया था। समिति ने कुल 31 सिफारिशें की थीं जिनकी मंत्रालय द्वारा गठित एक अधिकार-प्राप्त समिति ने जांच की थी। अधिकार-प्राप्त समिति ने 26 सिफारिशों को स्वीकार करने की संस्तुति की और इनमें से 18 सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। शेष सिफारिशें मुख्य रूप से नौवहन उद्योग को राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन देने से संबंधित हैं और इस समय वित्त मंत्रालय के परामर्श से निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है:-

(i) भारतीय नाविकों को कर राहत देना।

(ii) तटीय नौवहन को अवसंरचना का दर्जा देना।

(iii) कारपोरेट कर के बदले में टनभार कर आरंभ करना।

जहाज निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा गठित की गई जहाज निर्माण संबंधी शीर्ष समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर ली गई है और उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में भूकंप के कारण नुकसान

5938. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में हाल में आए भूकंप के कारण कांडला पत्तन को कितनी हानि हुई है, और

(ख) पत्तन की सभी क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण करके उन्हें उनके मूलरूप में लाए जाने के लिये और भूकम्प पीड़ितों के लिये कितनी सहायता राशि भेजी गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) गुजरात में 26 जनवरी, 2001 को आए हाल के भूकम्प से कांडला पत्तन न्यास को 50 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है।

(ख) भूकम्प से प्रभावित कांडला, गांधीधाम और आदिपुर क्षेत्रों में राहत और पुनरुद्धार कार्य करने के लिए कांडला पत्तन न्यास सहित सभी महापत्तनों, नौवहन लाइनों और पत्तन प्रयोक्ताओं के वित्तीय योगदान से एक न्यास की स्थापना की गई है।

कृषि संबंधी सुधार

5939. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सभी राज्यों में कृषि उत्पादों के संचलन, भंडारण, वायदा व्यापार, निर्यात और प्रसंस्करण से सभी प्रकार के नियंत्रण हटाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि संबंधी सुधारों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) कृषि माल में वायदा व्यापार (फारवार्ड ट्रेडिंग) पर सभी नियंत्रणों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 की समीक्षा करने और खाद्यान्नों और कृषि उत्पाद से मुक्त अंतरराज्यीय संचलन तथा साथ ही ऐसी जिंसों के भंडारण और स्टाकिंग पर लगाये गये कुछ प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव हैं। यह उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य घोषित जिंसों की सूची की समीक्षा करेगी और उसकी संख्या न्यूनतम करेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक अनुदेश जारी करेगा।

[हिन्दी]

तम्बाकू उगाने वाले किसान

5940. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू नीति के कारण तम्बाकू की खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों द्वारा कोई वैकल्पिक फसल उगाए जाने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) पिछले कई वर्षों से तम्बाकू का क्षेत्र लगभग स्थिर रहा है जो नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है:-

वर्ष	क्षेत्र कवरेज (मिलियन हेक्टेयर)
1970-71	0.45
1980-81	0.45
1990-91	0.41
1996-97	0.43
1997-98	0.46
1998-99	0.46

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तम्बाकू किसान तम्बाकू की खेती कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान प्रणाली द्वारा तम्बाकू की फसल के प्रतिस्थापन के लिए लिए सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र हेतु सुझाई गई वैकल्पिक फसलों का ब्यौरा नीचे दिया गया:-

(i) **सिंचित क्षेत्र**

आयलपाम, गन्ना, मूंगफली, कपास, मिर्च, मक्का, प्याज, ककड़ी, सब्जियां, काला चना, मूंग, सरसों, रागी, अरण्ड-मूंगफली, कपास-मूंगफली, अरहर-मूंगफली, धान-सरसों, आलू, अदरक-गेंहू, टमाटर, भिण्डी, पत्तागोभी, फूलगोभी, लहसुन, टमाटर, बैंगन तथा दलहन, तुअर, हल्दी।

(ii) **असिंचित क्षेत्र**

सॉरघम, सरसों, मूंग, धनिया, कपास, बंगालचना, कालाचना, मूंग, सोयाबीन, तुअर, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, मक्का, बाजरा, अरण्ड आदि।

कृषि पारिस्थितिकीय उपयुक्तता एवं किफायती लागत पर लाभ मिलने के कारण किसान तम्बाकू के स्थान पर उक्त फसलों की खेती को नहीं अपना रहे हैं।

[अनुवाद]

छत्तीसगढ़ में विद्युत संयंत्र

5941. **श्री पी.आर. खुंटे:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने को वरीयता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान नवगठित छत्तीसगढ़ में राज्य में कोई नया विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस राज्य को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) विद्युत संयंत्रों के स्थान एवं प्रकार का निर्धारण विद्युत मांग, न्यूनतम लागत विकल्प अध्ययन, इंधन उपलब्धता, ढ़ांचागत सुविधाओं की उपलब्धता, जल उपलब्धता, विद्युत अवशोषण क्षमता आदि के आधार पर किया जाता है।

(ग) से (ङ) सी. ई. ए. द्वारा हाल में नव-निर्मित राज्य छत्तीसगढ़ में स्वीकृत विद्युत संयंत्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परियोजना का नाम	क्षमता	तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की तारीख	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
निजी क्षेत्र			
कोरबा (पूर्व) टीपीएस, जिला-बिलासपुर	5×535	30.12.1996	यू-1 वित्तीय समापन से 41 महीने
			यू-2 वित्तीय समापन से 47 महीने
कोरबा (पश्चिम) टीपीपी जिला बिलासपुर	2×210	12.09.1997	यू-1 वित्तीय समापन से 33 महीने
			यू-2 वित्तीय समापन से 36 महीने
भिलाई टी.पी.एस., जिला-दुर्ग	2×287	03.10.1997	यू-1 वित्तीय समापन से 36 महीने
			यू-2 वित्तीय समापन से 39 महीने
रायगढ़ टी.पी.पी. जिला-रायगढ़	2×275	17.11.1997	यू-1 वित्तीय समापन से 36 महीने
			यू-2 वित्तीय समापन से 39 महीने
केन्द्रीय क्षेत्र			
सिपत एस.टी.पी.पी. स्टेशन-1 एन.टी.पी. सी. जिला-बिलासपुर	3×660	17.01.2000	यू-1 वित्तीय समापन से 62 महीने
			यू-2 वित्तीय समापन से 74 महीने
			यू-3 वित्तीय समापन से 86 महीने

परियोजना पर निर्माण कार्य अभी नहीं शुरू किया गया है।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ को पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से 498 मे.वा. विद्युत का आवंटन किया गया है।

[हिन्दी]

झारखंड में पशुओं की गणना

5942. श्री राम टहल चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में झारखंड में पशुओं की गिनती की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस समय पशुओं की विशेषकर दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है;

(ग) राज्य में संकर नस्ल के पशुओं की क्या स्थिति है; और

(घ) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पशुओं की संख्या बढ़ाने और इनकी नस्ल में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) झारखंड राज्य पहले बिहार राज्य का एक भाग था। वर्ष 1987 से अब तक बिहार राज्य द्वारा कोई पशुधन संगणना नहीं करायी गई है। तदनुसार पशुधन संगणना के आधार पर दुधारू पशुओं और संकर पशुओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार की नीति ने केवल पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने की रही है, ताकि प्रति पशु उत्पादन में वृद्धि की जा सके, अपितु यह देखने की भी रही है कि कम पशुओं से बढ़ा हुआ उत्पादन प्राप्त किया जा सके क्योंकि अधिक पशुओं को रखने के लिए भूमि की वाहक क्षमता पर्याप्त नहीं है। सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन और परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का अनुमोदन किया है, जिसका लक्ष्य दस वर्षों की अवधि में किसानों की गुणवत्ता प्रद प्रजनन आदानों का सुलभ वितरण तथा देश में गोपशु और भैंसों का आनुवांशिक सुधार करना है।

[अनुवाद]

पेट्रोल और डीजल की बरबादी के कारण हुए घाटे

5943. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बरबादी के कारण हुए वार्षिक घाटे का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की बरबादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल में वृद्धि को रोकने के लिए वर्ष 1990 में डा. माधव गोडबोले, तत्कालीन सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयीन कार्य दल (आईएमडब्ल्यूजी) स्थापित किया गया था। इस दल ने सभी क्षेत्रों के अंतर्गत तेल संरक्षण की संभाव्यता, पेट्रोल और डीजल की खपत समेत देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत की 20-30 प्रतिशत की सीमा तक होने का अनुमान किया था।

(ङ) पेट्रोल तथा डीजल की क्षति को रोकने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:-

(i) पेट्रोल तथा डीजल की क्षति को रोकने के लिए परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) के द्वारा नियमित क्रियाकलाप, जिनमें ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदर्श डिपो परियोजनाएं, उत्सर्जन रोक तथा जनजागरूकता कार्यक्रम एवं उच्च निष्पादन ल्यूब ऑयल का संवर्द्धन इत्यादि सम्मिलित हैं, चलाए जाते हैं।

(ii) अकुशल भारी वाहन इंजनों के कुशल इंजनों से प्रतिस्थापन हेतु तथा परिवहन गैराजों का उन्नयन करने हेतु उपकरणों तथा रख-रखाव उपस्कर की खरीद के लिए कम ब्याज पर ऋण योजनाएं प्रारंभ की गई।

(iii) परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत ईंधन खपत की कारगरता को सुधारने के विचार से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आरंभ की गई।

(iv) देश भर में व्यापक अभियान जैसे जन जागरुकता अभियान तथा तेल संरक्षण पखवाड़ा (ओसीएफ) आरंभ किए गए।

वस्त्र निर्यात का लक्ष्य

5944. **श्री चिंतामन वनगा:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न वस्त्रों के निर्यात के लिए देशवार और मदवार कितनी मात्रा में ओर कितने मूल्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र क्षेत्र में किसी क्षेत्र की पहचान की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) वार्षिक निर्यात लक्ष्य रूप में निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2001-2002 की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान वस्त्रों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

(यू एस मिलियन डॉलर)

क्र.सं.	मदें	लक्ष्य	
		2000-2001	2001-2002
1.	सिलेसिलाए परिधान	6500	7125
2.	सूती वस्त्र (क+ख)	4750	4800
	(क) सूती फैब्रिक व मेडअप्स (मिल द्वारा निर्मित/विद्युतकरघा) तथा सूती यार्न	4100	4250
	(ख) सूती फैब्रिक तथा मेड अप्स (हथकरघा)	650	550
3.	मानव निर्मित वस्त्र	1150	1500
4.	ऊन तथा ऊनी वस्त्र	315	350
5.	रेशम	330	430
6.	हस्तशिल्प (क+ख)	2250	2525
	(क) कालीन तथा अन्य फर्श आवरण	580	625
	(ख) अन्य हस्तशिल्प	1660	1900
7.	कायर	77	85
8.	पटसन	170	185
	कुल	15532	17000

(ग) सरकार द्वारा निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से की गयी कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं:-

1. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सरकार बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक स्पर्धी बन सके।

2. शुल्क की 5 प्रतिशत रिआयती दर पर निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) योजना के तहत पूंजीगत सामान के आयात की सुविधा प्रदान करना।

3. सरकार ने हाल ही में कपास प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की है। मौजूदा जिनिंग और प्रैसिंग फैक्ट्रियों के उन्नयन/आधुनिकीकरण द्वारा कपास प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करना मिशन के महत्वपूर्ण संघटकों में से एक है।

4. वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचल मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

5. पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हुए आयातक देशों की भूमंडलीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने वस्त्र व परिधान उद्योग को तैयार करना तथा संवेदी बनाना।

6. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाईन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

7. वस्त्र निर्यात में स्थिरता प्रदान करने तथा इसे जारी रखने व स्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए 2000-2094 की अवधि के लिए नई निर्यातक हकदारी (कोटा) नीतियां घोषित की गयी हैं।

8. वस्त्र उद्योग के सुसंगत तरीके से विकास और वृद्धि को सुव्यवस्थित करने तथा बनाए रखने तथा वस्त्र निर्यातों को थ्रस्ट देने के लिए तथा नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 की घोषणा की गयी है।

9. सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले-सिलाए परिधानों के बुनाई खंड को अनारक्षित कर दिया है।

10. बुनाई सहित वस्त्र क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन के संकल्प के लिए 10.4.2001 को वस्त्र क्षेत्र के प्रभारी राज्य मंत्रियों व सचिवों का एक सम्मेलन हुआ।

11. उत्कृष्टता समूहों अर्थात परिधान के उत्पादन व निर्यात के लिए अपैरल पार्क के सृजन के लिए वर्ष 2001-02 के बजट में 10 करोड़ रुपए की एक राशि निर्धारित की गयी है।

12. पिछड़े समूहों के प्रोत्साहन के मद्देनजर, शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत तक लाया गया है।

नारियल के संबंध में संगोष्ठी

5945. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2001 में नारियल कृषकों की एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्षद्वीप समूह, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया था;

(ग) इस संगोष्ठी में कौन-कौन से मुख्य विषयों पर चर्चा की गई; और

(घ) सरकार द्वारा देश में नारियल कृषकों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नालियल विकास बोर्ड ने कर्नाटक में 5 मार्च को तथा गोवा में 17 मार्च को नारियल पर दो संगोष्ठियां आयोजित की थीं, जिसमें क्रमश: कर्नाटक एवं गोवा के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बोर्ड ने 31 मार्च 2001 को कोचीन में केरा करषक संघम द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी को भी प्रायोजित किया। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप के अतिरिक्त केरल से बड़ी संख्या में किसानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) संगोष्ठी में मुख्यत: नारियल के उत्पादन एवं उत्पादकता संवर्धन कार्यनीतियों पर चर्चा हुई ताकि नारियल की खेती को किसानों के लिए लाभकर बनाया जा सके।

(घ) नारियल विकास बोर्ड 9वीं योजना के दौरान 105.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से, नारियल उत्पादन एवं उत्पादकता, उत्पाद विविधीकरण तथा उप-उत्पाद उपयोगिता संवर्धन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है:-

(i) पौध सामग्री का उत्पादन एवं वितरण;

(ii) नारियल क्षेत्रों का विस्तार;

(iii) उत्पादकता सुधार हेतु नारियल जोतों में समेकित कृषि;

(iv) प्रौद्योगिकी प्रदर्शन;

(v) विपणन संवर्धन एवं सांख्यिकी;

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी;

(vii) नारियल प्रसंस्करण हेतु मशीनरी के निर्माण एवं विकास/खेती/पौध संरक्षण के लिए सहायता अनुदान;

(viii) मानव संसाधन विकास एवं आकस्मिक निधि।

वर्ष 2000-2001 के दौरान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में नारियल के एरियोफाईड्माइ के नियंत्रण हेतु तथा आंध्र प्रदेश के सरिकाकुलम जिले में चक्रवात से प्रभावित नारियल वृक्षोरोपण की पुनरुद्धार हेतु 50.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई थी।

सरकार ने 2001 मौसम के लिए बाल कोपरा (अच्छी औसत गुणवत्ता) का 3550 रु./क्विंटल पर तथा मिलिंग कोपरा (अच्छी औसत गुणवत्ता) का 3300 रु./क्विंटल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित किया है। कोपरा की खरीद भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ समिति (नैफेड) द्वारा की जाती है।

हथकरघा क्षेत्र को विद्युतकरघा क्षेत्र से चुनौती

5946. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हथकरघा क्षेत्र को विद्युतकरघा क्षेत्र में मिलने वाली गंभीर चुनौती की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हथकरघा उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार को राजस्थान के हथकरघा बुनकरों से उनके सामने आने वाली समस्याओं/चुनौतियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को सहायता देने हेतु उठाये गये कदम निम्नलिखित हैं:-

- हथकरघा बुनकरों को उनकी क्षमता उन्नयन हेतु वस्त्र अथवा अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण देना।
- बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा तथा अच्छे कार्य के वातावरण के लिए व्यापक कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन जारी रहेगा।
- संसाधन एवं विकास (आर एंड डी) में डिजाइन निवेश, क्षमता उन्नयन तथा विपणन लिंकेज में प्रभावी सहायता पद्धति।
- हैंक यार्न बाध्यता आदेश का कार्यान्वयन
- हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन; तथा
- बुनकर सेवा केन्द्रों का समकाली प्रवाह के सामजस्य से निफ्ट तथा एन आई डी से क्रिया-कलापों तथा उनके उचित अनुरूप के साथ सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सुधार।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पनधारा विकास कोष

5947. श्री के. येरननायडू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'पनधारा विकास कोष' के अन्तर्गत 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इस योजना में आध्र प्रदेश के कौन-कौन से जिलों को शमिल किया गया है;

(ग) क्या राज्य के किसी अन्य जिले को इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है और आंध्र प्रदेश राज्य में अब तक क्या परिणाम प्राप्त किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्तमान में केन्द्रीय पनधारा विकास कोष संचालन समिति द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है तथा वर्ष 2001-2002 के लिए कोई धनराशि नहीं रखी गई है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित जिलों की पहचान की है:- (1) चित्तूर (2) मेड़क (3) वारंगल (4) रंगारेड्डी (5) सरीकाकुलम; तथा (6) करीमनगर

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पनधारा विकास कोष (प.वि.को.) नाबार्ड में 200 करोड़ रुपये के कुल कोरपस से स्थापित किया गया है जिसमें से 100 करोड़ रुपयों का कृषि मंत्रालय ने तथा शेष का नाबार्ड ने अंशदान किया है। केन्द्रीय संचालन समिति (के.स.स.) पनधारा विकास कोष का नीति निर्माणक निकाय है तथा इसकी अध्यक्षता सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा की जाती है। के.सं.स. के अन्य सदस्यों में केन्द्रीय मंत्रालयों-ग्रामीण विकास, पर्यावरण तथा वन, वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य के कुछ प्रतिनिधि शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में नाबार्ड ने अब तक दो जिलों में तीन क्षमता सृजक फेज परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है। सात और क्षमता सृजक परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन

5948. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने व्यवस्था को अवरूद्ध करते हुए अपनी बार से अन्य राज्यों अथवा क्षेत्रीय बार एसोसिएशनों के सदस्यों को वकालत करने से रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस भराई संयंत्र

5949. श्री रामदास आठवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के आम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी और दलित वर्ग बहुल्य क्षेत्रों में रसोई गैस भराई संयंत्रों का अनुपात कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए अथवा उठाये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) एलपीजी भरण संयंत्रों की स्थापना पैक्ड एलपीजी की मांग संभाव्यता पर विचार करने के बाद तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता आधार पर की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां विभिन्न बाजारों के लिए संभावित पैक्ड एलपीजी मांग का आकलन करती हैं और उसके बाद अतिरिक्त एलपीजी भरण क्षमता की स्थापना करने की आवश्यकता का पता लगाया जाता है। परिवहन मितव्ययताओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एलपीजी भरण संयंत्रों की स्थापना खपत केन्द्रों की समीपतर की जाती है।

भावी पैक्ड एलपीजी मांग पूरी करने के लिए तेल उद्योग द्वारा देश में भरण क्षमता 1.2.2001 की स्थिति के अनुसार 5341 टीएमटीपीए से बढ़ाकर 9वीं योजना के अंत (2001-2002) तक 8070 टीएमटीपीए करने की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

अलाभकारी रेल मार्ग

5950. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या रेल मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अलाभकारी मार्गों पर भी रेलगाड़ियां चलानी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अलाभकारी मार्गों की संख्या क्या है;

(ग) मार्च, 2001 के अंत तक उक्त मार्गों पर रेलगड़ियां चलाने से कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने अलाभकारी मार्गों को लाभकारी मार्गों से परिवर्तित करने के लिए हाल ही में कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेले कई अलाभप्रद लाइनों पर सामाजिक दायित्व के आधार गाड़ियां चलाती हैं।

(ख) 1999-2000 के वित्तीय परिणामों के अनुसार 110 लाइनों का आकलन अलाभप्रद लाइनों के रूप में किया गया है।

(ग) रेलों को 1999-2000 के दौरान इन लाइनों के संचालन पर 348 करोड़ रु. की हानि हुई. वर्ष 2000-2001 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) अपने परिचालनों के वाणिज्यिक पहलुओं के अलावा रेलों को सामाजिक सेवा दायित्व भी वहन करना होता है। किसी क्षेत्र विशेष में गाड़ियों का परिचालन सदैव वाणिज्यिक कारणों पर ही आधारित नहीं होता है। ऐसे अलाभप्रद क्षेत्रों में रेले कई किफायत उपाय शुरू कर रही हैं जिनमें कर्मचारियों और गाड़ी सेवाओं की संख्या में कमी करना और अवसंरचना में कमी करना शामिल है। ये उपाय हानि को यथासंभव कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

[हिन्दी]

वस्त्रों का निर्यात

5951. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'एपरेल' के उद्योग में कौन-कौन से उद्योग शामिल हैं तथा इसका क्षेत्रवार उत्पादन क्या है और इसके अंतर्गत कितनी इकाइयां पंजीकृत हैं;

(ख) विश्व वस्त्र व्यापार में भारत का हिस्सा कितना है;

(ग) विश्व वस्त्र व्यापार की तुलना में भारत के निर्यात का प्रतिशत कितना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान 'एपरेल' की कौन-कौन सी मुख्य वस्तुओं का देशवार निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) "अपरैल" उद्योग के क्षेत्रवार उत्पादन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि दिनांक 31 मार्च, 2001 को अवस्थिति अनुसार, अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) के पास पंजीकृत तथा सदस्य निर्यातकों की कुल संख्या 27,432 थी। विभिन्न केन्द्रों में ऐसे पंजीकृत एककों को वर्ष 1999 के दौरान परिषद द्वारा किए गए निर्यात प्रमाणीकरण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

	मात्रा (लाख पीस में)
दिल्ली	3503
मुंबई	3944
कलकत्ता	297
चेन्नई	1244
बंगलौर	624
जयपुर	252
तिरूपुर	3764
लुधियाना	321
कोचीन	95

(ख) और (ग) विश्व व्यापार संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 2001 के अनुसार, वर्ष 1999 के दौरान कुल वैश्विक क्लोदिंग व्यापार 186 बिलियन अमरीकी डॉलर था जिसमें से भारत का अंश 5.3 बिलियन अमरीकी डॉलर या 2.86 प्रतिशत है।

(घ) टी-शर्ट, महिलाओं के ब्लाउज, महिलाओं के वस्त्र महिलाओं की स्कर्ट, शार्ट आदि पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए अपैरल की प्रमुख मदें रही हैं। संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य, यू ए ई, भूतपूर्व सोवियत संघ के देश, जापान, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड आदि प्रमुख निर्यातक देश हैं।

पटना-दीघा लाइन पर रेल सेवा

5952. श्री अरुण कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों से पटना-दीघा लाइन पर कोई रेल सेवा उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त लाइन पर रेलगाड़ियां न चलाने की वजह से रेलवे को प्रति माह ढाई करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को संसद सदस्यों और मंत्रियों से उक्त रेल लाइन पर रेलगाड़ियां चलाने के संबंध में निवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त रेलवे लाइन को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) रेलवे प्रशासन को पटना-दीघा घाट खण्ड पर यात्री सेवाएं चलाने के कारण भारी वित्तीय हानि हुई, जिसके परिणामस्वरूप इस खण्ड पर यात्री सेवाओं को 1.4.1967 से बन्द करने के अलावा रेलवे के समक्ष कोई विकल्प नहीं था।

(ग) चूंकि इस लाइन को अलाभप्रद होने के कारण बंद किया गया था। इसलिए इसमें हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) पटना-दीघा घाट खण्ड पर यात्री गाड़ियों के चलने की व्यावहारिकता पर विस्तार से विचार किया गया था। रेलों द्वारा उठाए गए वित्तीय घाटे के अलावा पटना जं. और दीघा घाट के बीच रेलपथ के साथ-साथ बड़ी संख्या में अतिक्रमण किए गए हैं जिनके कारण इस खण्ड पर गाड़ियों का चलाना असम्भव है।

[अनुवाद]

उद्यम पूंजी कोष की स्थापना

5953. डा. वी. सरोजा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोष की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसको स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) उक्त कोष कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सरकार ने नवंबर, 2000 में राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 का अनुमोदन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभाशाली भारतीय डिजायनरों, प्रौद्योगिकीविदों, नवीनकारी बाजार नेताओं और ई-कॉमर्स उद्यमों को बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थानों के परामर्श व सह-भागिता से संयुक्त पूंजी निधि स्थापित करने की परिकल्पना है। इस योजना को तैयार किया जा रहा है और इसे 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की संभावना है।

कास्ट आयरन वाटर पाइपलाइन का गुम होना

5954. श्री नरेश पुगलिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 21 फरवरी, 2001 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार नवम्बर, 1999 में मध्य रेलवे के ठाकुरली विद्युत स्टेशन पर कास्ट आयरन वाटर पाइपलाइन का बहुत बड़ा भाग गुम हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पानी की इस पाइपलाइन के गुम होने की जांच के लिए जांच समिति गठित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और इसका क्या परिणाम निकला;

(च) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(छ) यदि नहीं, तो यह जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। नवम्बर, 1999 में मध्य रेलवे के बिजली घर से लगभग 928 मीट्रिक टन कास्ट आयरन वाली पानी की पाइलपाइनों के गायब होने की सूचना मिली थी। मार्च 1999 में मध्य रेलवे के ठाकुरली बिजली घर में स्क्रैप कास्ट आयरन पाइपलाइन की नीलामी की गई थी। मैसर्स हसन एण्ड कम्पनी को "जैसा है, जहां है के आधार पर" इसकी बिक्री की गई थी, पाइलपाइन को उखाड़ कर एकत्रित की गई सामग्री खरीददार द्वारा बिजली घर के परिसर में सुरक्षा रखी गई। बहरहाल, जब सुपुर्दगी दी गई, तो क्रेता ने यह कहते हुए धन वापसी की मांग की कि सामग्री कम है।

(ग) और (घ) जी हां। 8.8.2000 को तीन कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया गया था।

(ङ) से (छ) जांच समिति ने पाया कि स्टाक-धारक और सुपुर्दगी दल ने सामग्री का ठीक से हिसाब नहीं लगाया था और इस संबंध में उन्होंने आवश्यक सावधानी नहीं बरती। इस मामले की अब मध्य रेलवे की सतर्कता शाखा द्वारा जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

5955. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या जिला और सत्र न्यायाधीशों विशेषकर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए न्यायाधीशों ने इन सिफारिशों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन न्यायाधीशों ने अपने वेतनमानों और अन्य भत्तों में वृद्धि करने के लिए नया ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) न्यायिक अधिकारियों से संबंधित प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट, जिसमें उनकी सेवा-शर्तें भी सम्मिलित हैं, का संबंध मुख्य रूप से राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों से है। आयोग ने अपनी सिफारिशों केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को भेज दी हैं। इन सिफारिशों की जहां तक उनका संबंध केन्द्रीय सरकार से अर्थात् केवल संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, समीक्षा की जा रही हैं। उन सिफारिशों की जो राज्य सरकारों से संबंधित हैं, राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(घ) से (च) दि आल इंडिया डाइरेक्ट स्क्रूट्स हायर ज्यूडिशयल सर्विसेज एसोसिएशन (रजिस्ट्रीकृत) ने सितंबर 2000 में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। संगम ने उनके वेतनमानों, सीधी भर्ती के कोटा, ज्येष्ठता, आदि के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है।

तथापि, आयोग ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने और प्रस्तुत किए जाने के पूर्व विभिन्न, संगमों की उनकी मांगों/शिकायतों को आयोग के समक्ष रखने का सुनहरा अवसर दिया था। दि आल इंडिया डायरेक्ट स्क्रूट हायर ज्यूडीशियल सर्विस एसोसिएशन (रजिस्ट्रीकृत) को भी अन्य बातों के साथ तारीख 12.1.1999 को आयोग के समक्ष वैयक्तिक सुनवाई का अवसर दिया गया था।

चूंकि न्यायिक अधिकारियों से संबंधित मामला, जिसमें उनकी सेवा-शर्तें सम्मिलित हैं, का संबंध मुख्यता राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों से है, केवल संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों की केंद्रीय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। उच्चतम न्यायालय भी रिट याचिका सं. 1022/1989-आल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट में क्रियान्वयन को मानीटर कर रहा है।

तिलहनों से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन

5956. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलहनों, दालों और मक्का से संबंधित कोई प्रौद्योगिकी मिशन कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिशन के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। तिलहन/खाद्य तेलों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना वर्ष 1986 में की गई। तत्पश्चात् वर्ष 1990 में दलहन तथा 1995 में मक्का को इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत लाया गया।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के वर्ष अर्थात् 2001-2002 तक इन फसलों हेतु निर्धारित लक्ष्य निम्नवत हैं:-

मिलियन मी. टन

फसल	लक्ष्य
तिलहन	30.00
दलहन	16.50
मक्का	11.44

वर्ष 1998-99 इन फसलों के सर्वोच्च रिकार्ड स्तर प्राप्ति का सर्वोत्तम वर्ष था। इस वर्ष के दौरान तिलहन का 24.75 मिलियन मी. टन, दलहन का 14.91 मिलियन मी. टन तथा मक्का का 11.15 मिलियन मी टन उत्पादन हुआ। पिछले दो वर्षों, अर्थात् वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में कुछ राज्यों में सूखे के कारण मौसम की स्थितियां अनुकूल नहीं थीं जिसके कारण उत्पादन प्रभावित हुआ और वर्ष 1998-99 के दौरान उपलब्धि के स्तर से कुछ गिरावट आई। किन्तु तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के जरिये नौवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, बड़े पैमाने पर इन फसलों की खेती शुरू करने हेतु प्रेरित करने के लिए इन फसलों के उत्पादकों को विभिन्न आदानों पर राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है।

वृद्धि दर

5957. श्री महबूब जहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों के समक्ष आ रही विशिष्ट समस्याओं की दिशा में राज्यों की पूरक/अनुपूरक सहायता उपलब्ध कराने पर मेक्रो मैनेजमेन्ट स्कीम जिसे 27 योजनाओं को समन्वित करके बनाया गया है, का क्या प्रभाव पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान वृद्धि दर क्या रही ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कृषि विकास के लिए राज्यों की सहायता हेतु परम्परागत स्कीम परक प्रणाली के बजाय वृहत् प्रबंधन पद्धति अपनाने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम में कार्य योजनाओं के जरिये राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता के लिए 27 स्कीमों को एक स्कीम में मिलाने की परिकल्पना है जो राज्यों को उनके द्वारा सामना की जा रही विशिष्ठ समस्याओं का समाधान करने, विभिन्न स्कीमों के घटकों में परस्पर व्याप्ति से बचने के लिए लचीलापन प्रदान करेगा तथा इसका लक्ष्य कृषि का समग्र विकास करना है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बेहतर लक्ष्य के अलावा वृहत् प्रबंधन पद्धति के लाभ में निम्नलिखित शामिल होगा:-

(i) कृषि विकास के लिए योजना बनाने में स्थानीय जरुरतों/प्राथमिकताओं का प्रतिबिंबन।

(ii) अपर्याप्त संसाधनों का अधिकतम उपयोग।

(iii) लाभ को अधिकतम करना।

(iv) क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।

राज्यों को वृहत् प्रबंधन स्कीम के अन्तर्गत अपनी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान 378.88 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(ख) चूंकि वृहत् प्रबंधन स्कीम नवम्बर, 2000 में ही शुरू की गई थी इसलिए वृद्धि दर पर इस स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी जल्दबाजी होगी।

मूल संविदा को समाप्त किया जाना

5958. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1982-83 की अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद 15 (1) (vii) के तहत यह उल्लेख किया है कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण मूल संविदा को समाप्त करना पड़ा और परिणामस्वरूप ऊंची दरों पर एक नयी संविदा की गयी और रेलवे बोर्ड ने सभी विलंबों का पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता पर बल देते हुए हिदायतें जारी की लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक नयी संविदा तैयार की जिसके कारण 1.03 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 1999 की रिपोर्ट (रेलवे) के अध्याय 3: कार्य और संविदा प्रबंधन में उल्लेख किया है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने उक्त अध्याय में कौन-कौन से मुद्दे उठाये और सरकार की इस पर मुद्दावार क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जो हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पैरा सं.	विवरण	स्थिति और की गई कार्रवाई
3.3.8	अकुशल संविदा प्रबंधन के कारण हानि।	किसी व्यक्ति विशेष से कोई गलती नहीं हुई है। बहरहाल, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने अपने दिनाक 16.10.98 के परिपत्र के तहत सभी फील्ड इकाइयों को ठेकेदारों को रेलवे सामग्रियां जारी करने के लिए प्रक्रिया का अनुसरण करने की सलाह दी है। क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालय स्तर पर ठेकेदारों से बकाया धन की वसूली, जहां, कहीं यह देय है, पर उचित मानीटरिंग की जा रही है। पैरा 3.3.8 के अतिरिक्त, वर्ष 1999 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सं. 9 (रेलवे) के अध्याय-3 में 32 पैरा शामिल हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में शामिल पैरों पर "की गई कार्रवाई" संबंधी नोटों को लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत विधीक्षित करा कर लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

[हिन्दी]

पंचायत स्तर पर निचली अदालतों की स्थापना

5959. **श्रीमती हेमा गमांग:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे-मोटे विवादों के शीघ्र निपटान के लिए पंचायत स्तर पर जिला अदालतों के न्यायाधीशों का नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर निचली अदालतों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन अदालतों को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने कम खर्च कर ग्रामीण स्तर के विवादों के शीघ्र निपटान के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि राज्यों को न्याय पंचायतों के संबंध में ऐसा विधान अधिनियमित करना चाहिए, तो उनकी स्थानीय जरुरतों और स्थितियों के लिए उपयुक्त हो। न्याय पंचायत का गठन, उसकी शक्ति और अधिकारिता के संबंध में आंध्र प्रदेश मंडल न्याय पंचायत विधेयक, 1995 को आदर्श के रूप में अपनाया जा सकता है। विधि आयोग की सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

रुग्ण टैंक वैगन की आपूर्ति

5960. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को तेल कंपनियों को रुग्ण वैगनों की आपूर्ति करने के कारण घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या रुग्ण टैंक वैगनों की आपूर्ति के बारे में कोई जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन से अधिकारी को उत्तरदायी पाया गया है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) रेलवे की गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना घाटा हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। रेलें सामान्यत: लदान के लिए तेल कंपनियों को पहले से जांच किए गए टंकी मालडिब्बा रेकों की आपूर्ति करती हैं। बहरहाल,

टंकी मालडिब्बों को विभिन्न कारणों से लदान गेंट्री में सिक मार्क किया जा सकता है। ऐसे मामलों का प्रतिशत नगण्य है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) रेलों को हुई हानि मामूली है और समग्र लदान का बहुत कम प्रतिशत बनती है।

[हिन्दी]

बीना, मध्य प्रदेश में भारत-ओमान तेल-शोधक कारखाना

5961. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीना, मध्य प्रदेश में भारत-ओमान तेलशोधक कारखाना लिमिटेड ने ओमान के स्थान पर किसी अन्य सहयोगी देश के साथ सहयोग से कार्य करने हेतु एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तेल शोधक कारखाने में उत्पादन कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ओमान ऑयल कम्पनी (ओओसी) के बीना (मध्यप्रदेश) में मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना में अपना निवेश सीमित करने के निर्णय को देखते हुए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बीओआरएल) के माध्यम से और ओओसी द्वारा घटे हुए इक्विटी अंशदान और बीओआरएल की कुल 50 प्रतिशत अधिकतम इक्विटी तक बीपीसीएल के वर्धित इक्विटी अंशदान के साथ परियोजना का निष्पादन करने के लिए अनुमति देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी के साथ-साथ बीपीसीएल परियोजना में अतिरिक्त संयुक्त उद्यम भागीदार की पहचान करने का प्रयास करेगी।

(ग) यह परियोजना, परियोजना कार्य के आरम्भ की तारीख से 48 महीनों के भीतर पूरी होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पर्यटन के संवर्धन के संबंध में कृतिक बल

5962. श्री प्रभात सामंतराय: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास, उड़ीसा में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए एक कृतिक बल गठित करने के लिए संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों और अन्य संबंधित निकायों को भी इस कृतिक बल में सम्मिलित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राज्य में पर्यटन के विकास हेतु किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नकदी फसल की पैदावार

5963. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नकदी फसल की पैदावार में गिरावट आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) विगत चार वर्षों के दौरान नकदी फसलों जैसे तिलहन, कपास, पटसन, एवं मेस्ता तथा गन्ने का उत्पादन निम्नवत् है:-

(मिलियन मीटरी टन)

फसल/फसल समूह	2000-01*	1999-2000	1998-99	1997-98
1	2	3	4	5
नौ तिलहन $	18.70	20.87	24.75	21.32
कपास @	11.48	11.64	12.29	10.85

1	2	3	4	5
पटसन एवं मेस्ता #	10.35	10.53	9.81	11.02
गन्ना	301.44	299.23	288.72	279.54

* दिनांक 12.04.2001 की स्थिति के अनुसार अग्रिम अनुमान।

$ इसमें मूंगफली, अरण्ड बीज, तिल, रामतिल, रेपसीड एवं सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी एवं सोयाबीन शामिल हैं।

@ 170 किलोग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठें।

\# 180 किलोग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठें।

वर्ष 2000-01 के अनुमान अग्रिम अनुमान है, जो संशोधन के अध्ययीन हैं, क्योंकि कृषि वर्ष 2000-01 समाप्त हो जाने पर अधिक सही जानकारी प्राप्त होगी। तिलहन को छोड़कर उक्त फसलों/फसल समूह के उत्पादन में कुछ उतार-चढ़ाव के साथ सामान्यत: वृद्धि का रुख देखा गया है।

बहरहाल, तिलहन के मामले में उतार-चढ़ाव में तेजी अधिक है, क्योंकि इनकी खेती वर्षा सिंचित स्थितियों में की जाती है और इनका उत्पादन काफी हद तक मानसून पर निर्भर रहता है।

[हिन्दी]

बीकानेर में 'रवीन्द्र मंच' की स्थापना

5964. श्री रामेश्वर डूडी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीकानेर, राजस्थान में 'रवीन्द्र मंच' की स्थापना में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत सरकार को वहन करना था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्ययांश की धनराशि को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस धनराशि में कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को बीकानेर, राजस्थान में रवीन्द्र मंच के निर्माण के लिए और इस पर होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत राशि प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव राजस्थान सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मवेशी और भैंस प्रजनन कार्यक्रम

5965. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने, आंध्र प्रदेश में व्यापक मवेशी तथा भैंस प्रजनन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संस्वीकृति/आवश्यक धनराशि को जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में अब तक प्रजनन योग्य पशुओं के लिए उपलब्ध कराई गई कृत्रिम गर्भाधान सुविधा का प्रतिशतांक कितना है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में कितने गांवों में अभी तक कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। आंध्र प्रदेश सरकार का एक प्रस्ताव जनवरी, 2001 में प्राप्त हुआ था जिसमें 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय अनुदान के रूप में 39.39 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई थी। 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत 26.35 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से गोपशु तथा भैंस प्रजनन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को 8.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ग) आंध्र प्रदेश में प्रजनन योग्य पशुओं को अब तक प्रदान किए गए कृत्रिम गर्भाधान की प्रतिशतता 23.46 प्रतिशत है।

(घ) कुल 28245 गांवों में से कुल 13907 गांवों को कृत्रिम गर्भाधान के तहत शामिल नहीं किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

5966. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का, कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन, परिलब्धियों और अन्य शुल्कों के भुगतान पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से, कम्पनी अधिनियम, 1956 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इससे घाटे या लाभ में चल रही कम्पनियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) किस प्रकार की परिलब्धियां कर योग्य आय के रूप में नहीं गिनी जाती?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) आयकर नियम 1962 के नियम 3 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धि में ये सब शामिल हैं - बिना किराये के/रियायती स्थान, चिकित्सीय उपचार, वाहन, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां, बीमा लाभ आदि या नियोक्ता द्वारा निर्धारित अपवादों के बशर्ते, कोई अन्य लाभ या सुख सुविधा।

दुग्ध-दोहन प्रक्रिया

5967. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में दुग्ध दोहन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह पूरी तरह कीटाणु-मुक्त नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) मवेशियों से कीटाणु-मुक्त दूध निकालने के लिए कौन से निवारक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) देश में डेयरी कार्य मुख्यत: उन छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है जो केवल एक अथवा दो दुधारू पशु रखते हैं। किसान परम्परागत पद्धतियों को अपनाते हैं जिसमें दुग्ध दोहन के समय हाथ से कार्य किया जाता है।

(ग) दुग्ध दोहन के समय स्वच्छता और सफाई की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न राज्यों के दुग्ध संघों/परिसंघों ने निम्न उपायों को अपनाते हुए स्वच्छ दूध के उत्पादन में प्रशिक्षण तथा शिक्षण शुरू किया है;

(1) साफ और स्वच्छ वातावरण में पशुओं का दूध निकालना।

(2) गायों को नहलाना, सांद्रित आहार देना, दूध की बाल्टियां लाना जैसी दुग्ध दोहन से पहले की क्रियाएं नियमित अंतराल से की जाएं।

(3) दुग्ध दोहन से पहले मृदुल रोगाणुरोधक धोल से थनों और चुचुक को धोना चाहिए और सुखाना चाहिए।

(4) प्रत्येक दुग्ध दोहन के बाद डिटर्जेंट में भीगे कपड़े से थनों और चुचुक को पोंछना चाहिए।

(5) प्रत्येक दुग्ध दोहन से पहले दोहक को रोगाणु रोधक घोल से हाथ धोने चाहिए।

(6) अन्य दुधारू पशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए बीमार दुधारू पशुओं को अलग गोशाला में रखना चाहिए।

(7) स्वच्छ बर्तनों को उपयोग करना चाहिए।

चक्रवात के कारण हुआ नुकसान

5968. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2000 मास के अंतिम सप्ताह के दौरान भारी बारिश के साथ चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में तबाही का दृश्य उपस्थित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इससे राज्यवार अनुमानत: कितनी क्षति और कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इन राज्यों की ओर से राहत के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों को कितनी राहत उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 29 नवम्बर, 2000 को आये चक्रवाती तूफान के परिणामस्वरूप सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, वृक्ष उखड़े और संचार/विद्युत लाइनों तथा घरों/झोपड़ियों को क्षति पहुंची। आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात के कारण जन-धन की क्षति की कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश सरकार से चक्रवात की स्थितियों में केन्द्रीय सहायता के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) आपदा राहत कोष (आ.रा.को.) के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की दशा में आवश्यक राहत उपाय करने हेतु निधियों की उपलब्धता है। वर्ष 2000-01 के लिए आ.रा.कोष के केन्द्रीय अंशदान के रूप में आंध्र प्रदेश को 148.54 करोड़ रुपये तथा तमिलनाडु को 76.98 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं।

[हिन्दी]

चावल, गेहूं और प्याज की पैदावार

5969. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में चावल, गेहूं और प्याज की पैदावार हुई;

(ख) इन उपजों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उक्त उपजों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों की बजाय, कम कीमत पर खरीदा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 के दौरान चावल, गेहूं और प्याज का राज्यवार उत्पादन क्रमश: संलग्न विवरण I से III तक में दर्शाया गया है।

(ख) सरकार ने चावल, गेहूं और प्याज सहित विभिन्न कृषि जिंसों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा भविष्य में देश के विभिन्न भागों में कृषि विकास के लिए भी राज्यों को सहायता देने के लिए परम्परागत स्कीमपरक प्रणाली के बदले वृहत् प्रबंधन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता के लिए 27 स्कीमों को एक स्कीम में मिला दिया गया है जो राज्यों द्वारा सामना की जानेवाली विशिष्ट समस्याओं के समाधान, विभिन्न स्कीमों के घटकों में परस्पर व्याप्ति से बचने के लिए उन्हें लचीलापन प्रदान करती है तथा इसका लक्ष्य कृषि का सर्वांगीण विकास करना है।

(ग) और (घ) चावल और गेहूं को सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अधीन कवर किया गया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अधीन अधिसूचित मूल्यों पर केन्द्रीय और राज्यों के अभिकरणों के जरिए अच्छी औसत गुणवत्ता की इन जिंसों की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। यदि मजबूरी में बिक्री के संबंध में कोई शिकायत हो, तो उन शिकायतों पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाती है। चूंकि प्याज शीघ्र खराब होनेवाली जिंस है, अत: इसे मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अधीन कवर किया गया है तथा अधिकता की स्थिति में राज्य सरकार के अनुरोध पर पूर्वनिर्धारित मूल्यों पर खरीद की जाती है।

(ङ) सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम और मंडी हस्तक्षेप स्कीम का क्रियान्वयन, सार्वजनिक अभिकरणों, द्वारा खरीद और जहां आवश्यक हो, व्यापार का एक साधन के रूप में उपयोग शमिल हैं।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान चावल का उत्पादन

(000 मीटरी टन)

	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	8510.0	11878.0	10489.6
असम	3382.9	3254.8	3860.7
बिहार	7133.2	6769.4	7741.6
गुजरात	1042.3	1015.8	984.9
हरियाणा	2556.0	2425.0	2594.0

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	120.4	117.8	120.4
जम्मू और कश्मीर	549.3	589.1	391.1
कर्नाटक	3212.7	3656.9	3635.0
केरल	762.6	726.7	770.8
मध्य प्रदेश	4528.2	5060.6	6376.5
महाराष्ट्र	2394.6	2467.6	2535.9
उड़ीसा	6204.6	5391.5	5187.0
पंजाब	7904.0	7940.0	8716.0
राजस्थान	190.3	205.5	252.6
तमिलनाडु	6893.7	8141.4	7225.3
उत्तर प्रदेश	12165.4	11386.6	12912.0
पश्चिम बंगाल	13236.6	13316.5	13951.0
अन्य	1745.7	1733.5	1730.7
अखिल भारत	82534.5	86076.7	89475.1

विवरण-II

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान गेहूं का उत्पादन

(000 मीटरी टन)

	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	6.0	6.0	6.2
असम	110.1	90.5	97.6
बिहार	4848.7	4403.7	4367.0
गुजरात	1647.0	1702.6	1020.0
हरियाणा	7554.0	8568.0	9642.0
हिमाचल प्रदेश	641.3	641.4	481.0
जम्मू और कश्मीर	396.5	368.4	365.0
कर्नाटक	118.5	219.4	211.2
मध्य प्रदेश	7220.2	8333.4	8458.1
महाराष्ट्र	671.0	1308.5	1436.1
उड़ीसा	6.6	4.4	7.7
पंजाब	12715.0	14460.0	15910.0
राजस्थान	6701.0	6879.8	6731.9
उत्तर प्रदेश	22833.9	23465.2	25976.4
पश्चिम बंगाल	810.5	778.1	796.0
अन्य	64.7	58.1	67.8
अखिल भारत	66345.0	71287.5	75574.0

विवरण-III

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान प्याज का उत्पादन

(000 मीटरी टन)

	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	328	478.3	522.7
असम	17.9	18	17.2
बिहार	137.9	193	212.3
गुजरात	619	1462.1	450.7
हरियाणा	26.9	44.1	60.1
हिमाचल प्रदेश	2.9	2.9	2.9
जम्मू और कश्मीर	517.4	508.4	594.7
कर्नाटक	281.8	337.6	366.3
मध्य प्रदेश	907.7	1183.6	1392.6
महाराष्ट्र	–	11.8	11.8
नागालैंड	165.4	360	368.4
उड़ीसा	48.2	18.1	18.1

1	2	3	4
पंजाब	113.5	120.7	173.3
तमिलनाडु	187.7	289.7	315.7
त्रिपुरा	0.2	0.2	0.2
उत्तर प्रदेश	262.8	303	392.3
पाण्डिचेरी	0.1	0.4	0.2
अखिल भारत	3617.4	5331.9	4899.5

[अनुवाद]

अस्पताल और औषधालय

5970. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में इस समय, पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत, रेल-कर्मचारियों के लिए कितने अस्पताल और औषधालय हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के रेल-कर्मचारियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर, ये औषधालय/अस्पताल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) इस समय पश्चिम रेलवे के महाराष्ट्र क्षेत्र में एक क्षेत्रीय रेलवे अस्पताल और 9 स्वास्थ्य इकाइयां मौजूद हैं जहां कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को रोधक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और स्वास्थ्य लाभ संबंधी देखभाल सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। आंत्रशोध-विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएं क्षेत्रीय रेल अस्पताल (जगजीवन राम अस्पताल), मुम्बई में उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय रेल अस्पतालों, उप-मंडलीय अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों में डॉक्टरों और परा-चिकित्सा कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाती है। इसके अलावा, देखभाल के लिए आवश्यकतानुसार जटिल मामले भेजे जाने के लिए कुछ निजी अस्पताल और संस्थानों को मान्यता दी गई हैं।

रेलवे आबादी की आवश्यकता के आधार पर, विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं विकसित की गई थीं। इन सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नए उपस्कर, अतिरिक्त सुविधाएं आदि मुहैया करा कर इनका संवर्धन किया जाता है।

पश्चिम रेलवे अपनी रेलवे आबादी की स्वास्थ्य देखभाल करने की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में सक्षम है।

[हिन्दी]

एकीकृत कीट-नियंत्रण योजना

5971. श्री जय प्रकाश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में एकीकृत कीट-नियंत्रण योजना चलाई जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में इस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई; और

(ग) इन वर्षों के दौरान, इस संबंध में हासिल की गई उपलब्धियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम-वार, फसल-वार तथा वर्ष-वार की गयी प्रगति का विवरण संलग्न हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पिछले तीन वर्षों (1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001) के दौरान प्राप्त प्रगति

क्र.सं.	समेकित पेस्टस्-प्रबंधन स्कीम	समेकित पेस्टस् प्रबंधन प्रदर्शनों की वर्ष-वार सं.			जिलों की संख्या
		1998-99	1999-2000	2000-2001	
1	2	3	4	5	6
1.	स.अ.वि.का. चावल*	1800	1636	1777	33
2.	ति.उ.का**	54	59	121	36

1	2	3	4	5	6
3.	स.क.वि.का. - कपास****	45	42	127	23
4.	रा.द.वि.का.***	15	7	28	20
5.	मक्का	285	204	202	48

* स.अ.वि.का. - समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
** ति.उ.का. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
*** रा.द.वि.का. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम
**** स.क.वि.का. समेकित कपास विकास कार्यक्रम

[अनुवाद]

डॉक-सुरक्षा

5972. श्री रामजी मांझी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्तनों का विनियमन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जे.एन.पी.टी.) का कोई डॉक-सुरक्षा निरीक्षणालय है;

(ख) क्या पारादीप और तूतीकोरिन पत्तनों में भी कोई सुरक्षा-अधिकारी नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सुरक्षा के लिए प्रबंध कब तक किये जायेंगे?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित करने के लिए फैक्ट्री सलाह सेवाएं और श्रम संस्थान महानिदेशालय में सहायक निदेशक (सुरक्षा) का पद 7.12.1998 को सृजित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग में इस पद को भरने का मामला अग्रिम अवस्था में है। तथापि, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में स्थित निरीक्षणालय मुख्यालय से एक निरीक्षक प्रतिनियुक्त किए जाने पर कार्य कर रहा है।

(ख) पारादीप पत्तन न्यास में 9100-15100/- रु. के वेतनमान (जूनियर क्लास I) में सुरक्षा एवं प्रशिक्षण अधिकारी का एक स्वीकृत पद है। एक अधिकारी जिसने औद्योगिक सुरक्षा में अपेक्षित डिप्लोमा प्राप्त किया है, इस पद पर कार्य कर रहा है। तूतीकोरिन पत्तन न्यास में एक सुरक्षा अधिकारी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गोदावरी नदी के संबंध में सर्वेक्षण

5973. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली के रूप में प्रयुक्त किए जाने के बतौर, गोदावरी नदी की क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का उक्त रूप में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से लांज और जलतल पर उतर सकने वाले अन्य यानों को निर्माण करने के लिए पर्याप्त तकनीकी-विशेषता उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विशेषज्ञ-दल द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो गोदावरी नदी पर नदी परिवहन बढ़ाने के लिए वर्तमान सुविधाओं के क्षमता-स्तर के विषय में क्या निष्कर्ष मिले हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। गोदावरी नदी के चेरला-राजामुंदरी खंड में नौचालन के लिए विस्तृत जलराशिक सर्वेक्षण और तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन 1988-89 के दौरान किया गया था। काकीनाडा से मरमऊनम तक गोदावरी और कृष्णा नदी प्रणालियों के साथ एकीकृत नहर प्रणाली का विकास करने के लिए एक अन्य तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन 1997-99 के दौरान किया गया था।

(ग) से (ङ) जी हां। तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन में विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास कार्यों की सिफारिश की गई है जिसमें एकीकृत जलमार्ग प्रणाली को अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए व्यवहार्य बनाने हेतु अपेक्षित जलयान भी शामिल हैं।

इराक के साथ ओ.एन.जी.सी. का करार

5974. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड ने इराक में तेल का अन्वेषण करने के उद्देश्य से, उसके साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उद्यम के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेशों में तेल की खोज करने के लिए किस प्रकार की अर्हता रखता है;

(घ) क्या सरकार ने, इस हेतु एक प्राथमिक चरण के रूप में, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अन्वेषण-विषयक कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा 'मुम्बई हाई' की खोज करने के बाद से, तेल और प्राकृतिक गैस निगम भारत में समुपयुक्त तेल-स्त्रोतों की खोज नहीं कर पाया है; और

(च) तेल और प्राकृतिक गैस निगम के ऐसे उद्यमों की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) इराक के पश्चिमी रेगिस्तान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित अन्वेषण ब्लाक-8 के लिए 28.11.2000 को इराक के मंत्रालय की तेल अन्वेषण कंपनी के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए। इस संविदा के लागू होने से पहले इराक सरकार द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना है।

(ग) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की पूर्ण वाली सहायक कंपनी ओवीएल ने चुनिंदा देशों में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन के अवसर प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रित कार्यनीति अपनाई है और यह देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को अनुपूरित करने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबे और तेल क्षेत्र प्राप्त करने में लगी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ 1964 में पश्चिमी अपतट में भूकम्पीय सर्वेक्षण में सहयोगी था। ओएनजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय संविदाकार के सहयोग से 1971 में मुंबई हाई अपतटीय बेसिन में एक व्यस्थित भूकंपीय सर्वेक्षण आरम्भ किया जिसके परिणामस्वरूप मुंबई हाई और कई अन्य संरचनाओं नामत: बसीन, पन्ना, हीरा, नीलम, गांधार आदि का पता लगा।

मुंबई हाई के बाद के परिदृश्य में ओएनजीसी कृष्णा-गोदावरी और पूर्वी तट अपतट के कावेरी बेसिन और समीपवर्ती जमीनी क्षेत्र को उत्पादक पट्टी के अंतर्गत लाई।

(च) ऐसे उपक्रमों की कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है जिसमें संबंधित मंत्रालयों के नामित निदेशक होते हैं और इसके बाद सरकार द्वारा गठित सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

कच्छ में आए भूकम्प के पश्चात् गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्य

5975. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को, कच्छ में आए भूकम्प के पश्चात कारीगरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक वस्त्र-संग्रहालय स्थापित करने के लिए 'जुडु फ्रेटर' द्वारा 'कलारक्षा' के सहयोग के किए जा रहे कार्य की जानकारी है-जिसके विषय में 'स्पान' पत्रिका के मार्च-अप्रैल 2001 अंक में पृष्ठ 23 पर, समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन गैर-सरकारी संगठनों-जो विशेषकर कच्छ की महिला कारीगरों की मदद कर रहे हैं-को सब प्रकार की सहायता उपलब्ध कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) स्पान पत्रिका के मार्च-अप्रैल 2001 अंक में, पृष्ठ 23 पर 'कच्छ कारीगरों को सहायता', शीर्षक से प्रकाशित समाचार मद, सुश्री जुडु फ्रेटर, 'कला रक्षा' की परियोजना संचालक द्वारा गुजरात राज्य में हाल ही में आये भूकम्प के पश्चात् कच्छ क्षेत्र में कारीगरों के सम्मुख आ रही समस्याओं को दूर करने और उनके पुनर्वास के सम्बन्धित उनके स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त

करने के परियोजनार्थ है। सरकार कला रक्षा के सहयोग से सुश्री जुडु फ्रेटर द्वारा भूकम्प के पश्चात् कारीगरों की सहायता के लिए किये गये कार्यों से अवगत है। तथापि, सरकार उपर्युक्त पत्रिका में उल्लिखित कला रक्षा द्वारा स्थापित वस्त्र संग्रहालय से अवगत नहीं है।

कला रक्षा, एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भूकम्प के पश्चात् कच्छ क्षेत्र के 10 गांवों में अधिक सहायता पहुंचा दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 3176 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है। सहायता में डाबला (2710 नग), तिरपाल (1885 नग) खाद्य किट (2760 नग) आटे के पात्र (1100 नग), आटे की बोरियां (100 नग), टेन्ट (15 नग) आदि सामग्री शामिल है।

इसके साथ-साथ सरकार निम्नलिखित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता मुहैया करा रही है जो कच्छ क्षेत्र में महिला कारीगरों सहित कारीगरों की मदद कर रही है:-

1. कला रक्षा, भुज
2. श्रुजन ट्रस्ट, भुज, और
3. हस्तकला औद्योगिक सहकारी मण्डली लिमिटेड, भुज

तथापि, कच्छ क्षेत्र में हाल ही में आये भूकम्प के पश्चात् भुज हस्तशिल्प क्षेत्र की किसी भी योजना के अन्तर्गत भुज के कारीगरों के लिए सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव कला रक्षा सहित किसी भी गैर-सरकारी संगठन से प्राप्त नहीं हुआ है।

गेहूं की जगह तिलहन की खेती करने संबंधी फसल-परिवर्तन

5976. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं और अन्य प्रकार के खाद्यान्न की जगह तिलहन की खेती करने हेतु किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस प्रकार के पथांतरण के लिए कृषि मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच किसी समझौते पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सुझाव दिया गया है कि कच्चे तेल के आयात पर 3000 रु. प्रतिटन को "तिलहन विकास निधि" - शुल्क लगाकर 400 करोड़ रु. की धनराशि जुटाई जाये; और

(च) यदि हां, तो गेहूं तथा अन्य प्रकार के खाद्यान्न की जगह तिलहन की खेती करने के प्रस्ताव पर किसान कहां तक सहमत है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की खेती के बजाय तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों से कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और न ऐसा कोई प्रस्ताव है?

(ग) और (घ) ऐसे फसल परिवर्तन के लिए कृषि मंत्रालय तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय पादप संगरोध प्राधिकरण लिमिटेड

5977. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक 'राष्ट्रीय पादप संगरोध सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय पौध संगरोध सलाहकार समिति की स्थापना पौध संगरोध पर नीतिगत मामलों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए की गई है। यह एक स्थायी सलाहकार समिति है और एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नहीं है। यह समय-समय पर उठने वाले विभिन्न मामलों पर विचार करने हेतु बैठक करती है तथा सरकार को उपयुक्त सलाह देती है।

[हिन्दी]

गुजरात से प्राप्त रेल-परियोजनाएं

5978. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री जी.जे. जावीया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, गुजरात से प्राप्त रेल-परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के विषय में ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू परियोजनाओं/सर्वेक्षणों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितना खर्च किया गया और 2001-2002 के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(च) इन परियोजनाओं को पूरा करने में धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मछुआरों के लिए योजनाएं

5979. श्री जी.जे. जावीया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आवासगृहों समुदायिक-केन्द्रों, ट्यूबवेलों का निर्माण करने तथा आदर्श-मछुआरा-ग्रामों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ गुजरात सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कितनी योजनाएं अग्रेषित की गई हैं; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने आवासगृहों का निर्माण किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान गुजरात सरकार ने 308.70 लाख रुपए की कुल लागत से 25 गांवों में 847 घरों, 29 ट्यूबवैलों तथा 04 सामुदायिक हालों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ग) योजना के तहत तीन वर्षों (1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000) के दौरान बनाए गए घरों की संख्या से संबंधित राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 1997-98 घर	1998-99 घर	1999-2000 घर
1	2	3	4	5
1.	असम	–	281	–
2.	बिहार	–	–	23
3.	गुजरात	298	584	847
4.	जम्मू एवं कश्मीर	–	60	–
5.	कर्नाटक	650	2585	1920
6.	केरल	1514	1505	1206
7.	महाराष्ट्र	–	171	–
8.	नागालैंड	–	83	–
9.	उड़ीसा	–	350	–
10.	पांडिचेरी	150	–	150
11.	तमिलनाडु	300	1000	1201
12.	त्रिपुरा	60	40	–
13.	उत्तर प्रदेश	699	144	1155
14.	पश्चिम बंगाल	–	586	–
15.	दमन एवं दीव	–	150	–
	कुल	3671	7539	6502

[हिन्दी]

बीजों की 'मिनी-किटें'

5980. श्री सुन्दरलाल तिवारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'दलहन उत्पादन' के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को, पिछले दस वर्षों के दौरान जारी की गई मटर, मसूर, मूंग और उड़द की विभिन्न किस्मों के बीजों की 'मिनी-किटें' उपलब्ध कराने का है'

(ख) यदि हां, तो इन बीजों की 'मिनी-किटें' कब तक उपलब्ध कराए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार बीजों की 'मिनी-किट' के मामले में दस वर्षों की अवधि के प्रतिबंध को भी हटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) मटर, मसूर, मूंग तथा उड़द की विभिन्न किस्मों के मिनी-किट राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (रा.द.वि.परि.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के राज्य कृषि विभाग द्वारा वितरित किये जा रहे हैं। ये मिनी-किट दस वर्षों से कम पुरानी किस्मों हेतु स्कीम के प्रारंभ से ही दिये जा रहे हैं। ये मिनी-किट कृषकों को मुफ्त प्रदान की जाती हैं तथा मिनी-किटों की लागत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है। यद्यपि वर्ष 2000-2001 से प्रभावी 9वीं योजना के दौरान मिनी-किट की 100 प्रतिशत लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ग) और (घ) मिनी-किट कार्यक्रम के अंतर्गत किस्मों से संबंधित 10 वर्ष के प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

[अनुवाद]

न्यायालयों में कंप्यूटरीकरण

5981. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कोलूर बसवनागौड:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान, न्यायालयों में कंप्यूटरीकरण कार्य हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) किन-किन राज्यों में न्यायालयों को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है; और

(ग) देश के सभी न्यायालयों को कब तक कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी की गई राशि को उपदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) किसी भी राज्य में अभी न्यायपालिका को पूर्णत: कंप्यूटरीकृत नहीं किया गया है।

(ग) भारत के उच्चतम न्यायालय में अधिकांश कार्य कंप्यूटरीकृत है। तथापि, राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालयों, और अधीनस्थ/जिला न्यायपालिका को अवसंरचनात्मक प्रसुविधाएं, जिनमें कंप्यूटरीकरण भी शमिल हैं, प्रदान करना संबंधित राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मदारी है। अत: देश में न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2000-2001 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जारी की गई राशि (रुपए लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.80
3.	असम	9.90
4.	बिहार	12.92
5.	छत्तीसगढ़	शून्य
6.	गोवा	1.70
7.	गुजरात	5.25
8.	हरियाणा	3.56
9.	हिमाचल प्रदेश	1.70
10.	जम्मू-कश्मीर	1.70
11.	झारखंड	शून्य

1	2	3
12.	कर्नाटक	18.00
13.	केरल	10.00
14.	मध्य प्रदेश	8.78
15.	महाराष्ट्र	14.25
16.	मणिपुर	शून्य
17.	मेघालय	शून्य
18.	मिजोरम	1.80
19.	नागालैंड	1.80
20.	उड़ीसा	8.47
21.	पंजाब	3.80
22.	राजस्थान	10.23
23.	सिक्किम	1.80
24.	तमिलनाडु	14.33
25.	त्रिपुरा	1.80
26.	उत्तरांचल	शून्य
27.	उत्तर प्रदेश	31.76
28.	पश्चिमी बंगाल	14.12
		190.08

सब्जियों के बीजों की आपूर्ति

5982. **श्री रामनायडू दग्गुबाटि:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सब्जियों के प्रवर्द्धित किस्म के बीजों की आपूर्ति के लिए कोई केन्द्रीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान, इस योजना के माध्यम से राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि उद्दिष्ट की गई; और

(घ) अब तक यह योजना कितनी सफल रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। कृषि और सहकारिता विभाग वर्ष 2000-2001 से कार्य योजनाओं के द्वारा राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता हेतु वृहत् कृषि प्रबंधन पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत सब्जी फसलों के परिवर्धित बीजों एवं पौध-सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रावधान है। यह स्कीम अक्तूबर, 2000 से प्रारंभ की गई तथा सभी राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को अपनी दृष्टि में प्राथमिकता घटकों को शामिल करने की स्वतन्त्रता है।

(ग) वृहत् प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त धनराशि तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्धारित धनराशि के विवरण संलग्न हैं।

(घ) चूंकि यह स्कीम हाल ही में शुरू की गई है, अभी सफलता का परिणाम लगाया जाना है।

विवरण

वृहत् प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान आबंटित निधियों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2000-01 में निर्मुक्त निधियां	वर्ष 2001-2002 में आबंटित निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1995.95	4500.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	534.00	700.00
3.	असम	492.06	1200.00
4.	बिहार	352.56	4000.00
5.	झारखंड	19.47	1500.00
6.	गोवा	29.42	200.00
7.	गुजरात	3000.00	4000.00
8.	हरियाणा	1233.39	1800.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1241.29	1800.00

1	2	3	4
10.	जम्मू और कश्मीर	848.32	1800.00
11.	कर्नाटक	6060.38	6500.00
12.	केरल	3026.70	4000.00
13.	मध्य प्रदेश	3920.42	5000.00
14.	छत्तीसगढ़	963.00	1700.00
15.	महाराष्ट्र	8935.09	10000.00
16.	मणिपुर	479.13	1000.00
17.	मिजोरम	553.16	900.00
18.	मेघालय	542.32	1000.00
19.	नागालैंड	1170.67	1200.00
20.	उड़ीसा	614.89	3300.00
21.	पंजाब	714.65	2300.00
22.	राजस्थान	6575.15	8000.00
23.	सिक्किम	737.86	800.00
24.	तमिलनाडु	4441.27	5000.00
25.	त्रिपुरा	476.40	800.00
26.	उत्तर प्रदेश	6287.95	7600.00
27.	उत्तरांचल	920.00	1400.00
28.	पश्चिमी बंगाल	1077.83	2500.00
29.	चंडीगढ़	0.65	100.00
30.	दादर और नागर हवेली	21.61	300.00
31.	दिल्ली	61.03	300.00
32.	लक्षद्वीप	10.18	200.00
33.	पांडिचेरी	15.14	300.00
34.	दमन और द्वीव	4.34	100.00
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप	38.87	200.00
	कुल	57395.15	86000.00

मवेशी अनुसंधान और विकास केन्द्र

5983. श्री पी.डी.एलानगोवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु से राज्य के सेलम और धर्मापुरी जिलों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित मवेशी अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की मवेशी संपदा का राज्य-वार आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो मवेशियों के पालन के उद्देश्य हेतु तमिलनाडु में उपलब्ध कुल चरागाह भूमि और उपयोग की गई कुल चरागाह भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए मवेशी पालन और अनुसंधान और विकास हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) तमिलनाडु में वर्ष 1996-97 के दौरान पशुओं के पालन और चरागाह के लिए कुल उपलब्ध भूमि 125000 हैक्टर है।

(ङ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए पशुओं के पालन और अनुसंधान विकास के संबंध में निर्धारित की गई राशि की जानकारी में संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पशुओं के पालन और अनुसंधान तथा विकास के लिए निर्धारित राशि

(रु. लाख में)

राज्य	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अंशदान	
	2000-2001	2001-2002
1	2	3
हरियाणा	49.50	52.96
आंध्र प्रदेश	45.77	48.78

1	2	3
गुजरात	26.32	23.87
राजस्थान	31.93	36.34
पंजाब	14.21	14.66
केरल	32.66	18.13
महाराष्ट्र	10.78	9.98
बिहार	10.78	9.98
कर्नाटक	10.78	9.98
तमिलनाडु	9.00	9.65
मध्य प्रदेश	3.35	–

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रकाश प्रणाली

5984. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा से घरों में चलने वाली प्रकाश प्रणाली की सुविधा मुहैया कराती है:

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में और विशेषकर मराठवाड़ क्षेत्र में सौर ऊर्जा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु क्या नये कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। सरकार देशव्यापी सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत मुख्यत: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर घरेलू प्रणालियों सहित विभिन्न प्रकार की एसपीवी प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित की गई सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा सौर प्रकाशवोल्टीय, बायोमास और लघु पनबिजली प्रणालियों जैसे अक्षय ऊर्जा विकल्पों के माध्यम से दुर्गम एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए एक नया कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र को नए कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जाने की संभावना है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में जनगणना किए गए सभी गांवों को पहले ही विद्युतीकृत कर दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित की गई सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (सं.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 सं.	1999-2000 सं.	2000-01 सं. (28.2.2001 के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	91	192	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	152	241	0
3.	असम	450	252	271
4.	बिहार (झारखंड सहित)	249	201	100
5.	गोवा	0	0	20
6.	गुजरात	188	282	1367
7.	हरियाणा	667	1647	1034

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	0	2450	2470
9.	जम्मू व कश्मीर	2484	3739	1188
10.	कर्नाटक	0	0	1004
11.	केरल	33	1112	569
12.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	0	49	35
13.	महाराष्ट्र	62	89	144
14.	मणिपुर	50	0	0
15.	मेघालय	0	50	0
16.	मिजोरम	249	136	0
17.	नागालैंड	0	0	135
18.	उड़ीसा	579	192	525
19.	पंजाब	1400	600	320
20.	राजस्थान	3964	5775	6425
21.	सिक्किम	4	50	0
22.	तमिलनाडु	0	19	50
23.	त्रिपुरा	115	40	160
24.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	6944	6176	13924
25.	पश्चिम बंगाल	3585	2049	5607
26.	चंडीगढ़	100	0	50
	कुल	21,366	25,341	35,398

विश्वव्यापी सहयोग

5985. श्री रामशकल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि के क्षेत्र में विश्वव्यापी सहयोग को कितना महत्व दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि पर काफी हद तक हमारी निर्भरता को देखते हुए विश्वव्यापी सहयोग पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने कृषि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अन्य देशों के साथ अधिक तालमेल बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) कृषि के क्षेत्र में किन देशों ने भारत के साथ सहयोग किया है/करने का प्रस्ताव किया है;

(च) क्या उन देशों जो कि सहयोग करने के लिए तैयार हैं, के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (छ) भारत कृषि के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को काफी महत्व देता है। कृषि के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग हेतु प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

पादम स्वच्छता और पशुचिकित्सा संबंधी समझौतों सहित कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु 40 देशों के साथ समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। देशों की सूची, जिनके साथ समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सक्रिय सदस्य है। भारत इन संगठनों के कार्यक्रमों का लाभभोगी भी है।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	समझौता/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख	सहयोग के क्षेत्र
1	2	3	4
		देश जिनके साथ समझौते/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर	
1.	आस्ट्रेलिया	2.2.1996	भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अम्ब्रेला समझौता में मृदा प्रबंध, पशु-चिकित्सा विज्ञान और भारत और आस्ट्रेलिया में वर्षा सिंचित पर्यावरणों में सौरगम के लिए उत्पादन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने जैसे विषयों में कृषि अनुसंधान और सहयोगात्मक परियोजनाओं में सहयोग की व्यवस्था है।
2.	अल्जीरिया	25.1.2001	इस समझौते का लक्ष्य पादप स्वच्छता, संगरोध और प्राकृतिक वनस्पति संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग है।
		25.1.2001	इस समझौते में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर विचार किया गया है।
3.	बंगलादेश	15.6.1983	समझौते में कृषि, पशुपालन, शिक्षा, अनुसंधान और पद्धति में इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
		22.1.2000	समझौता ज्ञापन में संयुक्त कार्यकलापों, कार्यक्रमों, वैज्ञानिक सामग्रियों, सूचना और कार्मिक के आदान-प्रदान के जरिये दोनों देशों के बीच कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उत्पादन और कृषि प्रसंस्करण में सहयोग के विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।
4.	ब्राजील	2.7.1997	समझौते में प्लेग और बिमारियों के नियंत्रण, उपचार तकनीकों की प्रणाली, पशु और सब्जी मूल उत्पादों और उप-उत्पादों की साज संभाल और तैयार करने सहित फाईटोजू-सिनेटरी पर तकनीकी और वैधानिक सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग का प्रस्ताव है।
5.	बुल्गारिया	26.5.1994	पशु चिकित्सा और स्वच्छता समझौते में पशुओं में रोगों के प्रवेश से दोनों देशों को बचाने में पशु चिकित्सा एवं चिकित्सा कार्यकलापों के क्षेत्र में तथा पशु मूल के उत्पादों के आदान-प्रदान में सहयोग की व्यवस्था है।

1	2	3	4
		26.5.1994	संगरोध और पादप रक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता का लक्ष्य संगरोध कृमियों, पादप रोगों और खरपतवारों के प्रवेश और प्रसार से रक्षा करना है।
6.	बेलारूस	22.2.2001	समझौते में एक-दूसरे के क्षेत्र में संगरोध कृमियों, खर-पतवारों तथा रोगों के प्रसार और प्रवेश को रोकने के लिए संगरोध और पादप-रक्षण के क्षेत्र में सहयोग परिकल्पित है।
7.	चीन	11.4.1992	समझौता ज्ञापन में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सामग्रियों के आदान-प्रदान, जर्म-प्लाज्म, बीजों, पौध के आदान-प्रदान तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना आदि के आदान-प्रदान के जरिये कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।
8.	क्यूबा	16.9.1998	इस समझौते के अन्तर्गत 22 नवम्बर, 1996 को हस्ताक्षरित कार्ययोजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
9.	साईप्रस	26.3.1992	सहयोग के कार्यक्रम में बागवानी, क्षेत्रीय फसलें, मृदा उर्वरता, प्रयोग तथा सिंचाई प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र शामिल है।
10.	कम्बोडिया	18.2.2000	समझौता ज्ञापन का लक्ष्य कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग का विकास करके दोनों देशों के बीच वर्तमान मैत्री संबंधों को और अधिक विकसित करना है।
11.	इरीट्रिया	31.3.1998	निवेश खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में इरीट्रिया को तकनीकी सहायता देने के लिए तथा खाद्य एवं कृषि संगठन की दक्षिण-दक्षिण सहयोग पहल के भाग के रूप में 31.3.1998 को भारत सरकार, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा इरीट्रिया के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किये गये। इसमें सिंचाई, मृदा संरक्षण, सस्य विज्ञान, पशु धन (कुक्कुट तथा सुअर उत्पादन), विपणन (कटाई-पश्चात्) की शाखा में तकनीकी सहयोग की परिकल्पना की गई है।
12.	फ्रांस	6.2.1994	इस समझौता में कृषि, मात्स्यिकी, वानिकी, ग्रामीण विकास और कृषि-खाद्य उद्योग क्षेत्रों में सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
13.	ग्रीस	5.2.2001	समझौता ज्ञापन का लक्ष्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाओं के आदान-प्रदान, कृषि हेतु प्रशिक्षण, प्रबंध और सलाहकार सेवाओं के विकास, विशेषज्ञों एवं परामर्शदाताओं के आदान-प्रदान, संयुक्त उद्यमों आदि के जरिये कृषि के क्षेत्र में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का विकास करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है।
14.	इन्डोनेशिया	20.2.1992	समझौता ज्ञापन में खाद्य-फसलों, गौण-फसलों, वर्षा सिंचित कृषि, संकर चावल, मात्स्यिकी, पशुधन आदि सहित कृषि में सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

1	2	3	4
15.	ईरान	11.11.1991	समझौता ज्ञापन में कृषि अनुसंधान शिक्षा, ग्रामीण विकास, पशुपालन, पशु-चिकित्सा विज्ञान, मात्स्यिकी, वानिकी, जल-प्रबंध आदि के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्ता है।
		5.10.1997	समझौता ज्ञापन में पशु स्वास्थ्य, अनुसंधान और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सामान्य आयोगों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन के जरिये पशु रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन पर सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा विशेषज्ञों के आदान-प्रदान में सहयोग की व्यवस्था है।
16.	ईजरायल	24.12.1993	यह समझौता जल और मृदा प्रबंध, शुष्क और अर्द्ध शुष्क फसल उत्पादन, फल और सब्जी उत्पादन, पशु विज्ञान, पादप रक्षा, कृषि अनुसंधान, कृषि वाणिज्य आदि के क्षेत्रों को कवर करता है।
		30.12.1996	आशय इनटेंट ज्ञापन छोटे किसानों और निजी क्षेत्र हेतु व्यावहारिक प्रौद्योगिकीय पैकेजों के विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के उद्देश्य से पूसा, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान के परिसर पर प्रदर्शन फार्म के प्रथम चरण में स्थापना से संबंधित है।
17.	लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य	2.5.1997	समझौता ज्ञापन में कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इसमें कृषि अनुसंधान, फसल उत्पादन, बागवानी, पौध संरक्षण, जन्तु विज्ञान मात्स्यिकी, वनीकरण, कृषि आधारित उद्योग आदि में संयुक्त कार्यक्रमों का समावेश है।
18.	मॉरीशस	3.6.1993	समझौता ज्ञापन कृषि विज्ञान एवं तकनीकी, कृषि उत्पादन और कृषि-प्रसंस्करण एवं आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है।
19.	म्यान्मर	25.4.1998	समझौता ज्ञापन कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है।
20.	मंगोलिया	16.9.1996	समझौते में तकनीकी के आदान-प्रदान, बायो-तकनीक के आधुनिक तरीकों के विकास, संयुक्त अनुसंधान प्रोजेक्ट का निर्माण एवं कार्यान्वयन तथा लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि की स्थापना के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।
21.	मोरक्को	27.2.2001	इस समझौते में वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने तथा उसमें सुधार करने के लिए पादप संगरोध और पादप रक्षण, पादप और पादप उत्पादों के आदान-प्रदानों और रोगों और कीटों जो पादप प्रजातियों को नष्ट करते हैं, आदि के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
		27.2.2001	इस समझौते में पशु स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
22.	मोजाम्बिक	1.3.2001	खाद्य सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम के अधीन 1.3.2001 को रोम में भारत सरकार, मोजाम्बिक सरकार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

1	2	3	4
23.	नामीबिया	31.3.1998	नामिबिया और भारत सरकार ने अध्ययन दौरे, प्रशिक्षण और परामर्श के लिए वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान और जर्मप्लाज्म और वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान के जरिए कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में 31 अगस्त, 1998 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
24.	नेपाल	6.12.1991	समझौता ज्ञापन खाद्य और नकदी फसलों, बहुफसलन प्रणालियों फल और सब्जी विकास, डेयरी विकास आदि सहित कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन और कृषि प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है।
25.	न्यूजीलैंड	15.4.1999	तकनीकी सहयोग के ज्ञापन में बाजार पहुंच और जांच, कृमियों को पता लगाने हेतु पादप स्वच्छता उपायों तथा तकनीकी और जैव वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग परिकल्पित है।
26.	ओमान	5.10.1996	समझौता ज्ञापन संयुक्त कार्यकलापों सहित कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं, कृषि अनुसंधान, बागवानी, डेयरी विकास, पशुधन, मृदा संरक्षण, सिंचाई आदि के क्षेत्र में आदान-प्रदान कवर करता है।
		2.4.1997	इस समझौते में कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के विकास और वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के आदान-प्रदान द्वारा उसके उत्पादन तकनीकों, और विस्तार कार्यकलापों में सुधार करने, जर्मप्लाज्म और प्रजनन सामग्री और वैज्ञानिक साहित्य आदि के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।
27.	पाकिस्तान	4.7.1985	इस समझौते में कृषि में अनुसंधान और शिक्षा तथा साथ ही विकास की व्यवस्था है।
28.	पनामा	2.1.2001	इस समझौता ज्ञापन में बागवानी फसल विज्ञानों, मात्स्यिकी, पशु विज्ञानों, कृषि विस्तार, कृषि शिक्षा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध आदि के चयनित क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान और शिक्षा तथा सहकारिता के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
29.	पेरू	26.5.1997	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पेरू की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के आदान-प्रदान, जर्मप्लाज्म और प्रजनन सामग्री के आदान-प्रदान, वैज्ञानिक साहित्य सूचना आदि के आदान-प्रदान के जरिए अनुसंधान और शिक्षा तथा उनकी उत्पादन तकनीकों और विस्तार के सुधार के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था करता है।
30.	फिलिपिन्स	28.4.1991	फिलिपिन्स सरकार के साथ समझौता ज्ञापन चावल उत्पादन और प्रसंस्करण बहुफसल प्रणाली, शुष्क भूमि कृषि प्रणालियों, जल प्रबंध, कृषि मशीनरी, बागवानी, डेयरी पशुधन सुधार आदि के क्षेत्र सहित कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कवर करता है।
31.	रूस	5.10.1995	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और रशियन एकेडमी ऑफ एग्रिकलचरल साइंसेसज के बीच समझौते में कृषि और संबंधित विषयों के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।

1	2	3	4
		25.3.1997	समझौता संगरोध पेस्टस् पौध-रोगों एवं खरपतवार के प्रवेश तथा फैलाव के रोकथाम के उद्देश्य से पौध संगरोध के क्षेत्र में सहयोग तथा कृषि एवं वन फसलों को संरक्षण प्रदान करता है।
		16.4.1999	समझौता पशु चिकित्सा क्षेत्र में पशु रोगों के बचाव एवं विलोपन एवं उनके फैलाव से बचाव के उद्देश्य सहित सहयोग प्रदान करता है।
		3.10.2000	समझौता कृषि के क्षेत्र में फसल उत्पादन, संगरोध तथा पौध संरक्षण, सिंचाई तथा जलनिकास, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, इत्यादि जैसे पारस्परिक कार्य के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, प्रशिक्षुओं के अदला-बदली यात्रा, वैज्ञानिक विकास विनिमय, इत्यादि के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करता है।
32.	सेनेगल	16.2.1997	समझौता ज्ञापन भारत सरकार द्वारा सेनेगल में कृषि विकास परियोजना की स्थापना हेतु सहयोग देता है।
33.	सीरिया	19.6.1994	सहयोग कार्यक्रम पौध उत्पादन, अनुसंधान, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पौध संरक्षण, पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य, मृदा एवं जल प्रबंधन, इत्यादि क्षेत्रों को कवर करता है।
34.	त्रिनिदाद टोबेको	24.1.1997	समझौता ज्ञापन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। सहयोग के क्षेत्रों में पशुधन, कृषि उद्देश्यों हेतु जल प्रबंधन, गन्ना खेती तथा चीनी उद्योग फसल समुन्नति, इत्यादि सम्मिलित हैं।
35.	ट्यूनिशिया	7.10.1996	इण्डो-ट्यूनिशिया संयुक्त आयोग (7-12 अक्तूबर 1996) के पांचवें सत्र के अनुमोदित कार्यवृत के अनुसरण में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ट्यूनिशिया कृषि मंत्रालय के मध्य 7 अक्तूबर, 1996 को एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। यह जर्मप्लाज्म एवं विज्ञान सूचना विनिमय, भारत और ट्यूनिशिया के मध्य अदल-बदल यात्राएं/वैज्ञानिक परामर्श विनिमय तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।
		5.4.200	समझौता ज्ञापन कृषि अनुसंधान, गेहूं व जौ में फसल सुधार, बागवानी, मृदा संरक्षण, दुग्ध-उत्पाद प्रौद्योगिकी, कृत्रिम सेचन, जलजीवशाला, मछली-आनुवांशिकी तथा मछली-प्रसंस्करण, इत्यादि के द्वारा पशुधन सुधार में सहयोग प्रदान करता है।
36.	टर्की	31.3.2000	समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कृषि विज्ञान व प्रौद्योगिकी में सहयोग के विकास प्रौन्नति कृषि उत्पादन एवं कृषि प्रसंस्करण तथा दोनों देशों के मध्य संयुक्त कार्यकलापों द्वारा तथा पारस्परिक अनुमोदित प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित व क्रियान्वित किए जाने वाले विनियम में आर्थिक सहयोग प्रदान करता है।
37.	संयुक्त राज्य अमेरिका	27.1.1996	समझौता कृषि विज्ञान में सहयोग हेतु महत्वपूर्ण पारस्परिक अभिरूचियों के क्षेत्रों में भारत व संयुक्त राज्य अमरीका के विज्ञानिकों के मध्य और अधिक सहयोग प्रदान करता है तथा कृषि संबंधी लाभ जैसे सूचना विचार, दक्षता तथा तकनीक विनियम, कृषि संबंधी समरूप अभिरूचियों की समस्याओं के हल को खोजने में सहयोग प्रदान करता है।

1	2	3	4
38.	उजबेकिस्तान	2.5.2000	समझौता ज्ञापन बागवानी में कृषि अनुसंधान, फसल विज्ञान, मछली-पालन, कपास और वनस्पति उत्पादन, फसल संरक्षण, पशु विज्ञान, कृषि विस्तार तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इत्यादि विज्ञानिकों, प्रशिक्षण-परामर्शदाताओं के विनिमय, जर्म-प्लाज्म तथा प्रजनन सामग्री तथा वैज्ञानिक साहित्य तथा सूचना विनिमय के द्वारा सहयोग प्रदान करता है।
39.	वियतनाम	31.12.1992	समझौता ज्ञापन कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है तथा फसल-विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, पशु-विज्ञान, डेयरी विकास विज्ञानिकों का विनिमय, इत्यादि जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।
40.	यमन	7.12.1996	समझौता ज्ञापन कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन तथा कृषि-प्रसंस्करण, इत्यादि को कवर करता है।

नाफ्था से विलायक का उत्पादन

5986. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की करेंगे कि:

(क) गुजरात में नाफ्था से विलायक का उत्पादन करने वाली सरकारी क्षेत्र के छोटे और बड़े संयंत्रों क्या ब्यौरा क्या है और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इस समय ऐसे सभी संयंत्र कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) कुछ प्रमुख टायर निर्माताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुजरात में अपनी कोयाली रिफाइनरी के अंतर्गत क्रूड संसाधन से आंतरिक बहाव के जरिए सीमित मात्रा में विलायक का उत्पादन कर रही है।

[हिन्दी]

औषधीय गुण वाले पौधे

5987. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का स्थान विश्व बाजार में औषधीय गुण वाले पौधों के व्यापार में बहुत नीचे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत की भागीदारी को बढ़ाने हेतु कोई उपाय करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार वृहत् कृषि प्रबंधन-राज्यों के प्रयासों में कार्य योजनाओं के द्वारा सहयोग/सहायता पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत पौधों की खेती के लिए राज्यों की आवश्यकतानुसार किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए प्रावधान है। भारतीय औषध एवं होम्योपैथी पद्धति विभाग (भा.औ.एवं. हो.प.वि.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी में प्रयुक्त औषधीय पौधों की कृषि एवं कृषि तकनीक विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, औषधीय पौधों के संरक्षण, खेती, विपणन एवं निर्यात संबंधी कार्यकलापों में समन्वयन हेतु भा.औ. एवं हो.प. विभाग ने एक औषधीय पौध बोर्ड बनाया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हम्पी विकास प्राधिकरण की स्थापना

5988. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुन्या:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक पर्यटन विकास निगम को हम्पी में स्मारकों की सुरक्षा और विकास हेतु हम्पी विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निगम/बोर्ड का गठन

5989. श्री चन्द्र नाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी निगम/बोर्ड का गठन करने का है जो देश में फल और सब्जी उत्पादकों के लिए ऋण प्रदान करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निगम/बोर्ड को कब तक गठित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं। देश में फल और सब्जी उत्पादकों को ऋण देने के लिए किसी निगम/बोर्ड के गठन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि कृषि और सहकारिता विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निकाय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के जरिए फलों और सब्जियों के विपणन के लिए पहले से ही सहायता दे रहा है जिसमें पार्श्वान्त (बैक इंडेड) पूंजी राजसहायता दी जाती है अत: अलग से बोर्ड अथवा निगम की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित की जाती है:-

(i) "उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवनी विकास" स्कीम के अन्तर्गत प्रति परियोजना 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ कुल परियोजना लागत से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं, की दर से तथा पूर्वोत्तर/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति परियोजना अधिकतम 30 लाख की दर से पार्श्ववान्त पूंजी सहायता दी जाती है।

(ii) "बागानी उत्पादों हेतु शीतागारों और भण्डारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु पूंजी निवेश" स्कीम के अन्तर्गत प्रति परियोजना 50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन 25 प्रतिशत की दर से तथा गुणवत्ता राज्यों के लिए प्रति परियोजना 33.33 प्रतिशत अधिकतम 60 लाख रुपये पार्श्वान्त पूंजी राज सहायता दी जाती है।

(iii) "बागवानी के संवर्द्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास और अन्तरण" स्कीम के अन्तर्गत उत्पादन में संबंधित परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत किन्तु 40 लाख रुपये तक सीमित तथा अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

(iv) "ग्रामीण क्षेत्रों में पोषाहारिय बागानों की स्थापना" स्कीम के अधीन प्रति परिवार 250 रुपये की फल पौधों की मिनिकिट दी जाती है। प्रदर्शन के लिए चयनित पंचायत में प्रति विद्यालय/ग्राम 2500 रुपये/जीरो इनर्जी कूल चैम्बर दिया जाता है। प्रदर्शन के लिए चयनित प्रति विद्यालय/पंचायत को 5000 रुपये तक की सहायता दी जाती है।

मात्स्यिकी पत्तन

5990. श्री चिन्तामन वनगा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय महाराष्ट्र में कितने मात्स्यिकी पत्तन कार्य कर रहे हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) राज्य में स्थान-वार कितने मात्स्यिकी पत्तनों पर कार्य चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में नया मात्स्यिकी पत्तन स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ङ) नये मात्स्यिकी पत्तन को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) महाराष्ट्र में मिरकारवाड़ा (रत्नागिरि) तथा सासून डॉक, मुम्बई में दो मात्स्यिकी बंदरगाह कार्य कर रहे हैं।

(ख) एक मात्स्यिकी बंदरगाह रायगढ़ जिले में अगराव में इस समय निर्माणाधीन है।

(ग) और (घ) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आठ मात्स्यिकी बंदरगाहों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं अनिवार्य हो विस्तृत इंजीनियरी जांच पड़तालों, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों तथा माडल अध्ययनों पर आधारित तथा बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगार सुविधाओं संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव तैयार करे।

(ङ) राज्य में नए मात्स्यिकी बंदरगाहों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव अभी तैयार किए जा रहे हैं और जब तक राज्य सरकार द्वारा पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराए जाते तब तक भारत सरकार द्वारा यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि नए मात्स्यिकी बंदरगाह कब तक स्थापित कर लिए जाएंगे।

सरसों के उत्पादन में कमी

5991. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 5 जनवरी, 2001 के "दि इकॉनामिक टाइम्स" में "रेपसीड मस्टर्ड प्रोडक्शन टू फॉल बाई 20 परसेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अमरीकी रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और आज तक इन फसलों के उत्पादन के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) कम उत्पादन से बाजार कितना प्रभावित हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में, जो रेपसीड तथा सरसों के प्रमुख उत्पादक हैं, गर्म सूखे मौसम के कारण 2000-2001 के दौरान रेपसीड सरसों का उत्पादन गिरकर 4.2 मिलियन मीटरी टन तक आ जाने की संभावना है जो विगत फसल वर्ष के लगभग 20 प्रतिशत से नीचे है। सितम्बर में अधिकांश वर्षा सिंचित क्षेत्रों में वर्षा न होने से बीजों का उत्पादन अनुमानित 11 प्रतिशत से घटकर 5.0 मिलियन हैक्टेयर हो गया, जबकि फूलों के खिलने तथा फलियां आने के समय अधिक तापमान के कारण पैदावार अधिक होने की आशा की जाती है। सरकार इस स्थिति से चिन्तित है।

(ग) और (घ) विगत दो वर्षों अर्थात 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान रेपसीड-सरसों के उत्पादन के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चालू वर्ष के लिए रेपसीड-सरसों के राज्यवार उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 2000-01 के दौरान रेपसीड-सरसों का उत्पादन 42.6 लाख मीटरी टन आंका गया है। नवीनतम रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि रेपसीड सरसों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे हैं और सरसों की खरीद शुरू हो गई है।

(ङ) देश में रेपसीड-सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है और रेपसीड सरसों सहित तिलहनों की खेती बड़े पैमाने पर करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आदानों पर राजसहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मूल्य सहायता प्रचालन भी किया जाता है।

विवरण

रेपसीड तथा सरसों के उत्पादन के अनुमान

(000 मी. टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.0	0.6
अरुणाचल प्रदेश	19.7	21.1
असम	135.6	129.4

1	2	3
बिहार	102.5	102.5
गुजरात	468.9	301.0
हरियाणा	597.0	593.0
हिमाचल प्रदेश	6.1	6.1
जम्मू और कश्मीर	48.0	48.0
कर्नाटक	1.8	1.6
मध्य प्रदेश	574.8	666.1
महाराष्ट्र	2.4	2.8
मणिपुर	0.6	0.6
मेघालय	4.6	4.6
मिजोरम	1.7	1.5
नागालैंड	12.5	14.0
उड़ीसा	2.4	2.3
पंजाब	69.0	63.0
राजस्थान	2477.1	2652.6
सिक्किम	2.4	4.5
तमिलनाडु	0.2	0.2
त्रिपुरा	2.9	2.9
उत्तर प्रदेश	880.3	1087.4
पश्चिम बंगाल	251.7	251.7
दिल्ली	0.7	0.7
अखिल भारत	5663.9	5958.2

माल डिब्बों का बदला जाना

5992. श्री के. येरननायडु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में सी.आर.टी माल डिब्बे वैक्यूम ब्रेक वाले माल डिब्बों की अपेक्षा पटरी से उतर जाने के संबंध में अधिक दुर्घटना प्रवण वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो पटरियों से उतरने की घटना को कम करने हेतु इन माल डिब्बों को बदलने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां, सी आर टी मालडिब्बों का चौपहिया स्टाक होने के कारण उनका वैक्यूम ब्रेक मालडिब्बों की तुलना में उनकी पटरी से उतरने की अधिक संभावना होती है।

(ख) भारतीय रेलों से सी आर टी मालडिब्बे हटाने का विनिश्चिय किया गया है और लगभग 3,000 को छोड़कर शेष को पहले ही वाणिज्यिक उपयोग से हटा लिया गया है। इन 3000 सी आर टी मालडिब्बों को तब तक भारत-पाक रेल यातायात की ढुलाई के लिए बनाए रखा जा रहा है। जब तक कि पाकिस्तान रेलवे सी आर टी मालडिब्बों के बदले बी सी एक्स मालडिब्बे स्वीकार करना शुरू नहीं कर देती।

अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग

5993. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग का बहुत कम उपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कुल नौभार संचालन में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का हिस्सा कितना है;

(ग) कुल कितने किलोमीटर का जलमार्ग नौवहनीय है और मेकनाइज्ड क्राफ्ट हेतु कितना किलोमीटर का जलमार्ग उपयुक्त है और अब तक कितने किलोमीटर को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा अप्रयुक्त जलमार्ग को उपयोग में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली द्वारा 1 से 1.5 बिलियन टन कि.मी. कार्गो की ढुलाई की गई जो ढोए गए कुल कार्गो के 1 प्रतिशत से भी कम है।

(ग) नौचालन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 145000 कि.मी. है जिसमें से 5700 कि.मी. यंत्रीकृत क्राफ्टों के लिए उपयुक्त है। घोषित तीनों जलमार्गों अर्थात हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा, राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-1 (1620 कि.मी.), धुबरी से

सैदिया तक ब्रह्मपुत्र, राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-2 (891 कि.मी.) और चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों के साथ-साथ पश्चिमी तटीय नहर, राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 (205 कि. मी.) की कुल लम्बाई 2716 कि.मी. है।

(घ) नौवहन और नौचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए सन 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। कुछ और जलमार्गों पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं। उनकी घोषणा और फिर उनका विकास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। राष्ट्रीय जलमार्गों से भिन्न अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुमोदित स्कीम की लागत के 5 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के जरिए ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक उपायों के एक पैकेज को अभी हाल में अनुमोदन प्रदान किया है।

[हिन्दी]

पशुधन की क्षति

5994. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक देश के विशेषकर महाराष्ट्र के आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में पशुधन को कितना नुकसान हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को विशेषकर महाराष्ट्र सरकार को वर्षवार किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सहायता किस रूप में प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और आज तक महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को क्या सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र में जनजाति और अनुसूचित जाति प्रधान क्षेत्र में संक्रामक रोगों के कारण पशुधन को हुई हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के तहत महाराष्ट्र राज्य को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है:-

योजना का नाम	प्रदान की गई सहायता (लाख रुपए में)		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
1. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (50:50)	0.00	73.43	53.00
2. पशुप्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना (100 प्रतिशत)	8.00	26.66	40.00
3. व्यावसायिक दक्षता विकास (50:50)	0.00	16.00	0.00
4. क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं (100 प्रतिशत)	0.00	25.00	53.00

(ग) सरकार का यह प्रस्ताव है कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान उसी पद्धति पर जारी किए जाएं जिस पद्धति पर यह इस समय प्रदान किए जा रहे हैं। 2000-2001 के दौरान पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के तहत राज्यों को प्रदान की गई सहायता संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय तथा अनुसूचित जाति क्षेत्रों में संसर्गजन्य रोग के कारण मरे पशुओं की संख्या

क्र.सं.	रोग/प्रजाति का नाम	वर्ष		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1.	खुरपका और मुंहपका रोग			
	बोवाईन	25	128	11
	भेड़ और बकरी	–	20	–
2.	हैमोरहैजिक सेप्टीसेमिया			
	बोवाईन	118	112	104
	भेड़ और बकरी	263	113	28
3.	एंथोटोक्सेमिया			
	भेड़ और बकरी	18	66	9
4.	ब्लैक क्वार्टर	191	64	40
5.	भेड़ चेचक	40	–	–
6.	एन्थ्रेक्स			
	बोवाईन	27	–	17
	भेड़ और बकरी	4	–	–
7.	ब्ल्यू टंग	15	–	–
8.	पेस्ट डेस पेटिस रुमिनेंटस	126	241	–

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान पशुधन स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी राज्यवार निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पशुधन रोगों का क्रमबद्ध नियंत्रण	खुरपका और मुंहपका रोग	पशु रोग निगरानी	व्यावसायिक दक्षता विकास	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.18	0.00	7.50	40.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	2.00	1.50	0.79	20.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	0.00	0.00	4.00	12.00	23.34
4.	बिहार	24.00	0.00	0.00	1.56	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	2.00	2.00	2.53	0.50	15.00
7.	गुजरात	24.31	29.05	15.67	0.00	35.00
8.	हरियाणा	10.00	12.34	2.55	5.94	18.57
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00	10.00	3.45	0.50	25.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	$	21.91
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	23.00	27.83	4.00	18.50	39.50
13.	केरल	12.00	3.50	2.50	0.00	23.90
14.	मध्य प्रदेश	29.00	1.23	0.00	25.00	40.00
15.	महाराष्ट्र	23.00	30.00	0.00	0.00	40.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	4.00	5.28
17.	मेघालय	4.40	2.33	2.48	3.00	25.00
18.	मिजोरम	38.00	15.00	10.00	7.00	15.00
19.	नागालैंड	5.02	5.00	6.50	9.49	38.00
20.	उड़ीसा	18.00	0.00	0.00	0.00	11.67
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
22.	राजस्थान	28.00	9.37	4.00	3.15	34.45
23.	सिक्किम	2.38	5.00	3.00	0.00	15.00
24.	तमिलनाडु	18.00	13.50	1.50	$	38.91
25.	त्रिपुरा	23.20	27.20	17.52	14.00	20.00
26.	उत्तर प्रदेश	40.00	36.00	3.00	4.64	37.67
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	18.67	30.00	0.00	10.92	56.00
कुल राज्य		354.98	261.53	84.20	128.49	654.71

1	2	3	4	5	6	7
1.	अंड. व नि.द्वी.स.	5.00	7.00	6.00	10.00	3.67
2.	चंडीगढ़	1.75	0.80	0.00	0.00	0.33
3.	दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दमन दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
5.	दिल्ली	7.00	0.00	0.00	8.75	7.50
6.	लक्षद्वीप	2.00	1.00	2.50	0.00	2.00
7.	पांडिचेरी	3.00	0.00	0.00	5.98	6.43
कुल संघ शासित प्रदेश		18.75	8.80	8.50	24.73	21.93
सकल योग		373.73	270.33	92.70	153.22	676.64

$ भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को अभी स्वीकार किया जाना है।

पटना जंक्शन पर बरती गई अनियमितताएं

5995. श्री अरुण कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को पटना जंक्शन पार्सल कार्यालय से प्रतिदिन हजारों रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) व्यापारियों द्वारा दावा की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उनके क्या नाम हैं तथा उनको कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा पटना जंक्शन पार्सल कार्यालय में अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं, क्षतिपूर्ति दावों को छोड़कर।

(ख) वर्ष 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमश: 41, 20 और 05 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) दावा की गई राशि और भुगतान की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

रुपयों में

वर्ष	दावे की राशि	भुगतान की गई राशि
1998-1999	32,44,38,009	27,89,874
1999-2000	9,47,47,446	32,15,741
2000-2001	1,55,38,877	35,61,418

व्यापारियों के नाम के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) पटना जं. पार्सल कार्यालय में पार्सल पारेषण की हानि/क्षति के लिए क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान के कारण होने वाली रेलवे राजस्व की हानि को रोकने के लिए रेलवे ने कुछ उपाय किए हैं जिनमें संबंधित मंडल को चोरी/उठाईगीरी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने, अति लदान रोकने तथा दावा निरोधक उपाय करने और अचानक एवं नियमित निरीक्षण करने के लिए दिए गए अनुदेश भी शामिल हैं। ऐसे उपाय करना एक सतत प्रक्रिया है और ये नियमित तौर पर किए जाते हैं।

[अनुवाद]

प्ली बार्गेनिंग

5996. डा. वी. सरोजा: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्ली बार्गेनिंग अवधारण को आरंभ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ अभिवाक् सौदेबाजी की संकल्पना आरंभ करने की सिफारिश की है। राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करके रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। सरकार ने हाल ही में व्यापक विचारार्थ विषयों के लिए केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में दांडिक न्याय प्रणाली सुधार समिति की नियुक्ति की है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी उपायों पर विचार करते समय इस सिफारिश पर उदारतापूर्वक विचार किया जाएगा।

निजी क्षेत्र की लंबित परियोजनाएं

5997. **डा. जसवंत सिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र की कितनी विद्युत परियोजनाएं सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक निजी क्षेत्र की लंबित सभी परियोजनाओं को स्वीकृति देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) 31.3.2001 की स्थितिनुसार 11 निजी क्षेत्र स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्राप्त किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। सीईए द्वारा टीईसी प्रदान किया जाना परियोजना प्रवर्तकों द्वारा सीईए की संतुष्टि के अनुरूप अपेक्षित स्वीकृतियों/निवेशों को सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है। इन परियोजनाओं की सूची एवं इन स्कीमों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना/राज्य (जिला) का नाम	क्षमता (मेगावाट)	लंबित निवेश
1	2	3	4
		हाइड्रो स्कीमें	
	हिमाचल प्रदेश		
1.	धामवाड़ी सुंडा एचईपी (मैसर्स धामवाड़ी पावर कं. लि.) (शिमला)	70	सैद्धांतिक स्वीकृति 31.3.1996 को दे दी गई। 20.03.2001 को टीसी बैठक में विचार किया गया। टीसी पत्र वित्तीय, पारेषण एवं भू-वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित लंबित मामलों के निपटान के आधार पर ही जारी किया जा सकता था।
		थर्मल स्कीमें	
	उत्तर प्रदेश		
2.	जवाहरपुर टीपीपी (मैसर्स जवाहरपुर पावर इंडिया प्रा. लि.)	800	आईपीसी 16.8.95 को जारी। लंबित निवेश/स्वीकृति:- (i) डीपीआर/लागत पर राज्य सरकार की सिफारिश (ii) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) के अन्तर्गत लागत हेतु शुद्धिपत्र - [ई (एस) अधिनियम]

1	2	3	4
			पर 2.12.98 को एसपीएसी में विचार किया गया टीइसी हेतु सिफारिश नहीं की गई। लंबित मामलों के निपटान एवं लागत को पर्याप्त रूप से कम करने के बाद इस पर पुन: विचार किया जाएगा। अंनतिम वित्तीय पैकेज पर स्पष्टीकरण लंबित है। (iii) ईंधन आपूर्ति समझौता (iv) ईंधन परिवहन समझौता (v) ईंधन लिंकेज का पुन: वैधीकरण
मध्य प्रदेश			
3.	राजगढ़ सीसीपीपी (मैसर्स अल्पाइन पावर सिस्टम लि. (मुकदमाधीन)	343.48	लंबित निवेश/स्वीकृति है:- (i) ई (एस) अधिनियम की धारा 29(2) का अनुपालन-संशोधित क्षमता एवं लागत के शुद्धिपत्र धारा 29(3) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रतीक्षित। (ii) संशोधित क्षमता को मान्यता देने हेतु ई (एस) अधिनियम की धारा 18(ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति। (iii) विद्युत निकासी प्रणाली एवं एस/वार्ड में आउटलेट की संख्या। (iv) पुन: वैधीकृत इंधन परिवहन स्वीकृति। (v) 343.48 मेगावाट की संशोधित क्षमता के लिए इंधन लिंकेज।
4.	झाबुआ सीसीजीटभ् (मैसर्स केडिया पावर लिमिटेड)	360	परियोजना विकासकर्ताओं के साथ 12.11.99 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। कंपनी ने परियोजना क्षमता को 330 मेगावाट रखे जाने की सूचना दी। लंबित निवेश/स्वीकृतियां निम्नवत हैं:- (i) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम की धारा 29(2) की अनुपालना संशोधित क्षमता एवं लागत हेतु शुद्धिपत्र राज्य सरकार से धारा 29(3) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रतीक्षित है। (ii) संशोधित क्षमता हेतु विद्युत (प्रदाय) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत राज्य सरकार की सहमति। (iii) 194.33 हेक्टैयर भूमि की जलमग्नता हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति।, (iv) 8.63 एम. क्यू. मीटर पानी के आहरण हेतु मध्य प्रदेश सरकार से नए सिरे से अनुमोदन। (v) राज्य सरकार द्वारा विद्युत अवशोषण की पुष्टि।

1	2	3	4
	कर्नाटक		
5.	हासन सीसीपीपी (मैसर्स हासन पावर सप्लाई कं. लि.)	189	के.वि.प्रा. द्वारा 28.5.99 को टीईसी हेतु विचार किया गया। हार्ड कॉस्ट मे 51 करोड़ रुपए घटाने के पश्चात, जो पहले घटाए गए 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त हैं तथा सॉफ्ट कॉस्ट को उपयुक्त रूप से कम करने के पश्चात स्कीम पर पुन: विचार किया जाएगा। लंबित निवेश निम्नवत है: (i) अंतराज्यीय पहलुओं से (कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल मामला) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जल उपलब्धता का समाधान
6.	नंजनगुड सीसीपीपी (टी) (मैसर्स आईपीएस पावर कं)	96.7	आईपीसी 31.3.96 को जारी कर दी गई। के.वि.प्रा. द्वारा टीईसी हेतु 26.2.99 को विचार किया गया। लम्बित निवेश निम्नवत है:- 1. अंत:राज्यीय पहलू से (सीडब्ल्यूडीटी मामला) सीडब्ल्यूसी द्वारा जल उपलब्धता का समाधान। 2. हार्ड कॉस्ट का निर्धारण।
7.	तेलगी (बीजापुर) टीपीपी (मै. केईआई एनर्जी प्रा.लि.)	350	आईपीसी 30.3.96 को जारी कर दी गयी। एसपीएसी द्वारा 6.3.99 को विचार किया गया। टीईसी हेतु इसकी सिफारिश नहीं की गयी क्योंकि लागत उपयुक्त रूप से तैयार नहीं की गयी और उपस्कर एवं सेवा लागतें उचित अनुपात में नहीं दर्शायी गयी हैं।
8.	मीन शिवपुर कोन्नूर एलएनजी आधारित सीसीपीपी (मै. वेस्को पावर जेनरेशन लि.) (बेल्जियम)	483	जांचाधीन
9.	तोरांगल्लू टीपीपी विस्तार, मै. जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लि.	500	जांचाधीन
	आंध्र प्रदेश		
10.	कोनासीमा सीसीपीपी (मै. कोनासीमा ईपीएस पावर लि.) पूर्वी गोदावरी	445	जांचाधीन
11.	जेगरूपाडु विस्तार सीसीपीपी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लि.)	230	जांचाधीन

मत्स्यन क्षेत्र का कोटि-उन्नयन

5998. श्री नरेश पुगलिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में यंत्रचालित मत्स्यन क्षेत्र के उन्नयन हेतु किसी कार्यक्रम की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी तटीय क्षेत्रों और द्वीप समूहों में रह रहे मछुआरों के लिए संचार प्रणाली शोर टू फीशिंग वेसल के विस्तार हेतु क्या कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) "समुद्री मात्स्यिकी का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मोटरीकरण के लिए अब तक लगभग 33,000 परम्परागत यानों को स्वीकृत किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष औसतन लगभग 18,000 ऐसे मत्स्यन यानों को कवर करते हुए 20 मीटर से कम लम्बाई वाले यांत्रीकृत मत्स्यन यानों को आपूर्ति किए जाने वाले एच एस डी ऑयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) और (घ) "शोर टू फिशिंग वेसेल" संचार प्रणाली के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चरण-1 के तहत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा गोवा राज्यों में तटवर्ती मछुआरों के लाभ के लिए संचार प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी गई थीं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "शोर टू फिशिंग वेसल" संचार प्रणाली के चरण-2 के तहत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा गोवा राज्यों और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में 10 स्थानों पर शोर केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था है।

एनरान पत्तन की अनुमानित क्षमता

5999. श्री एस.डी.एन.आर. वाडिआर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चैत्रई के निकट एनरान पत्तन की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पत्तन की अनुमानित क्षमता कितनी है; और

(घ) इस एनरान पत्तन को कब तक चालू किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। चेन्नई के समीप इन्नौर पत्तन के लिए 1056.52 करोड़ रु. की संशोधित लागत अनुमोदित की गई है जिसमें 258.15 करोड़ रु. का विदेशी मुद्रा घटक और निर्माण के दौरान 261.10 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है।

(ग) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के लिए थर्मल कोयला हैंडल करने के लिए प्रारंभ में 16 मिलियन टन क्षमता की दो कोयला बर्थों का निर्माण किया गया है। पत्तन 65000 डेडवेट टन कैरियरों को हैंडल करेगा।

(घ) इन्नौर पत्तन का 2.1.2001 को उद्घाटन कर दिया गया है और यह कार्य कर रहा है।

वस्त्र उद्योग के लिए विकास परिषद

6000. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कोई विकास परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान विद्युतकरघा चालित वस्तुओं के निर्यात में गिरावट दर्ज की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी हां। विकास परिषद (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अंतर्गत स्थापित वस्त्र उद्योग विकास परिषद में सरकार के संगठनों और वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ उपभोक्ता हितापेक्षी प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद ने अनुसूचित वस्त्र उद्योग से संबंधित मामलों पर सरकार को सिफारिशें देनी हैं ताकि उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके,

सेवाओं में सुधार लाया जा सके और उनका विकास किया जा सके तथा उद्योग व उसके उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।

(ग) और (घ) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अप्रैल-फरवरी, 2000-2001 की अवधि के दौरान कोटा देशों को सूती फैब्रिकों और मेड-अप्स (मिलनिर्मित/विद्युत करघा) के निर्यात ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए निर्यात की तुलना में 13.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है।

(ङ) विद्युत करघा क्षेत्र में उत्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए कुछ मुख्य उपाय, जिनसे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, नीचे दिए गए हैं:-

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टूयूएफएस) द्वारा प्रदत्त से विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटल रहित तथा 2.5 लाख अर्ध स्वंचालित और स्वचालित करघे शामिल करने का कार्यक्रम शुरू करना। टी यू एफ एस के मार्गनिर्देशों और प्रक्रियाओं में ढील देना तथा उन्हें व्यापक बनाना ताकि विद्युतकरघा क्षेत्र, योजना का लाभ उठा सके।

2. विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों में करघों का उन्नयन करके उनके आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू करना ताकि आधुनिकीकृत उपस्कर चलाने के लिए विद्युतकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण व कौशल प्रदान किया जा सके।

3. विद्युतकरघा उत्पादन में आवश्यक डिजायन इनपुट प्रदान करने के लिए विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों में कम्प्यूटर सहायित डिजायन केन्द्र स्थापित करना।

4. विद्युतकरघा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए तथा निर्यात प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा करने तथा उन्हें सरल बनाने के लिए 15 प्रतिशत का विद्युतकरघा निर्यात हकदारी (पीईई) कोटा प्रदान करना।

[हिन्दी]

कृषि उत्पाद खरीद केन्द्र

6001. **श्रीमती हेमा गमांग:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद को सुनिश्चित करने हेतु कम से कम प्रखंड (ब्लाक)/पंचायत स्तर पर कृषि उत्पाद खरीद केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों को कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) देश में पहले से कार्य कर रहे ऐसे केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा उनके उत्पादों के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने और ऐसी स्थिति जहां किसानों को आलू जैसी फसल को उर्वरक के रूप में प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है जैसा उन्होंने पिछले वर्ष किया था, से बचने से लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) चौबीस प्रमुख कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, पटसन तथा गन्ना को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम में कवर किया गया है। इन विभिन्न जिन्सों के लिए शीर्ष अभिकरणों की भी स्थापना की गई है, जो मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाने पर खरीद की कार्रवाई करते हैं। अनाज, जो खरीद प्रचालन का प्रमुख घटक है, के खरीद प्रचालनों का शीघ्र अभिकरण भारतीय खाद्य निगम है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वयं अथवा राज्य अभिकरणों के साथ संयुक्त रूप से अथवा राज्य अभिकरणों द्वारा रबी 2000-2001 तथा खरीफ 2000-2001 के लिए खोले गए खरीद केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दी गई है। अन्य फसलों से संबंधित शीर्ष अभिकरणों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), भारतीय कपास निगम तथा भारतीय पटसन निगम से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रखी दी जाएगी। आलू जैसी जल्द खराब होने वाली जिन्सों को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अन्तर्गत कवर नहीं किया गया है और इनके लिए सरकार मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत उक्त जिन्सों के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आने पर खरीद की कार्रवाई की जाती है। यह स्कीम राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है और मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के प्रचालन में होने वाला नुकसान, यदि कोई हो, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के बीच 50:50 आधार पर वहन किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 (रबी) के दौरान संचालित खरीद केन्द्रों की सूची

क्रम सं.	राज्य	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेन्सियों के साथ संयुक्त रूप से	राज्य एजेन्सियां	कुल
1.	पंजाब	446	49	1059	1554
2.	राजस्थान	22	–	118	140
3.	हरियाणा	40	90*	227	357
4.	बिहार	26	–	–	26
5.	मध्य प्रदेश	22	–	1086	1108
6.	उत्तर प्रदेश	44	–	4881	4925
	कुल	600	139	7371	8110

*90 में से 35 भारतीय खाद्य निगम के साथ संयुक्त रूप से और शेष 55 अन्य अभिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से।

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 (खरीफ) के दौरान संचालित खरीद केन्द्रों/मंडियों की सूची

क्रम सं.	क्षेत्र	धान/मोटा अनाज			
		भारतीय खाद्य निगम	संयुक्त रूप से	राज्य एजेन्सियां	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	460	87	1040	1587
2.	हरियाणा	22	10	192	224
3.	उत्तर प्रदेश	–	–	1400	1400
4.	दिल्ली	4	–	–	4
5.	राजस्थान	12	–	–	12
6.	आंध्र प्रदेश	173	–	156	329
7.	मध्य प्रदेश	–	–	2155	2155
8.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–
9.	कर्नाटक	18	–	13	31
10.	पांडिचेरी	2	–	2	4

1 2	3	4	5	6
11. अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
12. बिहार	40	–	512	552
13. उड़ीसा	42	–	–	42
14. हिमाचल प्रदेश	2	–	–	2
15. महाराष्ट्र	–	–	255	255
16. जम्मू एवं कश्मीर	2	–	–	2
कुल	777	97	5725	6599

[अनुवाद]

कोयले का अधिक लदान

6002. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल डिब्बों में कोयले की लदान अनुमत्त सीमा से ज्यादा की जा रही है और इसे रोकने के लिए बुकिंग स्टेशनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(घ) क्या इस मामले की छानवीन की गई है और जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इसके कारण रेलवे को राजस्व का कितना घाटा हुआ है; और

(छ) भविष्य में इस प्रक्रिया को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) कुछ मामलों में यह देखा गया है कि कोयले सहित विभिन्न पण्यों का निर्धारित सीमा से अधिक लदान किया गया था और ऐसे अधिक लदान किए गए माल डिब्बों/रैकों पर नियमानुसार जुर्माना राशि वसूली गई थी।

(ख) आरंभिक स्टेशन पर माल डिब्बों/रैकों के अधिक लदान को लदान बिंदु पर तुला चौकियों की अनुपलब्धता, तुला चौकियों के कार्य न करने, पावर विफलता और परिचालनिक कठिनाइयों आदि के कारण हमेशा पता नहीं लगाया जा सकता।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(घ) और (ङ) की गई जांच के आधार पर, बहुत से कोयला रैकों का पुन: वजन किया गया और अधिक लादे गए कोयले के लिए जुर्माना प्रभार वसूला गया। चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है।

(च) अधिक लदान के कारण राजस्व की हानि के बारे में कोई आकलन करना संभव नहीं है। केवल मालडिब्बों का वजन करने/पुन: वजन करने पर ही अधिक लदान का पता चल सकता है और ऐसे मामलों में जुर्माना प्रभार सहित मालभाड़ा अनिवार्य रूप से लगाया जाता है और वसूल किया जाता है।

(छ) अधिक लदान की समस्या पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

(i) बॉक्स "एन" लादे गए स्लेक कोयले/रन आफ माइन्स कोयले के लिए अनुमेय वहन क्षमता बढ़ाकर वहन क्षमता + 2 टन कर दी गई है।

(ii) समय-समय पर यथा संशोधित रेल अधिनियम 1990 (माल डिब्बों के अधिक लदान के लिए जुर्माना प्रभार) में कड़े जुर्माना उपबंध बनाए गए हैं।

(iii) वर्तमान में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर आरंभिक सार्वजनिक कोयला रेकों का अनिवार्य रूप से वजन किया जाता है।

(iv) अचानक भार की जांच करने के लिए बहुत सी इलेक्ट्रानिक चल तुला चौकियां खरीदी जा रही हैं और उन्हें महत्वपूर्ण लदान बिंदुओं और कतिपय मार्गवती स्थानों पर संस्थापित/चालू किया जा रहा है।

(v) रेलों ने तुला चौकियों के संबंध में नीति संशोधित कर दी है और उत्तरोत्तर सभी महत्वपूर्ण लदान बिंदुओं पर तुला चौकी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

(vi) बार-बार निवारक जांचों की व्यवस्था की जाती है।

अधिक पैदावार वाले बीज

6003. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संकर बीज का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन राज्यों ने सफलता पाई है;

(ग) क्या अधिक पैदावार वाले बीजों के विकास की संभावनाओं का पता लगाने हेतु उड़ीसा में किसी प्रौद्योगिकी मिशन को स्थापित किया गया है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। वर्षा सिंचित तथा सिंचित परिस्थितियों में संकर प्रौद्योगिकी ने अपनी क्षमता पर-परागण फसलों (जैसे सॉरघम, मक्का, पर्ल कदन्न, सूरजमुखी, अरण्ड आदि), स्वपरागण फसलों (जैसे चावल, अरहर, कुसुम आदि) तथा सदैव परागण फसलों (जैस कपास, भिण्डी, टमाटर आदि में सिद्ध कर दी है। विभिन्न राज्यों के लिए जारी संकरों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए उड़ीसा को बीज मिनिकिटों के वितरण के लिए प्रोत्साहन (1999-2000 में 1.53 लाख रुपये तथा वर्ष 2000-2001 के लिए 0.40 लाख रुपये) दिया गया है। मक्का की संकर/अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 8.04 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है।

- तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा को प्रजनक बीजों, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के वितरण बीज मिनिकिट, बीज ग्राम कार्यक्रम, मूंगफली बीज हेतु क्रेश कार्यक्रम तथा बीज उत्पादक अभिकरणों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 765 लाख रुपये तथा 2000-2001 के दौरान 294.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

- कपास प्रौद्योगिकी मिशन उड़ीसा में चल रहा है और अधिक पैदावार देने वाले कपास बीजों के वितरण के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 8.42 लाख रुपये एवं 2000-2001 के दौरान 4.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

- संकरों सहित विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के विकास से संबंधित अनुसंधान कार्य उड़ीसा में अखिल भारतीय समन्वित फसल अनुसंधान सुधार परियोजना द्वारा किया जा रहा है। उड़ीसा स्थित केन्द्रों की सूची में संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

संकरों की सूची

क्रम सं.	फसल का नाम	संकर का नाम	निम्नलिखित के लिए संस्तुत
1	2	3	4
1.	चावल	ए.पी.एच.आर.-1	तेलंगाना, रायलसीमा तथा तटीय आंध्र प्रदेश की ऊपरी भूमि
		ए.पी.एच.आर.-1	तेलंगाना, रायलसीमा तथा तटीय आंध्र प्रदेश की ऊपरी भूमि
		एम.जी.आर.-1	तमिलनाडु (मई-जून तथा सितम्बर-अक्टूबर में रोपण के लिए)

1	2	3	4
		के.आर.एच-1	कर्नाटक के सिंचित क्षेत्र
		सी.एन.आर.एच.-3	पश्चिम बंगाल (बोडो मौसम)
		डी.आर.आर.एच.-1	तेलंगाना, रायलसीमा तथा तटीय आंध्र प्रदेश की ऊपरी भूमि
		के.आर.एच.-2	कर्नाटक के सिंचित क्षेत्र
		पंत संकर धान-1	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान
		सी.ओ.आर.एच.-2	तमिलनाडु (जुलाई-सितम्बर)
		ए.डी.टी.आर.एच-1	तमिलनाडु (अप्रैल-जुलाई)
		सह्याद्री	महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र
		नरेन्द्र संकर धान-2	पूर्वी उत्तर प्रदेश
		पी.एच.बी. 71	तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश
		पी.ए. 6201	बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
2.	मक्का	धारवाड मक्का 3*	कर्नाटक
		एच.एच.एम. 1	हरियाणा
		एच.एच.एम. 2	हरियाणा
		डेक्कन 107	सम्पूर्ण देश
		राजेन्द्र मक्का-1	बिहार
		राजेन्द्र मक्का-2	बिहार
		डेक्कन 109	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय भारत
		हिम-129	हिमालय क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में वर्षा सिंचित स्थितियों के अनुसार
		प्रकाश	सम्पूर्ण देश में
		पूसा अर्ली हाइब्रिड मक्का-1	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय भारत
		पूसा अर्ली हाइब्रिड मक्का-2	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश
		विवेक हाइब्रिड-4	वर्षा सिंचित खेती, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात
		विवेक हाइब्रिड-4	राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वर्षा सिंचित तथा सिंचित स्थितियों में खरीफ की खेती के लिए उपयुक्त।

1	2	3	4
		कम्पोजिट गौरव	केन्द्रीय तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब। वर्षा सिंचित तथा सिंचित स्थितियों में खरीफ की खेती के लिए उपयुक्त।
		एच.एच.एम.-1	हरियाणा
		एच.एच.एम.-2	हरियाणा
		ए.एच.-58*	क्षेत्र-4 में जारी (महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु)
3.	पर्ल कदन्न	आर.एच.बी. 58	राजस्थान
		जे.के.बी.एच.-26	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश
		जी.एच.बी.-316	राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश
		जी.के.-1004	कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु
		पूसा 605	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात मध्य प्रदेश
		पूसा 415	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और पंजाब
		एमएलबीएच-504	महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
		पी.ए.सी.-903	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक
4.	सोरघम	सी.एस.एच.-5	गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु
		सी.एस.एच.-6	कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान
		सी.एस.एच.-9	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
		सी.एस.एच.-10	महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
		सी.एस.एच.-13	महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
		सी.एस.एच.-14	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश
		सी.एस.एच.-16	महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात
		सी.एच.एच.-17	गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु
		सी.एच.एच.-18	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश
		जे.के.एस.एच.-22	आन्ध्र प्रदेश और गुजरात
		एम.एल.एस.एस.-14	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु
5.	कपास		
	उत्तरी क्षेत्र	फतेह	पंजाब
		एल.एच.एच.144	पंजाब
		एल.डी.एच.11	पंजाब

1	2	3	4
		धनलक्ष्मी	हरियाणा
		ओमशंकर	हरियाणा
		(सीएसएचएच 29)	
		(सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र)	
		राज एच.एच. 16	राजस्थान
		(मरुविकास)	
	मध्य क्षेत्र	जे.के.एचवाई 1	मध्य प्रदेश
		जे.के.एचवाई 2	मध्य प्रदेश
		पी.के.वी.एचवाई 2	महाराष्ट्र
		पी.के.वी.एचवाई 3	महाराष्ट्र
		एन.एच.एच. 44	महाराष्ट्र
		एन.एच.बी. 12	महाराष्ट्र
		सीआईसीआर एचएच 1	महाराष्ट्र
		डी.सी.एच. 32	महाराष्ट्र
		पी.के.वी.एचवाई 4	महाराष्ट्र
		फा 46	महाराष्ट्र
		एच. 6	गुजरात
		एच. 8	गुजरात
		एच. 10	गुजरात
		डी.एच. 7	गुजरात
		डी.एच. 9	गुजरात
	दक्षिणी क्षेत्र	जे.के.एचवाई 1	आन्ध्र प्रदेश
		डी.सी.एच. 32	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु
		सविता	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु
		एच.बी. 224	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु
		टीसीएचबी 213	आन्ध्र प्रदेश
		डी.डी.एच. 2	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
		डी.एच.बी. 105	कर्नाटक

1	2	3	4
		डी.एच.एच. 11	कर्नाटक
		सूर्य	तमिलनाडु
		श्रुती	तमिलनाडु
		टीसीएचबी 312	तमिलनाडु
		आर.सी.एच. 2	तमिलनाडु
6.	सूरजमुखी	ज्वालामुखी	अखिल भारत
		संर्जीन 85	अखिल भारत
		पी.ए.सी. 36	अखिल भारत
		पी.ए.सी.1091	अखिल भारत
		एमएलएसएफएच 47	महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश
7.	अरण्ड	जी.सी.एच. 5	अखिल भारत
		डी.सी.एच. 32	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में वर्षा सिंचित स्थितियों में तथा महाराष्ट्र, राजस्थान तथा गुजरात में सिंचित स्थितियों में
		जी.सी.एच. 6	गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र
		दीपक (डी.एस.एच. 177)	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र
8.	कुसुम	डी.एस.एच. 129	सिंचित तथा वर्षा सिंचित स्थितियों में कुसुम की खेती वाले सभी क्षेत्र
		एम.के.एच.11	सिंचित तथा वर्षा सिंचित स्थितियों में कुसुम की खेती वाले सभी क्षेत्र, विशेषत: महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश
9.	रेपसीड तथा सरसों	हायोला 401	पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश
10.	अरहर	ए.के.पी.एच. 4101	दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात

विवरण-II

अखिल भारतीय समन्वित फसल अनुसंधान सुधार परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा स्थित अनुसंधान केन्द्र

क्रम सं.	परियोजना का नाम	केन्द्र/विश्वविद्यालय का नाम
1	2	3
1.	चावल	(i) चिपलिमा, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
		(ii) जेयपौर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

1	2	3
2.	मक्का	जसीपुर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
3.	छोटे कदन्न	बेहरामपुर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
4.	रेपसीड और सरसों	भुवनेश्वर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
5.	सूरजमुखी	भुवनेश्वर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
6.	अरण्ड	भवानीपाटन, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
7.	मूंगफली	चिपलिमा, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
8.	तिल	भुवनेश्वर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
9.	रामतिल संबंधी नेटवर्क	सीमलीगुडा, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
10.	अलसी	जशीपुर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
11.	अरहर	बहरामपुर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
12.	मुल्लार्प	बहरामपुर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
13.	कपास	उमरकोट, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
14.	राष्ट्रीय बीज परियोजना फसलें)	उड़ीसा, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

स्वतंत्रता पश्चात् भूंकप

6004. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतंत्रता के पश्चात देश में लोगों ने भूंकप की बड़ी घटनाओं का कितनी बार सामना किया है;

(ख) स्वतंत्रता पश्चात भूकम्प में मारे गए लोगों की भूकंपवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने सावधानी बरतने के उपायों और रक्षा उपायों का सुझाव देने के लिए समय-समय पर समितियां गठित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा सुझाए उपाय क्या हैं; और

(ङ) समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, स्वातंत्रयोत्तर भारत में आए विनाशकारी भूकम्पों तथा उलपब्ध जानकारी के अनुसार मृतकों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

दिनांक 26-1-2001 को आए भूकम्प के कारण 13 लाख मकान/झोपडियां नष्ट/क्षतिग्रस्त हो गए।

(ग) से (ङ) स्थान समय तथा तीव्रता के संबंध में भूकम्प के बारे में सही-सही अनुमान लगाने के लिए आए विश्व में कहीं भी कोई भी वैज्ञानिक विधि उपलब्ध नहीं है। चूंकि भूकम्प की भविष्यवाणी सम्भव नहीं है, अत: भूकम्परोधी भवनों का निर्माण, निर्माण संहिता/दिशा-निर्देश/मानक अपनाना, रिट्रोफिटिंग जन शिक्षण तथा सामुदायिक जागरूकता जैसे तैयारी संबंधी उपायों की आवश्यकता है।

भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में संबंधित अभिकरणों द्वारा राज्य सरकारों से आवश्यक एहतियाती उपाय करने का अनुरोध किया गया है। भूकम्प, चक्रवात तथा बाढ़ जैसी आपदाओं के संबंध में देश में संवेदनशील क्षेत्र दर्शाने वाला मानचित्र (एटलस) प्रकाशित किया गया है। हाल ही में गुजरात में आए भूकम्प के संदर्भ में भूकम्पीय क्षेत्र 4 एवं 5 में आने वाले राज्यों से अपनी आकस्मिक कार्य योजना को अद्यतन बनाने तथा तैयारी एवं शमन पर जोर देते हुए आवश्यक उपाय शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

गुजरात मे आए भूकम्प के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह राष्ट्रीय समिति अन्य बातों के अलावा भविष्य में आने वाली बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक कारगर तथा दीर्घावधिक कार्यनीति हेतु आवश्यक संस्थागत तथा कानूनी उपायों के बारे में सुझाव देगी।

विवरण

भारत तथा इसके पड़ोसी देशों में आए कुछ प्रमुख भूकम्पों की सूची

दिनांक	केन्द्र		स्थिति	तीव्रता	मृतक संख्या
	अक्षांश (अंश उत्तर)	देशान्तर (अंश पूर्व)			
15 अगस्त, 1950	28.5	96.7	अरुणाचल प्रदेश-चीन सीमा	8.5	1500
21 जुलाई, 1956	23.3	70.0	अंजार, गुजरात	7.0	सैकड़ों
10 दिसम्बर, 1967	17.37	73.75	कोयना, महाराष्ट्र	6.5	200
19 जनवरी, 1975	32.38	78.49	किन्नोर, हिमाचल, प्रदेश	6.2	–
6 अगस्त, 1988	25.13	95.15	मणिपुर-म्यांमार सीमा	6.6	–
21 अगस्त, 1988	26.72	86.63	बिहार-नेपाल सीमा	6.4	1003
20 अक्तूबर, 1991	30.75	78.86	उत्तरकाशी-उत्तरांचल	6.6	715
30 सितम्बर, 1993	18.07	76.62	लातूर-उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	6.3	7928
22 मई, 1997	23.08	80.06	जबलपुर, मध्य प्रदेश	6.0	38
29 मार्च, 1999	30.41	79.42	चमोली, उत्तरांचल	6.8	106
26 जनवरी, 2001	23.6	69.8	कच्छ-भुज	6.9	20,000

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गैस की खोज

6005. डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां गैस की खोज के उपरांत गैस मिली है; और

(ख) वे स्थान कौन से हैं जहां प्रारंभिक कार्य आरंभ हो चुका है अथवा खोज आरंभ किए जाने के लिए निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) द्वारा अन्वेषी प्रयासों के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश (म.प्र.) के दमोह जिले के विंध्य बेसिन में वेधित जबेरा-1 कूप में प्रोटेरोजोइक सीक्वेन्स में गैर वाणिज्यिक गैस की उपस्थिति निर्दिष्ट हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा बेसिन में वेधित एक दूसरे कूप अनहोनी-I ने गोंडवाना सीक्वेन्स के अन्तर्गत परीक्षण किए जाने पर द्रवीभूत गैस के संकेत दिए थे।

(ख) भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के आधार पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन ने मध्य प्रदेश में कई कूपों का वेधन किया है, जिनमें से एक अन्वेषी कूप, दमोह-1 वर्तमान में परीक्षणाधीन है।

संरचनात्मक नमूनों का ब्यौरा तैयार करने और संभाव्य संरचनात्मक पूर्वेक्षण स्थलों का रूपरेखांकन करने के लिए टेकापार-बामनी-तामिया क्षेत्र में भी ओएनजीसी द्वारा द्विआयामी भूंकपीय आंकड़ा अर्जन का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने इस क्षेत्र की विद्यमान भूवैज्ञानिक सूचना का उन्नयन करने के लिए पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के अंतर्गत विगत में 183 एलकेएम परिकल्पी द्विआयामी भूंकपीय सर्वेक्षण किए थे।

[अनुवाद]

कर्नाटक दुग्ध परिसंघ

6006. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक दुग्ध परिसंघ के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कर्नाटक दुग्ध परिसंघ के अध्यक्ष ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किए बगैर एन.डी.डी.बी. से ऋण की विशाल राशि की निकासी की है;

(ग) क्या धन के दुरूपयोग का भी पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

माल गाड़ियों का पटरी से उतरना

6007. **श्री राम मोहन गाड्डे:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के अन्तर्गत दिनांक 28 फरवरी, 2001 को वुडामेस रेल पुल पर और 5 मार्च 2001 को करीगनूर और हॉस्पेट स्टेशनों के बीच माल गाड़ियों के पटरी से उतरने की दो घटनाएं हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें नष्ट हुई सरकारी संपत्ति का मूल्य क्या था;

(घ) क्या इन घटनाओं की छानबीन की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां, दो दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) 28.2.2001 को जब विजयवाड़ा मंडल के विजयवाड़ा-राजामुंद्री, खंड पर एलएक्स/एन माल गाड़ी विजयवाड़ा स्टेशन से 4.45 बजे प्रस्थान कर रही थी, तब दो माल डिब्बे पटरी से उतर गये थे जिनमें से एक बुडागेरू पुल पर उलट गया और नहर में गिर गया। इस दुर्घटना में कोई हताहत अथवा जख्मी नहीं हुआ है।

(ii) 5.3.2001 को 13.10 बजे जब गुंतकल मंडल के गुंतकल-होजपेट खंड पर कारीगनारू स्टेशन में एचपीटी/एन माल गाड़ी प्रवेश कर रही थी तब गाड़ी ड्राइवर खतरे के सिगनल को पार कर गया था जिसके परिणामस्वरूप इंजन और ग्यारह माल डिब्बे पटरी से उतर गए। इस गाड़ी के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हुए।

(ग) इन दुर्घटनाओं में रेलवे संपत्ति को लगभग 2.76 करोड़ रुपए की क्षति हुई।

(घ) से (च) इन दोनों दुर्घटनाओं की अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई थी जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि ये दुर्घनाएं रेलवे कर्मचारी की चूक के कारण हुई। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

चेन्नई-मुम्बई रेल मार्ग का विद्युतीकरण

6008. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रीमंडल द्वारा सितम्बर, 2000 में चेन्नई-मुम्बई रेल मार्ग के विद्युतीकरण को स्वीकृति दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को रेलवे बोर्ड तथा योजना आयोग ने पहले ही स्वीकृति दे दी थी;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और इस पर कितनी खर्च होगा;

(घ) कोलकाता-चेन्नई रेल मार्ग जिस पर लगभग 700 करोड़ खर्च आने की संभावना है के विद्युतीकरण के कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या दिल्ली-चेन्नई, दिल्ली-मुम्बई, दिल्ली-कोलकाता, के स्वर्णिम चतुर्भुज ट्रक मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(च) रेलवे मार्गों के कितने प्रतिशत का विद्युतीकरण किया गया है; और

(छ) चेन्नई-मुम्बई रेल मार्ग को पूरा करने में कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कलकत्ता-चैन्नै मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य मार्च 2003 है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ङ) जी हां।

(च) 1.4.2001 को 24.53 प्रतिशत रेलपथ विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनियमितताएं

6009. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कम्प्यूटरों की खरीद में देखी गई वित्तीय प्रशासनिक कमियों सहित अन्य वित्तीय प्रशासनिक कमियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या संस्था की अनेक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुए असाधारण विलम्ब के कारण उनकी लागत में वृद्धि हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (च) जी, हां। सरकार के ध्यान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कम्प्यूटरों की खरीद से संबंधित कुछ अनियमितताओं को लाया गया था। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में एक आन्तरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भी अलग से प्राप्त हुई थी जिसे कृषि मंत्रालय के मुख्य लेखा-नियंत्रक ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कई वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का उल्लेख था। इन सभी मामलों की पहले ही जांच हो चुकी है और विभाग ने अपने उत्तर कृषि मंत्रालय के मुख्य लेखा-नियंत्रक को भेज दिए हैं। कम्प्यूटरों की खरीद में हुई अनियमितताओं की प्रारम्भिक जांच करने के लिएं पशु-पालन और डेरी विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को कहा गया है। तत्पश्चात, सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग) से भी कम्प्यूटरों की खरीद की जांच करने के लिए कहा गया था। सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है और इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

राजनीतिक दलों के लिए धन उपलब्धता प्रणाली

6010. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:
श्री शिवाजी माने:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराए जाने की प्रणाली की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सतर्कता आयुक्त ने भी राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा नयी प्रणाली कब तक लाए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) राज्य निर्वाचन-वित्त-पोषण समिति (इन्द्रजीत गुप्त समिति) ने अन्य बातों के साथ मान्याप्राप्त राजनीतिक दलों और उनके द्वारा खड़े किए गए अभ्यार्थियों को केवल वस्तु के रूप में ही भागत: निर्वाचनों के राज्य-वित्त-पोषण की सिफारिश की है। भारत-निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के राज्य वित्त-पोषण और अन्य सहबद्ध मुद्दों के विषय में अपना पक्ष दिए जाने के अतिरिक्त इन्द्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशों के बारे में अपनी विसम्मति व्यक्त की है। निर्वाचन-आयोग के दृष्टिकोण वाला एक विवरण संलग्न है। सरकार के पत्र के उत्तर में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अन्य बातों के साथ मुख्य सर्तकता आयुक्त द्वारा तैयार किए गए एक टिप्पण की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:-

(i) निर्वाचनों के वित्त-पोषण और राजनीतिक निधियों में व्यष्टिकों या निगमित निकायों के द्वारा किए जाने वाले अभिदायों को किए जाने की खुली छूट दी जानी चाहिए और ऐसे अभिदायों पर आयकर अधिनियम के अधीन कर की कटौती की जानी चाहिए। इन सभी अभिदायों के बारें में जनसाधारण को जानकारी दी जानी चाहिए और इसे संबंद्ध व्यष्टिकों या संगठनों के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए तथा राजनीतिक दलों के वेबसाइट पर इसका प्रदर्शन अधिक महत्वपूर्ण है।

(ii) राजनीतिक दलों को अपने लेखाओं की समुचित रूप से संपरीक्षा करानी चाहिए जिससे कि वित्त-पोषण की प्रक्रिया में नितांत पारदर्शिता रहे।

तथापि, इन्द्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

विवरण

(अ) निर्वाचनों के राज्य वित्त पोषण के विषय पर और अन्य सहबद्ध मुद्दों पर भारत-निर्वाचन आयोग के विचार निर्वाचनों का राज्य वित्त-पोषण-उसका विस्तार की रीति:

निर्वाचन आयोग ने पहले ही स्वत: एक स्कीम बनाई है जिसके द्वारा मान्याप्राप्त राजनीतिक दलों को साधारण निर्वाचनों के समय अपना निर्वाचन प्रचार करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रानिक मीडिया पर साम्यता के आधार पर किसी प्रभार से मुक्त अधिक से अधिक समय दिया जाता है। यह अप्रत्यक्ष राज्य वित्त पोषण है।

राजनीतिक दलों द्वारा लेखाओं का अनिवार्य रूप से रखा जाना और निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा उन्हें संपरीक्षित किया जाना:

भारत निर्वाचन आयोग का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि राजनीतिक दलों से यह अपेक्षित होना चाहिए कि वे अनिवार्य रूप से अपने लेखे रखें और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा उन्हें संपरीक्षित कराएं। राजनीतिक दलों द्वारा निधियों के संग्रहण के विषय में और उस रीति के बारे में भी, जिसमें उन निधियों का उनके द्वारा व्यय किया जाता है, पारदर्शिता की अत्याधिक आवश्यकता है। अत: राजनीतिक दलों से यह अपेक्षित होना चाहिए कि वे अपने लेखाओं को वार्षिक रूप से जनसाधारण और सभी संबंद्धों की जानकारी और संवीक्षा के लिए प्रकाशित करे, जिस प्रयोजन के लिए ऐसे लेखाओं का रखा जाना और उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें संपरीक्षित कराना पूर्वापेक्षित है। आयोग प्रस्ताव को स्वीकार करने की जोरदार सिफारिश करता है और इस विषय में अपने पूर्व के विचारों को दोहराता है।

कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को संदान पर रोक:

इस मुद्दे पर कानून के अनुसार वर्तमान उपबंध यह है कि ऐसी कोई कंपनी, जो तीन वर्ष से अधिक समय से विद्यमान है, अपने औसत शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम का अभिदाय कर सकती है। निर्वाचन आयोग कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को संदानों पर पूर्ण रोक लगाने को अनुमोदित नहीं करता है। क्योंकि ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया और क्रियाकलों में, जिनमें कोई राजनीतिक दल अपने को वैध रूप से समाहित करता है, भारी खर्च अंतर्वलित होता है, जिसको कतिपय चैनलों के माध्य से प्राप्त की जाने वाली निधियों से पूरा किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त यदि व्यापार संघों और अन्य संगठनों को राजनीतिक दलों को अभिदाय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो ऐसा कोई आधार दिखाई नहीं देता है, जिससे कि कंपनियों द्वारा राजनीतिक

दलों को संदान देने से वर्जित कर दिया जाए। ऐसा वातावरण तैयार करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिसमें ऐसे गंभीर उपाय करने की बजाय, जिनसे केवल इस प्रकार के क्रियाकलाप चोरी-छिपे और जनता की नजरों से बचा कर ही किए जाएंगे, वित्तीय संव्यवहारों में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

अत:, अंत में आयोग का यह विचार है कि लोकतंत्र में कंपनियों को राजनीतिक कारणों के लिए अभिदाय करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसे अभिदाय उचित मात्रा तक ही सीमित होने चाहिए और इस संबंध में सभी संव्यवहार पूर्णतया पारदर्शी रीति में किए जाने चाहिए।

निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा के प्रयोजन के लिए किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में राजनैतिक दल आदि द्वारा उपगत किए गए व्यय को सम्मिलित किया जाना

निर्वाचन आयोग, इस प्रस्ताव के पक्ष में है।

प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा नियत करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त किया जाना

(आ) राज्य निर्वाचन वित्त-पोषण समिति (इन्द्रजीत गुप्त समिति) की सिफारिशों पर निर्वाचन आयोग का दृष्टिकोण:

"निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट की संप्रेक्षा करते हुए कहा है कि समिति ने आयोग के निम्नलिखित प्रस्तावों पर तो अपनी सहमति व्यक्त की है और न ही इस बारे में अपना कोई निश्चित दृष्टिकोण व्यक्त किया है।

(क) निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव किया है कि अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध में किसी राजनैतिक दल, किसी अन्य संगम निकाय या किसी व्यष्टिक द्वारा उपगत व्यय को, निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा के प्रयोजनों के लिए उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जाना चाहिए। समिति ने इस मुद्दे पर कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश नहीं की है और इस प्रश्न का विनिश्चिय सरकार संसद के सामूहित विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

(ख) आयोग ने प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा की पुनरीक्षित करने की शक्ति आयोग में विहित होनी चाहिए, क्योंकि यह भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसी अधिकतम सीमा नियम करने के लिए सर्वोत्तम रूप से सशक्त है। तथापि, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाना जारी रखा जा सकेगा जैसा कि इस समय किया जा रहा है।

(ग) आयोग ने यह सिफारिश की है कि राजनीतिक दलों से अपने-अपने लेखाओं को अनिवार्य रूप से बनाए रखे जाने और विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा उनकी संपरीक्षा की जाने की अपेक्षा की जाती है जब कि समिति, आयोग के इस सुझाव से सहमत है कि राजनीतिक दलों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व अपने अपने निर्वाचन व्यय को अनिवार्य रूप से बनाए रखना चाहिए। तथापि, समिति ने यह सिफारिश की है कि इन लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंड से कराई जानी चाहिए, जिनका राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं चयन किया जाए और फिर आय-कर प्राधिकारियों द्वारा अपने स्वयं के अभिकरणों द्वारा उनकी जांच की जा सकेगी।"

मातृभूमि एक्सप्रैस रेलगाड़ियां

6011. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मातृभूमि योजना के अन्तर्गत वर्तमान रेल बजट में अवकाशों और उत्सवों के लिए विशेष रेलगाड़ियों का लाभ लगभग सभी राज्यों को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात राज्य को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) भारतीय रेल पर गाड़ियों चलाने का मानदंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं नहीं होती हैं। गाड़ियां परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात के औचित्य के आधार पर चलाई जाती हैं।

[हिन्दी]

आई.सी.ए.आर. बोली दस्तावेज में कम्प्यूटर की खरीद

6012. डॉ. बलिराम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1999 में आई.सी.ए.आर. के बोली दस्तावेज की शर्तों के अनुसार एक फर्म वायु मार्ग/एअर इंडिया के माध्यम से 15 करोड़ रुपये के कंप्यूटर उपकरणों का आयात करने पर सहमत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो विक्रेता को सीधे धन का लाभ पहुंचाने हेतु इन उपकरणों को समुद्री-मार्ग से आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जिससे कि उक्त माल के पहुंचने में भी विलंब हुआ;

(ग) क्या निर्धारित शर्तों के अनुसार इन सभी उपकरणों को जून 1999 तक (अनुबंध के तीन महीने के अन्दर-अन्दर) उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए था;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी उपकरण उक्त अवधि तक पहुंच गए थे;

(ङ) यदि नहीं, तो इनकी संख्या सहित परेषण-वार ये कंप्यूटर उपकरण किस तिथि पर पहुंचे और क्या इस संबंध में कोई विलंब शुल्क लगाये जाने का प्रावधान था; और

(च) यदि हां, तो इस विलंब शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई, यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके लिए किन-किन व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं। बोली दस्तावेजों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कंप्यूटर उपकरणों को वायु-मार्ग अथवा एअर इंडिया के जरिए मंगवाया जाए। कंप्यूटरों और इससे संबंधित साज-सामान के लिए केवल 12.09 करोड़ रुपये मूल्य के आर्डर (वार्षिक रखरखाव अनुबंध के साथ 12.57 करोड़ रुपये) दिए गए हैं।

(ख) बोली-दस्तावेजों के अनुसार लागत, बीमा तथा भाड़ा/परिवहन-व्यय तथा बीमा भुगतान के आधार पर बोलियां आमंत्रित की गई थीं। संविदा में इनकी ढुलाई के माध्यम का भी उल्लेख नहीं था। तथापि साख-पत्र में लदान का तरीका "वायु मार्ग/एयर इंडिया" बताया गया था। इस संबंध में आपूर्तिकर्ता ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर भेजे जाने वाले माल के लिए किसी एक विशेष तरीके या माध्यम को निश्चित कर देना संभव नहीं था। अनुबंध की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि "जहां आपूर्तिकर्ता लागत, बीमा तथा भाड़ा या परिवहन-व्यय तथा बीमा भुगतान' द्वारा अनुबंध के अंतर्गत सामान के वितरण की मांग करता है वहां ढुलाई के माध्यम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी"। अत: इस शर्त को ध्यान में रखते हुए भेजे जाने वाले माल को समुद्री/वायु/भूतल मार्ग के जरिए भेजने की अनुमति देने के लिए साख-पत्र में संशोधन किया गया था।

(ग) अनुबंध की शर्तों के अनुसार साख-पत्र को खोलने की तिथि से 12 सप्ताह के अंदर आपूर्ति की जानी थी। साख-पत्र को 31 मार्च, 1999 को खोला गया था। लेकिन इसका परिचालन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि दिल्ली में 100 प्रतिशत जांच करने संबंधी निर्णय अनुबंध के दायरे में नहीं आता था और इस निर्णय से विसंगति उत्पन्न हुई थी। विश्व बैंक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद इस संशोधन को दिनांक 3.8.1999 को अधिसूचित किया गया था। सभी कंप्यूटर और उनसे संबंधित अन्य साज-सामान दिल्ली में 25.8.1999 से 27.9.1999 के बीच प्राप्त हुए थे।

(घ) उपर्युक्त (ग) में बताई गई स्थिति के अनुसार सभी उपकरणों को अनुबंध में उल्लिखित अवधि में ही प्राप्त किया गया।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त अनुबंध के अनुसार संविदा के मूल्य की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि का निर्धारित हर्जाना लगाया गया है।

(च) चूंकि साख-पत्र के माध्यम से किए गए भुगतान के बाद अभी तक कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया है इसलिए निर्धारित हर्जाने के रूप में कोई धनराशि वसूल नहीं की गई है। इस राशि को शेष 20 प्रतिशत राशि के भुगतान के समय वसूल किया जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनियमिततायें

6013. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री चन्द्र प्रताप सिंह:
डा. बलिराम:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री रामदास आठवले:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 फरवरी, 2001 को 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार के अनुसार 34 करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटरों की खरीद में समस्यायें आ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या जिन अधिकारियों ने उच्च स्तर पर उक्त मुद्दा उठाया उनकी अवनति कर दी गई और उन्हें किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित भी कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकले; और

(छ) इस संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। भा.कृ.अ.प. के मुख्यालय में अधिकारी की नियुक्ति पदावधि के आधार पर हुई थी और उन्हें अपने उसी मूल संस्थान में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है जहां पर वह पिछली बार कार्यरत थे। ऐसा उनके कार्य निष्पादन में लगातार कमी बने रहने के कारण किया गया था।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(छ) उपर्युक्त (क) से (च) को देखते हुए लागू नहीं होता।

पेट्रोल और डीजल पंपों को बंद किया जाना

6014. **श्री राजो सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान देश में बंद किए गए पेट्रोल और डीजल पंपों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें बंद करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनमें से कितने पेट्रोल पंपों को फिर से चालू किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) पिछले वर्ष अर्थात 2000-2001 के दौरान एमएस/एचएसडी के नमूने फेल हो जाने, कम सुपुर्दगी स्टॉक रिकार्डों की अनुपलब्धता, स्टाक अन्तर, स्नेहक नमूनों के फेल हो जाने, बेनामी प्रचालन कार्य न करने, भागीदारों के बीच विवाद होने, विभिन्न अनियमितताओं आदि जैसे कारणों की वजह से देश में विभिन्न राज्यों में 104 खुदरा बिक्री केन्द्र बंद कर दिए गए। इनमें से 19 खुदरा बिक्री केन्द्र पुन: आरम्भ किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

नदी परिवहन में सहायता हेतु पोतघाट का निर्माण

6015. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदी परिवहन और अन्तर्देशीय परिवहन में सहायता प्रदान करने हेतु पोतघाटों का निर्माण किए जाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान नदी परिवहन में सहायता पहुंचाने हेतु नदियों में पोतघाट का निर्माण किए जाने के कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को किस प्रकार से धन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। तीन जलमार्गों अर्थात् से इलाहाबाद तक गंगा (1620 कि.मी.), सैदियों से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र (891 कि.मी.) और केरल में चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों सहित कोट्टापुरम से कोल्लाम तक पश्चिमी तटीय नहर (205 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन नौचालन चैनल, टर्मिलन और नौचालन साधनों जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके इन जलमार्गों का विकास किया जा रहा है। कार्गों के हस्तचालित लदान और उतराई के लिए रा.ज.-1 पर हल्दिया, कलकत्ता, पाकुर, फरक्का, कारागोला, भागलपुर, मुंगेर, पटना और इलाहाबाद में तथा रा.ज.-2 पर धुबरी, जोगीघोपा और पाण्डु में जैटियां विद्यमान हैं। रा.ज.-3 पर 11 स्थानों पर टर्मिलों के निर्माण की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) से (ङ) जी हां। वर्ष 2000-01 के दौरान सरकार ने जी.आर.जैटी, कलकत्ता में प्लोटिंग जैटी के निर्माण का एक प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है। प्लोटिंग टर्मिनलों के निर्माण में पंटून, गैंगवे व्यवस्था, भंडारण सुविधाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का वित्तपोषण वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत बजट अनुदान से किया जाता है।

दक्षिण में विपणन केन्द्रों को समुद्री पत्तनों से जोड़ने वाली पाइपलाइन का निर्माण

6016. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के समक्ष दक्षिण में विपणन केन्द्रों को समुद्री पत्तनों से जोड़ने वाली एक अलग पाइपलाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विशाल तेल पाइपलाइन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड अपनी आरक्षित मुद्रा का उपयोग करने के लिए बड़ी संख्या में ऐसी विशाल पाइपलाइन परियोजनाओं को शुरू करने जा रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी पाइपलाइन वर्तमान में किस हद तक आवश्यक है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के उक्त प्रस्तावों की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो वित्तीय संसाधनों का संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

मुम्बई में सिगनलिंग प्रणाली

6017. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पश्चिमी क्षेत्र में, विशेषकर मुम्बई में सिगललिंग प्रणाली में सुधार किए जाने से संबंधित कुछ कार्य किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चर्चगेट, विरार खंड और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तथा मुम्बई में क्षेत्र में रेलगाड़ियों की डिस्क्राइबर प्रणाली और मुम्बई में उपनगर में डी.सी. से ए.सी. में परिवर्तन कार्य पूरा कर दिया गया है;

(ग) क्या ये प्रणालियां संतोषजनक सेवाएं प्रदान कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, चर्चगेट-विरार खण्ड तथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-कल्याण खण्ड में गाड़ी डिस्क्राइबर प्रणालियों तथा मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में डी.सी. का ए.सी. में बदलाव का कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उपरोक्त दोनों परियोजनाओं यथा गाड़ी डिस्क्राइबर प्रणालियों तथा मुंबई उपनगरीय उपनगरीय क्षेत्र में डी.सी. का ए.सी. में बदलाव का कार्य अभी चालू किया जाना है।

तुर्की द्वारा विश्व व्यापार संगठन के निर्णय का कार्यान्वयन

6018. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अंकारा द्वारा भारतीय वस्त्र उत्पादों के आयात पर रोक लगाए जाने के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के विनियमों का कार्यान्वयन करने हेतु 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के निर्णय का ब्यौरा क्या है जिसने भारत की शिकायत को वैध माना है;

(ग) क्या तुर्की ने विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने का कोई आश्वासन दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ङ) विश्व व्यापार संगठन में टर्की वस्त्र विवाद में भारत

व टर्की के मध्य विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) के आदेशों व सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए टर्की के लिए समयावधि 19 फरवरी, 2001 को समाप्त हो गयी है। डब्ल्यू टी ओ की डी एस बी ने दिनांक 23.10.1999 को दिए अपने आदेश में भारत के पक्ष का अनुमोदन किया कि टर्की द्वारा 19 श्रेणी में वस्त्र तथा परिधान के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध डब्ल्यू टी ओ के प्रावधान के अनुसार असंगत हैं। 8 मार्च, 2001 को भारत तथा टर्की डी एस यू के "सहमति प्रक्रियाओं के अंतर्गत अनुच्छेद 21 व 22 पर" समझौता हुआ है। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, टर्की द्वारा डी एस बी की सिफारिशों के अनुपालन पर चर्चा करने के लिए समझौते के 30 दिनों के भीतर भारत व टर्की परामर्श वार्ता आयोजित करने के लिए सहमत थे। इसके अनुसरण में, दोनों देशों के मध्य परामर्श जारी है।

[हिन्दी]

संजय गांधी ताप बिजली परियोजना हेतु प्रस्ताव

6019. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में स्थापित की जाने वाली संजय गांधी ताप बिजली परियोजना, इकाई संख्या 5 से संबंधित प्रस्ताव उनके मंत्रालय में मंजूरी हेतु लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसको मंजूरी प्रदान किए जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना को स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में संजय गांधी टीपीएस, यूनिट सं. 5 (1×500 मे.वा.) को स्थापित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

6020. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु आन्ध्र प्रदेश के चयनित जिले कौन-कौन से हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान और वर्ष 2001-2002 हेतु आन्ध्र प्रदेश के लिए कितना धन नियत और जारी किया गया था;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इस कार्यक्रम में शामिल की गई तिलहन की फसलें कौन-कौन सी हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के फलस्वरूप कितना तिलहन उत्पादन हुआ और भविष्य में उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आन्ध्र प्रदेश में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के लिए चुने गए जिले आदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डपा, पूर्वी गोदावरी, गुण्टूर, करीमनगर, खम्मम, कृष्णा, कुर्नूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोण्डा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल तथा पश्चिमी गोदावरी है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विगत दो वर्षों में निर्गत धनराशि तथा वर्ष 2001-2002 के लिए किए गए आवंटन का ब्यौरा निम्नवत है:-

(लाख रुपये)

वर्ष	निर्गत धनराशि
1999-2000	836.81
2000-01	805.00
2001-02	805.00 (आवंटन)

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में कवर की गई तिलहन फसलें मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, अरण्ड तथा रामतिल हैं।

(घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य में विगत दो वर्षों के दौरान हासिल कुल तिलहन उत्पादन निम्नवत है:-

वर्ष	उत्पादन (000 टन)
1998-99	2465.8
1999-2000	1470.4

वर्ष 1999-2000 में उत्पादन में गिरावट राज्य में व्याप्त सूखे के कारण आई। राज्य में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को तिलहन की खेती बड़े पैमाने पर करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न आदानों पर राजसहायता के माध्यम से

किसानों को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

संस्कृति और धरोहर पर्यटन केन्द्र के रूप में 'शानि शिंगनापुर' का संवर्धन

6021. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में संस्कृति और धरोहर पर्यटन केन्द्र के रूप में 'शानि शिंगनापुर' को बढ़ावा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पर्यटन महानिदेशक के अंतर्गत एक विशेष कृतक बल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटक स्थलों/तीर्थ केन्द्रों में विकास एवं संवर्धन का उत्तरादायित्व मुख्यता संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग उनसे परामर्श कर, वार्षिक रूप से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से शानि शिंगनापुर के संवर्धन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, कोई कार्य बल स्थापित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

दल-बदल को रोकने हेतु विधान

6022. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु अंतराल पर चुनावों से बचने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों द्वारा दल-बदल किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु एक नया विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) संविधान की दसवीं अनुसूची (दल परिवर्तन विरोधी विधि) में संशोधनों से संबंधित कतिपय प्रस्तावों को निर्वाचन विधि सुधार संबंधी विषय पर राजनैतिक दलों की तारीख 22.5.1998 को आयोजित बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था किंतु मुद्दे पर चर्चा को टाल दिया गया था। तथापि, सरकार का आशय निर्वाचन विधि के सुधार की प्रक्रिया के भागरूप में इस मुद्दे पर राजनैतिक दलों के साथ उपयुक्त समय पर चर्चा करने का है। तथापि, निर्वाचन विधि सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे राजनैतिक दलों के बीच मतैक्य के माध्यम से किया जा सकता है, जो कि अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया है। अतः, इस बारे में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती। तथापि, सरकार का आशय, निर्वाचन सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले विभिन्न प्रस्तावों पर जिसमें दल-परिवर्तन विरोधी विधि में परिवर्तन करना भी है, राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श जारी रखना है।

वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य

6023. श्री चिंतामन वनगा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान वस्त्र उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) चूंकि अधिकांश वस्त्र उत्पादन निजी स्वामित्वाधीन एककों द्वारा किया जाता है इसलिए वस्त्र मंत्रालय वस्त्रों के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है।

लंदन में 'रोड शो' कार्यक्रमों का आयोजन

6024. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जनवरी 2001 के दौरान लंदन में 'रोड शो' कार्यक्रमों का उद्घाटन किया था;

(ख) क्या ब्रिटेन की सरकार ने भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश करने के प्रति गहरी रुचि दर्शाई है;

(ग) यदि हां, तो ब्रिटेन द्वारा भारत में किस सीमा तक निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में भारत और ब्रिटेन के मध्य किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के दूसरे दौर (एनईएलपी-II) को प्रोत्साहन देने के लिए पथप्रदर्श का आयोजन लंदन में 18 और 19 जनवरी, 2001 को किया गया ताकि खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों/निवेशकों से तेल और गैस के अन्वेषण में निवेशों को आकर्षित किया जा सके। एनईएल-II के लिए न तो यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) की सरकार ने बोली दी है और न ही उसके स्वामित्व की कंपनियों ने।

पोत परिवहन को निर्यात उद्योग का दर्जा देना

6025. श्री के. येरननायडू: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोत परिवहन को निर्यात उद्योग का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे पोत परिवहन उद्योग को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों के वस्त्र मंत्रियों की बैठक

6026. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में राज्यों के वस्त्र मंत्रियों की बैठक का आयोजन वस्त्र उद्योग के मतभेद संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए किया गया था;

(ख) क्या यह बैठक विशेष रूप से वस्त्र उद्योग में हाल ही की खींच-तान के कारण आयोजित की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और इसमें भाग लेने वाले राज्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(घ) क्या बैठक में विश्व व्यापार संगठन समझौते के कारण उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए कोई मिली-जुली राय उभर कर सामने आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बैठक में दसवीं पंचवर्षीय योजना की किसी रणनीति पर चर्चा की गई; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (छ) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धा करने तथा एम.एफ.ए. के पश्चात चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने के लिए 10 अप्रैल, 2001 को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रभारी वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन व दीव, दादर व नागर हवेली तथा लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

परिचर्चा मुख्यत: बैठक की कार्यसूची की मदों पर ही संकेद्रित रही जिनमें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अपैरल, विद्युतकरघा, रेशम, पटसन, हस्तशिल्प व हथकरघा क्षेत्रों के बारे में निर्णय लेने संबंधी मदें शामिल थीं। सम्मेलन में कार्यसूची में उल्लिखित मामलों पर ऐसी कार्रवाई करने के लिए जिससे उद्योग सुदृढ़ बनेगा, सिफारिशों के एक सेट को पारित किया गया। सम्मेलन में अन्य

बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे और उन्हें अपनी पूर्ण संभाव्यता का उपयोग करने में सक्षम बनायेंगे। दसवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति के बारे में कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया। तथापि, चालू वर्ष में शुरू किए गए कार्यक्रमों और कदमों को दसवीं योजना में भी जारी रखा जाएगा।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्सलों के भार में हेराफेरी

6027. **श्री अरुण कुमार:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मात्र 8 भार निरीक्षक के स्वीकृत पदों के स्थान पर 32 भार निरीक्षक तैनात किए गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात भार निरीक्षक निजी ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के लिए पार्सलों/कार्गो के भार में हेराफेरी कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या ब्रेक वैन निजी ठेकेदारों को मैगजीन दरों यानि 3 रुपये प्रति किलो की दर से किराए पर दी गयी है; और

(च) यदि हां, तो इस बावत रेलवे को प्रतिदिन कितना घाटा हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भार निरीक्षक का कोई पद नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) पार्सल यातायात पर जोर देने के लिए सभी यात्री गाड़ियों के ब्रेकयानों को पट्टे पर देने का विनिश्चय किया गया है। इसके अलावा, जहां स्थान पर उपयोग 25 प्रतिशत से कम हो ब्रेकयानों को खाली चलाने को रोकने के लिए क्षेत्रीय रेलों को बाजार परिस्थितियों के अनुसार दरें उद्धृत करने की शक्तियां प्रदान की गई है। ऐसी गाड़ियों में यातायात को आकर्षित करने के लिए निम्न दरें उद्धृत करने की छूट दी गई है जिनमें ब्रेकयान खाली चल रहे हैं और कोई हानि नहीं हो रही है।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां

6028. **डा. वी. सरोजा:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और चल न्यायालय/सांध्यकालीन न्यायालय आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) ग्यारवें वित्त आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिश पर केंद्रीय सरकार ने देश में अधीनस्थ न्यायपालिका में 1734 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने का विनिश्चय किया है। इन न्यायालयों से त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के रूप में सेवा करने और लंबे अर्से से लंबित सेशन और जेलों में अन्य मामलों को, जेलों में विचाराधीन कैदियों वाले मामलों को प्राथमिकता देते हुए, पूर्विकता के आधार पर निपटाने की अपेक्षा की जाती है।

इस स्कीम में जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सेशन मामलों के निपटान के लिए सेवानिवृत्त जिला/अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीशों में से तदर्थ सेशन न्यायाधीश की नियुक्त करने पर विचार किया गया है।

जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायालयों में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 233-234 के उपबंधों के अधीन संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

विधिक प्रणाली में विलंब को कम करने के लिए अन्य अनेक सुझावों के साथ न्यायालयों में दो पालियां आरंभ करने, जिनमें सांध्यकालीन न्यायालय भी हैं, के सुझावों पर विचार किया जा रहा है। इस विषय पर सभी उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों के विचार मांगे गए थे। ऐसे किसी भी राज्य ने, जिसने अभी तक अपने विचार भेजे हैं, इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है।

अधिकांश राज्य सरकारों ने छोटे-मोटे अपराधों के, जिनमें यातायात के मामले भी हैं, निपटान के लिए विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेटों और मोबाइल न्यायालय की नियुक्ति की है। अभी तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 774 विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है।

मेट्रो रेल की आय

6029. श्री रामजी मांझी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेट्रो रेल से प्राप्त होने वाली आय में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उप-नगरीय और गैर-उपनगरीय यात्रियों से अर्जित आय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेल का प्रयोग करने वाले यात्रियों की संखया में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं, पिछले तीन वर्षों के दौरान मेट्रो रेलवे, कोलकाता की आय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

1997-1998	19.65
1998-1999	24.16
1999-2000	26.93

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपनगरीय और गैर-उपनगीर यातायात से रेलों की आमदनी निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
उपनगरीय	931.16	1023.10	1069.88
गैर-उपनगरीय	6642.02	7526.85	8511.19

(घ) और (ङ) जी हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	यात्रियों की संख्या (मिलियन में)
1997-98	4417.52
1998-99	4468.51
1999-2000	4640.71

चालू परियोजनाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

6030. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के चालू कार्यों/परियोजनाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट संख्या 9 (रेलवे) में क्या मुद्दे उठाए हैं और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) रेलवे द्वारा जुलाई 1998 में तैयार किए गए श्वेत पत्र में दर्शाई गई 39,300 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेलों के चल रहे निर्माण कार्यों/परियोजनाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अपनी 2000 की रिपोर्ट सं. 9 (रेलें) में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए गए थे और उस पर रेलों की प्रतिक्रिया इस प्रकार है:-

(i) यद्यपि 1992-93 से 1996-97 के दौरान केवल 322 निर्माण कार्य ही पूरे किए गए थे परन्तु इस अवधि के दौरान लगभग 22900 करोड़ रुपए की लागत के 1847 नए कार्य जोड़ दिए गए।

(ii) इन निर्माण कार्यों में से बहुत से कार्यों को मुख्यत: धन की तंगी के कारण रोकना पड़ा था/प्रगति धीमी करनी पड़ी थी।

(iii) रेलों ने अक्सर तात्कालिकता प्रमाणपत्र के आधार पर कार्य (इन 235 में से 32, अनुमानित लागत 2455 करोड़ रुपए) शुरू किया जबकि ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं थी। ऐसा पूर्व स्वीकृति से बचने के लिए ही किया गया।

(iv) इन निर्माण कार्यों का एक बड़ा प्रतिशत वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं था।

(v) समग्रत: बहुत कम प्रावधान किया गया था जिसके कारण कार्य निष्पादन धीमा रहा।

(vi) रेलवे ने यहां तक कि मानक रेलपथ नवीकरण कार्यों के लिए भी पर्याप्त प्रावधान नहीं किया जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाना था।

(ख) रेलों के पास बड़ी संख्या में नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाएं हैं जिनके लिए क्रमश: 22000 करोड़ रुपए तथा 9000 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं। वित्त पोषण की मौजूदा दर से इन परियोजनाओं को पूरा करने में कई दशक लगेंगे। परियोजनाओं की बड़ी संख्या के परिणामस्वरूप संसाधनों का छितराव भी होता है।

इस समस्या से निपटने के उद्देश्य से रेलों ने सभी नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं की उनकी वास्तविक प्रगति, परिचालनिक महत्ता, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व और सामाजिक वांछनीयता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की है। इस प्राथमिकता निर्धारण से धन आवंटन कार्य अधिक प्रभावी ढंग से करने में सहायता मिलेगी। संसाधन आधार बढ़ाने के उद्देश्य से रेलों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं जिससे परियोजनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन होने की संभावना है:-

(i) सामान्य राजकोष से अधिक बजटीय सहायता प्राप्त करना।

(ii) राजस्व के गैर-परंपरागत स्रोतों का दोहन अर्थात् भूमि का वाणिज्यिक उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए मार्गाधिकार पट्टे पर देना, वाणिज्यिक प्रचार आदि।

(iii) विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/निजी क्षेत्र के संगठनों की वित्तीय भागीदारी की व्यवस्था करना।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में विलय

6031. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में विलय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अधिकरणों द्वारा राहत कोष का प्रबन्ध

6032. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा चक्रवात राहत और हाल के गुजरात भूकम्प राहत कोष हेतु पूरे देश में विभिन्न अधिकरणों द्वारा संग्रह किए गए राहत कोष पर निगरानी रखी है;

(ख) यदि हां, तो अधिकरणों द्वारा जमा कराए गए/सौंपे गए धन का ब्यौरा क्या है और विशेषकर उन अधिकरणों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस उद्देश्य हेतु 50 लाख रुपये से ज्यादा का अंशदान किया है;

(ग) क्या अब तक जमा की गई सभी रकम वास्तव में सरकार तक पहुंची है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) प्राकृतिक आपदाएं आने पर अंशदान/दान सामान्यत: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त होते हैं। तथापि, विधिसम्मत कारणों के प्रयोजनार्थ लोगों द्वारा अपनी पसन्द के संगठनों/अधिकरणों को दान दिए जाने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। विभिन्न संगठनों/अधिकरणों द्वारा किए गए अंशदान/दान की फेहरिस्त बहुत बड़ी है और इसकी जानकारी नहीं रखी जाती।

पशुओं की संख्या

6033. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार घरेलू और वन्य जीवों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में इनकी संख्या और मानव जनसंख्या का अनुपात कितना है;

(ग) पशुओं के लिए खाद्य/चारे का वास्तविक अनुपात और इसकी उपलब्धता कितनी है;

(घ) क्या सरकार के पास पशुओं के लिए पर्याप्त संख्या में खाद्य और चराई क्षेत्र नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) पशुधन संगणना, 1992 के आधार पर पशुओं की संख्या की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। पालतू पशुओं की संख्या तथा जनसंख्या का अनुपात भी संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। अन्य जीवों की संख्या से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) पशुओं के लिए हरे तथा सूखे चारे का आदर्श अनुपात 1:3 है। हरे तथा सूखे चारे की उपलब्धता 744.73 तथा 583.62 मिलियन मीटरी टन की आवश्यकता की तुलना में क्रमशः 574 तथा 399 मिलियन मीटरी टन है।

(घ) और (ङ) जी, हां। मानव हेतु खाद्य पदार्थों के प्रयोजनार्थ विभिन्न फसलों की खेती, रिहाइशी मकानों के निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रों आदि के कारण चारागाहों पर अतिक्रमण की वजह से पशुओं के चारागाह क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशुधन संगणना 1992 (तहसील संख्या)	जनगणना 1991 (संख्या)	प्रति हजार जनसंख्या के लिए पशुधन संख्या (संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	31911	66508008	495
2.	अरुणाचल प्रदेश	842	864558	974
3.	असम	16062	22414322	717
4.	बिहार	47930	86374465	555
5.	गुजरात	18598	41309582	450
6.	गोवा	243	1169793	208
7.	हरियाणा	9143	16463648	555
8.	हिमाचल प्रदेश	5106	5170877	987
9.	जम्मू और कश्मीर	8703	7718700	1128
10.	कर्नाटक	29568	44977201	657
11.	केरल	5834	29098518	200
12.	मध्य प्रदेश	46744	66181170	706
13.	महाराष्ट्र	36404	789377187	461
14.	मणिपुर	1290	1837149	702

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	1182	1774778	666
16.	मिजोरम	203	689756	294
17.	नागालैंड	1074	1209546	888
18.	उड़ीसा	22742	31659736	718
19.	पंजाब	10222	20281969	504
20.	राजस्थान	48441	44005990	1101
21.	सिक्किम	385	406457	947
22.	तमिलनाडु	25007	55858946	448
23.	त्रिपुरा	1591	2757205	577
24.	उत्तर प्रदेश	64799	139112287	466
25.	पश्चिम बंगाल	35090	68077965	515
संघशासित क्षेत्र				
26.	अंड. व नि.द्वी.समूह	154	280661	549
27.	चंडीगढ़	31	642015	98
28.	दादर एवं नागर हवेली	71	138477	513
29.	दिल्ली	315	9420644	33
30.	लक्षद्वीप	20	51707	387
31.	पांडिचेरी	142	807785	176
32.	दमन एवं दीव	13	101586	128
	कुल	470860	846302688	556

विवरण-II

महत्वपूर्ण वन्यजीव संगणना का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	बाघ	तेन्दुआ	सिंह	हाथी	गैण्डा	संगल	जंगली गधे
		1997	1997	2000	1997	1998-99	1997	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	171	138	शून्य	57	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश*	180	98*	शून्य	2102	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	458	246*	शून्य	5312	1684	शून्य	शून्य
4.	बिहार/झारखंड	103	203	शून्य	618	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा/दमन एवं दीव	6	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	1	832	310-320	शून्य	शून्य	शून्य	लगभग 3000
7.	हरियाणा*	शून्य	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश*	शून्य	821	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक *	350	शून्य	शून्य	6088	शून्य	शून्य	शून्य
10.	केरल	73	16*	शून्य	5737	शून्य	शून्य	शून्य
11.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	927	18511	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	महाराष्ट्र	257	431	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	147	शून्य
14.	मेघालय	63	शून्य	शून्य	1840	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मिजोरम	12	28	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	नागालैंड*	83	शून्य	शून्य	147	शून्य	शून्य	शून्य
17.	उड़ीसा	194	422	शून्य	1827	शून्य	शून्य	शून्य
18.	राजस्थान	58	474	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	सिक्किम*	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	तमिलनाडु	62	110	शून्य	2971	शून्य	शून्य	शून्य
21.	त्रिपुरा*	शून्य	18*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	475	1412	शून्य	1984	13	शून्य	शून्य
23.	पश्चिम बंगाल	361	108*	शून्य	327	120	शून्य	शून्य
24.	दादर एवं नागर हवेली	शून्य	15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	3836	7273	310-320	29010	1817	147	3000

* 1993 संगणना

विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करना

6034. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विद्युत के क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने और भारत में इस क्षेत्र में उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विद्युत उत्पादन के मामले में जापान और चीन की नीति का अनुपालन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सामाजिक-आर्थिक समानता हासिल करने के लिए हमारे तकनीकी व्यावसायिकों की सेवाएं लेने के लिए बदले भारत में मूलभूत ढांचा और अन्य विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में विदेशों का सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) अक्टूबर, 1991 में घोषित निजी क्षेत्र में अधिकाधिक निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने की नीति के अंतर्गत, निजी क्षेत्रकी यूनिटें किसी भी आकार की ताप-विद्युत परियोजनाओं-कोयला/लिग्नाईट अथवा गैस आधारित, जल-विद्युत परियोजनाओं तथा पवन/सौर ऊर्जा का स्थापना कर सकती है। नीति के अनुसार विदेशी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति प्रदान की जा सकती है। नीति के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नवत हैं:-

निजी क्षेत्र में विद्युतउत्पादन कंपनियों के लिए प्रचालन के मानकीय स्तरों अर्थात 68.5 प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात पर इक्विटी पर 16 प्रतिशत तक के प्रतिफल (प्रदत्त एवं अभिदत्त) की अनुमति प्रदान की गई है। इस स्तर से अधिक के उत्पादन के लिए, पीएलएफ में प्रत्येक प्रतिशत प्वांइट वृद्धि के लिए, इक्विटी के 0.7 प्रतिशत तक की सीमा के तहत (प्रदत एवं अभिदत तय दरों पर प्रोत्साहन की अनुमति दी गई है।

* चुनिंदा श्रेणियों में विदेशी इक्विटी के लिए स्वत: अनुमोदन मुहैया करवाकर तथा इस प्रकार की परियोजनाओं के स्वत: अनुमोदन के लिए प्रावधानों को बढ़ाकर विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड की भूमिका को कम करना। तदनुसार, बिना किसी परिसीमा के स्वत: अनुमोदन माध्यम पर 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी तक के लिए विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण परियोजनाओं को अनुमति प्रदान कर दी गई है।

* केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियों की संख्या को कम-से-कम करना।

* पूँजीगत लागत सीमा को जहां तक के.वि.प्रा. से अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं होता है, वहां तक बढ़ाना।

* स्वीकृतियों में तेजी लाने, कठिनाईयों को दूर करने तथा वित्तीय समापन प्राप्त करने में अंनतिम समस्याओं का समाधान करने के लिए विविध स्तरों पर सघन मॉनीटरिंग।

* विद्युत विनियमाक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियमन करना जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियमाक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना संभव हो गई है जिससे एक निर्धारित एवं पारदर्शी रूप से टैरिफ का निर्धारण किया जा सकेगा।

* पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान करना।

* निजी क्षेत्र निवेश में अधिकाधिक भागेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पारेषण को एक अलग कार्य बनाने की दृष्टि से विद्युत कानून संशोधन अधिनियम, 1998 बनाया गया है।

* तीव्र गति से वृहत जल विद्युत शक्यता का दोहन करने, निजी निवेश बढ़ाने और लघु एवं मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ाना देने की दृष्टि से जल विद्युत विकास की गति में तेजी लाने के लिए जल विद्युत विकास पर एक नीति बनाई गई।

* अन्य क्षेत्रों को विद्युत की निकासी करने के लिए सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में जल विद्युत शक्यता एवं पारेषण सुविधाओं वाले क्षेत्रों, खान पिट हैडों और तटीय स्थल में विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस निजी विद्युत नीति को समय-समय पर भारतीय तथा विदेशी कंपनियों, सरकारी एजेंसियों तथा वित्तीय संस्थानों इत्यादि के साथ वर्षों के संपर्क से प्राप्त अनुभव के आधार पर संशोधित किया जाता है। इस समय, विद्युत उत्पादन के मामले में जापान और चीन की नीतियों की अनुपालना करने का कोई अलग से प्रस्ताव नहीं है। हालांकि सरकार मूलभूत ढ़ांचे के क्षेत्र में विदेशी देशों के साथ सहयोग के पक्ष में है परन्तु ऐसा हमारे तकनीकी व्यवसायिकों के पूरे सहयोग तथा संयोजन के साथ ही होगा।

रेलवे स्टेशनों से फेरीवालों को हटाना

6035. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में फेरीवालों को हटा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा उन्हें हटाने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हटाए गए फेरीवालों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां, अनाधिकृत हॉकरों की गतिविधियों जिनसे यात्रियों को असुविधा होती है, को रोकने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस और वाणिज्यिक कर्मचारियों के साथ समन्वय रखकर नियमित अभियान चलाए जाते हैं। वर्ष 2000 के दौरान रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 144 के अन्तर्गत 54019 व्यक्तियों पर अनाधिकृत हाकिंग के लिए मुकदमा चलाया गया और 19704678 रुपये की राशि जुर्माने के तौर पर वसूल की गई।

(ग) और (घ) जी हां। ऐसी बेदखली के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतें आमतौर पर अनाधिकृत हॉकरों की बेदखली के संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की गई कारवाई से संबंधित है।

(ङ) रेल अधिनियम 1989 की धारा 144 के अन्तर्गत अनाधिकृत हॉकिंग एक अपराध है और इसलिए बेदखल किए गए बेंडरों के पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फसलों का समर्थन मूल्य

6036. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उपज के थोक मूल्य देश में इसकी उत्पादन लागत से कम है जिससे किसानों, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों और संपूर्ण कृषि उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या समर्थन मूल्य बढ़ाने की नीति का लगातार अनुसरण कर कृषि क्षेत्र द्वारा अर्जित किए जाने वाले मुनाफे का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कृषि उत्पादों के थोक मूल्य इनकी उत्पादन लागत से सामान्यत: अधिक होते हैं। तथापि, किसानों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार आवश्यक उपाय कर रही है, जैसे (i) न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम का कार्यान्वयन, (ii) राज्य सरकारों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर बागवानी तथा अन्य छोटे उत्पादों को कवर करते हुए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन, तथा (iii) आयात को हतोत्साहित करने तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से व्यापार का एक साधन रूप में प्रयोग।

(ग) और (घ) व्यापार शर्तों संबंधी कार्यबल द्वारा संस्तुत विधि के आधार पर सरकार द्वारा कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तों के सूचकांक संकलित किया जा रहे हैं। इन सूचकांकों से किसानों द्वारा बेचे गए उत्पाद के बदले में प्राप्त मूल्यों और उनके द्वारा अन्तिम उपभोग, माध्य उपभोग तथा पूंजी निर्माण के लिए खरीदी गई जिन्सों के लिए प्रदत्त मूल्यों में सापेक्ष परिवर्तन नापे जाते हैं। व्यापार की शर्तें कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल रही है जैसा कि 1990-91 से व्यापार शर्तों के सूचकांक से नीचे दर्शाया गया है:-

(आधार: 1990-91 को समाप्त तीन वर्ष=100)

वर्ष	सूचकांक
1990-91	101.9
1991-92	105.6
1992-93	103.9
1993-94	103.6
1994-95	106.6
1995-96	105.3
1996-97	103.1
1997-98	105.6
1998-99	105.2
1999-2000 (अनन्तिम)	104.2

चारे के उत्पादन हेतु योजना

6037. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में कोई केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में इस योजना की सफलता का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशेषकर चारे के कमी वाले क्षेत्रों में चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) जी, नहीं। आहार और चारा विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृत की जाती है। बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मंत्री महोदय की विदेश यात्रा

6038. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान माननीय कृषि मंत्री द्वारा किन-किन देशों की यात्रा की गई;

(ख) इन पर कितना व्यय कितना गया; और

(ग) उनकी यात्रा के दौरान कृषि से संबंधित इन देशों के साथ किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कृषि मंत्री ने जापान में दिनांक 31-8-2000 से 1-9-2000 के दौरान हुए 25वें खाद्य एवं कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया।

(ख) उनकी इस यात्रा पर लगभग 1,26,750 रुपये खर्च हुए थे।

(ग) किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। चूंकि भारत खाद्य एवं कृषि संगठन का संस्थापक सदस्य है, इस सम्मेलन में भाग लेना अनिवार्य था।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र

6039. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचवर्षीय समीक्षा टीम की रिपोर्ट के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कुछ अनुसंधान कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान की जानकारी देने के लिए इस संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्रों को विशिष्ट निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। पंचवर्षीय समीक्षा दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बढ़िया और मोटे अनाजों की फसलों सहित प्रमुख फसलों, फलीदार फसलों, तिलहन, फल और फूल तथा सब्जियों की उत्पादकता में वृद्धि, जैविक तथा अजैविक दबावों से संबंधित आर्थिक महत्व के जीनों की पहचान, लक्षण वर्णन तथा वियोजन के लिए जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग; संसाधन प्रबंधन, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी तथा अन्य नीतिगत मामलों पर बहुत से अनुसंधान कार्य शुरू कर दिए हैं।

(ग) और (घ) सिकोहपुर (गुड़गांव), हरियाणा में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र ने फसलों की उत्पादकता में वृद्धि सहित विभिन्न फसल-चक्रों का तुलनात्मक लाभ, सुधरी किस्मों की उत्पादकता तथा कीटनाशी नियंत्रण मापदण्डों के निष्पादन पर बहुत से खेत-परीक्षण तथा अग्रपंक्ति प्रदर्शन शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

राजसहायता

6040. **श्रीमती सुशीला सरोज:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि से संबंधित सभी आवश्यक मदों से राजसहायता हटाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी ऋण ढांचे में असंतुलन

6041. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के समेकित सहकारी ऋण ढांचे में 311 करोड़ रुपये की असंतुलन और संचित घाटा लगभग 850 करोड़ रुपये हो गया है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र के बैंकों को विभिन्न स्तरों पर सहायता प्रदान करने के लिए एक सहकारी पुनर्वास विकास निधि स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश ने अब तक हुए 1161 करोड़ रुपये के संपूर्ण घाटे और असंतुलन को समाप्त करने के लिए पुनर्वास निधि से निधियां उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के सहकारी ऋण ढांचे में लगभग 311 करोड़ रुपये का असंतुलन एवं लगभग 850 करोड़ रुपये की संचित हानि व्याप्त है।

(ग) सहकारी ऋण व्यवस्था की कार्य प्रणाली के अध्ययन तथा इसके सुदृढ़ीकरण के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्यबल ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एक सहकारी पुनर्वास एवं विकास कोष की स्थापना की सिफारिश की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार कार्यबल की सिफारिशों की जांच कर रही है। आम सहमति बनाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों के सहकारिता मंत्रियों, सहकारिता सचिवों आदि की बैठक बुलाई गई है। राज्य सरकार को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

सहकारिता आन्दोलन

6042. **श्री अनन्त नायक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कृषि क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राज्य सूची में प्रविष्टि सं. 32 के तहत सहकारिता राज्य का विषय है। बहरहाल, भारत सरकार देश में कृषि क्षेत्र सहित सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं। भारत सरकार ने देश में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की है। भारत सरकार देश में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद को तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ को सहकारी शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष घटक के कार्यान्वयन हेतु 100 प्रतिशत वित्तीय अनुदान एवं अन्य अनुमोदित गतिविधियों जैसे सामान्य सहकारी शिक्षा कार्यक्रम, महिलाओं के लिए शिक्षण कार्यक्रम आदि के लिए 20 प्रतिशत अनुदान दे रही है। कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकारों के परामर्श से एक राष्ट्रीय सहकारी नीति को अन्तिम रूप दे रहा है। इस नीति के तहत सहकारी समितियों को स्वावलम्बी तथा अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से व्यवस्थित संस्थाएं बनाने हेतु उन्हें आवश्यक स्वायत्तता दी जाएगी। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों को और अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने एवं उनके प्रबंध में व्यावसायिकता लाने के लिए उद्देश्य से मौजूद बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया कानून बनाने हेतु नवम्बर, 2000 में संसद में बहु राज्यीय सहकारी समिति विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है।

भारत सरकार कृषि ऋण आवश्यकताओं की अधिक कारगर ढंग से पूर्ति हेतु ऋण समितियों में पुनर्जीवन व उनके पुन: पूंजीकरण के लिए सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए एक स्कीम पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है।

चावल की नई किस्म

6043. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चावल की नई किस्म विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर भारत-स्विटजरलैंड सहयोग से कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां। चावल की अधिक उपज देने वाली सुधरी हुई नई किस्मों को विकसित करना एक निरन्तर प्रक्रिया है और इस अनुसंधान क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता भी दी गई है।

(ख) जेपोनिका चावल से इण्डिका चावलों में बीटा कैरोटिन अंश को स्थानांतरित करने का एक संयुक्त भारत-स्विस सहयोगात्मक प्रस्ताव जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले ही उन भारतीय संस्थानों का चयन कर लिया है जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना है। इस परियोजना में संकरपूर्वज संकरण करना तथा विटामिन 'ए' के एक पूर्वगामी-बीटा कैरोटिन नामक जीन का स्थानान्तरण करना शामिल होगा। अन्तिम रूप से विकसित चावल के वंशक्रमों को सामान्य खेती के लिए उपलब्ध कराने से पहले अपेक्षित मंजूरी मिलने के बाद अन्य कृषि संबंधी पैरामीटरों के अतिरिक्त इनकी विषाक्तता, एलर्जीनिसिटी और पौषणिक प्रभाव का परीक्षण किया जाएगा।

[हिन्दी]

झूठी गवाही

6044. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालयों में झूठी गवाही के बल पर निर्दोष व्यक्ति दंड के भागी बन जाते हैं और कई दोषी व्यक्ति बच जाते हैं;

(ख) क्या न्यायालय-परिसर में ही ऐसे कई व्यक्ति मौजूद रहते हैं तो झूठी गवाही देते हैं और वकीलों के साथ उनकी सांठगांठ रहती है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार झूठी गवाही देने की हरकतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किया गया है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान झूठी गवाही देने के आरोप में राज्यवार कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चेन्नई पत्तन कंटेनर टर्मिनल का निजीकरण

6045. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई पत्तन कंटेनर टर्मिनल को लगभग 56 करोड़ रुपये का निवल लाभ हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो चैन्ने पत्तन कंटेनर टर्मिनल का निजीकरण किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजीकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई और उनके मंत्रालय ने "अमेरिकन प्रेजेन्ट लाइन" नाम एक निजी कंपनी को नामित कर लिया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस टर्मिनल के निजीकरण के परिणाम-स्वरूप वहां के कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) चैन्ने पत्तन कंटेनर टर्मिनल फिलहाल 56.00 करोड़ रु. का प्रचालन अधिशेष (प्रचालन आय-प्रचालन व्यय) अर्जित कर रहा है।

(ख) चैन्ने कंटेनर टर्मिनल का विकास और प्रबंधन निम्नलिखित आधार पर मै. पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्ट्स प्रा. लि. को सौंपने का प्रस्ताव है:

(i) उपस्करों की उपयुक्तता समाप्त हो गई है और इसलिये इनके प्रतिस्थापन की जरूरत है जिसके लिए पत्तन के आंतरिक संसाधनों से सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। लाइसेंसधारक को भारी मात्रा में कंटेनर हैंडल करने के लिए अतिरिक्त उपस्करों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करना होगा।

(ii) व्यापारी वर्ग चैन्ने पत्तन में मुख्य लाइन के जलयानों को लाए जाने की निरन्तर मांग करता रहा है ताकि विदेशी मुद्रा के रूप में यानांतरण लागत को समाप्त किया जा सके और निर्यात-आयात दायित्व पूरा करने के लिए पारगमन समय को कम किया जा सके। निजीकरण संबंधी प्रस्तावों में गैर-यानांतरण यातायात के नियत प्रतिशत के साथ लाइसेंसधारक द्वारा तीन वर्ष की अवधि में मुख्य लाइन के जलयानों के लाने की परिकल्पना है।

(iii) पत्तन कोई प्रचालन खर्च किए बगैर टर्मिनल के भावी लाइसेंस धारक के सकल के राजस्व का 37.128 प्रतिशत अर्जित करेगा। इसके अतिरिक्त पत्तन, पत्तन शुल्क, बर्थ भाड़ा प्रभार और भूमि पट्टा प्रभार वसूल करेगा। लाइसेंस धारक द्वारा सुविधा ग्रहण करने से पहले 10 करोड़ रु. के अग्रिम शुल्क का भी भुगतान किया जाएगा।

(ग) और (घ) पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता की नीति के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ पत्तन सुविधाओं के विकास और प्रचालन के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए भी नवीन (अप्रार्थित) प्रस्तावों पर विचार करने की व्यवस्था है। सरकार ने चेन्नै पत्तन में मौजूदा कंटेनर टर्मिनल के विकास और प्रबंध के लिए विश्व के उच्च कोटि के कंटेनर टर्मिनल विकास कर्त्ताओं/प्रचालकों से प्रस्ताव मांगे थे। मैसर्स पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्ट्स प्रा. लि. आस्ट्रेलिया, मै. पोर्ट आफ सिंगापुर अथारिटी, सिंगापुर और मै. हुचीसन इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग्स लि., हांगकांग से उत्तर प्राप्त हुए थे। इस मामले पर सरकार द्वारा आगे विचार किया गया और खुली निविदा प्रणाली की तुलना में "विशेष समाधान" के रूप में प्रस्ताव को प्राथमिकता देते हुए आगे कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। पत्तन के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से अपरक्राम्य शर्तों का एक सैट और निविदादाता द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटियों के पैकेज को अंतिम रूप दिया गया और निविदादाताओं को जारी किया गया। इसमें प्रचालक द्वारा 30 वर्ष की लाइसेंस अवधि में न्यूनतम यातायात की गारंटी देना, प्रचालन के तीन वर्ष के भीतर मुख्य लाइन जलयानों को पत्तन में लाने की वचनबद्धता, न्यूनतम निवेश करना, उपस्कर और श्रमिकों के साथ-साथ वर्तमान टर्मिनलों को अधिकार में लेना, वर्तमान उपस्कर के स्थान पर उपयुक्त समय पर नया उपस्कर स्थापित करना आदि शमिल है। इसके उत्तर में दो पक्षकारों अर्थात् मै. पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्ट्स प्रा. लि. और मै. हुचीसन इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग्स लि. ने अपनी संशोधित वित्तीय निविदाएं प्रस्तुत की।

निविदादाता के चयन का अंतिम मानदंड परियोजना के प्रचालन से प्राप्त सकल राजस्व का अधिकतम प्रतिशत था जिसकी पत्तन न्यास के साथ भागीदारी की जाएगी। दो बोलीदाताओं अर्थात् मै. पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्ट्स प्रा.लि. और मै. हुचीसन इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग्स लि. से प्राप्त अंतिम निविदाओं में से मै. पी एंड ओ पोर्ट्स का प्रस्ताव अधिक आकर्षक था क्योंकि उन्होंने सकल राजस्व के 37.128 प्रतिशत की पेशकश की थी। इसलिए सरकार ने मै. पी एंड ओ पोर्ट्स का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और दिनांक 4.7.2000 को उन्हें स्वीकृति-पत्र जारी कर दिया गया है।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय सामाजिक अवसंरचनात्मक संबंधी ढांचे/ बंदरगाहों का विकास

6046. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने तटीय सामाजिक अवसंरचनात्मक ढांचे के समेकित विकास हेतु किन्हीं परियोजनाओं/प्रस्तावों को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार ने राज्य में मूलभूत सविधाओं के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:-

I. बड़े और छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह सविधाओं संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत-

(1) जामनगर जिले में ओखा और वलसाड जिले में धोलाई पर मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव।

II. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत-

(1) 308.7 लाख रुपए की कुल लागत से 25 गांवों में 847 मछुआरा, गृहों, 29 ट्यूब वैलों और 4 सामुदायिक हालों के निर्माण का प्रस्ताव।

(ग) इन प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

I. बड़े और छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह सुविधाओं संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत

ओखा और धोलाई में मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पूरे नहीं है। अत: सरकार से कुछ अतिरिक्त सूचना भेजने के लिए कहा गया है, जैसे- (1) ओखा और धोलाई में प्रस्तावित मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग के पास अनिवार्य भूमि की उपलब्धता (2) सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्राप्ति (3) परियोजना की 50 प्रतिशत पूंजीगत लागत की हिस्सेदारी करने के लिए उद्देश्य से राज्य बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता, और (4) परियोजनाओं के पूरा होने के लिए विस्तृत समय सूची।

II. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 25 गांवों में 308.7 लाख रुपए की कुल लागत से 847 मछुआरा गृहों, 29 ट्यूब वैलों, और 4 सामुदायिक हालों के निर्माण के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है और 154.35 लाख रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

कृषि नीति संबंधी परिसंवाद

6047. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कृषि नीति में सुधार संबंधी कोई परिसंवाद आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परिसंवाद को आयोजित करने के क्या उद्देश्य थे;

(ग) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अधिक जनशक्ति को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि संबंधी अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार कृषि तथा संबंद्ध क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक केन्द्रीय तथा केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। हाल ही में किए गए नये प्रयास निम्नानुसार हैं:-

* क्षेत्र आधारित कृषि नियोजन एवं विकास को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए वृहद प्रबंध पद्धति की शुरूआत।
* पूर्वोत्तर क्षेत्र में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत।
* पूर्वी भारत में भूमिगत जल संसाधनों के दोहन के लिए खेतों पर जल प्रबंध कार्य का निरूपण।
* कपास प्रौद्योगिकी मिशन को प्रचालानात्मक बनाना।
* वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन ।
* राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन।
* किसान क्रैडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से तथा निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र हेतु निर्धारण सुनिश्चित करके कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करना।
* ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का विस्तार एवं ब्याज दर कम करना।
* भण्डारण तथा शीतागारों के निर्माण, आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु पूंजी राजसहायता का प्रावधान।
* ग्रामीण गोदामों की स्थापना के लिए एक नई राजसहायता युक्त स्कीम का निरूपण।
* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना तथा उत्पाद शुल्क में छूट एवं अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से कृषि में मूल्य वर्धन।
* अन्य बातों के अलावा कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से कृषि निर्यात हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना।

* बीज प्रतिस्थापन में वृद्धि के अलावा निवेश हेतु सहज वातावरण बनाने के लिए बीज क्षेत्र विधायन एवं प्रक्रियाओं में सुधार।

उपर्युक्त के अलावा, कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:-

* चुनिन्दा वृहद एवं बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को यथासमय पूरा करने के लिए ऋण के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।

* राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की संग्रह राशि 4500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर दी जाएगी और ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से घटाकर 19.5 प्रतिशत की जाएगी।

* वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समग्र तथा सतत विकास के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना। इसके अलावा 200 करोड़ रुपये के कोष से पनधारा विकास निधि का सृजन किया गया है।

* भण्डारों तथा शीतागारों के निर्माण, आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु पूंजी राजसहायता स्कीम।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3653/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) गैस अथॉरिथी आफ इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3654/2001]

(दो) बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3655/2001]

(तीन) चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3656/2001]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3657/2001]

(2) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3658/2001]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3659/2001]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3660/2001]

(ख) (एक) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3661/2001]

(ग) (एक) हरियाणा कृषि उद्योग लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3662/2001]

(घ) (एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3663/2001]

(ङ) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3664/2001]

(च) (एक) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3665/2001]

(छ) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरुअनन्तपुरम का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3666/2001]

(3) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकलापों के सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3667/2001]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) परेषण तोल (वेगन लोड अथवा रेलगाड़ी लोड में) संशोधन नियम, 2001 जो 9 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 15(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) रेल यात्री (टिकट का रद्दीकरण और किराये की वापसी) संशोधन नियम, 2001 जो 1 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3668/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 2001 जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. ए-27011/1/97-टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 2001 जो 19 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. सी.19011/2/98-टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 जो 19 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-30012/2/98-टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (आचरण) विनियम, 2001 जो 6 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी-19011/3/98-टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (वर्दी) विनियम, 2001 जो 7 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी-22011/1/98-टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (छुट्टी) विनियम, 2001 जो 28 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. ए-24011/1/98-टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए भर्ती) विनियम, 2001 जो 20 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12018/3/97-टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (समूह 'ख' पदों के लिए भर्ती) विनियम, 2001 जो 20 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-12018/2/97-टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता) विनियम, 2001 जो 15 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. ए-27011/1/97-टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा.का.नि. 925(अ) जो 21 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा हाजिरी) दूसरा संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 926(अ) जो 22 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा.का.नि. 14(अ) जो 8 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाव पत्तन कर्मचारी (भवन निर्माण के लिए अग्रिम की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(तेरह) सा.का.नि. 10(अ) जो 5 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) (संशोधन) विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(चौदह) सा.का.नि. 19(अ) जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति इत्यादि) (संशोधन) विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 20(अ) जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(सोलह) सा.का.नि. 22(अ) जो 12 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) (संशोधन) विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(सत्रह) सा.का.नि. 27(अ) जो 19 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(अठारह) सा.का.नि. 50(अ) जो 31 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3669/2001]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 949(अ) जो 29 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें मार्मुगाव पत्तन कर्मचारी (शैक्षिक सहायता) विनियम, 2000 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(दो) सा.का.नि. 2(अ) जो 2 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 8 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 233(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(तीन) सा.का.नि. 21(अ) जो 12 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 1 जनवरी, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 6(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3670/2001]

(3) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3671/2001]

(5) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3672/2001]

(7) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3673/2001]

(9) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3674/2001]

(11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3675/2001]

(दो) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3676/2001]

(तीन) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3677/2001]

(12)(एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3678/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2001 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 अप्रैल, 2001 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था। वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

लोक लेखा समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की गई अनुवर्ती कार्यवाही और अध्याय 5 के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं:

(1) "संयुक्त उद्यम संचालन से उत्पन्न भारी क्षति" के बारे में लोक लेखा समिति (बारहवीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।

(2) "धार्मिक और पूर्त न्यासों का निर्धारण" के बारे में लोक लेखा समिति का आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) चौहत्तरवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 के बारे में चौहत्तरवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं "पर्यटन विभाग की अनुदानों की मांगों (2001-2002)" के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।"

उनचासवां प्रतिवेदन

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं संस्कृति विभाग की अनुदानों की मांगों (2001-2002)" के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के उनचासवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।"

पचासवां प्रतिवेदन

कैप्टन सतीश शर्मा (रायबरेली): महोदय, "नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002)" के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के पचासवें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब, यशवंत सिन्हा जी वक्तव्य देंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में महिलाओं को बेच दिया गया है। *...(व्यवधान)* नौ लड़कियों को राजस्थान में बेचा गया है। *...(व्यवधान)* राजस्थान सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप स्टेटमैंट के बाद बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह जीरो ऑवर नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: स्टेटमैंट के बाद आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट गवर्नमैंट को बदनाम करने की साजिश है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सीमा शुल्क अधिकारियों पर छापे

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): सर्वप्रथम, उज्बेकी राष्ट्रिकों द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के माध्यम से तस्करी के संबंध में अधिकारियों के परिसरों पर छापे तारीख 28.8.2000 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में एक उज्बेकी महिला को अवरुद्ध किया गया जबकि वह सीमा शुल्क प्राधिकारियों को घोषित किए बिना चीनी रेशम की निकासी का प्रयास कर रही थी। इस महिला ने जुलाई, 1999 से अगस्त, 2000 की अवधि के दौरान 54 बार भारत की यात्रा की थी। माल को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अभिगृहीत किया गया था और यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपर मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट द्वारा हवालात में भेज दिया गया था। अपर मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत की अर्जी को 14 सितम्बर, 2000 को रद्द कर दिया था जिसके विरुद्ध उसने अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की थी। अपर सत्र न्यायाधीश ने अपील की अनुमति देते हुए और जमानत देते हुए यह कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ कोई संबंध था और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सीमा शुल्क अधिकारियों की भूमिका की जांच करनी चाहिए। सीमा शुल्क आयुक्त ने अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध, जमानत का विरोध करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। इसी दौरान उसे कोफेपोसा अधिनियम के तहत निरुद्ध किया गया और उक्त मामले की राजस्व आसूचना महानिदेशक तथा महानिदेशक (सतर्कता), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गई। उक्त निष्कर्षों के आधार पर फरवरी, 2001 के दौरान 33 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया जिनमें छह ग्रुप ''क'' अधिकारी शामिल थे। यह भी निर्णय किया गया कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाए। जब फरवरी, 2001 में उक्त मामले की सुनवाई हुई तब विभाग ने इसे फैसले की सूचना उच्च न्यायालय को दी और 16.2.2001 को जांच हेतु मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 30.3.2001 को 48 अधिकारियों और चार गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध केस दायर किया है और इन अधिकारियों के परिसरों की 31.3.2001 को तलाशी ली है। छापों के दौरान कुछ नकदी, निवेश और संपत्ति संबंधी कागजात बरामद किए गए। अब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

दूसरा है, भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, के परिसरों पर छापे

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 30.3.2001 को श्री बी.पी. वर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के विरुद्ध स्रोत सूचना के आधार पर एक केस दायर किया जिसमें यह आरोप था कि नवम्बर, 2000 से मार्च, 2001 की अवधि के दौरान श्री बी.पी. वर्मा ने अपनी शासकीय हैसियत का दुरुपयोग किया और ऐसे चीथड़ों के निर्यात के मामले में, मैसर्स ए.के. इंटरप्राइजिज, चेन्नई की तरफदारी की, जिन्हें उपर्युक्त फर्म द्वारा वस्त्र के रूप में घोषित किया गया था और यह कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस बात के लिए प्रभावित किया कि वे उस फर्म को गलत ड्यूटी प्रति-अदायगी प्राप्त करने दें और इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से अनुतोष/प्रतिफल प्राप्त किए। उक्त केस के दायर किये जाने के फलस्वरूप 31.3.2001 को श्री वर्मा के सरकारी और निवासीय परिसरों की तलाशियां ली गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है कि तलाशियों के दौरान बहुत से अभिशंसी कागजात जब्त किए गए। इन कागजात की जांच-पड़ताल से पता चला है कि श्री वर्मा के पास उनके अपने नाम से, उनके परिवारजनों के नाम से और बेनामी परिसंपत्तियां हैं जो प्रथम दृष्ट्या उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक हैं। तदनुसार उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक परिसंपत्तियां रखने के लिए उनके विरुद्ध 4.4.2001 को एक दूसरा केस भी रजिस्टर किया गया। श्री वर्मा को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पहली अप्रैल, 2001 को गिरफ्तार किया गया और अभिरक्षा में रिमाण्ड कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी की तारीख से उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा में 'शून्य काल' प्रारम्भ होता है।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): पहले तो यह बतायें कि श्री वर्मा को किस आधार पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, श्री विट्ठल ने इसका विरोध किया था और वित्त मंत्री अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी थे।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। क्या वित्त मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देंगे? *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): हर समय आपने ऐसा करने की प्रथा बना ली है। हमें नई परंपरा नहीं बनानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माधवराव सिंधिया जी सभा के अपने नियम हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि विवरण की विषय वस्तु बहुत ही गंभीर प्रकृति की है। इससे कई प्रश्न उठते हैं।

महोदय, किसी समय पर विशेषकर इस मामले पर हम व्यापक चर्चा चाहते हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, आपकी अनुमति से हम चाहते हैं कि इस पर कभी व्यापक चर्चा हो। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री यशवंत सिन्हा जी, उनका सुझाव यह है कि चूंकि यह महत्वपूर्ण मामला है, क्या मंत्री जी इस मामले पर चर्चा करने के लिए सहमत हैं?

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। *...(व्यवधान)* वित्त मंत्री जी, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि आपके विवरण का विषय एक बहुत गंभीर मामला है और इससे कई प्रश्न उठते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाह रहा था कि यदि किसी समय इस मामले पर एक व्यापक चर्चा हो सके ताकि हम इस मामले पर विस्तार में चर्चा कर सकें। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। मंत्री के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको बुलाएंगे। एक मिनट आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री माधवराव सिंधिया द्वारा की गई टिप्पणियों में कुछ जोड़ना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, नहीं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय मंत्री जी मैं उस तरीके के बारे में जानना चाहूंगा जिसके तहत श्री बी.पी. वर्मा को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की सिफारिशों के विपरीत अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रेड्डी, वित्त मंत्री इसका उत्तर देने वाले हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, वित्त मंत्री ने सिफारिश कैसे की *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, कोई स्पष्टीकरण न मांगे।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, हम इस बारे में सच्चाई जानना चाहेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री जी, श्री माधव राव सिंधिया इस मामले पर किसी भी समय चर्चा की मांग कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, जहां तक इस मुद्दे पर चर्चा की बात है वह तो पूर्णत: आप पर निर्भर करती है। *...(व्यवधान)* मुझे इस बारे में किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होगी यदि सभा आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत इस मामले पर चर्चा करने का निर्णय लेती है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में पिछले तीन वर्षों से अकाल की स्थिति बनी हुई है और गये दो वर्षों में राजस्थान की सरकार को केन्द्र सरकार की तरफ से भरपूर सहायता की गई, लेकिन राजस्थान में आज की तारीख में, वर्तमान में यह स्थिति है कि राहत कार्य नहीं खोले जा रहे हैं और वहां पलायन की स्थिति बनी हुई है। *...(व्यवधान)* पिछले दिनों कोठला गांव में 12 साल से 18 साल के बीच की जवान लड़कियों को भूख की वजह से उनके मां-बाप द्वारा बेच दिया गया। राजस्थान में बच्चियों को भूख की वजह से रोज बेचा जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। *...(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को बर्खास्त किया जाये और यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाकर दबाव डाला जाये। राजस्थान में अकाल की विषम स्थिति है। पूरे राजस्थान में अकाल की वजह से लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। गत वर्ष भी राजस्थान सरकार को 500 करोड़ रुपये केन्द्र की तरफ से सहायता दी गई और राजस्थान की सरकार

ने ...*(व्यवधान)* इस बार भी एक लाख टन गेहूं दिया गया, 85 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया। मैं समझता हूं कि बच्चियों को बेचना हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। यह हमारे लिए कलंक की बात है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अब बैठ जाइये। आपने मैटर उठा लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भी बैठ जाइये। आपको बुलाएंगे, पहले आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

कुछ भी कार्यवाह-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको बुलाएंगे, पहले आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री भेरूलाल मीणा, आप क्या कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* अकाल राहत के कार्य वहां हो रहे हैं, मैं स्वयं देख कर आया हूं ...*(व्यवधान)* इन्होंने जो वहां लड़कियों को बेचने की बात कही है, यह सत्य से परे है ...*(व्यवधान)* ऐसी कोई बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन।

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात भी सुन लीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैडम, आप बैठ जाएं। इस तरह कैसे सबको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, महिला सदस्य को बोलने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय: आपको उनके नाम की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह बदनोर: महोदय, महिला महिला होती है।

अध्यक्ष महोदय: आप महिलाओं को कोई मौका नहीं दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं जो मुद्दा आज उठाना चाहता हूं, उसके संबंध में दो बार पहले भी इस सदन में आग्रह कर चुका हूं। सदन में गतिरोध वहां पैदा होता है, जब लगता है कि सरकार जनसमस्याओं के निवारण हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रही है। देश में 3,23,915 जन स्वास्थ्यकर्मी हैं। 1977 में एक हजार की आबादी पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक लगाया गया था और उसका मानदेय 50 रुपए मासिक था। 24 साल के बाद भी उसको वही मानदेय मिल रहा है और कई राज्यों में तो वह भी नहीं मिल रहा है। जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के लोग बराबर सरकार से मिलते रहे, प्रयास करते रहे। चार महीने से वे लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे हैं और 11 दिनों तक उन्होंने आमरण अनशन किया और गिरफ्तारियां दीं। जो भी जनतंत्र में विरोध करने के तरीके हो सकते हैं, उन्होंने किए। सरकार ने कहा है कि आपकी दो रिट पीटिशन हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं, आप उनको वापस लेंगे तो सरकार आपकी बात पर विचार करेगी। इन लोगों ने उन रिट पीटिशंस को वापस ले लिया। जिस समय इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति बनाई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। यह बहुत गम्भीर मामला है। सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार उन लोगों के संबंध में सार्थक प्रयास नहीं कर रही है। मैं कई बार हिन्दुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला हूं। वे कहते हैं कि वित्त मंत्री जी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आज जरूर इस सवाल पर सरकार की तरफ से कोई सार्थक प्रयास होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इस पर हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को अपने चैम्बर में बुलाएं और इस सवाल पर विचार करने का कष्ट करें। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सरकार से पूछ रहा हूं। कृपया पहले मेरी बात सुनें। इस मामलों को माननीय सदस्य द्वारा दो-तीन बार उठाया गया है।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि 'शून्य काल' में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये जाते हैं। मैं इनके बारे में संबंधित मंत्री को सूचना दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: इस मामले को माननीय सदस्य द्वारा दो-तीन बार सभा में उठाया गया है।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं सहमत हूँ लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस पर किसी प्रभार की चर्चा तभी करवाएं जब मंत्री जी सभा में उपस्थित हो सकें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूँ कि इस मामले का सीधा संबंध मंत्री जी से है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): इस सवाल पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: हम सरकार से पूछ रहे हैं, फिर आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

[अनुवाद]

इससे प्रतीत होता है कि आप सरकार से कोई उत्तर नहीं चाहते हैं। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ और आप इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: इसका जवाब नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि कैसे हाउस में बिहेव करना है। हम गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि क्या वह इसमें कुछ कर सकती है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं यह मामला केन्द्रीय स्वास्थ्य कर्मियों के वेतनों के पिछली बकाया राशि से संबंधित है। ऐसा लगता है कि कुछ राशि बकाया है।

वित्त मंत्री (यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं इस समय इस अनदेखी बात का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं केवल इतना ही वायदा कर सकता हूँ कि मैं उस वक्तव्य की प्रति को देखूंगा जिसके बारे में माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है और मैं उन्हें इसका उत्तर दूंगा जिसकी एक प्रति आपको भी भेजूंगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको भी बुलाएंगे। इन्होंने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सबको बुलाएंगे। आपने डिस्टर्ब किया तो मुश्किल काम है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास 15 नोटिस हैं। आप चेयर को डिस्टर्ब मत करिए।

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के मेरागुंतला रेलवे स्टेशन में कल रेल रोको आन्दोलन का आयोजन किया गया है और यह आज और कल भी जारी रहेगा *...(व्यवधान)* इसका संबंध नंदयाल-मेरागुंतला रेलवे लाइन कार्य के लिए स्वीकृत कार्य से है। नंदयाल में भी रेल रोको आन्दोलन होता रहा है *...(व्यवधान)* मेरागुंतला रेलवे स्टेशन में यह आन्दोलन भरी दुपहरी में 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक आन्दोलन जारी रहा है। वहां आज और कल भी रेल रोको आन्दोलन होगा। इस रेल रोको में सभी जिलों के विधान सभा सदस्यों सहित किसान और व्यापारियों के प्रतिनिधि भाग लेते रहे हैं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.22 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष जी, मेरा भी नोटिस है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: पिछले महीने, दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने संसद सदस्यों के साथ मण्डल स्तरीय बैठक में आश्वासन दिया था कि इस कार्य को सितम्बर-अक्तूबर में आरम्भ किया जाएगा। इस मेरागुंतला-नंदयाल नई रेल लाईन को श्री पी.वी. नरसिंहराव के प्रधान मंत्रित्व काल में मंजूरी दी गई थी और इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। तथापि, यह कार्य अभी आरम्भ नहीं किया जा सका है। पूर्व रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि भूमि के अधिग्रहण के बाद सिविल कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा। अब कुडुप्पा जिले में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। हम मांग करते हैं कि सरकार इस कार्य को तत्काल आरम्भ करे।

इस स्वीकृत कार्य के लिए केवल नाममात्र की राशि प्रदान की गई है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस सिविल कार्य को तत्काल आरम्भ करने के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएं। अधिक समय लेने वाले कार्यों जैसे भवन, पेन्नार नदी पर रेलवे पुल के कार्य को यथाशीघ्र आरम्भ किए जाने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस सभा में आश्वासन दें कि वह इसके लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराएंगे तथा सिविल कार्यों को आरम्भ करेंगे। आंध्र प्रदेश के कुडुप्पा जिले के सभी विधान सभा सदस्य दक्षिण-मध्य रेलवे के मेरागुन्तला रेलवे स्टेशन में रेल रोको आन्दोलन में इस समय भाग ले रहे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वह सभा में आश्वासन दें कि इस कार्य के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया जाएगा और सिविल कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, माननीय सदस्य ने कुडुप्पा जिले में चल रहे उस गम्भीर आन्दोलन का जिक्र किया है जिसका नेतृत्व वह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस बात को गम्भीरतापूर्वक लें और इस पर विचार करें *...(व्यवधान)*

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, वह मुझसे मिल सकते हैं और मैं मामले की जांच करूंगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, सभी महत्वपूर्ण मुद्दे 'शून्य काल' में उठाए जाते हैं और उन सबको सूचीबद्ध किया जाता है। आपका नाम भी सूची में क्रम संख्या 15 पर है जो अंत में है। मैं आपको आमंत्रित करूंगा। कृपया, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी समुदाय के अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर करती है। लगातार तीन वर्षों से राजस्थान में सूखे की स्थिति ने इन लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया है। इस मजबूरी का लाभ उठाकर आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोगों ने आदिवासियों की बेटियों को खरीदर बहुत गलत ढंग से घृणित स्थिति में पहुंचा दिया है, जिसका उदाहरण कोटला ग्राम पंचायत समिति है, जहां पाटरझाडी गांव की 9 बालिकाओं की विक्रय की स्थिति बनी है। यह स्थिति गम्भीर और चिन्ताजनक है। यदि इस स्थिति को संभाला नहीं गया, तो आदिवासी समुदाय की सामाजिक व्यवस्था, उनकी पारिवारिक व्यवस्था इस अकाल की मार के साथ-साथ छिन्न-भिन्न हो जाएगी। राजस्थान की सरकार किसी भी तरह से अकाल की स्थिति से निपटने के लिए रोजगार के साधन मुहैया नहीं करा रही है। ऐसी स्थिति में परिवार मजबूर हो गए हैं, उन नौ बालिकाओं के परिवारों की दास्तान पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस घृणित कार्य के पीछे स्वयंसेवी संस्थायें भी भागीदार हैं। आदिवासियों को हक दिलाने के नाम पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के नाम पर असंख्य रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन्नयन की बात की जाती है, लेकिन ये स्वयंसेवी संस्थायें गोल-माल कर रही हैं। उन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कृपलानी, मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। श्री मीणा मैं आपको उनके बाद बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कृपलानी आप फिर समस्याएं खड़ी कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मीणा, मैं आपको बाद में पुकारूंगा। मैं आपको कितनी बार बताऊं? चूंकि मामला आपके चुनाव क्षेत्र का है, इसलिए मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर): महोदय, मैं आदिवासी समाज की महिला हूं। स्वयंसेवी संस्थाओं ने आदिवासी परिवारों के उन्नयन की बात को लेकर एक ढोंग रच रखा है। मैं आपके माध्यम से न्याय चाहती हूं। राजस्थान सरकार इनको अपनी जेब का वोट बैंक मानते हैं, स्वयंसेवी संस्थायें आदिवासियों के नाम पर इन आदिवासी परिवारों के साथ जघन्य अपराध कर रही हैं। इन लोगों को मुक्त कराते हुए, राजस्थान की सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं से न्याय दिलाइए, ताकि हमारे प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ न्याय मिल सके। यह पत्र-पत्रिकाओं में छपा हुआ स्टेटमेंट मेरा नहीं है। *...(व्यवधान)* महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ, उन परिवारों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है और न्याय दिलाने के लिए मैं आपसे अपील करती हूं। *...(व्यवधान)*

श्री भेरूलाल मीणा: महोदय, यह मेरा चुनाव क्षेत्र है और मैं वहां जाकर आया हूं। कम से कम 15 जगहों का मैंने निरीक्षण किया है। एक-एक जगह पर 40-40, 50-50 और 100-100 मजदूर काम कर रहे हैं। वहां भुखमरी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया रुकावट न डालें। वह मामला उनके चुनाव क्षेत्र का है। उन्हें अपनी बात कहने दें। आप उन्हें क्यों टोक रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा: जहां तक इस बात का सवाल है तो गुजरात और राजस्थान का बार्डर मिला हुआ है और उनके लड़के-लड़कियों की आपस में शादियां होती हैं। यहां तो परम्परा से ये शादियां होती रहती हैं। *...(व्यवधान)* दूसरी बात यह है कि हमारे गांव का रिवाज जरा अलग है। लड़की की शादी में लड़के वाला लड़की के बाप को पैसा देता है, वहां यह रिवाज है और यह रिवाज परम्परा से चलता आया है। ये लोग तो अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह सवाल यहां उठा रहे हैं। *...(व्यवधान)* एक पेपर में किसी ने लिख दिया तो यह यहां उसे उठा रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है जैसा यह कह रहे हैं।

श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष जी, ये भाजपा के लोग आदिवासी लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने इस बारे में कल भी गलत स्टेटमेंट दिया था।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई है तब से आदिवासी, शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राईब्स के लोगों की सी.आर. खराब की जा रही है, उनको एग्जिक्यूटिव पोस्ट नहीं दी जाती हैं और उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर सस्पैंड कर दिया जाता है। मैथ्यू थामस नाम के एक ऑफिसर थे। ये तहलका वाले मैथ्यू नहीं दूसरे मैथ्यू हैं। वे शैडयूल्ड कास्ट के अधिकारी थे और अच्छा काम कर रहे थे। उनके ऊपर इल्जाम लगाकर सस्पैंड कर दिया गया है। इस प्रकार से एस.टी. और एस.सी. के अधिकारियों पर अन्याय हो रहा है। यह सरकार बड़ी-बड़ी बातें तो करती है कि हम एस.टी. और एस.सी. के अधिकारियों को बहुत सहयोग दे रहे हैं लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों का रिकार्ड खराब किया जाता है और उन्हें सस्पैंड कर दिया जाता है। क्या इस सरकार का रिकार्ड अच्छा है? हमारे एस.सी. और एस.टी. के अधिकारियों को इसी तरह से बदनाम करने का काम हो रहा है। आज उन्हें न्याय मिलना चाहिए और अगर उन्हें न्याय नहीं दिया जाता है तो हम इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारे अधिकारियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत गोरखपुर, गौंडा रेल आमान-परिवर्तन के लिए वर्ष 1996 में परियोजना स्वीकृत हुई थी। उसके लिए रेल मंत्रालय ने एक लाख रुपये की टोकन मनी भी रिलीज की थी। इस वित्तीय वर्ष में तत्कालीन रेल मंत्री माननीय ममता बनर्जी जी ने एक करोड़ रुपये गोरखपुर, गौंडा और आनंद नगर नौथन्वा रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए निर्धारित किए। यह रेल लाइन भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाके को जोड़ती है तथा गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और उनकी राजधानी कपिलवस्तु को भी जोड़ती है। इतने महत्वपूर्ण मार्ग पर अभी तक आमान परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर इस रेल लाइन के आमान का काम किया जाए तो देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को सुगम रेल-मार्ग भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने के लिए प्राप्त होगा।

साथ ही साथ गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बनी से गौतम बुद्ध के निर्वाण स्थल कुशीनगर तक आने के लिए सुगम मार्ग प्राप्त होगा और सारनाथ तथा बोधगया के लिए उन्हें सीधा रेल मार्ग

[कुंवर अखिलेश सिंह]

प्राप्त होगा। मेरी सरकार से मांग है कि गोरखपुर, गोंडा और आनन्दनगर नौतनवां रेल लाइन का आमान परिवर्तन अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो लोग हल्ला करेंगे मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। याद रखिए, यदि उनका नाम भी होगा तो भी नहीं बुलाऊंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिन्दू समाज के कई लोग अमरनाथ की यात्रा को जाते हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन उत्तर भारत में केवल दिल्ली में होता है। इसके कारण अमरनाथ की यात्रा को जाने वाले लोग दुखी होते हैं। वे दिल्ली में 10-15 दिन तक पड़े रहते हैं। उन्हें अपने ठहरने और भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके बाद भी यदि उनका पंजीकरण नहीं होता है तो वे दुखी होते हैं। मेरी मांग है कि राज्यों की राजधानी में और विशेष कर राजस्थान के जयपुर शहर में इस प्रकार के कार्यालय खोले जाएं जहां उनका पंजीकरण हो जिससे उन्हें कष्ट न उठाना पड़े।

भेरूलाल जी ने जो महिलाओं के बारे में बात कही, उसके बारे में मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं भी मीणा जाति से संबंध रखता हूं। जिन नौ महिलाओं को बेचा गया, उनके साथ न्याय किया जाए और इसकी जांच हो। भेरूलाल जी पता नहीं मीणा हैं या नहीं लेकिन मैं गिरधारी लाल मीणा हूं, ऐसा मैं समझता हूं। मीणा जाति का होने के नाते मेरा अनुरोध है कि मीणा जाति पर अत्याचार बंद होने चाहिए। भेरूलाल जी अपनी बात को वापस लें। निश्चित रूप से इस मामले की राजस्थान सरकार जांच करे। यही मेरी मांग है। ...*(व्यवधान)*

श्री ताराचन्द भगोरा: उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारे समाज में महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, लगभग तीन-चार वर्ष पहले कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन शुरू किया गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया था। यह सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न बहुत अच्छा विमानपत्तन है। यह बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है और डी.जी.सी.ए. से तथा अन्य प्राधिकारियों से सभी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं ताकि यहाँ से विमान उड़ान भर सकें और विमान उतर सके। अनेक एयरलाइंस ने न केवल यहां से उड़ान भरने की अनुमति मांगी है बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए यहाँ से उड़ान भरने की भी अनुमति मांगी है। दुर्भाग्य से, भारत सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है। भारत सरकार अन्य आपरेटर्स को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दे रही है जबकि यहाँ उदारीकरण और ओपन स्काई की नीति अपनाई जाती है। यदि ये आवेदक इसके लिए पात्र हैं तो भारत सरकार को इनके प्रति सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उनके लिए अपना आकाश खोल देना चाहिए। यात्रियों को यहाँ से आने और जाने दें ताकि भारत में और अधिक पर्यटक आ सकें और इस विमानपत्तन का पूर्ण उपयोग किया जा सके। इस विमानपत्तन को भी यहाँ से अपर्याप्त संख्या में विमान उड़ानों के कारण कठिनाई हो रही है क्योंकि लागत अत्यधिक होती है। अत: मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपरेटर्स जिन्होंने इस विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से कोचीन के लिए उड़ान भरने के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदन पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए। यदि अन्यथा पात्र पाए जाएं तो उन्हें कोचीन के लिए उड़ान भरने की अनुमति देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति देने हेतु अनुरोध करना चाहूंगा। बिलासपुर में मेडिकल कालेज खोलने के लिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने समस्त औपचारिकताएं पूरी करके केन्द्र सरकार के पास भेजी थी। केन्द्र सरकार ने वहां ऑल इंडिया मेडिकल कौंसिल को कालेज खोलने हेतु अध्ययन दल भेजा।

अध्ययन दल ने खोलने हेतु उचित पाया उसकी रिपोर्ट दे दी है। यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। इन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा तथा अन्य बीमारियों में देखरेख करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बिलासपुर में एक मैडिकल कालेज खोले जाने की स्वीकृति दी जाये।

श्री बलबीर सिंह (जालन्धर): मि. डिप्टी स्पीकर, मैं एक बहुत ही गम्भीर और शर्मनाक शरारतंगेज मामले की ओर इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। देश के सैकुलर फैब्रिक पर घातक हमला किया गया है। एच.आर.डी. मिनिस्ट्री के एक सीनियर आफिसर श्री कॉव ने एन.सी.ई.आर.टी. के आफिशियल जर्नल में एक आर्टिकल-

[अनुवाद]

'मानवीय मूल्यों की शिक्षा' लिखा है जिसे मैं कोट करता हूं: "हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता को सबसे बड़ा नुकसान रुढ़िगत धर्मों से हुआ है। विशेषरूप से उन धर्मों से हुआ है जिनकी एक ही पवित्र पुस्तक है जिससे वे अपनी सत्ता को उद्धृत करते हैं।

[हिन्दी]

इस तरह से मुकद्दस कुरान, मुकद्दस बाइबल, मुकद्दस गुरु-ग्रन्थ-साहिब पर घातक हमला किया गया है। धर्म का निरादर किया गया है। यह बहुत बुरी बात है।

[अनुवाद]

उसने जलते पर नमक छिड़कते हुए यह और कहा है-'हम यह भूल जाते हैं कि ये धर्म हम जैसे लोगों ने ही संस्थापित किए हैं'।

[हिन्दी]

वे अपनी तुलना जीसस, हजरत मोहम्मद, गुरु नानक से करते हैं। यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। सरकार को मि. कॉव के आर्टिकल पर बैन लगाना चाहिये, उसे डिसमिस करना चाहिए और उसे प्रोसीक्यूट करना चाहिए। डा. जोशी सैफर्नाइजेशन के पीछे लगे हुए हैं, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक धर्म का निरादर है। मेरे ख्याल से सारा हाउस इस मामले को गंभीरता से लेगा। अकाली भाई अपने आपको धर्म का रखवाला मानते हैं लेकिन कुर्सी की खातिर सरकार से चिपके हुए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वे सरकार छोड़कर आ जायें। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़): उपाध्यक्ष जी, इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। वह गवर्नमेंट आफिशियल है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बलबीर सिंह: उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शमशेर सिंह दूलो: उपाध्यक्ष जी, ये लोग अपनी तुलना गुरु नानक जी से और गुरु गोविंद सिंह जी करते हैं....

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला उठाया है। यह लेख मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने लिखा था। यह मंत्रालय के सरकारी दस्तावेज में प्रकाशित हुआ था।

महोदय, हमारी सभी धर्मों का आदर करने की परम्परा रही है। हम एक धर्म की दूसरे धर्म से तुलना नहीं करते और एक धर्म की अथवा कुछ धर्मों को गलत छवि पेश नहीं करते जैसा कि सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है। यही मुद्दा है और उन्होंने ऐसा अपना निजी हैसियत से नहीं किया है। ऐसा सरकारी संस्था में किया गया। उनका सार्वजनिक बयान यह था कि ये उनके अपने विचार थे। कोई सचिव सरकारी लेख में अपनी निजी राय कैसे व्यक्त कर सकता है? इससे न केवल मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुँची है बल्कि इससे ईसाइयों तथा सिखों और अन्य की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में यह सब क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री शमशेर सिंह दूलो: उपाध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए कि वह क्या कर रही है? यह बहुत गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव कैसे हो सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री शमशेर सिंह दूलो: वह एक सरकारी कर्मचारी हैं और इस तरह का आर्टिकल लिखे यह गम्भीर बात है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं इसे मानव संसाधन विकास मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। श्री जयपाल रेड्डी बाहर गए थे और किसी नए मुद्दे के साथ फिर आ गए हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह मामला प्रेस में प्रकाशित हुआ है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, सरकार के लिए सभी धर्म एक समान हैं। हम सभी सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, मैं उसका यहां उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, उत्तर नहीं दे सकते लेकिन सैक्रेटरी ने आफिशियल आर्गन या किताब में जो आर्टिकल लिखा है, वह आब्जैक्शनेबल है या नहीं, वह कनफर्म करें।

श्री प्रमोद महाजन: सर, मैंने आर्टीकल नहीं देखा है, ऑर्गन नहीं देखा है, मैं दखने के बाद ही कुछ बताऊंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे नोट करें और इसका पता लगाएं।

श्री प्रमोद महाजन: मैंने पहले ही यह कहा है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): सर, यह एक गम्भीर मामला है। धर्मनिरपेक्ष देश में किसी धर्म के बारे में ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, इस सरकार के इशारे पर सरकार के अधिकारी अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री कांतिलाल भूरिया: सरकार के इतने बड़े अधिकारी ने यह लिखा है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: सर, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें किसी को किसी की धार्मिक भावना पर कुठाराघात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। *...(व्यवधान)*

श्री शमशेर सिंह दूलो: सर, सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही कहा है कि वे इसे मानव संसाधन विकास मंत्री के ध्यान में लाएंगे?

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: संसदीय कार्य मंत्री सदन से चले गये हैं, वह आकर सदन में इस पर स्पष्टीकरण दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हम और क्या कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है। आप उनसे कितनी बार जवाब चाहते हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही कहा है कि वे मामले को संबंधित मंत्री के ध्यान में लायेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजकर 6 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा नियम 377 के अंतर्गत मामले लेगी। प्रो. दुखा भगत।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए वन कानूनों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा): अध्यक्ष महोदय, मेरे गृह राज्य झारखंड से 50 प्रतिशत की आय वनों से होती है और वनों की हिफाजत आदिवासी लोग करते हैं। परन्तु उनकी शिक्षा और रहन-सहन निम्न स्तर का है। जो कानून आदिवासी लोगों के लिए बना रखे हैं, वह आदिवासी लोगों के विकास में बाधक हैं। इन कानूनों के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो सकता, बिजली के खम्बे नहीं लग सकते हैं, डैम नहीं बन सकते हैं, नहरों का निर्माण नहीं हो सकता, बिजली के खम्बे नहीं लग सकते हैं, डैम नहीं बन सकते

हैं, नहरों का निर्माण नहीं हो सकता है और सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं परन्तु धनराशि उन तक नहीं पहुंचती है जिसके कारण आदिवासी लोगों को वर्तमान समय में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इन योजनाओं में हो रही अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच की जाए और आदिवासी क्षेत्रों के लिए बने कानूनों की समीक्षा की जाए और उनको इस प्रकार से बदला जाए जिससे आदिवासी लोगों का विकास हो सके।

[अनुवाद]

(दो) राजस्थान के चुरु जिले के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान प्रान्त विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू की जनता विगत तीन वर्षों से अकाल की विभीषिका से जूझ रहे हैं। इस योजना के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू में ग्रामीण सड़कें स्वीकृत किए जाने से ग्रामों के कस्बों तथा विभिन्न मार्गों से जुड़ने के साथ-साथ अकाल से जूझ रही जनता को रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। मेरी गृह तहसील राजगढ़ के ग्राम चुबकिया ताल, कान्द्राण, मानपुरा, डींगली, गागडवास, बासकांजरा, बेवड सरदारपुरा, मुंदीताल, हरयालू कूबड़ी, आच्छापुर तथा तारानगर तहसील के ग्राम झोछड़ा देवगढ़ ढिंगी, कैलाश, जिगसानाताल, भलाऊ टीब्बा आदि गांवों की जनसंख्या एक हजार से काफी ज्यादा है तथा उक्त गांवों की अधिकांश सड़कों पर डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य भी किया हुआ है जिस कारण भी इन गांवों की जनता को आवागमन में काफी असुविधा होती है फिर भी इन ग्रामों को अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है।

अत: जनहित में उपर्युक्त सभी ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में चुरु जिले हेतु अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जाए ताकि ग्राम विकास को गति प्रदान किए जाने के साथ-साथ स्थानीय जनता को रोजगार भी उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

(तीन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के नीलकंठ महादेव मंदिर का समुचित संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, अलवर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले के अंतर्गत केन्द्रीय रूप से संरक्षित नीलकंठ महादेव मंदिर है। इस मंदिर में पांच से छ: हजार के बीच मूर्तियां हैं। इस स्थल के रख-रखाव की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पर है। यह मंदिर कई वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ है। इसमें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इस स्थल की ढांचागत मरम्मत अनुरक्षण तथा रासायनिक विश्लेषण की अति आवश्यकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नीलकंठ महादेव मंदिर के रख-रखाव तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु उचित कार्यवाही करें ताकि यह मंदिर पर्यटन की दृष्टि से, स्मारक स्थल की दृष्टि से तथा धार्मिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सके।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को पुन: चालू करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, उड़ीसा में भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। इसमें इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) की 51 प्रतिशत और औद्योगिक संवर्द्धन एवं निवेश निगम लिमिटेड (आई.पी.आई.सी.ओ.एल.) की 49 प्रतिशत शेयर है। उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को वर्ष 1995 में ही रुग्ण इकाई घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2000 में बी.आई.एफ.आर. ने घोषणा की कि कंपनी के पुनरुद्धार का प्रयास असफल होगा। इसके पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा कंपनी के प्रबंधन को बदलने या विनिवेश करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कामगार बड़े संकट का सामना कर रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के पुनरुद्धार हेतु शीघ्र कदम उठाने का निवेदन करता हूँ।

(पांच) मुम्बई रेलवे विकास निगम परियोजना का कार्य शीघ्र आरम्भ किये जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): मैं सरकार का ध्यान मुम्बई रेलवे विकास निगम परियोजना को अंतिम रूप देने में हुए विलंब की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। निगम परियोजना अभी तक शुरू नहीं दी गई है। विश्व बैंक के वित्तपोषण में विलंब हो गया है। विश्व बैंक वित्त पोषण से पीछे भी हट सकती है। इसलिए, इस मामले में रेलवे और वित्त मंत्री के बीच मतभेद को शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से इस पर विचार करने का निवेदन करता हूँ।

(छह) चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए इसके निर्यात मूल्य में यथोचित स्तर तक कमी किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. राव (गुन्टूर): भारत सरकार ने देश के बाहर 20 लाख टन चावल के निर्यात का निर्णय लिया है। अब तक आंध्र प्रदेश से बिल्कुल निर्यात नहीं किया गया है। इसका कारण भारतीय खाद्य निगम के 675 रुपए प्रति क्विंटल की दर का गैर प्रतियोगी होना है। जबकि वियतनाम और थाइलैंड जैसे देश 25 प्रतिशत टुकड़े वाला चावल 131 से 139 अमरीकी डालर की दर पर और 5 प्रतिशत टुकड़े वाला चावल 147 से 155 अमरीकी डालर की दर पर निर्यात का प्रस्ताव कर रहे हैं, हमारे निर्यातक उन देशों के साथ प्रतियोगिता करने में समर्थ नहीं हैं।

इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए उचित स्तर तक निर्यात मूल्य घटाने का निवेदन करता हूँ। मैं आभारी रहूंगा यदि भारत सरकार चावल की खरीद हेतु आंध्र प्रदेश में और अधिक गोदाम बनाने के लिए कार्रवाई करे जिसके परिणामस्वरूप न बिके हुए चावल के विशाल भंडार के कारण दु:खी किसानों से और अधिक धान की खरीद हो सकेगी।

(सात) उत्तर प्रदेश में चित्रकूट धाम कार्वी रेलवे स्टेशन पर अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट जिले का मुख्यालय करवी है, जो मध्य रेल के झांसी रेल मंडल के अंतर्गत है। पूरे भारत में विख्यात चित्रकूट एक महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल है। यहां पर प्रतिमाह अमावस्या के दिनों में लाखों यात्री आते-जाते हैं और प्रतिदिन मेला बना रहता है। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रेनों में चढ़ने-उतरने में अनेक कठिनाइयां आती हैं। यात्रियों को अनेक कष्टों से बचाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

झांसी-बांदा शटल ट्रेन को मानिकपुर तक बढ़ाकर रोजाना चलाया जाये, जो केवल अमावस्या मेले के दिनों में चलाई जाती है।

आगरा ग्वालियर और हावड़ा के बीच हफ्ते में तीन दिनों तक चलने वाली चम्बल एक्सप्रैस को दोनों ओर से प्रतिदिन चलाया जाये। उसको आगरा ग्वालियर से आगे बढ़ाकर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक चलाया जाये।

जबलपुर निजामुद्दीन के बीच चलने वाली महाकौशल एक्सप्रैस के चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर ठहराव का समय तीन मिनट से बढ़ाकर छः मिनट किया जाये।

चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर एक तीसरी नई रेल लाइन बिछाकर स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने की क्षमता बढ़ाई जाये।

दोनों प्लेटफार्मों को जोड़ने हेतु एक ऊपरिगामी पारपथ निर्मित किया जाये।

[अनुवाद]

(आठ) महाराष्ट्र में नासिक के मालेगांव में रेलवे टिकट काउंटर और आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, मालेगांव तहसील मालेगांव जिला नासिक यह शहर बारह लाख की आबादी का शहर है। यहां से रेल स्टेशन मनमाड 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मालेगांव से हर रोज 600-700 प्रवासी रेल से यातायात करते हैं। मालेगांव से मनमाड जाने में आर्थिक नुकसान और समय बर्बाद होता है। आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती है कि मालेगांव शहर में टिकट घर और रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

(नौ) आंध्र प्रदेश में बुनकरों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, हम लोग कुछ समय से यह देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में कुंठा के कारण किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, आंध्र प्रदेश में बुनकर समुदाय में भी इस हद तक कुंठा व्याप्त हो गई है कि कुशल बुनकर समुदाय के लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं।

वास्तव में मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र में एक गरीब बुनकर, जो अपनी जीविका चलाने में असमर्थ था, ने हाल ही में आत्महत्या कर ली।

बुनकर समुदाय के बढ़ते कष्टों के मद्देनजर, मैं उन बुनकरों के बचाव हेतु उपाय के रूप में एक व्यापक पैकेज लाने की अपील करता हूं जो कि देश में दूसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह है।

अपराह्न 2.18 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण मुझे सभा को यह सूचित करना है कि नेताओं की कल हुई बैठक में पार्टियों और ग्रुपों के नेताओं ने एक सामान्य इच्छा व्यक्त की कि 5 राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों को देखते हुए लोक सभा को 27 अप्रैल, 2001 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाए। नेताओं के बीच इस बात पर भी सर्वसम्मति थी कि सभा को शीघ्र स्थगित करने के कारण हुई समय की हानि को अपेक्षाकृत लम्बे मानसून सत्र के द्वारा पूरा किया जाए।

अगर सभा सहमत हो तो, उपर्युक्त प्रस्तावों पर हुई सर्व-सम्मति को देखते हुए, लोक सभा को 27 अप्रैल, 2001 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मई 14, 15, 16 और 17 तारीख को हाउस होना था। कैसे सरकार ने सैबोटॉज कर दिया। अनेक इश्यूज पर बहस होनी थी। सरकार उन पर यहां बहस नहीं होने देना चाहती ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, इस पर पहले ही निर्णय हो चुका है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

अपराह्न 2.20 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया है।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, 13 तारीख को हमें पुकारा गया था। हम किसान के सवाल पर बोलने के लिए खड़े हुए थे लेकिन उसी बीच इतना करप्शन वाला तहलका कांड हो गया और हम लोग मांग करने लगे कि यह करप्ट और कम्युनल सरकार जानी चाहिए। अभी वह लड़ाई चल रही है। विपक्ष में एकता न होने के चलते अभी भी ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। देश भर में सभी तरह के किसान अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे हैं। सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं। केरल का नारियल का किसान हो या पंजाब, हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश के धान के किसान हों या गेहूं पैदा करन वाले किसान हों या महाराष्ट्र के प्याज पैदा करने वाले किसान हों या दूध, तिलहन, दलहन, गन्ना उत्पादक किसान, सभी अभूतपूर्व संकट में हैं और हम सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि किसान संकट में हैं लेकिन जब पार्टीबंदी होती है तो बात दूसरी करते हैं। अभी कल ही वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे और ऐसा वर्णन कर रहे थे जैसे किसान खुशहाल हो। वही क्रैडिट कार्ड की गिनती करा रहे थे कि एक करोड़ से ज्यादा क्रैडिट कार्ड बना दिये लेकिन सरकार के ये सभी दावे छलपूर्ण और धोखाधड़ी वाले हैं।

अपराह्न 2.21 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*]

इसीलिए इनके राज्य में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बिना रिकार्डों के लोग कहते हैं कि देश भर के विभिन्न राज्यों में दस हजार किसानों ने आत्महत्या की। रिकार्ड में कम लाते हैं। पंजाब और हरियाणा की सरकार ने कहा कि आत्महत्या करने वाले एक किसान को ढाई हजार मुआवजा दे दो। भारत सरकार ने क्या

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

किया है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की है? मैं जानना चाहता हूं। सारे किसान दुखी हैं लेकिन मुझे आश्चर्य और गुस्सा तब होता जब सरकार की ओर से पाखंडपूर्ण बयान होता। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अब धान और गेहूं की खेती किसान कम करें और तिलहन और दलहन की खेती और फल और सब्जी की खेती करें। यह पाखंड वाला बयान निकम्मी हुकूमत का ही हो सकता है जो किसान के साथ भेदभाव वाला व्यवहार करने को तैयार है। छल, धोखा और फरेब वाला बयान है। असली समस्या का हल नहीं करने वाला बयान और किसानों के साथ दुश्मनी वाला यह बयान है। किसानों के बारे में हमने हर तरह के सवाल उठाये हैं। एडजर्नमेंट मोशन, कभी 193 और अन्य कानून के तहत अनेक बार बहस हुई लेकिन इनसे किसानों का कष्ट कम नहीं हुआ बल्कि किसानों का कष्ट बढ़ रहा है। क्या कारण है? उसमें क्या बचा है? इसका क्या इलाज है, यह बहस का विषय है। सब इस बात से सहमत हैं कि किसान अभूतपूर्व संकट में हैं। उनकी लागत ज्यादा हो रही है। डीजल का खर्चा बढ़ने से कृषि में लगने लायक जो मशीनें हैं, उनके दाम बढ़ने से, बिजली, मजदूरी का दाम बढ़ने से, पेस्टीसाइड्स, दवाओं का दाम बढ़ने से, खाद और सिंचाई का दाम बढ़ने से लागत ज्यादा हो रही है लेकिन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कम तय करती है और वह भी किसान को नहीं मिलता। किसान अपना अनाज जलाने को मजबूर हैं।

जालंधर में किसानों द्वारा आलू सड़क पर फैंक दिया गया। हापुड़ में भी आलू फैंक दिया गया। प्याज के मामले में महाराष्ट्र में किसान-किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और आधी कीमत पर उत्पादन को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं या फैंक रहे हैं। सरकार की नीति किसान विरोधी है। इनका आचरण-व्यवहार किसान विरोधी है और हमको लगता है, अज्ञानता के भी ये लोग शिकार हैं, तो किसानों की समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे। हम सवाल उठा रहे हैं और जवाब कृषि मंत्री देंगे, जबकि कृषि मंत्री जी को रेल चलाने में ज्यादा रुचि है, लेकिन ये किसान के बारे में जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)* चूंकि इनको रेल चलाने में ज्यादा रुचि है ऐसा अखबारों में आ रहा है, कृषि विभाग किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा।

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): आप इधर आ जाइए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उधर नरक में आ जायें। हम किसान विरोधियों के साथ नहीं जा सकते हैं। आप सभी को विदा करके वहां आयेंगे।

माननीय कृषि मंत्री जी बिहार से आते हैं और दावा करते हैं कि वे किसानों के लिए काम करते हैं ...*(व्यवधान)* पशुपालन वाले किसान भी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और आपके राज में तो पशुधन विभाग ही खत्म है। इस विभाग को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई चर्चा करने वाला नहीं है, जबकि जीडीपी में 31 प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन कृषि उत्पाद का आता है और 9 प्रतिशत पशुपालन से आता है। यह क्षेत्र सबसे उपेक्षित माना जाता है। मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक पशु-पालन और पशुधन का विकास नहीं होगा, हिन्दुस्तान से कोई भी गरीबी और बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकता है। एक समस्या और है, हम सवाल पूछेंगे और कृषि मंत्री जी कह देंगे कि सवाल फूड विभाग से संबंधित है। इस समस्या की वजह से कृषि विभाग के किसान की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। डब्ल्यू टी ओ का संबंध कामर्स से है, लेबर विभाग से संबंध है, पानी की समस्या सिंचाई विभाग से संबंधित है और अन्य समस्यायें विभिन्न विभागों से संबंधित है—यानि 10-12 विभागों से संबंधित मामलों का जवाब कृषि मंत्री जी देंगे। वर्ष 1999 में आंध्र प्रदेश में धान का उत्पादन 167 लाख टन, पंजाब में 149 लाख टन, हरियाणा में 41 लाख टन, बिहार में 123 लाख टन हुआ है। एफसीआई ने धान की उगाही पंजाब में 27 लाख टन, बिहार में 27 हजार टन दिखाई गई है। बिहार में 27 हजार टन धान की उगाही 1997-98 में हुई थी। आपके राज में तो 8 हजार टन उगाही हुई है, जो नगण्य है। इसका जवाब आपके पास नहीं है। नि:सहाय होने के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है।

जहां तक मक्का की बात है, मक्का चार राज्यों में पैदा होती है-मध्य प्रदेश 13 लाख टन, बिहार 16 लाख टन, आंध्र प्रदेश 16 लाख टन और कर्नाटक 16 लाख टन। प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश में 16 हजार टन, आंध्र प्रदेश में 37 हजार टन और कर्नाटक में 89 हजार टन और बिहार में मक्का का प्रोक्योरमेंट शून्य है-क्यों? बिहार के किसानों के साथ बेइमानी हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): यह राज्य सरकार का काम है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: राज्य सरकार का काम है, इसीलिए मैंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान इनकी अज्ञानता के कारण भी नहीं हो रहा है। एफ सी आई के गठन में देश का हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है।

भारत सरकार का काम एम.एस.पी. तय करना है और उसको मुहैया कराना भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. भारत सरकार का उपक्रम है या बिहार सरकार का है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में सरप्लस गेहूं का उत्पादन होता है। पांच राज्यों में तो गेहूं का प्रोक्युरमेंट चल रहा है लेकिन

बिहार में वह नहीं हो रहा है। इसलिए एफ.सी.आई. या तो बिका हुआ है या बिहार सरकार से, वहां की जनता और किसानों से इसकी दुश्मनी है। हमारे पास लिखित प्रमाण हैं जिनको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। यह दुश्मनी इस साल से खत्म होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। गेहूं और मक्का का एक छटांक भी प्रोक्युरमेंट नहीं हुआ, धान का जरूर आठ हजार टन हुआ है। संसद की कार्यवाही रुकी, बिहार में इस पर आंदोलन हुआ, लेकिन इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बिहार के सांसद जो उस तरफ बैठे हुए हैं वे किसानों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, इसका वे जवाब दें।

किसान का संबंध अनेक विभागों से हैं और अगर ये जवाब भी देंगे तो इधर-उधर की बातें ही करेंगे। प्रोक्युरमेंट तो इनके विभाग का मामला है नहीं, तो ये क्या जवाब देंगे।

डीजल की कीमत साल में तीन-तीन बार ये बढ़ा देते हैं। खाद की कीमत बढ़ाते हैं तो क्या श्री यशवन्त सिन्हा जी सब्सिडी घटा देंगे? यह इनके बस में नहीं है। हमने सवाल उठाया है कि एक संसदीय समिति बनाई जाए। लेकिन संसदीय समिति के नाम से यह सरकार भागती है। जैसे पेट्रोल देख करके कुत्ता भागता है, वैसे ही यह सरकार जे.पी.सी. या संसदीय समिति के नाम से भागती है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ...*(व्यवधान)* यह एक मुहावरा है-यह कोई विषय नहीं है।

सभापति महोदय, हमने बार-बार मांग की है कि किसानों की समस्याओं पर एक समिति बने। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समस्याओं के विषय पर एक संसदीय समिति है वैसे ही किसानों की समस्याओं पर एक संसदीय समिति बने, जो सभी विभागों से तालमेल रखे कि कैसे किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है तथा उसकी मॉनिटरिंग करे, उसकी छानबीन करे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है फि पता नहीं कौन सी किसान विरोधी लॉबी है जो इसे रोक रही है। हम सभी लोग मिलकर समिति बना सकते हैं। समिति क्यों नहीं बन रही है सरकार इसका स्पैसिफिक जवाब दे। जब 150 कमेटियां बनी हुई हैं तो किसानों के लिए एक कैबिनेट स्तर की इक्नौमिक कमेटी ऑन एग्रीकल्चरल अफैयर्स क्यों नहीं आप बनाते हैं। प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में वह कमेटी बने और सभी मंत्री उसमें सदस्य रहें। अगर आप एक पैसा भर भी किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो उसको बनाइये। लेकिन हमें आप पर भरोसा नहीं है।

सभापति महोदय, महाभारत में भीष्म पितामह बाण-शैय्या पर थे। जब वह ज्ञान का उपदेश दे रहे थे तो द्रोपदी हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि जब मैं ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं तो पुत्रवधू होकर क्यों हंस रही हो। द्रोपदी ने कहा कि जिस समय मेरा भरी सभा में चीर हरण हो रहा था उस समय आपके ज्ञान का उपदेश कहा गया था। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए जैसा अन्न खाएंगे वैसे मन होगा। उन्होंने कहा कि बाण लगने से अब मेरा सारा विषाक्त खून बह गया है और शुद्ध खून शरीर में दौड़ने लगा है इसलिए मैं ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। हमें आपके भरोसा नहीं है। आप किसानों के बल पर यहां नहीं आए हैं। आप पूंजीपतियों, कालाबाजारी करने वालों और मल्टीनेशनल के बल पर यहां आए हैं। इसलिए हम आप से यह अपेक्षा नहीं करते कि आप किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। भीष्म पितामह की तरह कालाबाजार करने वालों का खून जब आपके दिल से हट जाएगा तब आप किसान के बारे में सोच और समझ सकते हैं।

मेरी मांग है कि इसके लिए संसदीय समिति का गठन किया जाए और कैबिनेट कमेटी ऑफ फार्मर्स या एग्रीकल्चर का गठन होना चाहिए। आपने अनेकों कमेटियों का गठन किया लेकिन इस काम के लिए एक भी कमेटी का गठन क्यों नहीं किया? किसान जिस की लॉबी नहीं है, वे छोटे-मोटे आन्दोलन करते हैं। उनका कभी राष्ट्रव्यापी आन्दोलन नहीं हुआ। इसलिए आप बिना किसी चिन्ता के बैठे हैं।

आपने डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर को शामिल कर दिया। उसमें ट्रिप्स, ट्रिम्स, गैट आदि फैक्टर्स रखे लेकिन इसमें एग्रीकल्चर को शामिल करने की जरूरत नहीं थी। जब डब्ल्यूटीओ की बैठक चल रही थी उस समय वहां बाहर आन्दोलन हुआ कि लेबर और एनवायरनमैंट को इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है? ऐसे में उसे शामिल नहीं किया गया। आप भी हिम्मत करके लोकमत तैयार करें और एग्रीकल्चर को डब्ल्यूटीओ से हटाएं। डब्ल्यूटीओ के समझौते से किसान आतंकित हैं। मेरे पास 715 चीजों की सूची है जो बाहर से आयेंगी। खाद्य तेल, दालचीनी, उर्वरक, कागज, कच्चा रबड़, हल्दी, धनिया, तेल, आटा, लौंग, तेज पत्ता, इलायची, राई आदि चीजें बाहर से आयेंगी। ऐसे में किसान का क्या होगा? हमें आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। यहां पहले ही छोटे उद्योग धंधे चौपट हैं। अब किसान भी चौपट होने जा रहा है। उनके उत्पादित सामान का क्या होगा? उसे कौन पूछेगा?

आपने कहा कि हम सब्सिडी कम करना चाहते हैं। आज गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आठ रुपए किलो में गेहूं मिल रहा है। आपने कहा कि इस पर साढ़े चार रुपए किलो सब्सिडी घटाना चाहते हैं। ऐसा करके आप गरीबों का पेट काट रहे हैं। आप ट्रेडर्स को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? आप कहते हैं

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कि वे उसे विदेश भेजेंगे। उनके लिए सब्सिडी कहां से आएगी? आपने किसान की खाद पर सब्सिडी काटी और गरीबों की सब्सिडी काटी।

महोदया, सरकार ने 5-6 सौ रुपये क्विंटल के दाम पर गेहूं खरीदा और बीपीएल के लिए 9 रुपये किलो बेच रहे हैं लेकिन जब डांट-फटकार पड़ी तो आठ आने किलो कम करके 8.50 रुपये प्रति किलो कर दिया। हमें इसमें यह नजर नहीं आता कि 5-6 रुपये खरीद कर 8.50 रुपये के भाव बेचने से कौन सी इकोनोमी मिलती है। विदेश में 4.10 रुपये किलो बेच रहे हैं और व्यापारी को 4.15 रुपये दिया जा रहा है।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): एफ.सी.आई. के आफिसर को 20 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है और इसलिए इतना खर्चा हो जाता है। मेरे पास आंकड़े हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): आप सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप मजदूर विरोधी बात मत करें।*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): क्या किसानों ने आपको वोट दिया है, हमें नहीं दिया है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: स्वाइं जी, उत्तर देने के लिए मंत्री जी बैठे हुये हैं, आप बीच में क्यों खड़े हो गये? आप बैठिए। आप बीच में डिस्टर्ब मत करें। मैं आपको भी बोलने के लिए चांस दूंगी।

रघुवंश जी, आपकी पार्टी के लिए पांच मिनट थे लेकिन आपको मैंने 20 मिनट दिये हैं। आप एक मिनट में समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, मैं क्या करूं, श्री स्वाइं जी बीच में खड़े हो गये और उन्होंने सवाल उठाया।

सभापति महोदय: आप उन्हें उत्तर मत दीजिए। आप अपनी बात खत्म कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, एफ.सी.आई.बी.पी.एल. को 4.50 रुपये, ए.पी.एल. को 8.50 रुपये और ट्रेडर्स द्वारा विदेश भेजने के नाम पर 4.15 रुपये, यह कौन सी बुद्धि की बात हुई? इसमें कौन सा इक्नामिक्स है, कौन सी प्रोग्रेसिव है। आपने सब्सिडी घटानी है लेकिन इससे बढ़कर पूंजीपति और ट्रेडर्स का*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): सभापति महोदय, माननीय सदस्य असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय: अगर अनपार्लियामेंटरी शब्द कहे हैं तो मैं रिकार्ड देखूंगी और उसे हटा दूंगी। रघुवंश बाबू, मैं अगला स्पीकर बुला रही हूं। आप बैठ जायें। मैंने आपको बार बार टाइम दिया है लेकिन दूसरे माननीय सदस्य की बात सुनकर फिर शुरू कर रहे हैं। आप चेयर को अड्रेस करके अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री अशोक प्रधान: सभापति महोदय, रघुवंश बाबू को साथ वाले सदस्य उकसा रहे हैं।

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, आपको एक मिनट में खत्म करना है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, गन्ना किसान मर रहा है लेकिन मिल मालिक से 65 प्रतिशत से लेवी घटाकर 40 प्रतिशत कर रहे हैं। इससे उन्हें 1500 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा और ए.पी.एल. की चीनी खत्म हो गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मिल मालिकों को 1500 करोड़ का फायदा हुआ आप बता दें कि कितना करोड़ रुपया आपने खाया? आप उपभोक्ता पर इतने करोड़ को बोझ बढ़ा, इन्होंने लेवी खत्म की, इसलिए मैं देख रहा हूं कि हरेक स्तर पर आम उपभोक्ता के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ पूंजीपति, भ्रष्ट और मल्टीनेशनल कंपनियों के मनमाफिक फैसले हो रहे हैं। इसलिए यह जन-विरोधी और किसान विरोधी हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: मुझे लगता है कि आपका चेयर पर ही बैठना अच्छा है।

श्री अशोक प्रधान: सभापति महोदय, रघुवंश प्रसाद जी का चैक अप करा दीजिए, नहीं तो किसी दिन सारे सदन को बहुत चिंता हो जायेगी।

सभापति महोदय: जब यह चेयर में बैठते हैं तो बड़ी खामोशी से बैठते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, ये सिम्पैथी रखते हैं, हमारा भाषण जमाने के लिए टोका-टाकी करते हैं।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के बोलने के पश्चात उनके कड़े रुख को देखते हुए मुझे यहां बोलने के लिए खड़ा होते हुए झुरझुरी सी हो रही है क्योंकि मैं उनके साधु व्यक्तित्व और तीखी जबान के बीच के विरोधाभास को साक्षात देख रहा हूं।

जब मैं किसानों के बारे में बोल रहा हूं तो मुझे लगता है कि जहां तक इस देश में किसानों की दशा का सवाल है मैं फिर से उनकी समस्याओं पर ही जोर देता रहूंगा। मैं श्री रामजीलाल सुमन, श्री साहिब सिंह और श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, ये तीनों ही आज अनुपस्थित हैं, की इस देश में किसानों की दशा से संबंधित चिन्ताओं से पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि मेरे पास हथौड़ी है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि और सब कीलें हैं और शायद डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ऐसा ही सोच रहे हैं। सभी कीलें नहीं हैं और किसी एक के पास हथौड़ी नहीं है कि वह जब चाहे, जहां चाहे हर किसी को ठोकते रहें।

भारत में किसानों की दशा वास्तव में बहुत खराब है। मैं किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं और उनके बारे में योजनाकारों के विचारों से शुरू करूंगा। मैं विभिन्न दलों के अलग-अलग दृष्टिकोणों और उन सब बातों में नहीं जाना चाहता। गत वर्षों में किसानों के बारे में क्या सोचा गया है? चिंता की बात यह है कि असंतुलन दूर किया जाना चाहिए जिससे कि किसान समाज में इज्जत से रह सकें।

अत: जब हम असंतुलनों के बारे में सोचते हैं तो मदों के संदर्भ में असंतुलन क्षेत्रीय असंतुलनों व व्यापारिक कठिनाइयों को दूर करने की सोचते हैं। मदों में असंतुलन का संबंध फसलों के उत्पादन से है। हरित क्रान्ति में पांच मुख्य फसलों को महत्व दिया गया था—चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और ज्वार। सभी जानते हैं कि हरित क्रान्ति को सफलता मिली। लेकिन इस सफलता ने हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर दीं। अधिकता से हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई। अत: मदों के प्रति रुझान और हरित क्रान्ति ने हमारे लिए समस्या खड़ी कर दी जैसे 1999 में 208 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। इसे कहां रखते और कैसे इसका उपयोग करते? गत वर्ष प्रकृति के उच्छृंखल स्वाभाव के कारण यह शायद तीन मिलियन मिट्रिक टन कम था। लेकिन फिर भी, जहां तक मदों के संतुलन का प्रश्न है, हमें परेशानी हुई।

अब मूलभूत आवश्यकता मदों में संतुलन बनाने की है। हमने असंतुलन दूर किया। अब हमें इस संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि वर्तमान सरकार इस समस्या को कैसे हल करती है। इस समस्या को ऐसे हल करना पड़ेगा कि किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने किसानों की दशा और उनके द्वारा अपने उत्पादों को औने-पौने में बेचने का जिक्र किया। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। उनके, मेरे और कई अन्य राज्यों में औने-पौने मूल्यों पर धान बेचा गया। इससे हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई। लेकिन भारत सरकार समय-समय पर कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती रहती है। एक उच्च स्तरीय समिति है—सी.ए.सी.पी.आर. या ऐसी ही कोई अन्य।

रबी और खरीब के मौसम के दौरान यह तय किया जाता है कि कृषि जिन्सों का क्या मूल्य होना चाहिए व मूल्य निर्धारित करते समय दिये जा रहे प्रोत्साहनों के स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रोत्साहनों के स्तर का अर्थ है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसान अपने उत्पादों का कितना मूल्य मिलने की उम्मीद कर रहा है। अत: न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय इसका ध्यान रखा जाता है। गत वर्ष विभिन्न कृषि जिन्सों का मूल्य 10 रुपये से 110 रुपये के बीच बढ़ाया गया था। इस वर्ष भी इसमें वृद्धि की गई है। श्री यशवन्त सिन्हा ने कल वित्त विधेयक पर अपने वक्तव्य में बताया कि पिछली बार किसानों को कितनी धनराशि दी गई थी। लेकिन वह जितनी भी हो, विभिन्न मदों के बीच असंतुलन को अब समाप्त किया जाना चाहिए। यह अति आवश्यक है। किसानों को अलग-अलग किस्म की फसलें उगानी ही होंगी।

दूसरी बात क्षेत्रीय असमानता की है। मैं बिना किसी के प्रति वैमनस्य प्रकट किए बिहार पर आ रहा हूं। जहां तक गैर-जिम्मेदार प्रशासन का संबंध है, बिहार में क्षेत्रीय असंतुलन है। प्रशासन वहां रहने वालों की दुर्दशा की ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम बहुत सी बातें कह सकते हैं लेकिन बिहार में किसानों की दुर्दशा के लिए प्रशासन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और भी बहुत सी बातें हैं। उड़ीसा का मामला ही ले। वहां, संयोजन एक मुख्य कारण है। छत्तीसगढ़ में भी संयोजकता प्रमुख घटक है जिसके कारण किसान अपना सामान बिक्री हेतु बाहर भेजने में असमर्थ है।

असंतुलन के बारे में तीसरी चीज व्यापार है। जब भी हम थोड़ा उत्पादन करते हैं, जब भी किसान थोड़े खाद्यान्न का उत्पादन कर पाता है तो उसे इस खाद्यान्न को सरकार को, निजी पार्टियों को और अन्य लोगों को उचित ढंग से बेचने में समर्थ होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी उपज बेकार नहीं जाये। यह सुनिश्ति करने के उद्देश्य से कि जो खाद्यान्न उसने उगाया है, वह उसे बेच सके। हाल ही में पिछले दो वर्षों से भारत सरकार शीत गृहों के द्वारा, गोदामों के द्वारा और अन्य बहुत सी चीजों के द्वारा प्रोत्साहन देती रही है और उन प्रोत्साहनों के लिए भी कर में कुछ छूट दी जाती है। गोदाम स्थापित करने के लिए लोगों को आसान ऋण उपलब्ध हैं।

आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि सहकारी ऋण प्रणाली भारत में विफल रही है और चूंकि यह प्रणाली भारत में विफल रही है तो किसान को कम दामों में औने-पौने अपनी पैदावार को बेचना पड़ता है। यदि सहकारी ऋण प्रणाली अच्छी

[श्री अनादि साहू]

होती, यदि यह उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध करवाती तो वह उसका उपयोग कर सकता था अथवा अपनी वस्तुओं को कुछ समय तक रोक कर रख सकता था। मैं मक्का का उदाहरण दे रहा हूँ जिसका उत्पादन उड़ीसा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेरहमपुर में किया जा रहा है। वहां रह रहे तिब्बत के शरणार्थी भी मक्का का उत्पादन करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासी भी मक्का का उत्पादन करते हैं। तिब्बती शरणार्थी उत्पादन को तत्काल बाद अपने मक्के को नहीं बेचते। वे उसे तीन या चार माह तक रखते हैं क्योंकि उन्हें वे सभी प्रोत्साहन मिलते हैं जो उनके लिए अपेक्षित हैं। अत: वे मक्के को तीन से चार माह तक रखते हैं और उपयुक्त समय पर 650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं जबकि एक आदिवासी को इसे तत्काल बेचना पड़ता है क्योंकि वह मुश्किल से ही जीवन निर्वाह कर रहा है और उसे प्रति क्विंटल के तीन सौ रुपए अथवा अधिकाधिक 350 रुपये मिलते हैं। यही असंतुलन हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। इसने कई प्रकार से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इसीलिए उत्तम उत्पादकता प्रणाली के लिए भारत सरकार ने यह संकेत देना शुरू कर दिया है कि भविष्य की कार्य योजना क्या होगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आप यहां बैठकर मेरी बात सुनने का बुरा तो नहीं मानेंगे?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारी जो तीन मांगें हैं, उनकी सहमति कर दीजिए।

श्री अनादि साहू: बिल्कुल, हम इनडायरैक्टली सहमत होंगे, डायरैक्टली सहमत नहीं होंगे।

सभापति महोदय: आप अगर चेयर को एड्रैस करेंगे तो उससे डिट्रैक्ट नहीं होंगे।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: महोदया, डांट के लिए धन्यवाद।

जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है कि इसने भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और इसीलिए राष्ट्रीय कृषि नीति आई है। कृषि नीति क्या है जिसका संकेत अनेक बार दिया गया है। योग्य और सक्षम मंत्री महोदय ने इससे भी संकेत दिया था कि वे पांच अथवा छह बातें क्या हैं जो कृषि नीति में हैं। उसमें चार प्रतिशत से अधिक विकास दर का उल्लेख है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

* विकास दर जो संसाधनों के कुशल उपयोग, भूमि, जल और जैव विविधता पर आधारित हो;
* समानता के साथ विकास अर्थात वह विकास जिसका विस्तार सभी क्षेत्रों और किसानों से तक पहुंचे। जैसाकि मैं इससे पूर्व बता रहा था क्षेत्रीय असंतुलन को अब ठीक किया जाना चाहिए;
* विकास जो मांगजन्य हो और घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करे;
* और अंतिम लेकिन जो कम महत्वपूर्ण नहीं है वह है सतत, प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय भारी आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकास।

जैसाकि मैं पहले बता रहा था ये कुछ चीजें हैं जो राष्ट्रीय कृषि नीति में ठोस कदम उठाकर हमारे ऊपर थोपी गई हैं। जैसाकि मैं इससे पहले आपको बता रहा था जब भी हम इन नीतियों के बारे में सोचते हैं उत्पादकता संबंधी घटक जिन पर भारत के किसानों के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए, वे हैं (1) प्रणाली की पहचान, और (2) विविधीकरण।

कल आपने श्री यशवंत सिन्हा को भूमि के उपयोग, भूमि के विकास और भूमि से संबंधित सभी मामलों अर्थात विविधीकरण प्रणाली पहचान और मूल्य संवर्धनों के बारे में बताते हुए सुना है। मैंने संकेत दिया था कि प्रणाली की पहचान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम किस तरह सस्ती दर पर खाद्यान्न पैदा कर सकते हैं और उच्च दर पर किसान अपने खाद्यान्न को बेच सके, यही मूल आवश्यकता है। जब भी हम प्रणाली की पहचान आदि के बारे में सोचते हैं तो हम राजसहायता, उर्वरक संबंधी राजसहायता के बारे में सोचते हैं। 13000 करोड़ रुपये की खाद्य राजसहायता से किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है क्योंकि उन्हें अपनी उपज, गेहूं अथवा चावल को तत्काल बेचना पड़ता है। इस प्रकार उसे अपनी उपज को औन-पौने दामों में नहीं बेचना पड़ता।

अब, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम विविधीकरण के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे अंग्रेजी की एक पुरानी तुकांत कविता की याद आ जाती है। अंग्रेजी की पुरानी कविता में कहा गया है:

"ओल्ड मैक्डोनॉल्ड हैड ए फार्म

ईया, ईया हो

ए क्वेक क्वेक हियर

ए क्वेक क्वेक देयर

ए क्वेक क्वेक एवरीव्हीयर

ओल्ड मैक्डोनाल्ड हैड ए फार्म

ईया ईया हो

ए माऊ माऊ हियर

ए माऊ माऊ हेयर

ए माऊ माऊ एवरीव्हीयर

ओल्ड मोक्डोनाल्ड हैड ए फार्म

ईया ईया हो

ए ने ने हियर

ए ने ने देयर

ए ने ने एवरीव्हीयर।

इसका अर्थ है कि उनके खेत में बत्तख, मवेशी, घोड़े सब थे। अब हार्स पावर की कोई आवश्यकता नहीं है। किसानों के लिए उपकरणों-यांत्रिक उपकरणों अथवा अन्य प्रकार के कृषि उपकरणों की आवश्यकता है। कृषि उपकरणों के लिए आपने कहा है कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं कि किसान सस्ती दर पर ट्रैक्टर, हल और अन्य अपेक्षित मशीनरी खरीद सकें। मैं समझता हूँ कि उन्हें कई रूप में 25 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है और साथ ही बत्तख और मवेशियों के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा अत्यंत उदार तरीके के पशुपालन और डेरी सुविधाएं दी जा रही हैं। ये उपकरण खरीदे जा रहे हैं ताकि स्कॉट मूल का बूढ़ा मैक्डोनाल्ड मवेशियों, बत्तखों और अन्य उपकरणों सहित एक बूढ़ा भारतीय किसान भी हो सकता है जो विविधीकरण के लिए आवश्यक है। न केवल अनाजों की सुरक्षा से किसानों को सहायता मिलेगी बल्कि उसे पास मछली पालन, बागवानी और बहुत से अन्य काम भी होने चाहिए। इसीलिए इसे उत्पादन की एकीकृत प्रक्रिया बनाने के लिए इससे सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को अन्य लोगों जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं अथवा अन्य लोगों जो विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, की तुलना में कोई आर्थिक नुकसान न हो।

महोदया, मुझे आशा है, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। कृपया मुझे पांच अथवा छह मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय: मैं आपको केवल दो मिनट का और समय दूंगी क्योंकि अभी आपकी ओर से अनेक वक्ता हैं।

श्री अनादि साहू: महोदया, यह समय तो बहुत कम है। हम राजसहायता की बात कर रहे हैं। यह देखा गया है कि उर्वरक सबंधी राजसहायता किसान के पास नहीं पहुंचती। इसने भी उर्वरक और रसायन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने एक शोध-पत्र निकाला है जिसमें कहा गया है कि पांच वर्ष की अवधि के भीतर इसे चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जाएगा ताकि राजसहायता सीधे किसान को मिले। वे यह सुनिश्चित करने के लिए इस विषय पर काम कर रहे हैं कि किसानों के लिए उचित स्तर की राजसहायता दी जा सके।

जहां तक बीज का संबंध है, किसानों के लिए अपेक्षित बीज हैं? राजसहायता दी जा रही है और निगमों की स्थापना की जा रही है। कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में एक अच्छे विचार का उल्लेख दिया गया है कि अलग-अलग स्थानों पर बीज कैसे दिए जाएं। उत्पादकों अथवा बीज तैयार करने वालों को अनेक प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं और इसके लिए आधार और प्रमाणित बीज शुरू किये जा रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन जैसा कि मैंने कहा, किसानों के लिए आसानी से ऋण की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ऋण मिलने में सरलता नहीं आएगी तब तक किसान उस कठिन परिस्थिति, से उबर नहीं सकेंगे जिसका वे सामना कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान: आपने माऊ माऊ की तो परिभाषा बता दी, नै नै की भी बता दें।

श्री अशोक साहू: हॉर्स की साउंड नाऊ नाऊ होती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह सब नर्सरी कक्षा जैसा लग रहा है।

श्री अनादि साहू: महोदया, जहां तक ऋण प्रवाह का संबंध है तो आपको कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलेगा कि पिछले वर्ष ऋण प्रवाह 22,032 करोड़ रुपये था जबकि इस वर्ष ऋण प्रवाह 41764 करोड़ रुपए रहा है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि किसानों को विभिन्न बैंकों से अच्छी मात्रा में धनराशि मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। बीमा क्षेत्र भी खोला गया है ताकि जब भी किसान खेती अथवा खेती संबंधी कुछ और काम करने के लिए खेतों में जाएं तो प्राकृतिक आपदाएँ किसानों के भाग्य के साथ खिलवाड़ न कर

[श्री अनादि साहू]

सकें। अत: यह पता चल सकता है कि शनै: शनै: श्री अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे अत्यंत कुशल कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार के सुयोग्य नेतृत्व में मौजूदा सरकार द्वारा किसानों की सहायता की जा रही है। ये कार्य इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किये जा रहे हैं ताकि किसानों को कोई कठिनाई न हो।

महोदया, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह विश्व व्यापार संगठन का उल्लेख कर रहे थे। विश्व व्यापार संगठन को 'भूत' समझा जा रहा है। भृत का अस्तित्व नहीं होता लेकिन हम समझते हैं कि यह भृत है। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप मूल्य तंत्र तैयार किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि श्री रघुवंश प्रसाद सिंह मूल्य तंत्र का अध्ययन करेंगे जिस पर भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया जा रहा है कि राजसहायता का घटक विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल हो। जब हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में सोच रहे हैं, जब हम प्रशुल्क प्रतिबंध, जो हम दूसरों पर लगा रहे हैं, के बारे में सोच रहे हैं तो इससे हमारे किसानों के लिए भी संतुलित समाचार बनेगा। हमें इस मुद्दे पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस कार्य को सही तरीके से समझने में कुछ माह लगेंगे कि हम विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था का मुकाबला किस प्रकार अत्यंत कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। हमें अपनी उपज को तत्काल बेचने में कुछ कठिनाईयां हैं लेकिन हमें इसके प्रति कोई कटु दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए और निकट भविष्य में अपनी ठोस नीति के साथ हम इस कठिनाई पर काबू पा लेंगे।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): सभापति महोदया, 21वीं शदी के आरम्भ का इतिहास इस देश का जब लिखा जाएगा, तो जिस प्रकार से इस देश में किसानों की उपेक्षा हुई है, सारे देश में किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है, एन.डी.ए. की हुकूमत की लापरवाही का जिक्र उस इतिहास में लिखा जाएगा। इस इतिहास में वह कलंक इस हुकूमत पर लगेगा, जिन्होंने किसानों को, जो देश के गरीब किसान हैं, उनकी हालत चिंताजनक अपनी लापरवाही से बना दी है। मुझे आपकी हाजिरी में हिन्दी के एक महान शायर दुष्यंत कुमार जी की वे पंक्तियां याद आ रही हैं, जो शायद किसानों की हालत को ही देखते हुए संसद के इसी गुंबद में गूंज रही हों, मैं उनको दोहराना चाहता हूं-

यारो अब तो इस तालाब का पानी बदल डालो,
अब तो मछलियां भी तिलमिलाने लगी हैं।

देश में किसानों की ऐसी ही हालत हो गई है। मैं आंकड़ों से बात करूंगा और संजीदा बात करूंगा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इससे सारे देश में चिंता है, किसानों में चिंता है। यह इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है। नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी इस समय सदन में हाजिर नहीं हैं जो बहुत गर्व करते हैं कि अब किसानों की हालत में बहुत सुधार हो गया है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बजट पेश करते समय बहुत गर्व कर रहे थे लेकिन सही मायनों में आर्थिक सुधारों से पहले 1980 से लेकर 1991 तक जो फूड ग्रेन्स आउटपुट अनाज का हुआ, उसमें 1991 से लेकर 2000 तक, अब तक फूडग्रेन्स प्रोडक्शन 239 मिलियन टन होना था लेकिन वह घटकर 200 मिलियन टन रह गया है। इसके आगे दालों की बात आती है। बड़ा गर्व करते हैं कि बड़ी प्रोग्रैस हुई है लेकिन प्री-रिफॉर्म पीरियड (1980-91) में हम 39 प्रतिशत आगे बढ़े लेकिन अब उससे घटकर इस पीरियड में हम 18.6 प्रतिशत पर आ गये हैं। इससे और ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। ऑयलसीड्स की जो रिकार्डेड ग्रोथ है, वह लास्ट डिकेट में 25.5 प्रतिशत थी और अगर उसी रफ्तार से बढ़ती तो 30 मिलियन टन होनी थी लेकिन वह घटकर 18.6 प्रतिशत रह गई। यह चिंता का विषय है और शुगरकेन प्रोडक्शन और अन्य कैश क्रॉप्स में बहुत बड़ी कमी आई है।

अपराह्न 3.06 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुऐ

सभापति महोदय, आप देश के ऐसे प्रांत, बिहार से आते हैं कि जिसकी देश में हमेशा ही चर्चा रहती है। विश्व व्यापार संगठन के मामले में सरकार को किसानों की कितनी चिंता है, इस पर पहले ही टिप्पणी हो रही है लेकिन एक बहाना जो हमारे लायक मित्र भाजपा में हैं, उनके पास है और वह यह तर्क देते हैं कि 1992 में नरसिंह राव जी की सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर दस्तखत किये थे। हमें गर्व है कि हम उस समय अलग-अलग नहीं हो सकते थे लेकिन आज की खबर जो आई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और जिससे मेरा सिर शर्म से झुक जाता है कि आप जैसा आदमी जो किसानों का दर्द मन में रखता है, यह खबर आने के बाद एक मिनट भी आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप इस ओहदे पर विराजमान हों। आज के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने बताया है कि:

[अनुवाद]

"डब्ल्यू.टी.ओ. में नियुक्ति संबंधी घपले के पीछे घटिया राजनीति।"

[हिन्दी]

खबर में यह भी लिखा गया है कि

[अनुवाद]

हरदीप पुरी की नियुक्ति के मामले में बाधा डालने के बाद

[हिन्दी]

खबर में लिखा गया है कि हरदीप पुरी जिनको प्रधान मंत्री और कैबिनेट के फैसले से एम्बैसडर, जेनेवा नियुक्त किया गया था, वह डब्ल्यू.टी.ओ. हैडक्वार्टर में हैं,

[अनुवाद]

भारत के उप-उच्चायुक्त व्यापार मामलों में एक जाने-माने विशेषज्ञ हैं, पर वाणिज्य मंत्रालय ने इस पर एस. नारायण को उनके वर्तमान पद पर चौथी बार सेवा विस्तार देकर सभी नियमों को तोड़ने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

आपकी सरकार ने उन्हें चौथी एक्सटेंशन दी है। जब आप सत्ता में आये थे तो कहा करते थे कि रेयरेस्ट ऑफ रेअर केसेज में एक्सटेंशन देंगे। क्या इससे जो लायक ऑफिसर हैं, जिनको अपने अपॉइन्ट किया, इससे उनके मन पर क्या गुजरती है, इस बात पर भी आपको विचार करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि इनका नोटिस लीजिए और इन फैसले को बदलवाकर जो सही हकदार ऑफिसर है, उनको वहां भेजा जाये। इसमें यह भी लिखा है कि पुरी की एपॉइन्टमेंट को रद्द करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसीडेंशियल एसेंट जो मिला हुआ था, वह कौमर्स मिनिस्टर मुरासोली मारन ने रूल्स को री-राइट कर दिया है। अन्दरूनी भेदभाव के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, इससे बड़ी दुखपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं। मैं केवल एक पैराग्राफ, जो लेटेस्ट विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट है, जो एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट के ऊपर है, उसको पढ़कर सुनाऊंगा। माननीय कृषि मंत्री जी जब पिछली बार बोले थे तो उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित था लेकिन अब यह रिकार्ड सामने है।

[अनुवाद]

अब रिकार्ड में कहा गया है कि:

"दुर्भाग्यवश, अनुमानित बाजार के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष बाद भी अधिक अवसर पैदा नहीं हुए हैं। एफ.ए.ओ. ने इस पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट पेश की है। अध्ययन में बताया गया है कि क्यू आर अवधि के पश्चात् कृषि निर्यात में सुधार हुआ है।"

माननीय कृषि मंत्री जी, विशिष्ट निष्कर्ष यह था कि निर्यात की मात्रा या उत्पाद व गंतव्य की विविधता में मामूली परिवर्तन हुआ था।

तत्पश्चात्, यह भी लिखा गया है जिसे मैं उद्धृत करता हूँ कि:

"आंकड़ों के मुताबिक विश्व कृषि निर्यात में विकासशील देशों का हिस्सा निम्न रहा है।"

सभापति महोदय, वर्ष 1996-97 में 30.7 प्रतिशत की वृद्धि से पहले यह वर्ष 1972 में 31.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1992 में 25.4 प्रतिशत हो गया।

यही आँकड़ा है, नीतीश कुमार जी, जो 25 वर्ष पहले के आँकड़ों से भी कम है।

[हिन्दी]

यह 25 साल पहले की फिगर है। इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन डब्ल्यू टी ओ जनेवा, में एम्बैसडर्स द्वारा फैसले लिए जायेंगे, तो इससे बड़ी लज्जा की और कोई बात नहीं हो सकती है।

महोदय, सदन में भाजपा के सांसद मौजूद हैं। मैं फैज़ अहमद फैज़, जो मशहूर शायर हैं, का एक शेर कहना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है-

बोल यह थोड़ा वक्त बहुत है,

जिसमें जुबां की मौत से पहले।

बोल के सच जिन्दा है अब तक,

जो कहना है, वह कह ले।

हमारी पार्टी पर बड़े-बड़े इल्जाम लगाये जाते हैं, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन देश में हमारे वक्त में आया और किसानों को उनके उत्पादन के भाव मिले। इस बात को वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा, ने भी माना है कि यह काम हमारी सरकार नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुद बोलते हुए, इस बात को कहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि एफसीआई को डिसबैंड करने की चर्चा पंजाब और हरियाणा के किसानों में

[श्री जे.एस. बराड़]

है। एफसीआई में बहुत बड़ा स्कैन्डल है। आपको शायद मालूम होगा, अन्नपूर्णा प्रधान मंत्री योजना के तहत 700 करोड़ रुपए का माल बाहर की बाहर बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा, जो एक्सपोर्ट करते हैं, पहुंच जाता है। इस संबंध में मैं दो सौ संसद सदस्यों के दस्तखत करवा कर एक मैमोरेंडम आने वाले दिनों में आपको देने वाला हूं इस आशा के साथ कि आप इसकी जांच करायेंगे। इससे संबंधित आज के अखबार इकोनोमिक्स टाइम्स में जो खबर छपी है, उसको भी मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अमेरिका में खराब फसल होने से भारतीय गेहूँ के लिए नया रास्ता खुलेगा।

आगे कहा गया है कि, "शिकागो में पहले इसका मूल्य 2.20 डॉलर प्रति बुशेल अपने न्यूनतम स्तर पर था, जबकि आज यह मूल्य 2.66 डॉलर प्रति बुशेल है।"

[हिन्दी]

हमारे किसान जो गेहूं पैदा करते हैं, उनको किस प्रकार सहूलियतें दी जायें, ताकि वह पैसा कमा सकें, इससे ऊपर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य, रघुवंश प्रसाद जी, कह रहे थे कि इस संबंध में मंत्रियों की एक कमेटी बनानी चाहिए। मैं सदन की जानकारी के लिए सदन की कृषि स्थायी समिति के सभापति, श्री एस.एस. पलानिमनिक्कम, की रिपोर्ट के दो शब्द पढ़ना चाहता हूं। रिपोर्ट में लिखा है:

[अनुवाद]

> "समिति को यह जानकर दु:ख हुआ कि केन्द्रीय योजना परिव्यय की प्रतिशतता के मुताबिक कृषि और सहकारिता विभाग के लिए किये जाने वाले आवंटन में लागत कमी होती रही है।"

सभापति महोदय, सरकार क्या कर रही है। इसमें निरंतर गिरावट हो रही है। वर्ष 1999-00 और 2000-01 में क्रमश: 1.87 प्रतिशत तथा 1.66 प्रतिशत हिस्से के मुकाबले वर्ष 2001-02 में कृषि और सहकारिता विभाग का हिस्सा केवल 1.51 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

इससे बड़ी शर्म और लज्जा की बात नहीं हो सकती कि जिस देश में 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हों और उसके लिए बनी स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट दे तो उस पर भी अमल न हो। संसदीय प्रणाली और उसकी मर्यादा की इससे बड़ी अवहोलना नहीं हो सकती. आने वाले समय में आपको कोई सख्त कदम इसके लिए उठाना होगा। आखिरी टिप्पणी है-

[अनुवाद]

> "समिति इस बात पर टिप्पणी करने को बाध्य थी कि सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना को योजना आयोग से अभी भी स्वीकृति नहीं मिली है।"

[हिन्दी]

आप क्या कर रहे हैं? अगर प्लानिंग कमीशन इसको अप्रूव नहीं कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। आप तो किसानों के हित की बात करते हैं। आपकी नियत खराब नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन धीरे-धीरे प्रोग्राम्स चलाये जाते हैं यह बात आपके सामने है। आपको स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए।

वर्ल्ड बैंक का प्रैशर हो या कोई और प्रैशर हो, जब सब्सिडी घटाने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि इससे आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभ होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धान और गेहूं की कटाई के समय तीस लाख के लगभग प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से पंजाब में आते हैं और अगर धान की खरीद में एक-एक महीना देरी की जाएगी तो गरीब किसान उन गरीब मजदूरों को वेतन कैसे देगा। इस बात की ओर भी आपको ध्यान देना होगा। एफ.सी.आई. की परचेज उन्हीं दोनों राज्यों के लिए खतरनाक हो रही है जो देश के खाद्यान्न भंडार में 70 प्रतिशत योगदान देते हैं।

सभापति जी, गऊ-रक्षा के हित में बात करने वाले माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के लिए आज एक खबर आई है। मैं एक बात बताना चाहता हूं लेकिन भाषण के लिए नहीं बल्कि रिकार्ड के लिए बताना चाहता हूं। आज सुबह 6.50 मिनट पर लोधी गार्डन के बाहर माननीय श्री जगप्रवेश चंद जी, भू.पू. मुख्य कार्यकारी पार्षद् दिल्ली जोकि एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हैं और जिनकी किताब "हाउ टु विन इलेक्शन' बड़ी प्रसिद्ध हुई वे वहां बैठे थे। नेसले कंपनी के दूध के पैकेट वहां 25 रुपये किलो में मिल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यह क्या पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि इस दूध में कोई बैक्टेरिया नहीं और शूगर कंटैंट लोगों के पीने के मुताबिक हैं। वे वहां काउंटर लगाकर अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं। मेरे मित्र सईदुज्जमा जी चले गये हैं। वे कह रहे थे कि राजस्थान और गुजरात में सूखे के कारण और पानी की कमी के कारण लोग अपना पशुधन बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं और दूसरी तरफ "फुट और माउथ" बीमारी के बारे में हमारे कृषि मंत्री जी क्या

कर रहे हैं यह मैं पूछना चाहता हूं। राजस्थान और हरियाणा में यह बीमारी फैल गयी है और हमारा मांस जोर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरब कंट्री ने लेने से मना कर दिया है क्योंकि यहां यह बीमारी फैल गयी है। पहले तो सूखे के कारण उनका माल बिक नहीं रहा है और अगर उनका पशुधन इस बीमारी से मर गया तो उनका क्या होगा? युनाइटेड किंगडम में

[अनुवाद]

21 मार्च तक 2,70,000 से भी अधिक पशुवध दिए गए।

[हिन्दी]

अगर यह बीमारी भारत में आ गयी तो हमारे पशुधन का क्या होगा? इस पर आपको गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

मैं आपके सम्मुख एक और बात भी लाना चाहता हूं। यह पार्टी से ऊपर उठकर बात है। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी किसी भी पार्टी में रहे हों, वे किसानों के एक बहुत बड़े लीडर थे। वे किसी वक्त पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। किसी वक्त उन्होंने बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर की हैसियत से काम किया। वह आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं इस बात पर दुख प्रकट करता हूं। सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता थे। इसके बाद देश के किसानों को बहुत बढ़िया लीडर चौधरी देवीलाल मिले। आज वह हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनके निधन पर अपनी पार्टी और दूसरे सभी लोगों की तरफ से दुख प्रकट करता हूं।

क्या आपने किसी ऐसे प्रदेश को विजिट किया जहां किसानों ने आत्महत्या की? पंजाब में 700 किसानों ने आत्महत्या की। 700 जवान कारगिल युद्ध शहीद हुए। जो देश "जय जवान जय किसान" का नारा देता है, आज उस देश में किसान और जवान परेशान हैं। कम से कम जिन प्रदेशों में सूखा पड़ा है, आप उनकी सहायता करें। वित्त मंत्री इस बारे में क्या कर रहे हैं? मैं कृषि मंत्री से विनती करूंगा कि समय की जरूरत है कि आप इस सैशन के बाद घर-घर जाकर उन लोगों का हाल सुनें जो मुसीबत और पीड़ा का शिकार हैं। "हड्ड बीती जग बीती" आप उनके घर जाकर उनके साथ बैठ कर अफसोस प्रकट करें। आत्महत्या से निपटने के लिए क्या करना है, इस बारे में एक कॉन्प्रीहैंसिव पालिसी बनाएं। इस काम में आपको आगे आना चाहिए।

अब मैं क्रॉप इंश्योरेंस की आपके चरणों में विनती करना चाहता हूं। मुझे अफसोस होता है जब आप कहते हैं कि भाजपा ने देश को एग्रीकल्चर पॉलिसी दी। बलराम जाखड़ साहब ने भी एग्रीकल्चर पालिसी दी थी। एग्रीकल्चर में जो इनक्लाब आया वह कांग्रेस पार्टी की देन है। आपने समय की जरूरत के मुताबिक कृषि नीति दी। संविधान के मुताबिक

[अनुवाद]

पसंद के पेशे को अपनाकर कहीं भी निवास करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 19(एक)(ङ) और (छ) में दिया गया है। यह किसानों को कहीं भी जमीन खरीदने के अधिकार से वंचित करना है।

[हिन्दी]

किसी प्रदेश का किसान किसी जगह जाकर जमीन ले सकता है। यह कॉन्स्टीट्यूशनल राइट है लेकिन कई प्रदेशों ने यह पाबंदी लगाई है। पंजाब में कम से कम 15-20 लाख प्रवासी मजदूर आकर बसते हैं और वे प्यार से रहते हैं। उनमें आपस में भाईचारा है। यदि पंजाब के किसी किसान को कहें

[अनुवाद]

आपको अन्य राज्यों में जमीन खरीदने का कोई भी अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा ज्यादती की कोई बात नहीं होगी। आशा है आप इस पर गौर करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। किसान वास्तव में देश का भगवान है लेकिन उसकी सदा से उपेक्षा होती आई है और वह सदा से दुखी रहा है। इस चर्चा को पार्टी और राजनीति से ऊपर उठ कर करने की आवश्यकता है। किसान की हालत द्रोपदी जैसी है। जब जिस का दाव लगा, उसने चीर हरण करने की कोशिश की। सब को मिल कर इस बात पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। हमें विश्वास है कि नीतीश कुमार जी किसान की इज्जत बचाने के लिए नए कानून बनाएंगे क्योंकि डब्ल्यूटीओ के कारण उनके सामने एक बड़ा संकट आ गया है। वह उन्हें इससे उबारने का प्रयत्न करेंगे। हमें पता लगा है कि आप एक नया कानून प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी ऐंड फार्मर्स राइट्स बिल द्वारा नई कृषि नीति बना कर उनकी सुरक्षा करने का प्रयत्न करेंगे।

[डा. रामकृष्ण कुसमरिया]

हमारे देश में किसान भगवान भरोसे खेती करते हैं। उसकी जितनी सम्पत्ति बिखरी पड़ी है, चाहे वह खेत हो, खलिहान हो, सब भगवान पर आश्रित रहता है। कभी वर्षा होती है, अतिवृष्टि होती है, कभी सुखाड़ पड़ जाता है और प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं लेकिन उसे मुआवजा आज तक नहीं मिला है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब फसल बीमा योजना लागू करने की कोशिश की गई है। लेकिन राज्य सरकारों ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में आज तक कृषि बीमा योजना लागू नहीं की गई। यदि कहीं लागू भी की गई है तो किसान ने जो कर्ज ले रखा है, उसका बीमा किया गया है, फसल का बीमा नहीं किया गया है। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी फसल का बीमा किया जाये तो जो उसने फसल बोई है, उसका बीमा किया जाये न कि किसी तहसील, जिला को ईकाई मानकर किया जाये, तब कहीं जाकर किसान को फायदा मिल सकता है।

सभापति महोदय, हमने "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान" का नारा दिया है और आज वैज्ञानिक युग है। हमारे देश में विभिन्न यूनिवर्सिटीज और अनुसंधान केन्द्रों में खेती से संबंधित नई नई खोजें होती रहती हैं जिसका लाभ किसानों को मिलना चाहिये लेकिन वह सैंटर की वस्तु बनकर रह जाता है और किसानों तक वह तकनीक नहीं पहुंच पाती है। किसान को नये बीज, नई पद्धति या उसका कैसे उपयोग करना है, यह जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। खेती से संबंधित अधिकारी गांवों में जाकर उन योजनाओं को नहीं देखते हैं। इसलिए भी वह तकनीक किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए हमें विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता है।

जो साहित्य हमने पढ़ा है, उसमें विद्वानों ने कहा है कि किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में बढ़ता है और फिर कर्जे में ही उसकी इहलीला समाप्त हो जाती है। इसलिए पहले जब मालगुजारी का समय था, प्राइवेट मनीलैंडर्स के कर्जे से किसान दब गया था, उनसे मुक्ति प्रदान करने के लिए बैंकिंग प्रथा शुरू की गई थी जो आज के जमाने में किसानों के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह सहज, सरल और कम ब्याज की होनी चाहिए ताकि किसानों को कम ब्याज पर खेती के लिए ऋण मिल सके।

सभापति जी, हमारे देश में भू-विकास बैंक हैं लेकिन किसानों की परिभाषा में उन्हें भू-विनाश बैंक या लूट बैंक कहा जाता है। क्योंकि वे रिजर्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त पैसे को ज्यादा ब्याज पर किसानों को ऋण देकर उन्हें लूटते हैं।

भू विकास बैंक से जिन लोगों ने जहां भी कर्ज लिया है उनकी सारी जमीनें चली गई हैं, उनके ट्रैक्टर्स बिक गये हैं। उन्होंने जो डीजल पम्प्स और इलैक्ट्रिक पम्प्स सिंचाई के लिए खरीदे थे, वे बिक गये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बैंकों को यह आदेश करके एक समझौता योजना चलाई, जिसमें उन्होंने मूलधन के ऊपर समझौता करने की कोशिश की और इसमें हमारे किसानों की लाखों रुपये की बचत हुई है। उन्होंने यह योजना लगभग दो महीने चलाकर किसानों को राहत प्रदान की है। मैं समझता हूं कि किसानों के लिए जो ऋण की वर्तमान व्यवस्था है, उसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। किसानों को यदि सस्ता ऋण, कम ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जायेगा तो निश्चित रूप से वे अपनी खेती को अच्छा बना सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कल हमारे वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि हमने किसानों की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, मैं इस बात के लिए उन्हें बधाई दूंगा। लेकिन यदि वह एक बात और बताते तो हमें और ज्यादा प्रसन्नता होती। आपने किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, लेकिन किसानों की खेती में जितना इनपुट्स लगता है, उसका फसल पैदा करने में कितना खर्चा होता है, यदि उसे उसका लाभकारी मूल्य मिले और इस हिसाब से समर्थन मूल्य दिया जाए तब हम किसानों का ज्यादा हित कर सकते हैं। माननीय अटल जी ने क्रैडिट कार्ड और फसल बीमा योजना की घोषणा करके किसानों के हित में बहुत महान काम किया है। लेकिन इसमें राज्य सरकारों के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है कि वे इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करे, ताकि किसानों के लाभ मिल सके।

इस वर्ष सूखे के कारण फसलें नष्ट और बरबाद हुई हैं। पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण फसलें बरबाद हुई थीं। लेकिन फसल बीमा योजना लागू न होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। आज किसान बहुत ज्यादा कर्जे में हैं। कई जगहों पर हमारे सामने आत्महत्याओं के मामले भी आये हैं। इन स्थितियों को रोकने के लिए हमें किसानों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जो लोग यहां बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उनमें आधे से ज्यादा किसान होंगे, खेती से जुड़े हुए लोग यहां विराजमान हैं, लेकिन पार्टी और अनुशासन के कारण हम मुखर होकर किसानों की बातें नहीं करते हैं। यही कारण आज किसानों के सबसे पीछे होने का है। इसलिए मेरा सदन के माध्यम से सुझाव है कि किसानों की एक एसोसिएशन बननी चाहिए, जो विशेष रूप से किसानों के कल्याण की बात करे। निडर होकर, निष्पक्ष होकर राजनीतिक

परिवेश सेऊपर उठकर किसानों के हित में जब सब मिलकर चिंतन करेंगे तब हम किसानों का भला कर पायेंगे, नहीं तो भाषण चलते रहेंगे, ऐसी चर्चाएं सदन में हमेशा होती रहेंगी और उनका परिणाम कभी कुछ नहीं निकलेगा।

सभापति महोदय, किसानों को सिंचाई के लिए ट्रैक्टर्स और जनरेटर्स की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से इनके ऊपर ड्यूटी घटाई जानी चाहिए और राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किए जाएं, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसानों के पास फसल आती है और ईश्वर की कृपा से जब उसके पास इफरात में फसल आती है तो उसके भंडारण का कोई प्रबंध नहीं है, जबकि फसल के भंडारण की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। जो सब्जी-भाजी के किसान हैं, जो ऐसी फसलें पैदा करते हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं, उन्हें कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की आवश्यकता होती है। मुझे मालूम है कि नई कृषि नीति में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भंडारण व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो बातें हमने कही हैं उन पर यदि आप विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम किसानों के साथ न्याय कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती प्रभा राव (वर्धा): आदरणीय सभापति महोदय, यह ऐसा विषय हमारे सामने उपस्थित हुआ है कि एक अत्यंत गंभीर माहौल में इस पर चर्चा होनी चाहिए और आपने इस विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

सब जानते हैं कि हमारे देश में 1991 में जो सेन्सस हुआ था उसके अनुसार 74 प्रतिशत जनता ग्रामीण इलाकों में रहती है और खेती के ऊपर निर्भर है। हो सकता है यह संख्या अब 70 प्रतिशत तक नीचे आ गई हो, कुछ लोग शहरों में बसे हों, मगर तो भी जहां 74 प्रतिशत जनता रहती है, वहां के लिए जो भी कायदे कानून बनाने की जरूरत है, क्या उसी तरफ हमारी सरकार जा रही है यह हमें देखना चाहिए। अगर नहीं जा रही है तो उसकी कोई कमियां हैं तो वे क्या हैं और कैसे उनको दूर करना चाहिए यह कुछ सुझाव भी मैं देना चाहती हूं। मैं आंकड़े तो साथ नहीं लाई हूं मगर एक किसान हूं। किसान होने के नाते जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं।

पहली बात यह है कि हमने पहले कभी भी अपने देश में नहीं सुना था कि किसानों ने आत्महत्याएं की हों, जितना पिछले तीन-चार सालों में हम सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि हर स्टेट में, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, किसान जहां पर बहुत सुखी रहता था, ऐसे राज्यों में भी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसमें कहां किसकी पार्टी है यह नहीं सोचना चाहिए। मैं समझती हूं कि किसानों की कोई पार्टी नहीं है। किसान की पार्टी स्वयं किसान है और उसकी तरफ उसी नजर से हमें देखना चाहिए। जैसे हमारे भाई ने अभी यहां पर कहा, उनसे मैं सहमत हूं। हालांकि उन्होंने उस तरफ से बात की, मगर जब तक किसानों के प्रश्नों की ओर हम एक नजर से नहीं देखेंगे, हम उनकी हालत में सुधार नहीं ला पाएंगे।

माननीय सदस्य डॉ. रघुवंश जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से भी सहमत हूं कि सरकार के विभागों में जितने भी कृषि से संबंधित हैं, उनकी जब तक हम एक कमेटी नहीं बनाएंगे और कृषि में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, जैसे अभी कृषि मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की डिमांड फॉर ग्रांट्स की 13वीं रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं, उनको अमल में नहीं लाएंगे, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। सुझाव आते रहेंगे, कमेटियां बैठती रहेंगी, चर्चाएं यहां भी होती रहेंगी, मगर हमें किस ढंग से आगे बढ़ना है यह तय करना होगा नहीं तो हम अपने किसानों को सुख नहीं दे पाएंगे।

सभापति महोदय, जैसा कहा जाता है और यह सही है कि जल ही जीवन है, अगर जल जीवन नहीं होता तो हर देश की सभ्यता नदियों के किनारे से नहीं उभरतीं और जब नदियों के किनारों से सभ्यताएं उभरी हैं तब भी हम पानी का उपयोग पूरे देश के हर क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए इस पर विचार करने की जरूरत है।

अपराह्न 3.39 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

हो सकता है कि यह मामला सिंचाई विभाग से संबंधित हो मगर उनको यह समझना पड़ेगा कि जहां बरसात के बाद बाढ़ से कई राज्यों में बहुत ज्यादा तबाही होती है, उसको हल करने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रिड बनाए हैं ऐसे ही हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट श्री विश्वेश्वरैया थे जिन्होंने कहा था कि नेशनल वाटर ग्रिड भी पूरे देश में बनना चाहिए।

उन्होंने कहा था कि वाटर ग्रिड भी हमें पूरे देश के अन्दर बनाना चाहिए। क्या इस दिशा में हमने कुछ स्टैप्स उठाये हैं? अगर नहीं उठाये तो हमें उठाने की प्रायरटी देखनी चाहिए, ऐसा मैं

[श्रीमती प्रभा राव]

सुझाव देना चाहती हूं। अगर वाटर ग्रिड करें तो मेरे ख्याल से जो सूखा पड़ता है, जैसे राजस्थान में 3-4 सालों से वहां पर ड्राउट आ रहा है, गुजरात में आ रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आ रहा है और महाराष्ट्र जैसे राज्य के कुछ हिस्सों में ड्राउट आ रहा है। अगर यह वाटर ग्रिड होता तो शायद हम लोग पानी इन इलाकों में भी दे सकते थे और वहां की ड्राउट की समस्या को हल करने में मदद होती। इस दिशा में क्या हम स्टैप्स उठा सकते हैं, यह सरकार सोचे, ऐसा मैं उनके सामने सुझाव रखना चाहती हूं।

दूसरी बात यह है कि आज किसानों के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, क्या वे सही मायनों में उसके पास पहुंचती हैं, क्या वे उसको मिलती हैं। अगर हम एक उदाहरण इलैक्ट्रिफिकेशन का लें तो बिजली की हर राज्य में बहुत प्राब्लम है। किसान को इर्रीगेशन के लिए इलैक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही। हम लोग यह देख रहे हैं कि इलैक्ट्रिसिटी का सिर्फ खम्भा है, इलैक्ट्रिसिटी के खम्भे के ऊपर शायद तार भी हों, मगर जो मोटर चलती है, जो इंजन चलता है, उसके लिए न बिजली वहां पहुंचती है। वह बीच में रुक जाती है और रुकने के बाद मोटर जलती है तो उसका इर्रीगेशन रुक जाता है। ऐसी परिस्थिति हर राज्य में आती है। हर राज्य का बिजली बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा मैं नहीं समझती। वह तो जिम्मेदार है ही, मगर क्या हम इसमें सुधार नहीं ला सकेंगे, ऐसा मैं सुझाव देना चाहती थी।

दूसरे, मुझे यह भी कहना था कि जैसी प्राब्लम अभी बाहर के देशों से हमारे देश के अन्दर जो चीजें लाते हैं, जो हमारे देश के किसान उत्पादन करते हैं, उसके बारे में यह सोचना जरूरी हो गया है। इसलिए जरूरी हुआ है कि जैसे सब्सिडी विथड्रा कर ली। अगर सब्सिडी विथड्रा कर लेते हैं तो किसान जो इनपुट्स डालता है, क्या उनकी कीमतें कम हुई हैं, नहीं हुई हैं। जब तक इन कीमतों को हम सब्सिडाइज नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे या फिर उसके उत्पादन का उसको जो मूल्य मिलना चाहिए, सब्सिडी के जरिये वह मूल्य नहीं देंगे, तब तक किसान के जीवन में हम लोग कोई भी प्रगति नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाहर की हमारी जो नीति हमने तय की, हमने यह देखा है कि हमारे देश में हमारे लिए कौन-कौन सी चीजें कितने अंश में लगती हैं। उसके बाद जो जमीन है, हमारा जो मौसम है, उसके जरिये हम क्या उत्पादित करके बाहर भेज सकते हैं। जैसे खेती के साथ में हम सप्लीमेंटरी उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, हार्टीकल्चर है, सुगंधित द्रव्यों के प्लांट्स हैं, मेडीसिनल प्लांट्स हैं, जिनका आयुर्वेद में उपयोग होता है और जो चीजें उपयोगी हो सकती हैं। उसके अन्दर मछली और कुक्कुट पालन होता है, सैरीकल्चर होता है। क्या इन सब चीजों के लिए हमने किसान की कुछ मदद की है। जो भी मदद की है, वह इतनी कम मात्रा में है कि उसके कुछ उपयोग लेकर अपने जीवन को अच्छा नहीं कर सकता है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): इस साल के बजट में और पिछले साल के बजट में सभी हैड्स में कटौती की है, जिसके बारे में आपने कहा है।

श्रीमती प्रभा राव: हमारे भाई ने अभी यही कहा। स्टेटिस्टिक्स तो मैं नहीं दे रही हूं, लेकिन एग्रीकल्चर कमेटी ने जो भी सुझाव दिये हैं, जहां उन्होंने बढ़ोत्तरी करने का सुझाव दिया, वहां बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, मगर कटौती हुई है। ऐसी हर क्षेत्र में दिखाई देता है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे बहुत नम्रता से यह निवेदन करना चाहती हूं कि हम लोग डाइवर्सीफिकेशन की तरफ भी ख्याल करना पड़ेगा। हम लोगों को सबसे ज्यादा ख्याल मार्केटिंग की तरफ देना पड़ेगा और प्रोसेसिंग करके उसके बाद एक्सपोर्ट की तरफ देना पड़ेगा। ये तीन-चार मुद्दों पर जब तक आप किसान की तरफ देखकर हमारे देश की जो स्थिति है, उसको लागू करके हमारी पॉलिसी तय नहीं करेंगे, तब तक हमारे किसी भी क्षेत्र के किसान प्रगति नहीं कर सकेंगे, ऐसा बहुत दुर्भाग्य से मैं बोलना चाहती हूं।

मैं एक और भी बात आपको बताना चाहती हूं, उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त करूंगी। हमारे यहां एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज हैं, वहां रिसर्च होती है। अभी एक भाई ने कहा कि रिसर्च कहीं भी जाती नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि आई.सी.ए.आर. में जो एक्सटेंशन वर्क होता था और किसान के खेतों में जो एक्सपेरीमेंट्स लेकर गांव वाले और किसानों को जो बताया जाता था, वह अब बन्द कर दिया है। वह न टी.वी. पर आयेगा, न चैनलों पर आयेगा, न उसकी चर्चा होगी, न लोग उसे देखेंगे। फिर लोग कैसे समझेंगे कि कैसी रिसर्च हुई और उसका क्या परिणाम हुआ। ये चीजें जब तक हम नहीं सोचेंगे, एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज बनेंगी, वहां रिसर्च होगी, वहां जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उनकी पगार दी जायेगी, लेकिन उससे किसान का क्या फायदा होगा और कहां तक होगा, वह कुछ भी नहीं होगा। आज एक्सटेंशन वर्क करने की जरूरत है, ऐसा मैं समझती हूं। इसलिए मैं सुझाव देती हूं कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे और एक्सटेंशन वर्क रिसर्च के बाद होकर उसका परिणाम हमारे किसानों को जरूर फायदेमंद बने।

मैं एक और बात भी कहना चाहूंगी कि जो हमारी नेशनल इनकम में, जी.डी.पी. में एड करते हैं, उसमें तीन मुद्दे आते हैं।

एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री और एक सर्विस आता है। जब तक हम फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए इंडस्ट्री की तरह से नहीं करेंगे, तब तक हमारा किसान ऊपर नहीं उठ सकेगा। जब इंडस्ट्री डूबने को आती है तो हर तरीके से उसको फाइनेंस करके खड़ा किया जाता है, मगर किसान गरीब है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। जब उसको फाइनेंसिंग करना है तो उसका सब कुछ नीलाम होता है, उसकी गिरवी रखी जमीन भी नीलाम होती है, यह फर्क क्यों है, इसका विचार सरकार को करना होगा, यह मैं कहना चाहती हूं। वर्ल्ड के अन्दर वैबसाइट इसका जो नेटवर्क है, उसी वैबसाइट का उपयोग करके हमारे किसानों का उत्पादन बाहर भेजने के लिए आगे किस वस्तु का उत्पादन करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, इसका अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। इस जरिये से हमारे किसानों की मदद करने की बहुत जरूरत है।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

संयुक्त समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि दोनों सदनों के 30 सदस्य होंगे जिससे एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाए जिसमें 20 सदस्य लोक सभा से तथा 10 सदस्य राज्य सभा से होने चाहिए:

(एक) शेयरों तथा अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित सभी संव्यवहारों जिनमें इन्साइडर्स ट्रैडिंग भी सम्मिलित हैं, में हुई अनियमितताओं तथा छल साधनों और उनके प्रभावों तथा बैंकों, दलालों तथा संप्रवर्तकों, स्टॉक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं, निगमित निकायों तथा विनियामक प्राधिकारियों की भूमिका की जाँच करना।

(दो) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करना।

(तीन) नियंत्रण तथा पर्यवेक्षी तंत्र के किसी दुरुपयोग तथा उनकी विफलताओं/कमियों का पता लगाना।

(चार) भविष्य में ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सुरक्षोपायों और प्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें करना।

(पाँच) छोटे निवेशकों के संरक्षण के उपाय सुझाना।

(छह) इन विनियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक उपाय सुझाना।

2. कि इस समिति के सदस्य देश में लोक सभा से निम्नलिखित 20 सदस्य होंगे:

1. श्री अनंत गंगाराम गीते
2. डा. बलिराम
3. श्री सी. कुप्पुसामी
4. श्री हरिन पाठक
5. श्री एस. जयपाल रेड्डी
6. श्री जगन्नाथ मलिक
7. श्री किरीट सोमैया
8. श्री खारबेल स्वाइं
9. श्री के. येरननायडू
10. कुंवर अखिलेश सिंह
11. श्री महेश्वर सिंह
12. श्री मणिशंकर अय्यर
13. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा
14. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल
15. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी
16. श्री प्रभुनाथ सिंह
17. श्री पी.एच. पांडियन
18. श्री रूपचन्द पाल
19. श्री विजय गोयल
20. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर

3. कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नामनिर्दिष्ट करेगा।

[श्री प्रमोद महाजन]

4. कि समिति विधिवत् रूप से गठित हो जाने के दिन से अपना कार्य करना शुरू करेगी।

5. कि समिति को सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा सम्पूर्ण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

6. कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी।

7. कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के अंत तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी।

8. कि संसदीय समितियों से संबधित सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम लागू होंगे।

9. कि समिति कतिपय मामलों में आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की सहमति से भिन्न प्रक्रिया अपना सकेगी।

10. कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत है, तो हम इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर सकते हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): इस पर सर्वसम्मति है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, तहलकावाली कमेटी का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: पहले आप बताएँ कि आपके गले को क्या हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि दोनों सदनों की 30 सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाए जिसमें 20 सदस्य लोक सभा से तथा 10 सदस्य राज्य सभा से होने चाहिए:

(एक) शेयरों तथा अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित सभी संव्यवहारों जिनमें इन्साइडर्स ट्रेडिंग भी सम्मिलित है, में हुई अनियमितताओं तथा घटक साधनों और उनके प्रभावों तथा बैंकों, दलालों तथा संप्रवर्तकों, स्टॉक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं, निगमित निकायों तथा विनियामक प्राधिकारियों की भूमिका की जाँच करना।

(दो) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करना।

(तीन) नियंत्रण तथा पर्यवेक्षी तंत्र के किसी दुरुपयोग तथा उनकी विफलताओं/कमियों का पता लगाना।

(चार) भविष्य में ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सुरक्षोपायों और प्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें करना।

(पाँच) छोटे निवेशकों के संरक्षण के उपाय सुझाना।

(छह) इन विनियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक उपाय सुझाना।

2. कि इस समिति के सदस्य के रूप में लोक सभा से निम्नलिखित 20 सदस्य होंगे:

1. श्री अनंत गंगाराम गीते
2. डा. बलिराम
3. श्री सी. कुप्पुसामी
4. श्री हरिन पाठक
5. श्री एस. जयपाल रेड्डी
6. श्री जगन्नाथ मलिक
7. श्री किरीट सोमैया
8. श्री खारबेल स्वाइं
9. श्री के. येरननायडू
10. कुंवर अखिलेश सिंह
11. श्री महेश्वर सिंह
12. श्री मणि शंकर अय्यर
13. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा
14. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल
15. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी
16. श्री प्रभुनाथ सिंह
17. श्री पी.एच. पांडियन

18. श्री रूपचन्द पाल

19. श्री विजय गोयल

20. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर

3. कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नामनिर्दिष्ट करेगा।

4. कि समिति विधिवत् रूप से गठित हो जाने के दिन से अपना कार्य करना शुरू करेगी।

5. कि समिति को सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा संपूर्ण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

6. कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी।

7. कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के अंत तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी।

8. कि संसदीय समितियों से संबंधित सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम लागू होंगे।

9. कि समिति कतिपय मामलों में आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की सहमति से भिन्न प्रक्रिया अपना सकेगी।

10. कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.52 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं

[अनुवाद]

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपत्तनम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भारतीय कृषक समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आजादी के 52 वर्षों के बाद भी कृषि क्षेत्र देश का मुख्य क्षेत्र रहा है और इसका सदस्य घरेलू उत्पाद में 35 प्रतिशत योगदान है। आज भी, हमारी कुल आबादी के 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग कृषि और कृषि आधारित उद्योग पर निर्भर हैं। लेकिन, गत दो वर्षों से कृषि क्षेत्र को पर्याप्त धन की कमी के कारण और चक्रवात, सूखा जैसी कुछ अन्य आपदाओं के कारण कृषि उत्पादों की वृद्धि दर एक प्रतिशत भी नहीं बढ़ी है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है।

उदाहरण के लिए धान अथवा गेहूं अथवा तिलहन अथवा तम्बाकू, कपास, मिर्च और खोपरा जैसी वाणिज्यिक फसलें ही लीजिए। मैं वर्तमान सरकार या पिछली सरकार की आलोचना करने नहीं जा रहा हूँ।

अपराह्न 3.54 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई थी। किन्तु, उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र को धन का आवंटन घटता गया।

आपके माध्यम से मैं इस सम्माननीय सभा और कृषि मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि किसानों के सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं। इनसे सभी लोग भली भांति अवगत हैं। किन्तु मैं उनके ध्यान में चार या पांच समस्याएं लाना चाहूंगा।

जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश में कृषक समुदाय विशेषकर धान उत्पादकों को इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। 13 से 16 अप्रैल को हुई असंभावित भारी वर्षा से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय खाद्य निगम किसानों से धान खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमारे मुख्य मंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू ने अपने पत्रों के माध्यम से कृषि और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों से लाभकारी मूल्य पर किसानों से धान की खरीद के लिए आगे आने हेतु कई बार अनुरोध किया है। सरकार भी अधिक से अधिक सहायता दे रही है किन्तु कई कारणों से मिल वाले भी धान की खरीद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कृषक समुदाय को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर उनकी रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई की बात तो यह है कि यह धान की फसल तक ही सीमित नहीं है।

कल हमारी संसदीय पार्टी के नेता श्री येराननायडू और कुछ अन्य सदस्यगण माननीय प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने उन्हें इस बात से अवगत कराया कि आंध्र प्रदेश में धान के प्रचुर भंडार

[श्री ए. ब्रह्मनैया]

के भंडारण के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं है। हमने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था और जैसा कि सरकार भी पहले ही आश्वासन दे चुकी है लगभग 20 लाख टन चावल का अन्य देशों को निर्यात किया जाना है। खरीदे गए धान अथवा चावल का आंध्र प्रदेश में भंडारण किया जाना है। 675 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूल्य निर्धारित किया गया था जबकि कुछ अन्य देश इसका मूल्य इससे भी कम दे रहे हैं। यही कारण है कि अन्य देशों को एक टन चावल का भी निर्यात नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस मूल्य में कटौती करने के लिए आगे आए ताकि हम अन्य देशों को चावल की अपनी लक्षित मात्रा का निर्यात कर सकें।

कृषक समुदाय के सामने एक दूसरी समस्या है। 2000-2001 के हाल के बजट में सरकार द्वारा खरीद नीति अपनाई गई है तथा शुरू की गई है। भविष्य में राज्य सरकार को खरीदारी करनी पड़ेगी और केन्द्र सरकार केवल कुछ धन का आवंटन कर सकती है। किन्तु राज्यों में खरीदे गए धान के भंडारण के लिए कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ऐसी स्थिति में, राज्यों को यह कहना बिल्कुल अच्छा नहीं है कि वे खरीदारी या वितरण या भंडारण की जवाबदेही या बोझ अपने ऊपर लें। भूमंडलीकरण, डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते और उदारीकरण के कारण कृषक समुदाय के सामने कई समस्याएं हैं। अत: मैं माननीय कृषि मंत्री और नागरिक आपूर्ति मंत्री से अनुरोध करूँगा कि खरीदारी की जवाबदेही केन्द्र सरकार अपने ही ऊपर रखे रहे।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, हमारे देश के किसान उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में कटौती के कारण एक अन्य समस्या से भी जूझ रहे हैं। गत वर्ष के बजट में सरकार ने उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में कटौती की है। उर्वरकों पर राजसहायता में कटौती करने के कारण कई उर्वरक इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं। इसलिए भविष्य में उर्वरकों के लिए हमें विदेशी उर्वरक इकाइयों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे भारतीय किसानों के हितों पर कुठाराघात होगा और उन्हें उर्वरकों के लिए अधिक कीमतें चुकानी पड़ेंगी। हमें इस पर फिर से विचार करना होगा और उर्वरक उपयोग को दी जाने वाली राजसहायता में एक बार फिर से वृद्धि करनी पड़ेगी।

इस संबंध में मैं कुछ विस्तृत ब्यौरा पेश करना चाहूँगा कि अन्य देश अपने किसानों को कैसे राजसहायता दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति हेक्टेयर 2000 अमेरिकी डॉलर की राजसहायता दे रहा है। जापान प्रति हेक्टेयर 700 अमेरिकी डॉलर की राजसहायता दे रहा है, और यूरोपीय देश प्रति हेक्टेयर 11000 अमेरिकी डॉलर की सहायता दे रहे हैं, जबकि हमारा देश प्रति हेक्टेयर मात्र 17.8 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान कर रहा है। अगर हमारे देश में कृषि को इतनी कम राशि की राजसहायता दी जाती है तो हमारे किसान भूमंडलीकरण, उदार आर्थिक नीतियों और डब्ल्यूटीओ की चुनौतियों का कैसे सामना कर सकते हैं? अत: हमारे देश में कृषि को दी जाने वाली राजसहायता में बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारे देश के किसान जिनके पास कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिनको पर्याप्त राजसहायता नहीं मिलती है अथवा जिनके पास जैव प्रौद्योगिकी जैसी नये प्रौद्योगिकीय साधन नहीं है, अन्य देशों के उन किसानों से जिनको कृषि के लिए राजसहायता के रूप में हजारों डॉलर मिल रहे हैं, प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

महोदय, मैं सरकार के ध्यान में एक अन्य मुद्दा लाना चाहता हूं और वह है। पामोलिन ऑयल। हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में हमने किसानों को प्रोत्साहित किया है और हमने उन्हें राजसहायता दी है। हालाँकि पामोलिन पर आयात शुल्क 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। फिर भी, किसानों को लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि कम्पनियाँ उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दे रही है। इसलिए, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने किसानों के सहायतार्थ गत वर्ष "मार्किट इंटरवेंशन स्कीम" शुरू की थी। गत वर्ष हमारी सरकार ने 65,000 मीट्रिक टन पामोलिन ऑयल खरीदा था और इस वर्ष 1,05,000 मीट्रिक टन पामोलिन ऑयल खरीदना चाहती है। अत: हमने कल माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि मार्किट इंटरवेंशन स्कीम के जरिए 50 प्रतिशत ऑयल केन्द्र सरकार द्वारा खरीदा जाए और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाए। इसकी सख्त जरूरत है। जब बड़ी मात्रा में पामोलिन ऑयल हमारे देश में आयात किया जाता है, तो हमें अपने किसानों की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं निम्नलिखित उपायों का उल्लेख करना चाहूंगा जो भारतीय किसानों की रक्षा के लिए क्रियान्वित करने होंगे।

पहला यह कि कृषि में नई व प्रवर्तित विधियां शुरू की जायें। जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम किसानों तक पहुंचे। तभी कही जाकर हम डब्ल्यू टी ओ समझौते की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे।

दूसरा, कृषक समुदाय में वैज्ञानिक जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए हम कार्य प्रणाली को और विकसित करें।

तीसरा हम उन्नत किस्म के अधिक पैदावार देने वाले बीज विकसित करें तथा सरकारी क्षेत्र के बीज उत्पादक एजेंसियों जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, को बंद करें। चौथा ग्रामीण स्तर पर बीज उत्पादन के लिए नए युग का सूत्रपात करें। पांचवां स्वतंत्र जवाबदेह संस्थानों की स्थापना करें। छठा बीजों व कीटनाशकों से संबंधित विधानों में परिवर्तन लायें।

दूसरा जरूरी उपाय यह है कि किसानों को कृषि उपकरणों व आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी मुहैया कराने के लिए चार या पाँच गाँवों की एक इकाई बनाकर किसान क्लबों या सोसाइटियों की स्थापना की जाये।

लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने की जरूरत है। इसे सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनाए जाने और उसे प्रकाशित किये जाने की जरूरत है।

हमें सिंचाई हेतु जल पर निर्भरता से जुड़ी कृषि प्रणाली में बदलाव लाने व एकत्र कृषि प्रणाली को तिलांजलि देकर उसकी जगह किसी अन्य व अन्तराज्यीय कृषि प्रणाली को विकसित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

और अंत में, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है वह यह कि सरकार को कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा और कृषक समुदाय को उनके उत्पाद की मूल्य संरचना का निर्धारण करने और उस पर उसे नियंत्रण रखने की आजादी देनी होगी।

मैं फसल बीमा के मसले को भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। हम पहले ही ग्रामीण स्तर पर फसल बीमा योजना को लागू कर चुके हैं। लेकिन इस समय यह पूर्णरूपेण उपयुक्त नहीं है। यदि हम फसल बीमा को सर्वेक्षण संख्याओं के स्तर पर लागू करते हैं, तो यह किसानों के लिए अधिक उपयोगी होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि फसल बीमा नीति का अध्ययन किया जाए और इसे इस तरह लागू किया जाए कि यह सर्वेक्षण संख्याओं पर आधारित हो। तभी किसान लाभान्वित हो सकते हैं। जहाँ कहीं भी बाढ़, सूखा या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा हो, तो वहाँ किसान फसल बीमा से लाभान्वित हो सकते हैं। और तभी किसानों को कुछ मिल सकेगा। अन्यथा यदि हम इसे ग्रामीण स्तर पर लागू करते हैं, तो यह लाभदायक नहीं होगी। यह हमारा व्यावहारिक अनुभव है।

इन्हीं कुछेक शब्दों के साथ मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर मैं आपसे किसानों के हितों की रक्षा करने का अनुरोध करता हूँ। जब हम विश्व व्यापार संगठन या उदारीकरण का सामना कर रहे हैं, तो हमारी सरकार को किसानों के हितों के रक्षार्थ आगे आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद): सभापति जी, आपने मुझे किसानों की परेशानियों के संबंध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इंडिया टुडे पत्रिका की हैड-लाइन खबर में लिखा है कि "खेती करे सो मरे"। गिरती कीमतें, स्थिर उपज और गिरते लाभ के कारण आज खेती गंभीर संकट में है। हिंदुस्तान में पिछले 12 साल से मानसून अच्छी हुई है लेकिन उसके बावजूद किसान की स्थिति खराब हुई है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है वहां ऐसी हालत आज है। कुल जीडीपी का 35 प्रतिशत और एम्प्लॉयमेंट का 65 प्रतिशत खेती के सैक्टर से आता है, फिर भी भारत का किसान असहाय और गरीब है।

60 के दशक में हिन्दुस्तान में पैदावार इतनी कम थी कि आयातित गेहूं और चावल मंगाना पड़ता था। उस समय देशवासियों को भोजन नहीं मिलता था। 70 के दशक आते-आते नए बीज आए, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ और देश आत्मनिर्भर हो गया। 80 के दशक में सरकार का नियंत्रण शुरू हुआ। सबसिडी बढ़ाई गई, प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे कनजम्शन के बाद का गेहूं इस्तेमाल होता। नतीजा क्या हुआ? कीमतें गिरनी शुरू हो गई। 90 का दशक आते पीडीएस और खुले बाजार में मिलने वाली चीजों की कीमत में दो से ढाई गुना का फर्क था। नतीजा यह हुआ कि जिंसों की कीमतों में गिरावट आई और किसान को अपनी चीजों का वाजिब मूल्य 1990 से मिलना कम हुआ। नतीजा यह हुआ कि उसका मोह खेती के प्रति कम हुआ। पिछले तीन-चार साल से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लगातार स्थिर है। उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। अब एक नई व्यवस्था विदेशी कम्पनियों द्वारा चलने जा रही है और इसका प्रचार-प्रसार जोरों पर है। आर्गेनिक फूड के नाम पर एक व्यवस्था दी जा रही है। हिन्दुस्तान के 5 से 10 परसैंट लोग उस फूड को खाना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म का कैमिकल या फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता है और उसे खाने से कोई बीमारी नहीं होती है। इसका नतीजा यह होगा कि हमारा प्रोडक्शन फॉल आउट होगा और हम विदेशों के ऊपर निर्भर करेंगे। आर्गेनिक फूड का नारा दिया जा रहा है।

हिन्दुस्तान का किसान वर्ग ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस के ऊपर प्रकृति का प्रकोप रहता है। कभी ज्यादा पानी पड़ता है, कभी सूखा पड़ता है और कभी भूकम्प का असर होता है। हिन्दुस्तान की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है, लेकिन यदि उसके पानी को फसल में इस्तेमाल किया जाए तो सारी फसल चौपट हो जाती है क्योंकि उसमें कैमिकल्स हैं। उसका पानी गंदा और काला है। यदि उसे किसी फसल में इस्तेमाल किया जाए तो उसको नुकसान होता है। जहां नहरों का पानी इस्तेमाल होता है और पानी का लैवल ठीक है तो ट्यूबवैल ठीक काम करते हैं। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां ट्यूबवैल लगाए गए लेकिन लगातार पानी कम बरसने से पानी का स्तर कम होता गया। जहां डीजल का 10 हॉर्स पावर का इंजन पानी खींचता था आज वहां 15 हॉर्स पावर का इंजन लगाना पड़ रहा है। डीजल की कंजम्शन ज्यादा होने से कॉस्ट

[श्री चन्द्र भूषण सिंह]

ऑफ एक्सपैंडिचर ज्यादा होगा। पहले बिजली आती नहीं थी। मैं विशेष कर अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। वहां किसानों को बिजली नहीं मिलती है। यदि मिलती है तो 220 वॉल्टेज के ऊपर नहीं मिलती। इससे आए दिन मोटरें जल जाती हैं और वे पानी पूरा नहीं दे पातीं।

कल वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हम किसानों को क्रैडिट कार्ड बांट रहे हैं। अच्छी बात है। जो सरकार अच्छा काम करे उसकी निश्चित रूप से सराहना करनी चाहिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि क्रैडिट कार्ड का अभी तक किसानों को उत्तर प्रदेश में बहुत लाभ नहीं मिला है। आज भी बीच के दलाल वहां मौजूद हैं। उन्हें आज भी पैसा साधारण तरीके से उपलब्ध नहीं हो रहा है। यदि उपलब्ध हो गए तो डीजल, फर्टिलाइजर, पैस्टीसाइड्स, इनसैक्टिसाइड्स जब वे लेने जाते हैं तो डीलर उन्हें डुप्लीकेट सामान देता है। ईंजन पर आईएसआई की मोहर लगी होती है लेकिन लोकल इंजन सप्लाई किया जाता है क्योंकि वे उधार में उसे लेते हैं।

उसका नतीजा यह होता है कि वह इंजिन काम नहीं करता। किसान फर्टिलाइजर, इनसैक्टिसाइड्स, डीजल इस्तेमाल करता है लेकिन एक भी चीज उसे शुद्ध नहीं मिलती है। इन चीजों के इस्तेमाल से खेती का लागत मूल्य बढ़ जाता है।

सभापति महोदय, सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 610 रुपये क्विंटल घोषित किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की मंडियों में आज भी गेहूं 490-500 रुपये क्विंटल बिक रहा है और सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं की गई है। किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यहां पर कई वक्ताओं ने कहा कि पिछली बार आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी। आलू सड़ गया लेकिन किसानों को भाव नहीं मिला। मुझे केरल जाने का अवसर मिला जहां रबड़ का भाव 65-70 रुपये था लेकिन 20 रुपये के भाव पर भी कोई खरीद नहीं सका। यही स्थिति नारियल की रही। नारियल का भी भाव नहीं मिला। मैं पूरे देश की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार कहती है कि नई कृषि नीति बनाई गई है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि डा. बलराम जाखड़ के समय में कृषि नीति बनाई गई थी। वह अखबारों में बनी। यह कागजों में बनी, उसके इंपलीमैंटेशन का क्या हुआ? उससे किसानों को क्या फायदा हुआ, इसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली है?

सभापति महोदय, किसान ऐसी बहुत सी चीजों का उत्पादन करता है जो कामनली 80 परसेंट पैरिशेबल होती हैं। जब कोल्ड स्टोरेज की बात आती है, क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया कि आलू के स्टोरेज के लिए जो तापमान चाहिए, वह टमाटर के लिए नहीं हो सकता है, सेब के लिए नहीं हो सकता, हल्दी, इमली के लिए नहीं हो सकता। क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था करने की बात की है कि अलग-अलग चीजों के स्टोरेज के लिए अलग-अलग वेयर हाउसेस चाहिये।

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1500 तक की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की बात की है। यह एक अच्छा प्रोग्राम है। अगर ऐसा हो जाये तो हिन्दुस्तान के किसानों को इससे लाभ होगा। लेकिन आज की स्थिति में किसान जो अपना जिन्स पैदा करता है, उसे शहर की मंडी तक ले जाने के लिए जितना खर्च होता है, उससे उसका लागत मूल्य नहीं निकलता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ग्राम सड़क योजना का जल्दी से जल्दी इंपलीमेंटेशन हो, नई सड़कें आयें ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने एक अहम मुद्दा रखना चाहता हूं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश की 35 प्रतिशत जी.डी.पी. कृषि से आती है लेकिन उसके रिसर्च पर मात्र एक परसेंट खर्च हो रहा है। अमरीका और कनाडा जैसे विकसित देशों में तीन-साढ़े तीन प्रतिशत कृषि के रिसर्च तथा डेवलेपमेंट पर खर्च होता है। आज डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत क्या होने जा रहा है? मुझे जानकारी है कि विभिन्न मल्टी नैशनल्स कम्पनी बीज पैदा करने वाली हैं और वे अपने रिसर्च सैंटर पंजाब, कर्नाटक में इस्टैबलिश करने की बात कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में वे सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं हैं। पहले विदेशों से बीज आता था जो हिन्दुस्तान की क्लाइमेटिक कंडीशन्स के हिसाब से सूट नहीं करता था। अगर आप सीड्स रिसर्च सैंटर खोल देंगे, हमारे पास पैसा होगा जो हमारे प्रखर बुद्धि के वैज्ञानिक हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर अपने रिसर्च सैंटर में लगा देंगे तो वे हमारे लिए अच्छे बीज पैदा कर सकते हैं। वे हर राज्य की जलवायु के हिसाब से बीज तैयार कर देंगे। यदि विदेशी कम्पनियां इस प्रकार के बीज पैदा करेंगी तो वे अपनी कीमत पर बेचेंगी उससे किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। यदि हमारे देश के वैज्ञानिकों को अनुसंधान कार्य के लिए सिर्फ एक प्रतिशत खर्चा देंगे तो वे अच्छी क्वालिटी के बीज कैसे पैदा कर सकते हैं और उनसे आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वे किसानों के लिए नई तकनीक बना कर देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि रिसर्च कार्यों पर सरकार को पैसा बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे वैज्ञानिक भी नये सीड दे सकें।

सभापति महोदय, मैं डब्ल्यू.टी.ओ. के संबंध में भी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। जैसा सभी जानते हैं कि 1994 में इस पर दस्तखत हुए थे। डब्ल्यू.टी.ओ. की सबसे बड़ी उलझन क्या हुई, अमेरिका, चाइना, कनाडा या जो भी बड़े देश थे, उन्होंने डब्ल्यू.टी.ओ.

का मुद्दा अपनी पार्लियामैंट में डिस्कस करने के बाद अपने हिसाब से बनाया और अपने हिसाब से उसके कायदे-कानून इम्पलीमैंट करवाये। लेकिन हिन्दुस्तान में क्या हुआ, बगैर किसी डिस्कशन के एग्रीमैंट पर दस्तखत कर दिये गये जिससे आज हमारी परेशानियां बढ़ रही हैं और उन्हीं परेशानियों के तहत पूरी जनता में और इस हाउस में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। 1994 से लेकर 2001 में हम आ गये, यदि डब्ल्यू.टी.ओ. लागू करना था तो सरकार ने क्या प्रयास किया कि हम कम्पीटीटिवली और क्वालीटेटिवली अपने किसानों को यह समझाते कि हमें विश्व बाजार में आना है, हमें अच्छी क्वालिटी भी देनी है और कम कीमत में देनी है, ज्यादा पैदावार करनी है। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। यदि वह ऐसा करती तो हमारे किसान का मानसिक स्तर इस बात के लिए तैयार होता कि हम विश्व व्यापार में जा रहे हैं और हमें इन सारी चीजों को देखना चाहिए।

सभापति महोदय, बात आती है डब्ल्यू.टी.ओ. में हिन्दुस्तान से सामान जाने की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी चीज चाहे एनीमल का मांस हो या चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई बीमारी न हो। पहली ही बार में पूरा कन्साइनमैंट लौटा दिया जाता है। हां, ऐसे देश आपका माल लेने के लिए तैयार हैं जिनके पास पैसा नहीं है। अब इसकी वजह क्या है। मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा था कि यदि किसानों को अपने खेतों को बीमारी-रहित करना है तो उसे 5600 रुपये तक एकड़ में खर्चा आयेगा फिर उसका खेत बीमारी से मुक्ति पा जायेगा। 5600 रुपये एक एकड़ पर कौन खर्च कर सकेगा। लागत लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, जिन्स की उसे कीमत नहीं मिलती है, 5600 रुपये लगाकर पहले वह जमीन की बीमारी दूर करे, खुद की बीमारी उसकी दूर नहीं होती, इसलिए वे बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। वे जमीन की बीमारी कैसे दूर कर सकेंगे। इसका नतीजा क्या होता है।

सभापति महोदय, अभी विगत दिनों में आलू के एक्सपोर्ट की बात थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही थी कि हम आलू एक्सपोर्ट करेंगे। उन्होंने एक क्विंटल भी एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बात बड़े जोर से कही थी। आपका आलू विदेश में कैसे जायेगा, उसमें इतनी परसेटेज कारबोहाइड्रेट है और इतनी परसेंटेज पानी की है। आपका आलू कोई पूछने वाला नहीं है। क्या सरकार ने कभी कोई ऐसा एक्सटेंसिव प्रोग्राम चलाया या कोई ऐसी वैरायटी इन्ट्रोड्यूस की जिसमें कारबोहाइड्रेट और वाटर की परसेन्टेज कम हो। ऐसा कुछ नहीं किया, सारा का सारा आलू या तो वायरल इनफैक्टिड है या बैक्टीरियल इनफैक्टिड है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां हमें दाम मिलने वाले हैं उन देशों में यह आलू नहीं जायेगा। मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि गेहूं की बात कीजिए, चावल की बात कीजिए, परंतु क्वालीटेटिवली हम अभी भी अपने को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाये हैं। क्योंकि हिन्दुस्तान के सामने पहले खाद्य समस्या था। ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पर किसान ने मेहनत करके देश को समृद्ध बनाया है, देश को इस काबिल बनाया है कि हम सभी देशवासियों को खाना देने में सक्षम हुए हैं, लेकिन आज उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार भी ऐसा देखती है कि अब तो विदेशों से सारी चीजें आ ही जायेंगी।

यह बात भी उठी थी कि डम्पिंग के लिए कोई बार कमेटी बनाई जायेगी। वह बार कमेटी कहां गई जब अभी चाइना का सारा सामान हिंदुस्तान में डम्प हो गया। हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था। हमारी सरकार कहां सोई हुई थी। चाइना के सामान में सबसे सस्ते रेट पर पेंसिल सैल जिसकी कीमत भारत में साढ़े सात रुपये थी, आज वह डेढ़ रुपये में मिलता है। हिंदुस्तानी में चाइनीज साइकिल साढ़े चार सौ रुपये में मिलती है। आज इन चीजों से बाजार भरा पड़ा है, लेकिन कोई खरीदार नही है। क्या वजह है? ये सब ऐसी चीजें हैं, जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। समय रहते आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा निश्चित ही ऐसा मानना है कि अभी भी वक्त है कि इस स्थिति को आप संभाल सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं सब्सिडी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा, आप घंटी न बजाएं वरना मैं डर जाऊंगा। सब्सिडी के नाम पर जो भी अमरीका या कनाडा चीजें हम एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से जो चीजें बाहर भेजेंगे उस पर उन्होंने 245 परसेन्ट सब्सिडी दी हुई है।

यहां की स्थिति क्या है? यहां आज भी एक्सपोर्ट के नाम पर छूट देने के लिए ये तैयार नहीं हैं फिर कैसे विश्व बाजार की प्रतियोगिता में आप टिक पाएंगे? जब तक सरकार इन सारी चीजों में सहायता नहीं देगी, विश्व बाजार में आप टिक नहीं पाएंगे। डैवलपिंग कंट्रीज में शुरुआती दौर में अमेरिका 1 हैक्टेयर जमीन पर 2000 डॉलर की सब्सिडी देता है और हिन्दुस्तान में 1 हैक्टेयर में 17.5 डॉलर देने में भी लाले पड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस साल भी अगर कम हुआ तो समझ लीजिए कि आर्थिक गुलामी की ओर हमारे पैर अग्रसर हैं और यदि समय रहते इस पर गौर न किया तो हमारी गुलामी ऐसी गुलामी होगी कि 200 साल में हम अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए लेकिन इस आर्थिक परतंत्रता से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी।

लागत की बात आती है। सरकार की नीति बन गई कि दो प्रतिशत इंप्लॉइज कम करेंगे। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि सिर्फ नौकरियों पर यदि मुनस्सर रहकर जिया जाए तो संभव नहीं है

[श्री चन्द्र भूषण सिंह]

और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि सभी लोगों को वह नौकरी दे सके। लेकिन आप कैसे कंपीटीशन करेंगे। ब्राजील में 1 मिलियन टन शक्कर तैयार करने के लिए मात्र 236 आदमी लगते हैं। उसमें सिक्यूरिटी भी है और सारे काम करने वाले लोग हैं। हिन्दुस्तान में 1 मिलियन टन शक्कर पैदा करने के लिए दस हजार व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आप कहां स्टैन्ड करेंगे? कौन सी व्यवस्था आप बनाएंगे? हमारे आपके सामने रोज उदाहरण आते हैं। पेप्सी कोला जब हिन्दुस्तान में आया तो तीन रुपये में एक बोतल मिलती थी। उसने जितनी सॉफ्ट ड्रिंक कम्पनियां थीं उनको एक के सौ रुपये देकर खरीद लिया। आज दस रुपये में वह पैप्सी कोला मिलती है। आगे स्थिति क्या होगी कि यदि आप खरीदने के काबिल हुए और सौ रुपये में भी वह बेचेंगे तो आपकी मजबूरी होगी और आप खरीदेंगे। एन.टी.सी. के सारे कारखाने बंद हो रहे हैं, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, ऐग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार को इस पर सचेत होना चाहिए और हमारे किसानों की स्थिति पर गौर करना चाहिए। अभी बरार साहब कह रहे थे कि जितने लोग कारगिल में मरे हैं, उससे दोगुने आत्महत्या कर चुके हैं। यही स्थिति आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों की है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए यदि किसान को जिन्दा रखना है तो सरकार को मदद करनी होगी और सरकार को मदद करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): सभापति महोदय, चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में गत तीन घंटों से अब तक काफी लम्बी चर्चा हो चुकी है।

महोदय, जैसाकि हम सभी जानते हैं, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है यह अधिकांश लोगों की आजीविका प्रदान करती है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात को सुनकर बहुत प्रोत्साहन मिला है कि भारत ने गत वर्ष 209 मिलियन टन का रिकार्ड खाद्यान्न पैदा किया था। हमारा बफर स्टॉक 40 मिलियन टन को पार कर गया है। यह नोट करके और भी अधिक प्रोत्साहन मिला है कि भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा और चावल, गेहूं, फल और सब्जियों में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। हमारा प्रिय देश अंडा उत्पादन में विश्व में पांचवें स्थान और मछली उत्पादन में छठे स्थान पर होने जा रहा है।

महोदय, कृषि क्षेत्र की इस खुशहाली जिसके लिए हमारे किसान अत्यधिक प्रशंसा के पात्र हैं के साथ ही किसानों की दुर्दशा हो रही है। कृषि वैज्ञानिक डा. एम.एस. स्वामीनाथन के शब्दों में, "यद्यपि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न वाला देश है और इसके गोदामों में 45 मिलियन टन से भी अधिक गेहूं और चावल का भंडार है, लेकिन 250 मिलियन बच्चे, महिलाएं और पुरुष प्रतिदिन आधा पेट भूखे ही सोते हैं"। खाद्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारत को आजीविका सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 55वें दौर के जारी किए गए नतीजों से पता चलता है कि देश की 26 करोड़ से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो 26.10 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। हाल ही में, इस बात पर अत्यधिक चिंता जताई गई है कि क्या भारतीय कृषि पर डब्ल्यू.टी.ओ. व्यवस्था जब मात्रात्मक प्रतिबंध 1 अप्रैल, 2001 से हटा दिए गए हैं, के अंतर्गत किए जा रहे सहायता प्राप्त आयात की भरमार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो हमारे बाजार में प्रवेश पाने में समर्थ होगी। किसानों में इस बात की आशंका है कि विभिन्न कृषि मंदों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के बाद, वे उनके आयात, जो घरेलू बाजार में मौजूदा वर्तमान दरों की तुलना में अत्यधिक सस्ता होगा, से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होंगे।

अब, मैं अपने राज्य आंध्र प्रदेश पर आ रहा हूँ, मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्य के तेलंगाना क्षेत्र के 10 जिलों को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रतिवर्ष सम्पूर्ण क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। कृषि केवल लिफ्ट सिंचाई पर निर्भर है। लिफ्ट सिंचाई उचित रूप से नहीं दी जाती है और बिजली की सप्लाई भी उचित नहीं है। यहां अत्यधिक वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता है और इसके कारण जब कृषि उपज आती है तो किसानों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

तेलंगाना क्षेत्र में पर्याप्त जल, पर्याप्त लिफ्ट सिंचाई पद्धति नही है आज कल बिजली की पर्याप्त सप्लाई भी नहीं की जाती है। आज यह क्षेत्र बहुत खराब स्थिति का सामना कर रहा है। यहां कोई वैकल्पिक फसल नहीं है जिसका किसानों को सुझाव दिया जा रहा है। सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर्याप्त जलापूर्ति नहीं है तो धान नहीं उगाया जा सकता है। उन्हें वैकल्पिक फसलें बतानी चाहिए। यहाँ अनेक अनुसंधान केन्द्र हैं जिन्हें सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और यहाँ गैर सरकारी संगठन भी है जो अनेक योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन किसान की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है।

आंध्र प्रदेश में किसान असामान्य विद्युत शुल्क जो उन पर थोपी गई है से भी परेशान हैं। तम्बाकू, हल्दी, मूगंफली, सूरजमुखी,

बागवानी इत्यादि जैसे वाणिज्यिक उत्पादों की खेती नहीं की जा रही है यद्यपि अनुसंधानों से पता चलता है कि इसमें लाभ है। यह सब बिजली की उच्च दरों के कारण है।

आज स्थिति इतनी खराब है कि कोई किसान अपने बेटे को खेती करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। वे अपने बेटों को उस व्यवसाय को करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जिसे उनके लिए उनके पूर्वजों ने छोड़ा है। यहाँ अनेक ऐसे किसान हैं जो रोजगार की तलाश में पड़ौस के जिलों में जा कर रहे हैं। वे अन्य राज्यों में अन्य स्थानों पर जा रहे हैं और वहाँ अपने व्यवसाय को छोड़कर अन्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

मैं आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के अपने चुनाव क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के संबंध में अपना अनुभव बताना चाहता हूँ।

महबूबनगर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जहाँ 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर हैं। और उनमें से अधिकांश गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक वर्ग से संबंधित हूँ इसलिए मैंने उन्हें बहुत नजदीक से देखा है।

महोदय, जाँच कराई गई हैं। उन्होंने एक एकड़ भूमि पर लगभग 14,000 रुपए निवेश किए हैं। वहाँ बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जाती है। उनके लिए उचित सिंचाई व्यवस्था नहीं है। वहाँ बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जाती है। उन्हें उचित उर्वरक नहीं दिया जाता है। अंत में किसान जिसने एक एकड़ भूमि पर 14000 रुपए निवेश किए हैं, उस पर उपज हेतु निवेश किए गए पैसे का ऋण बढ़ता जाता है जब तक उसकी उपज आ नहीं जाती तब तक उसे इसका इंतजार करना पड़ता है। उसके ऋण की राशि बढ़ती जाती है और अंत में उसे उपज से कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार, या तो उसे अपनी भूमि बेचनी पड़ती है या उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। महोदय, आप जानते हैं कि कपास उत्पादकों ने आत्महत्याएं की थी और उनकी यादें अभी भी ताजा हैं। अनेक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। मूंगफली उत्पादकों ने आत्महत्याएं की थी। कपास उत्पादकों ने आत्महत्याएं की थी। अब, मैं समझता हूं इस बार धान उत्पादकों की बारी है।

महबूबनगर जिले के सभी 64 मंडलों को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। सौभाग्य से पिछले वर्ष अच्छी वर्षा हुई थी। किसान यह सोचकर खुश थे कि अच्छी वर्षा हुई थी और वे अपने पुराने व्यवसाय पर वापस आ सकते हैं। इस प्रकार, वे फिर से साहूकारों के पास गए और उनसे ऋण लिया तथा बीज बोए। वहाँ बहुत अच्छी उपज हुई थी। उन्होंने कीटनाशक खरीद लिए थे और अपनी उपज को अंतिम रूप दे रहे थे ताकि कीड़ा उनकी फसल को नुकसान न पहुँचाए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें इस बात का अहसास नहीं था कि एक बड़ा कीड़ा भी आ रहा है। अर्थात् वह डब्ल्यू.टी.ओ. आ रहा है। इस सबके पश्चात् उन्हें अपनी उपज बाजार में ले जानी पड़ती है और उन्हें जो दर मिलती है वह कुल 540 रुपए कुंतल थी। इस धनराशि से वे अपने ऋण जो उन्होंने लिया था ऋण के ब्याज का भुगतान भी नहीं कर सकते हैं। इससे वे फिर कोसों दूर चले जाते हैं।

सभापति महोदय, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बहुत सारी धनराशि नियत की जा रही है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जबकि उन्हें विश्व व्यापार संगठन के बारे में सावधान नहीं किया गया है और उन्हें वैकल्पिक फसलों के बारे में परामर्श नहीं दिया गया है। मेरी चिन्ता यह है कि किसानों को विश्व व्यापार संगठन के संबंध में और अन्य विभिन्न ऐसी फसलों के संबंध में अवगत कराया जाना है जिनसे उन्हें कुछ धन प्राप्त हो। अनुसंधान जारी रहना चाहिए और किसानों को इस संबंध में परामर्श दिया जाना चाहिए कि किस चीज से उनके परिश्रम का अच्छा मूल्य मिल सकता है। ग्रामीण किसानों की पीड़ा का यह एक भाग है।

दूसरे, मैं गांवों में घटिया साफ-सफाई की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यदि आप गाँव जाएं तो हर ओर गंदगी पाएंगे। गाँवों में स्वास्थ्यकर स्थिति नहीं है। इन लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आज हम विश्व भर में उच्च तकनीक पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, लेकिन उन गरीब किसानों को भूल रहे हैं जो हमारे देश की रीढ़ हैं।

मैं जानता हूं कि सरकार अच्छे कदम उठा रही है। विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव को कम करने के लिए, इन्होंने प्रयास किये हैं और इन्होंने कई कदम उठाए हैं। इन्होंने कतिपय कृषि उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगा दिए हैं। यह वास्तविकता है कि घरेलू किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बार-बार शुल्क बढ़ाए गए हैं।

उदाहरण के लिए, दिसम्बर, 1999 में रिफाइन्ड खाद्य तेल पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और जुलाई, 2000 से 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क और लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 6 मार्च को कुरुक्षेत्र में किसानों की विशाल सभा में उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी।

मुझे खुशी है कि 2001-2002 के बजट में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, जीवन बीमा, आदि जैसे कुछ प्रोत्साहन दिए

[श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी]

गए हैं। तथापि, संतोष करके बैठने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि गरीब किसानों के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है।

मैं जीवन बीमा लाभ का उल्लेख करना चाहता हूँ। अभी तक 25 प्रतिशत किसानों को भी उनके बीमे प्राप्त नहीं हुए हैं। अब भी 75 प्रतिशत किसान राशि प्राप्त करने के लिए डी एम कार्यालयों और एम आर ओ कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। जब यह विशेष योजना लाई गई है तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका लाभ बिचौलियों के लिए नहीं बल्कि लक्षित व्यक्तियों को मिले। वस्तुतः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान के बिना हमारा देश कुछ नहीं है। किसानों की महत्ता को देखते हुए, अन्य विभिन्न क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते समय हमें किसानों को नहीं भूलना चाहिए।

अंत में यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि किसान देश की रीढ़ है इसलिए इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा): सभापति जी, कई बार से किसानों की चर्चा होती आ रही है। हम सब किसान हैं, गांव की समस्याओं से अवगत हैं, पर फलाफल की चर्चा कभी हो नहीं पाती। कितनी ही घोषणाएं सरकार करती आ रही है, पर सरजमी पर कोई बात नहीं उतरती है।

अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए क्रैडिट कार्ड की बात कही, फसल बीमे की बात कही, यह पहले से भी चला आ रहा है, पर जो तजुर्बा मुझे है, सारे सदन को भी है कि इसको जहां पर पहुंचना चाहिए, जिसको इसका लाभ होना चाहिए, वहां अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है और जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि जिसके लिए आपने व्यवस्था की, आप वहां तक उसे पहुंचा पायें। किसानों की मुख्य समस्याएं सिंचाई और बिजली की हैं। सिंचाई के लिए कुएं चाहिए, चैक डैम चाहिए, तालाब चाहिए और उसके लिए बिजली चाहिए। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कहीं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। किसान चाहते हैं कि मुझे कुआं मिले, चैकडैम मिले, तालाब मिले, पर इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। डायरैक्ट कुआं देने के लिए, तालाब देने के लिए पहले व्यवस्था थी, मिलियन वैल्स के माध्यम से किसान को कुआं उपलब्ध किया जाता था, पर पिछले साल अप्रैल से इस योजना को स्वर्ण ग्राम योजना में परिवर्तित कर दिया गया और कहा गया कि कामर्शियल बैंक के माध्यम से पावर्टी के नीचे जो किसान हैं, विभिन्न कैटेगरीज के, उनको कर्ज दिया जायेगा और उसी के अनुरूप उनको अनुदान दिया जायेगा। पर आप रिव्यू करेंगे, गांव में देखेंगे तो आपने कामर्शियल बैंक को जो टार्गेट दिया, किसी ने इस टार्गेट को पूरा करने की कोशिश नहीं की। उनकी उपलब्धियां नगण्य हैं। इसलिए इन बिन्दुओं पर जैसा कि सभापति जी आपने कहा चर्चा से क्या होगा, सही बात है। यहां पर चार घंटे, आठ घंटे या दो दिन तक बहस होगी, फिर मंत्री जी उत्तर दे देंगे और बात खत्म हो जाएगी। आपने जैसा सुझाव दिया कि किसान की समस्या कई विभागों से संबंधित है। वित्त विभाग से भी संबंधित है, बिजली विभाग से भी संबंधित है, खाद विभाग से भी संबंधित है, तेल के लिए पैट्रोलियम विभाग से भी संबंधित है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि किसान की समस्या ठीक ढंग से हल हो तो सरकार को ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनानी चाहिए और एक संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। अभी क्या होता है कि कृषि मंत्री जी के पास किसान की समस्याएं आती हैं तो ये वित्त विभाग को या फर्टिलाइजर विभाग के पास भेज देते हैं। वहां से जवाब आता है और निर्णय होता है तो संसद का दूसरा सत्र आ जाता है और फिर किसान की समस्या पर हम लोग चर्चा करते हैं। कारगर ढंग से काम हो, जैसा आपने सुझाव दिया मंत्रियों के ग्रुप की समिति का और संसदीय समिति के गठन का, उससे मैं भी सहमत हूं और मैं समझता हूं सारा सदन सहमत होगा। इससे किसान की समस्याएं दूर हो सकेंगी। जैसे आप यहां से अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए फंड देते हैं, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, यह चीज ये समितियां अच्छी तरह से देख सकती हैं।

किसानों के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई सरकारों ने घोषणा की कि उनके दस हजार रुपए तक के ऋण माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हुआ। किसान जब इसके लिए पूछने जाता है कि क्या मेरा कर्जा माफ हो गया तो उसे उसके ऋण के बारे में चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर कई गुणा रकम अदायगी का पत्र दे दिया जाता है, जिसे वह अपनी सारी सम्पत्ति बेच कर भी नहीं चुका पाएगा। इसलिए सरकार इस बात पर रिव्यू करे कि जो यह घोषणा की गई थी, उसमें क्या कमी रह गई और कैसे वह दूर की जा सकती है।

बिहार और झारखंड में काफी गर्मी पड़ रही है। किसान को सिंचाई की तो बात छोड़िए, पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीण विकास विभाग से जो योजनाएं जाती हैं, फंड जाता है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। आपने स्टोरेज की बात कही, लेकिन आज भी किसान को अपना माल रखने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी उपज को मार्केट में कैसे ले जाए, सड़कें नहीं हैं। सरकार को धन्यवाद दिया जा सकता

है कि उसने ग्रामीण सड़क योजना शुरू करने की बात कही है। लेकिन मार्च तक उसकी क्या रूपरेखा होगी, यह भी पता नहीं चल पाया है। दो महीने के बाद मानसून शुरू होगा, फिर कैसे आप गांवों में सड़कों का निर्माण करेंगे।

किसान की हर तरफ से हालत दयनीय हो रही है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप मंत्रियों की एक समिति और एक संसदीय समिति बनाएं, जो उस पर विचार करे। आप जितने भी आंकड़े देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। हम लोग बिहार से, झारखंड से आते हैं, वहां किसानों की अपनी समस्याएं हैं। मेरे क्षेत्र कोडरमा में लोग कुओं की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इसे पूरा कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन सरकार कुओं के निर्माण की जगह कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि झारखंड में कितने ऐसे कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं? कहा जाता है कि किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

इसलिए मैं अधिक समय न लेकर इतना ही निवेदन करूंगा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आप ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की समिति और एक संसदीय समिति का गठन करें, जिससे यहां रोज-रोज किसानों पर चर्चा करने की जरूरत न पड़े।

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): सभापति महोदय, आपने कृषि पर चर्चा हेतु मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज पूरे जोर शोर से किसानों और गांवों के बारे में चर्चा हो रही है। कई बार यहां चर्चा हुई और आज भी काफी विस्तार से किसानों के सवाल पर आंकड़ों के साथ बड़े वैज्ञानिक तरीके से चीजों को माननीय सदस्यों ने रखने का काम किया है। मैं कुछ सवालों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि चर्चा इस पर चाहे जितनी हो, निश्चित तौर से जब हम कृषि नीति पर चर्चा करते हैं, किसानों के बारे में चर्चा करते हैं तो गांवों के सम्पूर्ण विकास की चर्चा करनी होगी। सिर्फ कृषि से जुड़े किसान के उत्पादन से ही उसका मतलब नहीं रह जाता।

आज की जो स्थिति रही है, इसमें निश्चित तौर से कहीं न कहीं हमारी नीतियां कमजोर रही हैं। कहीं इच्छा शक्ति की भी कमी रही है। जब तक गांवों को केन्द्र में रखकर हमारी योजनाएं नहीं बनतीं और वह चाहे ब्यूरोक्रेसी के दबाव में हो या और किसी दबाव में हो, आजादी के बाद जो गांवों की रूपरेखा और गांवों की मजबूती के लिए जो संकल्प शक्ति होनी चाहिए थी, उसका अभाव देखा गया है। कुसमरिया जी ने कहा कि हम दलगत बंधनों से बंधकर किसानों के मूल सवाल पर एक रस्मी तौर पर चर्चा करते हैं। कई स्टैप्स लिये गये हैं। आजादी के लम्बे अर्से के बाद राष्ट्रीय कृषि नीति बनी। हम इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहते हैं लेकिन पचास साल हो गये हैं। 52 वर्ष में राष्ट्रीय कृषि नीति का निर्माण, हुआ, यह भी अपने आप में एक उदाहरण है कि किसानों की उपेक्षा हुई है, गांवों की उपेक्षा हुई है। आज हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि किसान एक ऐसा संवर्ग है कि जब वह ऋण लेता है और उस कर्जे की अदायगी वह नहीं कर पाता है तो वह जेल जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश काल में जो कानून बना था, उसमें किसान शोषण का सबसे बड़ा केन्द्र था और आजादी के लम्बे अर्से के बाद भी आज वही कानून बना हुआ है। यदि किसान कर्जे की एवज में जेल जाएगा तो जेल में हुए खर्चे को उस कर्जे में जोड़ दिया जाता है। एक तरफ जघन्य अपराध में अपराधी यदि जाते हैं, स्कैम करने वाले जाते हैं तो उनको सुविधाएं देने के लिए जेल मैनुअल है और उनको सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन किसान सबसे ज्यादा उपेक्षित है, इसलिए इस काले कानून को निश्चित तौर पर समाप्त किया जाना चाहिए-यह अपने आप में एक कलंक है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश में इस वक्त निश्चित तौर पर वैज्ञानिक क्रान्ति हुई है। हमारे कृषि मंत्री किसान परिवार से आते हैं और उन्हें किसान की पीड़ा का अनुभव है। उन्होंने इस दिशा में कई प्रयास किये हैं, जैसे दुनिया के बाजार में भारतीय किसानों की शक्ति बढ़े। लेकिन इस दिशा में जो भी प्रयास किये गए हैं, वे ऊंट में मुंह में जीरे के समान है। वास्तविक स्थिति यह है कि किसान और मजदूर तबाही के कगार पर खड़े हैं और खास कर बिहार के किसानों की बहुत ही दुर्दशा है। कारण यह कि राज्य सरकार को कोई चिन्ता नहीं है और विकास के नाम पर जो ढांचा तैयार किया गया है, उससे बिहार के किसानों के विकास की सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त हो गई है। ऐसी परिस्थिति में, लगभग एक करोड़ मजदूर और किसान, बिहार से बाहर जिल्लत की जिन्दगी जी रहे हैं, जद्दोजहद की जिन्दगी जी रहे हैं। बंटवारे के बाद किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं, वहां संसाधन नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर सम्पूर्ण और समेकित विकास के लिए योजनायें बननी चाहिए। माननीय सदस्य, श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह, ने सुझाव दिया है कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की एक टीम बनानी चाहिए। यह सत्य है और इसके बिना गांव का विकास संभव नहीं है। गांवों में साक्षरता अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपये भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब तक साक्षर किसको बनाया गया है। यदि हम वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, तो पायेंगे कि निश्चित तौर पर कागजी कार्यवाही हुई है। इसलिए डीआरडीए, इंदिरा आवास और जलप्रबंधन आदि योजनाओं पर

[श्री अरुण कुमार]

पुनर्विचार करना होगा। जलप्रबंधन योजना एक पारम्परिक योजना थी, यह योजना भी ध्वस्त हो गई है। इसी प्रकार चक डैम और पुल-पुलिया भी कागज पर ही बनाए गए हैं। जिनके पास साधन हैं, उनको ही सुविधायें मिल जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गांवों के विकास की योजनायें बनानी चाहिए। स्वास्थ्य, खेती और शिक्षा से संबंधित योजनायें बनानी चाहिए। एक तरफ किसानों की समस्याएं हैं और दूसरी तरफ बड़े घरानों पर बैंकों का जो 18 हजार करोड़ रुपया बकाया है।

अपराह्न 5.00 बजे

उसकी वसूली के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। बैंक किसानों के विकास के लिए खोले गये लेकिन वहीं बैंक आज भूमि लूट बैंक के रूप में साबित हो रहे हैं। जितनी भी योजनाएं विभिन्न माध्यमों से चलाई जा रही हैं उनमें बैंकों की जो भूमिका है उसकी अगर जांच कराई जाए, उसका सर्वे कराया जाए तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि बैंक टैम्पो, गाड़ी और ट्रक खरीदने को प्रोत्साहित करते नजर आयेंगे लेकिन गाय-भैंस की खरीद के लिए पैसा देने में इतना दौड़ाएंगे कि किसान इनके खरीदने का विचार ही छोड़ देता है। ऐसी बैंक के पदाधिकारियों की मानसिकता है और यह मनोवृत्ति किसान विरोधी है। बैंकों में 18 हजार करोड़ रुपये का घपला हुआ, इस पर तो कोई जोर नहीं चला, शोर नहीं हुआ लेकिन किसान के प्रति जो मानसिकता है वह खतरनाक है। इसलिए किसान की समृद्धि और विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि किसान और गांव ही हमारी ऊर्जा और ताकत के स्रोत है। चाहे वह राष्ट्र की शक्ति के रूप में हमें वह दिखे या जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के रूप में हमें दिखे। हमें समझना होगा कि गांव ही हमारी शक्ति के स्रोत हैं। आज गांव की और किसान की ताकत को तोड़ने में विकृत मानसिकता हावी है और वह विकृत मानसिकता हमारी परम्परा और विकास के रास्ते में, हमारी संस्कृति के विकास के रास्ते में बाधक है, यह हमें समझना होगा।

पिछले पचास वर्षों में हमारी संस्कृति के विकास के लिए, परम्परा के विकास के लिए जितना हमें करना चाहिए था वह हमने नहीं किया। मेरा निवेदन है कि गांव में शिक्षा और प्रबंधन का विकास हो और किसान को उसके उत्पाद का समर्थन मूल्य नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य मिले। खेत के प्रबंधन और उत्पाद मूल्यों में कैसे संतुलन हो यह हमें देखना होगा। जब तक गांव को ताकतवर बनाकर उसे शहरी अपसंस्कृति के खतरों से नहीं बचाया जाएगा, तब तक देश शक्तिशाली नहीं होगा। शहर के एक पुल को बनाने में करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है लेकिन गांव से जिला मुख्यालय जाना हो तो आपको 70-80 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। किसान के लिए वहां कुछ नहीं किया जा रहा है। उसको सुगम रास्ता मिले, इसका प्रबंध आज तक नहीं हो सका है।

गांव की संस्कृति भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा से अभी तक जुड़ी हुई है और गांव से ही भारतीय मूल्यों की और भारत की संस्कृति की रक्षा हो सकती है, भारत मजबूत हो सकता है। लेकिन आज गांव के लोग बदहाली, अशिक्षा और फटेहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और अपने को शहरों में आकर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस समस्या पर हमें समेकित रूप से विचार करना होगा।

एफसीआई पर अभी चर्चा हो रही थी। वहां गड़बड़ी हो सकती है। यह बात ठीक है कि उसमें असंतुलन है। कई राज्यों में स्टोरेज क्षमता है और कई राज्य इस में बड़े उपेक्षित हैं। यह प्राइवेट एजेंसियों को देकर किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा संकट है। यदि सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से हम ऐसा प्रबंधन कर सकेंगे जिससे किसानों पर होने वाले शोषण को रोक सकेंगे। आज किसान अनाज, फल और टमाटर पैदा करता है। बिहार में रोहतास और औरंगाबाद के इलाके में जी.टी. रोड पर इतना टमाटर होता है कि कभी किसान उन्हें खेतों में ही छोड़ देता है। प्रबंधन के अभाव में ऐसी स्थिति पैदा होती है।

राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में मैं धन्यवाद देते हुए एक चीज जो मेरे मन में है, उसकी सफाई माननीय मंत्री जी से चाहूंगा। जमीन की जोत किस की होनी चाहिए? वैसे तो वह उसकी निजी जमीन है लेकिन कारपोरेट हाउस को जमीन न जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि वह कारपोरेट हाउस को जमीन जाएगी तो किसान किसान नहीं रहेगा, उसका चरित्र नहीं रहेगा। किसान का मतलब अदम्य साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाला आदमी है। यह मानव जाति की एक अमूल्य धरोहर है। विपरीत परिस्थितियों में आदम्य साहस से लड़ने वाला गांव में रहने वाला किसान होता है। यदि कारपोरेट हाउस में जमीन जाएगी तो उससे एक विकट परिस्थिति पैदा होगी। हमारी संस्कृति से सम्पूर्ण विश्व को मानवता की प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। कारपोरेट हाउस में जाने से उसके ऊपर भी खतरा उत्पन्न होगा। मंत्री जी इस बारे में स्पष्टीकरण दे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुबोध राय (भागलपुर): सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों

ने किसानों की स्थिति के बारे में सही तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उनकी दुर्दशा, दुर्गति पर चर्चा की है। मैं उससे अपनी सहमति जाहिर करता हूं। उन्होंने सरकार को जो सुझाव दिए, उनके प्रति भी अपनी सहमति जाहिर करते हुए अपील करना चाहता हूं कि किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए मंत्री जी अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन सुझावों पर अमल करें। जिन राज्यों में किसानों ने आत्महत्या की हैं, उनके कारणों को देखते हुए उनके निदान के लिए सदन की संयुक्त जांच समिति का गठन किया जाए। जब अनेक घोटालों के बारे में जे.पी.सी. का गठन हो सकता है तो जिसकी बुनियाद पर यह देश और हम सब खड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए कोई स्पष्ट नीति क्यों बन नहीं सकती? आज देश में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा लगा रहे हैं, तब किसानों की नींव को हिला देने वाली घटनायें हो रही हैं, ऐसे में किसानों द्वारा आत्महत्या करना कोई साधारण बात नहीं है। किसान अनेक प्रकार की विपत्तियों का मारा हुआ है और जब लोग जय किसान का नारा लगाते हैं तो उनकी नीतियों का प्रहार इन किसानों पर होता है। उस स्थिति में हताश और निराश किसान के पास अपने गले में फांसी लगा लेने के सिवा इस दुनिया से कूच करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता। इन सब बातों की जांच स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। उससे प्रकट हो जायेगा कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का किसानों के प्रति क्या रवैया है? चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो या प्राकृतिक विपदा हो या बैंक से कर्जे लेने और उसकी वसूली का सवाल हो, उसके लिए सरकार द्वारा अनेकों नीतियां बनाई गई हैं। उनमें से कई नीतियां वर्षों से चल रही हैं, घोषणाओं की किताबें भरी पड़ी हैं और यहां तक कि लाइब्रेरी में तरह तरह की जानकारी पटी पड़ी है। मुझे डा. इकबाल की बात याद आती है:

> जब अमल ही नहीं तो कुरान में क्या रखा है, अगरचे लाख सीने से लगा रखा है।

सभापति महोदय, सरकार ने किसानों के हित में घोषणायें की हैं, नारे लगाये हैं, भाषण दिये हैं लेकिन किसान आज भी उपेक्षित है और आत्महत्या कर रहा है। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और सभी राज्यों के किसान पूछते हैं। सरकार ने देश की वास्तविक स्थितियों को अनदेखा करके डब्ल्यू.टी.ओ. के सामने आत्म-समर्पण किया है और हमारे कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से उनके मुंह में धकेल दिया है। किसानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कभी होगा, ऐसा देश के उन दीवानों ने कभी नहीं सोचा था जिन्होंने फांसी के तख्ते को चूम लिया था और गोलियां खाई थीं। वे अपनी शहादत देकर इस दुनिया से कूच करते समय कह गये:

> खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, दरो-दीवार से माता को नमन करते हैं।

उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आजादी के बाद हमारे देश में ऐसे शासक पैदा हो जायेंगे जो देशभक्ति का ऐसा नकाब लगा लेंगे कि अपने ही देश के लोगों को उन्हीं लोगों के हवाले कर देंगे जिनके खिलाफ गोली खाकर शहीद हुये या आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया। ऐसा स्थिति में हमारे देश के किसानों ने उनके खिलाफ संघर्ष किया जो आजादी के दुश्मन थे, उस वक्त अंग्रेजों की दलाली करते थे, चाटुकारिता करते थे, जो बड़े राज-रजवाड़े थे, जमींदार या बड़े-बड़े पूंजीपति और व्यापारी थे, नौकरशाह थे, उनके खिलाफ संघर्ष हुआ था। आज जरूरत थी कि उससे सबक लेकर उन शहीदों की शहादत का सम्मान करते हुए इस तरह की नीतियां बनाई जातीं कि हमारा मुल्क आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ता। लेकिन हम आज कारपोरेट सैक्टर की ओर जा रहे हैं। आज कारपोरेट सैक्टर को मौका दिया जा रहा है। हमारी आजादी की लड़ाई इसलिए थी कि सामन्तवाद पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए, जोतने वालों को जमीन मिलनी चाहिए। इससे हमारी कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने वाली थी। लेकिन आजादी के पचास साल के बाद आज कारपोरेट सैक्टर, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल्स कम्पनियों, बड़े-बड़े रैकेटीयर्स, घोटालेबाजों, बड़े-बड़े माफियाओं को बुलाकर बड़े-बड़े भूखंड दान देने की बातें हो रही हैं और दूसरी ओर हमारे भूमिहीन किसानों और हमारे लाखों-करोड़ों खेतिहर मजदूरों को गांव छोड़ने के लिए, इलाका छोड़ने के लिए और अपने दाना-पानी का इंतजाम दूसरी जगह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह बहुत ही भयानक स्थिति है। इसलिए हमारे गांवों में आज दरिद्रता बढ़ती जा रही है। गांवों में सड़कें नहीं हैं, मकान नहीं हैं, शौचालय नहीं हैं, स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सालयों और विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई के साधनों का अभाव है, बिजली का अभाव है। आज इन सबकी जरूरत है, इनसे आज गांव ज्यादा विकसित और समृद्ध हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज उचित होगा कि केन्द्र सरकार राज्यों के साथ सहयोग करके इनकी व्यवस्था करे, इस पर दोनों में टकराव नहीं होना चाहिए।

अपराह्न 5.17 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

यह दोष देने से कि बिहार के किसानों का अनाज किसने नहीं खरीदा और किसने नहीं खरीदने दिया-इससे काम चलने वाला नहीं है। इसमें केन्द्र सरकार को अपनी भूमिका निभानी है, राज्य

[श्री सुबोध राय]

सरकारों को भी अपनी भूमिका और कर्तव्य से भागना नहीं है। दोनों सरकारों की अपनी अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग-अलग भूमिकाएं हैं, अलग-अलग कर्तव्यपरायणता है। संविधान दोनों के लिए है। इसलिए किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जब राजनीति से ऊपर उठने की बात होती है तो उसमें दोषारोपण करके नहीं बल्कि समस्या के निदान में कहां गड़बड़ी हुई है, कहां गलती हुई है, उस भूल का सुधार किया जाना चाहिए। यदि उससे लाभ हो तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन यह बात नहीं चलनी चाहिए कि हमने जो कह दिया वही ब्रह्मा की लकीर है। यदि हम इस मानसिकता से काम करेंगे तो किसानों की समस्या निश्चित रूप से हल होगी। राज्य और केन्द्र दोनों मिलकर हमारे देश के किसानों की वास्तविक स्थिति जो मांग करती है, वह पूरी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में तीन घंटे से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, आजादी के 53 वर्ष बाद अगर हम इतिहास देखें तो पिछले पचास वर्षों तक केन्द्र में बहुत कम सरकारें रही जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा।

आखिर किसानों की समस्याएं क्या हैं-अगर आजादी के बाद केन्द्र में आने वाली सरकार गांव और ढाणी के बारे में सोचतीं तो किसान जिन समस्याओं को लेकर आज आंदोलित है या जिन समस्याओं की वजह से आत्महत्याएं करता है-वह स्थिति पैदा न होती।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की पैदावार का मूल्य कम होता जा रहा है और जो चीजें किसान खरीदता है उसके भाव इतने बढ़ गए हैं कि किसान उनको खरीद नहीं सकता। जिस समय किसान के गेहूं, बाजरा, ज्वार, मूंग आदि का भाव रुपये दो रुपये किलो था, उस समय ट्रैक्टर की कीमत 15-20 हजार रुपये थी। आज वही ट्रैक्टर किसान खरीदता है तो उसकी कीमत 3 लाख रुपये है और ट्रैक्टर का सामान और खेती के अन्य औजार खरीदता है तो ट्रैक्टर उसको 5 लाख रुपये में पड़ता है और अनाज का भाव 3-4 रुपये किलो है। किसान जिस चीज को खरीदता है उसके भाव 30-40 गुना बढ़ गए हैं जबकि किसान की उपज का भाव उस अनुपात में नहीं बढ़ा। आज का किसान बिजली भी नहीं खरीद सकता। किसान को जो डीजल गांवों में मिलता है वह भी शुद्ध नहीं मिलता। जिसे ट्रैक्टर में डाले, पंपिंग सैट में डाले तो 4-6 महीने में इंजन ठीक कराना पड़ता है। कैरोसीन और डीजल के भावों में इतना अंतर आ गया है कि विक्रेता डीजल में कैरोसीन की मिलावट करते हैं जिस कारण किसान के ट्रैक्टर खराब हो जाते हैं और चार-छः महीने बाद उसको 10-20 हजार रुपये लगाने पड़ते हैं। किसान को ऐसा डीजल मिलना चाहिए कि पांच-छः वर्ष तक उसको ट्रैक्टर में एक रुपया भी नहीं लगाना पड़े, ऐसी व्यवस्था पहले थी, लेकिन आज स्थिति यह नहीं है। इसलिए इस मिलावट को रोकने का प्रयास भी सरकार को करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज लहसुन बाहर से आ रहा है, खाद्य तेल बाहर से आ रहा है। मेरे यहां जोधपुर में जहां किसान लहसुन पैदा करता है, कई खेतों में चार-पांच रुपये किलो लहसुन पैदा हो रहा है और वही लहसुन बाजार में लाता है तो ढाई-तीन रुपये किलो बाहर से आया हुआ लहसुन मिलता है। किसानों को मजबूर होकर लहसुन को जलाना पड़ रहा है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। खाद्य तेल बाहर से आ रहा है। जो किसान आज से तीन वर्ष पहले 2500 रुपये प्रति क्विंटल में सरसों बेचता था, राई बेचता था, आज उसकी कीमत 1100-900 रुपये है। खाद्य तेल की जितनी मिलें राजस्थान में थीं, वे बंद हो चुकी हैं। पूरे देश में यही हाल होगा। राजस्थान में किसानों ने इस बार राइड़ा बोना भी बंद कर दिया। तेल बाहर से आएगा तो ड्यूटी लगेगी लेकिन उससे भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो खाद्य तेल की मिलें थीं, वे बंद हो गईं और उनके मजदूर बेकार हो गए, सामान खराब हो गया। आने वाले समय में अगर देश को तेल की आवश्यकता होगी तो एक दिन में मिलें तैयार नहीं हो सकती हैं, एक दिन में किसान सरसों पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए किस तरह से किसान इनको पैदा कर सके, किस तरह मिलें चलें और मजदूरों को काम मिले उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पशुपालन करने वालों की हालत बहुत खराब है। गांवों में पशु चिकित्सालयों की आवश्यकता है, लेकिन वहां अस्पताल नहीं हैं। अस्पताल बड़े-बड़े शहरों में हैं जहां गांव का किसान अपने पशुओं का इलाज नहीं करा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि एक ब्लाक में एक पड़ा पशु अस्पताल होना चाहिए जिससे कोई भी किसान ब्लाक में जाकर अपने पशुओं का इलाज करा सके और अपने पशुधन को बचा सके। बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े पशु अस्पताल हैं जहां शहर के लोगों के कुत्ते और बिल्लियों का इलाज होता है। किसान की गाय या भैंस यदि 10-15 हजार रुपये की भी हो, तो भी उसका वहां इलाज नहीं कराया जा सकता है क्योंकि किसान अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाता। यदि किसान की गाय या भैंस बीमार है, तो उसे 1-15 मिनट के अंदर ही डाक्टर की आवश्यकता होती है, जो उन्हें नहीं मिल पाती है और तुरन्त इलाज के अभाव में किसान की गाय या भैंस मर जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में बिजली के भाव बढ़ गए और भाव बढ़ाने के बाद भी जब किसान को बिजली की आवश्यकता पड़ी तब बिजली पूरी नहीं दी जिससे अकाल की स्थिति पैदा हो गई। अकाल दो तरह का होता है। एक अकाल तो वह यदि वर्षा नहीं हुई, तो अकाल पड़ गया। दूसरा अकाल वह है जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है। दूसरे प्रकार का अकाल राजस्थान में पड़ा है। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं, इसमें राजस्थान सरकार की गलती से नुकसान हुआ है। जब किसान अपने खेतों को बो रहा था, तब तो 10-10 और 12-12 घंटे बिजली दी गई और जब किसान की फसल पक पर तैयार हो गई और जब कटाई का वक्त आया, तो किसान को बिजली दो-दो घंटे ही दी गई। इससे किसान की खड़ी फसल खेत में सूख गई। बिजली की कटौती और अभाव के कारण वह अपनी तैयार फसल को नहीं काट सका। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि यदि किसान को शुरू में चार या पांच घंटे बिजली बुवाई के वक्त दी जाए, तो उतने ही समय तक बिजली कटाई के वक्त भी दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जब तक किसान की फसल कट कर खलिहान के माध्यम से घर तक नहीं पहुंच जाती है तब तक उसे बिजली दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसान का बुवाई में खर्च होता है, उसके बाद खाद आदि में बहुत धन खर्च होता है और फसल कटने के समय बिजली न मिलने से उसकी फसल चौपट हो जाती है। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित अकाल नहीं पैदा किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की राज्यों में अनेक प्रकार की योजनाएं चलती हैं। आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत परिवारों का चयन किया जाता है जिसमें गरीबों को दलिया दिया जाता है। साक्षरता कार्यक्रम है जिसमें सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरत राजस्थान में पानी की है। वैसे अब पंजाब और हरियाणा में भी पानी की समस्या आएगी क्योंकि गंगा जी की तलहटी में पानी नीचे जा रहा है, पानी की कमी हो रही है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो पानी के पुराने स्रोत हैं उन्हें बचाने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। राज्य सरकारों के पास उन स्रोतों को बचाने के लिए संसाधन नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार को इस संबंध में विशेष पग उठाकर राज्यों को पुराने स्रोतों को बचाने के लिए सहायता देनी चाहिए ताकि वे उनको बचा सकें, डिवेलप कर सकें और पानी को रोक सकें। राजस्थान में तीन करोड़ लोग और चार करोड़ पशु पानी की कमी से प्रभावित हैं। वहां पानी न मनुष्यों के लिए और न पशुओं के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के अपने क्षेत्र जोधपुर के बारे में बताना चाहता हूं कि जोधपुर जिले के लिए केन्द्र सरकार ने पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा तक साक्षरता के कार्यक्रम पर तीन करोड़ रुपए अकेले एक जिले में खर्च कर दिए लेकिन उसका कोई सुपरिणाम नहीं निकला। यदि केन्द्र सरकार ने यह धनराशि तालाबों की रक्षा करने पर खर्च की होती, तो राजस्थान के जोधपुर जिले के किसानों को फायदा होता और देश तरक्की करता, लेकिन केन्द्र सरकार तालाबों के पानी को रोकने, पुराने स्रोतों को डिवेलप करने और अनाईकट पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह ठीक नहीं है। भविष्य में पानी का संकट पूरे देश पर आने वाला है। इसलिए उसे अभी से इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं राजस्थान के बारे में यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो किसान कहता है, वह राजस्थान के मुख्य मंत्री की समझ में नहीं आता, सरकार को कहते हैं, तो सरकार उसको नहीं समझती। किसान मन मार कर बैठ जाता है। यह हालत राजस्थान के किसान की हो रही है। राजस्थान में पानी की विकट समस्या है और किसान बहुत मुसीबत में हैं। राजस्थान के किसान शूरवीर हैं। राजस्थान के जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। राजस्थान के किसान कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। वे चाहे कितनी भी मुसीबत में हों, लेकिन कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, हालांकि हालात ऐसे बन गए हैं खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में जहां किसान बहुत संकट में हैं। राजस्थान में 14 डैजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं।

जहां गांव बहुत दूर हैं, बिजली की व्यवस्था भी नहीं हो सकती, पानी भी नहीं जा सकता, देश के दूसरे हिस्सों में जो नियम लागू होते हैं, वे नियम लागू नहीं हो सकते-इसलिए डैजर्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से योजना बननी चाहिए, यही मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे किसानों के मामले में बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। किसानों के हालात के बारे में बहुत लम्बी चर्चा हुई। हाउस के माननीय सदस्यों ने यहां बहुत सी बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि किसानों के हित में सबने जो सुझाव दिए हैं, मैं भी अपने आपको उनसे जोड़ते हुए सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार को यह चाहिए कि वह किसानों के बारे में सोचे। माननीय सदस्यों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। कई बार कुछ प्रदेशों और पार्टियों पर इस चर्चा को ले जाया जाता है। हम किसानों के दर्द, किसानों की समस्याओं पर हर चीज से ऊपर उठ कर विचार करें, किसानों के लिए कोई नीति बने जिससे किसान बच सके। मैं समझता हूं कि 53 साल

[श्री अवतार सिंह भडाना]

की आजादी में किसानों के लिए न जाने कितने माननीय सदस्यों ने इस हाउस में बहुत सी बातें रखीं लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ। आज हम फिर से ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहां इस देश के लिए एक खतरा बनने जा रहा है। अगर इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा तो यह देश भी नहीं बचेगा। आज देश के किसानों को मारने का काम हमारी मौजूदा सरकार ने किया है। किसानों के लिए कोई नीति बने। आज हम दुनिया की दौड़ में कैसे चल सकते हैं, दुनिया के उन देशों के साथ कैसे चल सकते हैं जिन देशों में किसानों को काफी सब्सिडी मिलती है। आज जो भी सरकार है, उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। सही बात तो यह है कि किसानों की नीति बनाते समय, अगर किसान के दुख-दर्द को जानने वाला किसान का बेटा किसान की नीति बनाए तो जरूर उसके हित में कोई नीति बन सकती है।

हमारे नीतीश कुमार जी किसान परिवार से हैं। यह जरूर है कि हर किसान के बेटे को किसान का दर्द मालूम होता है। लेकिन इस सरकार ने किसान के हित में कुछ भी करने की चाहत रखी हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। अनेक किसान नेताओं ने कोशिश की होगी लेकिन यहां पार नहीं पड़ती, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस हाउस में भी किसान के लिए एकजुट होकर कोई नीति बनाई जाए तो किसान का भला हो सकता है। कोई भी सरकार किसान के हित में नीति बनाने को तैयार नहीं है। इस बात को सब जानते हैं कि आज हमारा किसान जो पैदावार करता है, उसे रखने की जगह नहीं है। किसान को उसकी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। 610 रुपये गेहूं की बात करके, आज चाहे गन्ने की बात हो या चावल की, सरकार ने कहीं भी कोई प्रबंध नहीं किया है। आने वाले समय में जिस तरीके से विदेशों से सामान यहां आयेगा, चौधरी साहब, आप किसान के बेटे हैं तो जरा सुन लीजिए, आ जाइये-आपकी सरकार में कितना दर्द किसान के प्रति है कि आप किसान होकर पीछे जाकर बैठ गये हैं। चौधरी साहब अगर आप इसी तरह से हाउस में बैठे रहे तो किसान ऐसे ही पीटता रहेगा, किसान ऐसे ही मरता रहेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): तो क्या हाउस के बाहर चले जायें?

श्री अवतार सिंह भडाना: आप मत बोलिये, आप चुप रहिये। वे बैठे हैं, वे जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)* नहीं, हाउस से बाहर की बात नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस हाउस में लोग किसानों के दर्द का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। आज दिल्ली में किसानों के साथ क्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में गन्ने की मिलें बन्द पड़ी हैं, गन्ने का पेमेण्ट नहीं हो रहा है, किसानों का पैसा नहीं मिल रहा है। 70-75 फीसदी इस देश के किसान की फसल का जब पैसा मिलता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बिक्रम केशरी देव: मैं आपका विनिर्णय जानना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय सदस्य सभा में किसानों का मजाक उड़ाने आते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनकी बात अभी समाप्त नहीं हुई है।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि सभी माननीय सदस्य इस प्रतिष्ठित सभा में किसानों का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। क्या इसे कार्यवाही वृत्तांत में स्थान मिलेगा? मैं अध्यक्षपीठ से यह जानना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य सभा में किसानों का मजाक उड़ाने आते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बिक्रम केशरी देव: आपने बोला कि यहां मैम्बर किसानों का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। आपने यह बोला, यह प्रोसीडिंग्स का भाग है। ...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना: माननीय सदस्य को सुनने का अन्तर है। मैंने कहा है कि किसानों के हित की या किसानों के बारे में जब चर्चा हो, उस पर किसानों का मजाक कुछ चन्द लोग करते हैं। इसलिए वे सीरियसली किसान के बारे में सोचने की जरूरत समझें-मैंने यह कहा है, माननीय सदस्य को सुनने का अन्तर है।

श्री बिक्रम केशरी देव: अन्तर नहीं है।

श्री अवतार सिंह भडाना: या हो सकता है कि आप किसान के दर्द को न समझते हों।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वह स्पष्ट कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): आपने कहा कि किसान का मजाक करने के लिए यहां संसद में लोग आते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना: मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब किसान के इश्यू पर या किसान के विषय में चर्चा हो या किसान से जुड़े हुए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उनके स्पष्टीकरण के मद्देनजर इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना: किसान के प्रति चर्चा होते समय कृषि मंत्री ही नहीं, बल्कि जो किसान से जुड़े हुए अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे इर्रीगेशन या पावर मिनिस्टर हों, क्योंकि यह किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वे यहां रहें। आज जहां उत्तर प्रदेश के किसान की हालत यह है कि एक तरफ इस प्रकार में हजारों करोड़ रुपया कुछेक बड़े परिवारों के, धनी परिवारों के पास बकाया है, उनके वारंट जारी नहीं होते, बल्कि उनका नाम भी बताने को सरकार बाध्य नहीं है। दूसरी तरफ किसानों पर 5-5 हजार रुपये के ऋणों को लेकर किसानों की बेइज्जती करके उनकी भैंस, उनकी गाय, उनके पशु और उनके ट्रैक्टर कुर्क किये जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने वैस्टर्न उत्तर प्रदेश के मेरठ के अपने क्षेत्र में दो-दो हजार रुपये के ऋण को लेकर हजारों किसानों की बेइज्जती होते हुए देखी है, वहां के तहसीलदार उनको लॉक अप में बन्द कर रहे हैं। एक तरफ इस देश का हजारों करोड़ रुपया बड़े-बड़े लोगों के पास बकाया है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट का हो, अनेक प्रकार का धन बकाया है। लेकिन अगर किसान पर पांच हजार रुपये बकाया हों तो उनके लिए कोई ऐसा कानून बने कि उनकी ऐसी बेइज्जती न की जाये। आज किसान का पैसा समय पर नहीं मिलता है। जब तक गन्ने की पेमेंट नहीं होगी, किसान कैसे कर्जे को वापस कर पाएगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पर गन्ने का बकाया है, दूसरी तरफ वहां की सरकार वहां के किसानों को लॉकअप में बंद करके बेइज्जत कर रही है। जब तक किसान को अपनी फसल की पेमेंट नहीं मिलती, गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती, तब तक वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, उनके लिए वर्दी नहीं सिला सकता और अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता। अगर आप किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो किसानों के लिए कारगर नीति बनाएं, जिससे देश भी मजबूत बने। हमने सुना था कि हिन्दुस्तान में एक ईस्ट इंडिया कम्पनी आई थी, उसने 200 साल तक देश को गुलाम बनाए रखा। लेकिन आज अनेक ईस्ट कम्पनीज देश में आ रही हैं, पता नहीं कितने हजार साल तक देश को गुलामी में रखेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए वह ऐसी नीति बनाए, जिससे वे बच सकें। मैंने दो-तीन बातें पिछली बार भी कही थीं, अब फिर कहना चाहता हूं। हमारे यहां डी.सी.एम. ग्रुप ने वैस्टर्न यू.पी. में मऊ में एक मिल लगाई है, लेकिन वह सिर्फ कागजों में लगी हुई है, मौके पर मौजूद नहीं है। वहां का किसान भटक रहा है कि अपना गन्ना कहां ले जाए। दूसरी तरफ दौराला और मवाना मिल में किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको पेमेंट नहीं की जा रही है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो मिल कागजों में ही लगी हुई है, उसकी वे जांच कराएं और किसानों को जमीन जो कौड़ियों के भाव ली है, अगर वहां कोई मिल नहीं है, वह चालू नहीं हुई है और वे चालू नहीं करते हैं तो वह जमीन किसानों को वापस दी जाए, ताकि वे फिर से वहां काश्त कर सकें।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामजी लाल सुमन जो प्रस्ताव लाए हैं, सदन में उस पर बहस हो रही है। भारतवर्ष का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए अनेक संस्थाओं ने योगदान दिया है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसान का है। लेकिन किसान का आत्मसम्मान रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह दुख की बात है। बीमा फसल योजना की बहुत प्रशंसा होती है। उधर के लोग बोलते हैं कि हमारे पंत प्रधान श्री वाजपेयी ने यह योजना चालू की है। वे उनका नाम लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहां अधिकतर लोग लोकशाही से आए हैं और उधर बैठे हैं। कभी हम भी उधर बैठते थे। बीमा फसल योजना के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आदमी का बीमा होता है, अगर वह एक किस्त दे दे और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को मुआवजा मिलता है। लेकिन बीमा फसल योजना में यह बात नहीं है। चालू बरस में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है। अनाज की और अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान इधर-उधर भटक रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी एक टीम महाराष्ट्र भेजें जो देखे कि किसान की क्या समस्या है। लेकिन मेरी बात को सुना नहीं जाता है, जबकि वे एक किसान के बेटे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। बीमा फसल योजना में प्रावधान है कि यह तब लागू होगी, अगर तीन बरस तक अकाल पड़े-

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

यह कैसे हो सकता है? यह बीमा पॉलिसी है जो कर्जे के ऊपर है। मेरी विनती है कि यह बीमा पॉलिसी, जो फसल का नुकसान होता है, उसके ऊपर होनी चाहिए, उनके ऊपर कर्जे के ऊपर नहीं चाहिए और एक वर्ष में जो नुकसान हो जाएगा, दो वर्ष में हो जाएगा, तीन वर्ष में हो जाएगा, करोड़ों रुपये हमारी सहकारी संस्थाओं ने बीमा पॉलिसी के बारे में भर दिया है लेकिन एक नया पैसा नहीं मिला है। यह दुर्भाग्य की बात है, यह ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी कृषि नीति लेकर आये हैं, यह ठीक बात है। लेकिन कांग्रेस वालों के ऊपर हमेशा उंगली दिखाते हैं। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तृतीय का चांद, चौथे का चांद और पांचवें का चांद है लेकिन यह पूर्णिमा का चांद बन जाते हैं, यह ठीक नहीं है। देवेगौड़ा जी के बारे में बोलते हैं कि वे द्वितीय का चांद निकले। शेर जंगल का राजा होता है, इधर-उधर देखता है, सबको देखता है लेकिन देवेगौड़ा जी ने तो केवल कांग्रेसी पॉलिसी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने किसान के लिए अच्छी तरह से पॉलिसी निकाली। गैस और खाद के बारे में पॉलिसी निकाली। आप भी उसमें शामिल थे। देवेगौड़ा जी किसान के बारे में कांग्रेस के लिए कैसे बन गये? आपके लिए क्यों नहीं बने? यह तो अन्तःकरण चाहिए। इनकी नीति ठीक है लेकिन नीयत ठीक नहीं है। यहीं गड़बड़ी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब समाप्त करिए। आपने पहले कहा था कि संक्षेप में बोलेंगे। अब समाप्त करिए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: यह नीयत का सवाल है। ये लोग कभी-कभी बोलते हैं कि सब्सिडी बंद करनी है। अमरीका बड़ा देश है लेकिन हमारे देश की आबादी सौ करोड़ हो गई है। इसमें से तीस करोड़ ऐसे आदमी हैं जिनकी 200 रुपये महीना चाय पीने की शक्ति है। यह अमरीका ने देखा है इसलिए वह कहता है कि चलो हिन्दुस्तान में पैसा लूटने के लिए चलों क्योंकि तीस करोड़ लोगों की अच्छी आमदनी है और बाकी 70 करोड़ लोग, अगर सस्ता भी होता है तो उनकी क्रय शक्ति कहां है? यहां ज्यादा अनाज होते हुए भी किसान भूखे मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मेरी विनती है कि इस बारे में सोचना चाहिए और प्याज के बारे में भी सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब हम इस देश में किसानों की दशा के बारे में बात करते हैं तो मैं करना चाहूंगा कि सामान्यत: किसान डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते को समाप्त करना चाहते हैं।

हमें यह देखना पड़ेगा कि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिले जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्णय लिया जाता है तो कृषक समाज में से एक समिति गठित की जानी चाहिए। उस समिति में किसानों के उत्पादों का लाभप्रद मूल्य निर्धारित किए जाने हेतु उन्हीं के प्रतिनिधियों और सदस्यों को रखा जाना चाहिए। तो यह समाज की स्वाभाविक मांग है तो यह कृषक जब उन्हें उत्पादन लागत का पता है और जो लाभप्रद मूल्य चाहते हैं उसका पता है।

आंध्र प्रदेश में तत्कालिक समस्या धान और अन्य कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की है। केन्द्र सरकार को एफ.सी.आई. के द्वारा रबी फसलों की पैदावार बड़े पैमाने पर खरीद में दखल देना चाहिए। मूंगफली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 1,500 रुपये; सूरजमुखी के लिए 6500 रुपये कपास के लिए 2,600 रुपये और लाल चने के लिए 2,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए।

सैकड़ों-हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे सभी शोक संतप्त परिवारों को तुरंत अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

मैं रायलसीमा से आता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र कुडप्पा है। इन क्षेत्रों में हमेशा सूखे की संभावना बनी रहती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि 'अकाल' और 'सूखे' की परिभाषाओं में उदारतापूर्वक संशोधन करना चाहिए। इस समस्या का स्थायी समाधान करने तथा इनका प्रभाव कम करने के लिए हम मांग करते हैं कि गोलेरुगेरी और तुंगभद्रा समानान्तर नहरों की लंबित परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए।

कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को काम के बदले अनाज और सूखा राहत कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। किसानों के सारे ऋण समाप्त किए जाये। उन्हें नए ऋण दिए जायें। सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में किसानों को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति की जाये।

यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारा कृषक समाज बड़ा व्यथित है। किसान ऋण लेकर पैदा होता है। ऋण में ही बड़ा होता है और ऋणी ही मर जाता है। हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के लिए यह बड़े सदमे की बात है। हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री अपनी 'विजन' 2020 में यह चाहते हों कि कृषि पर आत्मनिर्भरता 70 प्रतिशत से घटकर लगभग 40 या 50 प्रतिशत ही रहे।

हो सकता है वहां की सरकार और केन्द्र सरकार कृषक समाज को आत्महत्या करने पर मजबूर करके कृषि क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रही है।

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कृषि के लिए सिंचाई अति आवश्यक है। मैं बचपन से ही राष्ट्रीय जल ग्रिड के बारे में सुनता आ रहा हूं। मैं नहीं जानता कि जब केन्द्र सरकार राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बना सकती है, राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क बना सकती है तो इसे क्यों नहीं बना सकती। मैं यह कहना आवश्यक नहीं समझता कि इससे हमारे सूखा संभावित क्षेत्रों में सूखे से निबटने में तो मदद मिलेगी ही साथ ही इससे बाढ़ संभावित और चक्रवात संभावित क्षेत्रों की समस्याएं भी कम होंगी।

दुर्भाग्यवश समाज संगठित न होने के बावजूद भी आंदोलित है। वे यह देखकर बड़े दुखी है कि आंध्र प्रदेश और केन्द्र सरकार उनकी नियति के संबंध में निर्णय ले रहे हैं। वे उनका मृत्यु-पत्र लिख रहे हैं। मेरे विचार से माननीय कृषि मंत्री सिंचाई विभाग के समन्वय से कृषक समाज की मदद करने हेतु प्रबल रूप से आगे आएंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस भेदभाव और क्षेत्रीय असंतुलन पर कब तक चर्चाएं चलती रहेंगी और कब इन्हें दूर किया जाएगा।

मेरे विचार से केन्द्र सरकार को सामान्यत: किसानों की मदद हेतु व्यापक रूप से आगे आना होगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों के सवाल पर यहां चर्चा चल रही है जो हमारे लिए खुशी और स्वाभिमान की बात है। हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग गांवों पर निर्भर करते हैं। आज देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का किसान पेट भरता है। ऐसे किसानों को ताकत देने के बारे में हमारी सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी नयी पॉलिसी लेकर आये हैं लेकिन किसानों को आज तक किसी भी पॉलिसी से फायदा नहीं मिला है। आपकी पॉलिसी आने से किसान खुशहाल हो जाएगा-ऐसी बात नहीं है।

अपराह्न 6.00 बजे

सरकार पालिसी लाती है-कांग्रेस पार्टी भी पालिसी लाई और आप भी पालिसी ला रहे हैं-कांग्रेस ने 50 साल में बहुत अच्छा काम किया लेकिन तीन साल में आप लोगों ने पूरी बरबादी करने का प्रयत्न किया। किसानों के लिए केवल नीति लाने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी, आपका नारा "जय जवान जय किसान, जय विज्ञान" है। कांग्रेस का नारा "जय जयवान जय किसान" था। आप विज्ञान लाकर तीन साल में तहलका तक पहुंच गए-यही आपका विज्ञान है। राजीव जी विज्ञान की तरफ आगे बढ़े लेकिन उनका नारा था "जय जवान जय किसान" उन्होंने विज्ञान आपके लिए छोड़ दिया। आप डेढ़ साल में यहां तक ही पहुंचे हैं। यदि पांच साल रहे तो देश का क्या करेंगे इसका पता नहीं? आप किसानों की जान नहीं बचा रहे हैं। यदि आपने किसानों के सवालों पर ध्यान नहीं दिया तो हम आपकी सत्ता की शान बरबाद कर देंगे। जब अन्धेरा होता है तब तारे उजाले में डूब जाते हैं। जब उजाला होता है तब तारे अंधेरे में डूब जाते हैं। वाह-वाह बोलो। ...*(व्यवधान)* जब किसान अंधेरे में रहता है तब आप सत्ता के उजाले में होते हैं और जब किसान उजाले में रहता है तब आप अंधेरे में डूब जाते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): बहुत बढ़िया बात कही है।

श्री रामदास आठवले: किसानों को पूरी ताकत देने के लिए जो योजनाएं आपने बनाई हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाने का काम आपको करना है लेकिन बीच में जो नौकरशाही है, वह कुछ यहां और कुछ वहां पहुंचाने का काम करती है इसलिए गड़बड़ी होती है। फंड किसानों तक पहुंचने चाहिए। आपको खेत मजदूरों के बारे में भी विचार करना चाहिए। खेत मजदूर छोटे-छोटे किसानों के खेतों में काम करते हैं लेकिन वे उन्हें मजदूरी नहीं दे पाते। 50 परसैंट मजदूरी सरकार उन्हें दे सकती है। खेत मजदूरों को मजबूत करने की जरूरत है। आप खेत मजदूरों के सवालों पर ध्यान दें। महंगाई के अनुसार उनके वेजिस में बढ़ोत्तरी करने की जरूरत है। किसान इतना पैसा खेत मजदूरों को मजदूरी में नहीं दे सकता। सरकार को इसमें सहायता करनी चाहिए।

महाराष्ट्र के गवर्नर डा. पी.सी. एलैग्जैंडर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहां काफी सरप्लस लैंड है जिसे भूमिहीन लोगों को बांटा जाए। पर-फैमिली चार एकड़ भूमि भूमिहीन लोगों की दी जाए। जमीन बांटने का काम आपको करना है। यदि आप किसानों को ताकत देंगे तो आपको ताकत मिलेगी। जब तक आप किसानों को ताकत नहीं देते तब तक आपकी खटिया खड़ी करने के लिए किसानों को एक साथ लाने का हमारा प्रयास है। किसानों को न्याय देना होगा। आप उन्हें जरूर न्याय देंगे ऐसा हमें विश्वास है लेकिन आप कब तक रहेंगे इसका विश्वास नहीं है।

इसलिए आप कैसा न्याय देंगे, मुझे मालूम नहीं। आप किसान परिवार से आते हैं और मैं खेत-मजदूर परिवार से हूं। हम दोनों एक साथ रहते तो अच्छा होता लेकिन आप उधर चले गये और हम इधर हैं। हम दोनों को एक साथ आने की आवश्यकता है। लेकिन आपको एक न एक दिन हमारे साथ आना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे किसानों के साथ न्याय करने का प्रयत्न करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह सभा की मर्जी है कि सभा का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए जब तक माननीय मंत्री महोदय का उत्तर पूरा न हो जाए?

अनेक माननीय सदस्य: हां।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा का समय बढ़ाया जाता है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं माननीय मंत्री महोदय का नाम पहले ही पुकार चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, जब आपने समय बढ़ा ही दिया है, तो कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैंने केवल दो बातें करनी हैं। मैंने सूचना दी है *...(व्यवधान)*

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): आप बाद में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उत्तर समाप्त होने के पश्चात् आप दोनों कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने किसानों की स्थिति पर हुई इस चर्चा में भाग लिया है। किसानों की समस्याओं पर मार्च महीने में चर्चा आरम्भ हुई थी और आज उसका समापन हो रहा है। पिछले सत्र में भी किसानों की स्थिति पर इस सदन ने चिन्ता प्रकट की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम दलगत भाव से ऊपर उठकर सोचें तो शायद उनके पक्ष में हम ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकेंगे और नीतियों पर ठीक ढंग से अमल भी हो पायेगा। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि किसानों का मसला राजनैतिक रूप धारण कर लेता है और राजनीति पर किसानों के हितों की बलि चढ़ा दी जाती है। वैसे कृषि क्षेत्र इतना व्यापक है और हमारा देश इतना विशाल है कि इसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु है, एग्रो-क्लाइमेटिक कंडीशन्स के हिसाब से हमारे देश में आज भी मोटे तौर पर माना जाता है कि यहां 65 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमारे देश में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, कुछ खाने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, कुछ उद्योग को कच्चा माल देने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग प्रकार की फसलें होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि बहुत ही व्यापक विषय है। जिस प्रकार जमीन से खेती होती है, उसी प्रकार जल में भी खेत होती है। पशु-पालन इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब हम खेती की बात करते हैं तो केवल अनाज की बात नहीं होती, फल-सब्जी की बात भी होती है, मसालों की भी बात होती है। हर तरह हर क्षेत्र की अलग-अलग समस्यायें हैं। स्वाभाविक है कि इस सदन में माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। यह उचित भी है। सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यहां लोग चुनकर आये हैं। सच पूछा जाये तो इस सदन को बनावट ऐसी है जहां 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग देहात से चुनकर आये हैं। उन्हें चुनने वाले लोग भी देहात के रहने वाले होते हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर होता है। यदि उनकी समस्याओं को यहां नहीं रखेंगे तो वे अपने निर्वाचकों के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिए यह सवाल उठता है कि सरकार के लिए कृषि महत्व का विषय है। देश के कुल उत्पादन में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कोई भी सरकार कृषि की उपेक्षा नहीं कर सकती।

लेकिन जब हम राजनीति में चले जाते हैं तो स्वाभाविक है कि बहस के सिलसिले में जरूर एक-दूसरे की बातों की काट करते हैं। लेकिन मैं आज किसी की बात काटने के सिलसिले में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं सदन को और सदन के माध्यम से देश के किसानों और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज जो चिंता लोगों के मन में हैं, उसमें सबसे बड़ी चिंता विश्व व्यापार संगठन को लेकर है। पिछली बार भी हमने इस बात पर चर्चा की थी, लेकिन वह चर्चा एक हाई प्रोफाइल डिबेट थी। बड़े-बड़े लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था और पता नहीं हिस्सा लेने के बाद लोग उसे याद रख पाये या नहीं रख पाये। लेकिन इस बार की चर्चा में भाग लेने वाले लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच वे अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें रखना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं इस चिंता को दूर करना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन के चलते देश के किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जायेगी। मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत या गैट समझौते के अंतर्गत जो कई समझौते हुए थे, उनमें कृषि पर भी एक समझौता "एग्रीमैन्ट ऑन एग्रीकल्चर" हुआ था। उस एग्रीमैन्ट ऑन एग्रीकल्चर समझौते का रिव्यू चल रहा है। उस समझौते में इस बात की व्यवस्था थी कि एक समीक्षा होगी, उसकी अब समीक्षा चल रही है और बातचीत हो रही है। उसमें

भारत ने अपना पक्ष रखा है और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत ने अपने देश के किसानों के हित में और दुनिया के विकासशील मुल्कों के किसानों के हित में जो अपना पक्ष रखा है, वहां उसे व्यापक समर्थन मिला है। जो समीक्षा की बातचीत चल रही है उसमें विकसित देश ही कई हिस्सों में बंटे हुए हैं। हालांकि उनका जो बंटवारा है, हम उससे खुश नहीं होना चाहते, क्योंकि जो विकसित देश हैं वे एक-दूसरे के साथ समझौता करके, आपसी लेनदेन के सहारे विकासशील मुल्कों में फूट डालकर हम पर कोई बात न थोप दें। इसलिए हमें हर स्तर पर सचेत रहना है और हमारे काबिल निगोशिएटर्स वहां जा रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जो समझौते चल रहे हैं उसमें वाणिज्य मंत्रालय के साथ-साथ कृषि मंत्रालय का भी योगदान है।

उपाध्यक्ष महोदय, बराड़ साहब ने कुछ चीजों के सिलसिले में यहां चर्चा की है, मैं अलग से उन्हें एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश के वाणिज्य मंत्री श्री मुरासोली मारन ने जब अपनी भूमिका ली थी, जब ''एग्रीमैंट ऑन एग्रीकल्चर'' पर भारत का पक्ष रखना था और आप जानते हैं कि इस मामले में जो सम्बद्ध विभाग है वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उन्होंने अपने अधिकारियों से कह दिया था कि जिस कागज पर कृषि मंत्री का दस्तखत होगा, उसी पर वह दस्तखत करेंगे। उन्होंने ऐसी भूमिका ली थी। एग्रीमैंट ऑन एग्रीकल्चर के जो भी कागज तैयार हुए उसमें कृषि मंत्रालय ने सक्रिय भूमिका निभाई। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आज मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि उस कागज को तैयार करने के पहले हमने देश भर के सभी राज्य सरकारों के कृषि और खाद्य मंत्रियों को यहां बुलाया और सम्बद्ध कागजात मुख्य मंत्रियों को भेज दिये। जो भी बैठकें हुई, उनमें उनकी राय ली गई। देश के जितने प्रतिष्ठित किसान संगठन हैं उनकी राय ली गई और इस मसले में जिनकी दिलचस्पी है उन गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और विशेषज्ञों की राय ली गई और जितने राजनीतिक दल हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया, उनके किसान संगठनों को भी आमंत्रित किया गया। उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और अपनी राय दी। इतना सब कुछ करने के बाद हमने चार भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों की भी राय ली और तब जो दस्तावेज तैयार हुआ, उसे अंतिम रूप दिया गया। उस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। डब्ल्यू.टी.ओ. से संबंधित जो कैबिनेट कमेटी है, उसने अपनी मोहर लगाई। हमने अपना प्रेजेन्टेशन वहां दिया है, जिसका मैंने उल्लेख किया जिसे वहां व्यापक समर्थन मिला है। हम मजबूती से निगोशिएट कर रहे हैं। हम झुकने वाले नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आज जो बाजार खुला है, बाजार खुलने के पीछे जो कारण हैं, वे आप भी जानते हैं। बाजार खुला है, लेकिन इस बाजार खुलने से हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सचेत रहना चाहिए और सचेत रहने के लिए हम लोगों ने इंतजाम कर रखा है। हर चीज और खासकर सैन्सिटिव आइटम्स पर नजर रखी जा रही है। हमारी यह कोशिश होगी कि कोई भी मुल्क हमारे देश में कोई सस्ती एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या कोई दूसरी प्रोड्यूस डम्प न कर दे।

अगर वैसा करेगा और जब हम देखेंगे कि हमारे यहां आयातित वस्तुओं की बाढ़ आ रही है, वैसी स्थिति में हम और कदम उठायेंगे। आज हमने कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई है, उसके अलावा भी जो कदम उठाए जा सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी को बाउंड रेट और सीमा के अंदर बढ़ाएंगे, डम्पिंग के खिलाफ मीजर्स लिये जा सकते और गैट समझौते में जो हमारे पास सेफगार्ड मैकेनिज्म है, हमको सुरक्षा के जो उपाय दिए गए हैं, उन कदमों को उठाएंगे। जो भी जरूरी कदम होगा उठाएंगे, लेकिन देश के किसानों के हितों की रक्षा करेंगे इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

आज बाजार खुला है, हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। आज हम हर चीज को समझ लेते हैं और बहुत ही सामान्य किस्म की व्याख्या कर लेते हैं। अगर कोई संकट कृषि के क्षेत्र में पैदा होता है तो बड़ी आसानी से हम उसको टाल जाते हैं और कहते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. के चलते है। डब्ल्यू.टी.ओ. कोई संकट आएगा तो उसका हल हम निकाल सकेंगे। इसलिए जिसको कहते हैं कि बिल्कुल सामान्य व्याख्या है, जनरलाइजेशन की जो प्रवृत्ति चली है, हर चीज में उसको देख लें, उससे काम नहीं चलने वाला है। समस्याएं और गंभीर हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. के चलते अगर कोई समस्या पैदा होगी तो उसके उपाय हैं और वे कदम हमने उठाए हैं। वित्त मंत्री जी ने इस बार के बजट में प्रावधान किया है। खाने का तेल बड़ी मात्रा में आ रहा है, उस पर उन्होंने फिर से कस्टम्स ड्यूटी को बढ़ाया है। पिछले साल चिन्ता होती थी कि चावल आ रहा है या गेहूं आ जाएगा। उसका निदान भी हमने निकाल लिया जिसमें परंपरागत तौर पर बेचने वाले अनाज पर आयात शुक्ल को बढ़ा दिया गया। गेहूं में 50 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ाया गया और चावल की विभिन्न किस्मों में 70 से 80 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ाया गया।

दूध के बारे में सब जगह चर्चा होती है कि दूध बाहर से आ रहा है। अभी बरार साहब बोल रहे थे। वे मेरे मित्र हैं और काबिल सदस्य हैं और किसानों के प्रति उनके मन में जो दर्द है, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। उन्होंने नैस्ले का उदाहरण दिया। कंपनी कोई भी हो, मल्टीनेशनल हो या कोई भी हो, वह मार्केटिंग कर रही है, हमारे ही किसानों से वे दूध लेते हैं। उनको जो मिल्क शैड का एरिया दिया गया है, जो दूध का इलाका दिया गया है, उन्हीं इलाकों से दूध की खरीद वे करते हैं और जो दूध पैदा करने वाले, या पशुपालन करने वाले या इसी काम में लगे

[श्री नीतीश कुमार]

हुए किसान हैं, उन्हीं को बाजार मिलता है। वे मार्केटिंग करते हैं। आज तो मार्केटिंग का ही जमाना है। अगर हम अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग ठीक से करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे। आनन्द से जो कुछ होता है, उसकी मार्केटिंग की क्षमता कम नहीं है, लेकिन यह अलग विषय है, मगर यह बाहर का आया हुआ दूध नहीं है। लेकिन बाहर से कोई दूध आएगा तो उसके लिए हमने पहले कदम उठा लिया है। पिछले साल जब दूध का पाउडर आ रहा था क्योंकि उस पर आयात शुल्क नहीं था, अलग से गैट के अंतर्गत ही आर्टिकल 28 के तहत हमने अलग से समझौता किया और जो शून्य प्रतिशत था, उसको बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया और उसके बाद दूध के पाउडर का आयात उस ढंग से रोका गया। हमारे पास आंकड़े हैं। आपकी इजाजत होगी तो मैं आंकड़े पेश करूंगा कि कितना दूध का पाउडर आया और कितना क्या आया। बीच में कई जगहों पर संकट आया, अखबारों में खबरें छपीं कि लिक्विड मिल्क आ रहा है। हमने उस पर नजर दौड़ाई। हमने अपने मंत्रालय में मीटिंग की और लोगों को खुद हमने बाजार में भेजा और टैट्रा पैक में बाहर का दूध मिला। 65 रुपये में एक लीटर दूध हमने अपने मंत्रालय में मंगवाया जिसमें 1.5 प्रतिशत फैट था। विश्लेषण किया तो पाया कि कई नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तत्काल कार्रवाई की गई और नए आदेश निकाले गए कि किसी को कोई चीज बेचनी है तो हमारे जो कानून हैं उनका पालन करना पड़ेगा, इस देश की भाषा में लिखना पड़ेगा, कन्टेन्ट लिखना पड़ेगा, दाम लिखना पड़ेगा, कई ऐसी व्यवस्थाएं जो हमारे देश में की गई हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से जहां कहीं कोई कमी है उसको हमने दूर किया है। कस्टम्स को इस मामले में सचेत किया गया ताकि इस ढंग का माल कोई न भेजे। हमने गहराई में जाने की कोशिश की, मामले की तह में जाने की कोशिश की कि कहां से आया। सभी चीजों की जांच-परख करने के बाद जहां-कहीं कुछ लीकेज की गुंजाइश थी, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर हम प्रचार करें, बड़े पैमाने पर प्रचार हो जाए, तो वह अलग विषय है। हम सब राजनीति में हैं और अलग-अलग राजनीतिक दलों से संबंधित हैं। हम सभी वोट मांगते हैं और चुनाव लड़ते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव होते रहते हैं। राजनीति के कारण चुनाव प्रचार करते हैं और यदि वे राजनीति के चलते ऐसा प्रचार करते हैं, तो वे कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई वह नहीं है जो वे प्रचार कर रहे हैं। सचाई उससे बिलकुल अलग है।

उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. रघुवंश बाबू को चिन्ता हो रही है। हम उनको जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। वे देवेगौड़ा मंत्रिमंडल में पशुपालन मंत्री रहे हैं, वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि इंटीग्रेटेड डिवेलपमेंट प्रोजैक्ट, ऑपरेशन फ्लड एरिया का काम 1996 में पूरा हो गया। जो इलाके आपरेशन फ्लड से छूट गए या कवर नहीं हुए उनके लिए वह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें और सुधार लाया गया है और उन इलाकों को कवर करने की कोशिश हो रही है जो छूट गए हैं। वहां के गांव-गांव में कोआपरेटिव बनाकर किसानों को मार्केटिंग की सुविधा दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं और ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बल्कि नस्ल सुधार का एक अभियान चलाया जा रहा है। हम उसको एक बड़ा रूप देने जा रहे हैं। नैशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर कैटल एंड बफेलो को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। जब आदमी को आर्टीफीशियल इनसैमीनेशन सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि लोगों को थोड़ा प्रशिक्षण देकर एक किट दी जाएगी और वे गांवों में उचित समय पर पहुंचेंगे और वहां किसानों की मदद करेंगे। इनसैमीनेशन रेट जानवरों के मामले में फेल हो रहा है। उसकी अच्छी व्यवस्था हम इस स्कीम के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बराड़ साहब ने फुट एंड माउथ डिसीज की चर्चा की। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हिन्दुसतान का यह दावा नहीं है कि भारत से यह बीमारी समाप्त हो गई। यह दावा इंग्लैंड और अन्य देशों का था। उनके दावे के बाद, जब वहां वह बीमारी पाई गई, तो पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ गया और उनके देश में हंगामा मच गया। अब मैं उस बात को कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि वह दूसरे देश का सवाल है। उस देश का अपना नियम एवं संप्रभुता है। वे जो चाहें करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि जो वहां किया गया कि जिस जानवर को यह बीमारी अत्यधिक थी उसको जला दिया गया, यह ठीक नहीं है। खैर, हम क्या कर सकते हैं, यह उनकी अपनी पालिसी है। उनकी सावरेनटी है। हम अपने देश में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। न हमारे यहां की जनता इस बात को पसंद करेगी कि जिस जानवर को बीमारी हो, उसे जिन्दा जला दिया जाए। यह तो वही बात हो गई कि किसी आदमी को बीमारी है, उसे मार दिया जाए। यह भी कोई बात हुई। यदि आदमी बीमार है, तो इसका इलाज किया जाए, न कि उसे मारा जाए। रैंडर पैस्ट डिजीज का अपने देश से उन्मूलन करने का हमने दावा किया है और उसका हमने अपने देश से उन्मूलन कर दिया है, लेकिन हमने फुट एंड माउथ डिजीज का उन्मूलन अपने देश से करने का दावा नहीं किया है। केन्द्र सरकार इस बीमारी का उन्मूलन करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देती है। बीमारी पर काबू पाना एवं इसका उन्मूलन करना सरकार की नीति है। हम इसमें राज्य सरकारों की मदद करते हैं। राज्य सरकारें भी खर्च के अपने हिस्से का शेयर वहन करती हैं और किसान को भी खर्च का हिस्सा शेयर करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का विचार है कि देश में डिजीज फ्री जोन्स बनाए जाएं। कुछ इलाके ऐसे घोषित कर दिए जाएं कि वहां जानवरों को किसी प्रकार का रोग नहीं है। हम उस तरफ जाना चाहते हैं। वह निर्णय की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यह सिर्फ हमारे ही मंत्रालय से संबंधित नहीं है बल्कि इसमें और विभाग और मंत्रालय भी जुड़े हैं, प्लानिंग कमीशन से लेकर हर विभाग से मंजूरी लेनी होगी। इसलिए उसमें काम चल रहा है। हमारे मंत्रालय का विचार है कि फुट एंड माउथ डिजीज के उन्मूलन के लिए एक पोलियो पल्स अभियान की तरह अभियान चलाया जाए। हम इस बारे में पहले से प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इस बारे में निर्णय हो जाएगा, लेकिन हमारी समस्या यह है कि अखबारों में उन्हीं घटनाओं को प्रमुखता से छापा जाता है जब वे घटनाएं दूसरे मुल्कों में घट जाती हैं। वह समस्या उनकी अपनी समस्या है।

उन्होंने दावा कर रखा था। इसीलिए किसी के बारे में यह कहना कि कोई रोग बिल्कुल समाप्त हो गया, वह वापिस नहीं आयेगा-वापिस होकर कोई रोग आ सकता है-यह इसका प्रमाण है। इसके बाद यह खोजा जा रहा है कि कहां से यह रोग चला है, कहां से यह चीज चली आ रही है। इसके बाद कई प्रकार के लोग वक्तव्य देते रहेंगे। बीच में यह आ गया कि 10 साल पहले हिन्दुस्तान से कोई रोग चला गया। हमारे वैज्ञानिक उसका जवाब देने में सक्षम हैं। अब यह कहा जायेगा कि दूसरे मुल्कों में इसके बारे में रोक लगाई जा रही है। हमारा जो भी व्यापार दूसरे देशों से है, वह खुला व्यापार है। हम कोई चीज छिपाते नहीं है। जो बात हमारे देश में है, वह किसी से छिपी नहीं है। हमारा इतना बड़ा मुल्क है। हमारे यहां लोकतंत्र है। हमारे यहां वाणी की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है। कभी-कभी तो कोई लेख इतना घातक बन जाता है, इसे हमने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है। सोयाबीन के मामले में हमने अमरीका का पेस्ट रिस्क एनालेसिस देखा। जो नैशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस, आई.सी.ए.आर. का एक इंस्टीट्यूशन है-वहां हमने देखा था। 15 पौधों पर हमने पेस्ट रिस्क एनालेसिस किया है। सोयाबीन पर उन्होंने भारत का एनालेसिस किया है। हम स्पिलिट सोयाबीन मांगते हैं, होल सोयाबीन हम अपने देश में लाने की इजाजत नहीं देते। दूसरे मुल्कों के लोग इसकी व्याख्या करते हैं। हमारे देश की वस्तुओं के बारे में पेस्ट रिस्क एनालेसिस करते हैं। उसमें उन्होंने क्या आधार लिया है? अपने देश के एक व्यक्ति ने एक लेख लिखा, उसे आधार बनाया गया है कि यह रोग आपके देश में है। अब इसे कैसे रोक सकते हैं? क्या लिखा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। किस साक्ष्य के आधार पर दुनिया में क्या कहा जायेगा? आज रघुवंश जी जो भाषण दे रहे थे, इसको साक्ष्य बनाकर किस ढंग से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जायेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सब लोगों को कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। इसके लिए हमें अलग से बैठना चाहिए। यह तो लिबरेलाइज्ड रिजीम है। मेरी निजी राय कुछ भी हो सकती है लेकिन यह पहले से चला आ रहा है और इस सरकार ने भी इसे अपनाया है। हम उससे अलग कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन नये दौर में नये ढंग से सोचना होगा। अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कह देंगे कि इस कीमत पर आप दे रहे हो तो रघुवंश बाबू, हो सकता है कि उसका इस्तेमाल कहीं हो जाये।

आज हम किसानों की मदद कैसे करें? अगर हमारे यहां जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो हम उस चीज को बाहर भेजेंगे। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारी पहुंच दुनिया के बाजार में हो। जब इंटरनैशनल मार्केट रेट पर हम कोई चीज बेचें-उससे कम हमारा दाम होगा, उसकी कीमत कम होगी तभी हम बेच पायेंगे। ...*(व्यवधान)* आप बाद में पूछ लीजिएगा क्योंकि अभी तारतम्य बिगड़ जायेगा। हम कुछ जानकारी के तौर पर कहना चाहेंगे। अगर वह चीज हम बाहर भेज रहे हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए। अगर कोई चीज बाहर जायेगी तब जाकर किसानों को उसकी कीमत मिलेगी। प्रोक्योरमैंट पूरा नहीं होता, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं। हर जगह कहां प्रोक्योरमैंट हुआ है? सरकार की पालिसी है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है। गवर्नमैंट का दावा है कि प्राइस नीचे जायेगा तो हम प्रोक्योरमैंट करेंगे लेकिन पूरे तौर पर अमल नहीं हो पाया। यह बात अपनी जगह दुरुस्त है। उसके लिए हम बहस कर सकते हैं कि उसमें कहां क्या दोष है? इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पूरा नहीं है। जो एजैंसी प्रोक्योरमैंट की है, उनमें आपस में कोआर्डिनेशन नहीं हुआ। यह एक अलग विषय है। उस पर हम आज नहीं जाना चाहते। हमारे जो साथी मंत्री हैं, वे उस पर ध्यान देंगे। हमारे मंत्रालय ने जो महसूस किया है, उससे भी हम अवगत कराते रहते हैं। लेकिन वह एक अलग विषय है। प्रोक्योरमैंट की एक सीमा है। आपके पास 4 करोड़ 74 लाख टन कैपेसिटी है। पिछली बार हमने कहा था कि उसकी भंडारण क्षमता केन्द्र सरकार ले ले, राज्य सरकार ले ले। उत्पादन 20 करोड़ 88 लाख टन हुआ। सब कुछ प्रोक्योर नही होता। मार्केट में चीजों की कीमत होनी चाहिए और किसानों को कीमत मिलनी चाहिए। प्रोक्योरमैंट का एक तरीका है। प्राइस सपोर्ट स्कीम इसलिए चलाई जाती है ताकि उनकी हम मदद कर सकें। यह कभी नहीं हो सकता कि जो कुछ भी किसान पैदा करें, वे सब खरीद लिया जाये। उसकी कीमत कैसे बढ़ेगी? कीमत तब बढ़ेगी जबकि बाजार हो। बाजार देश के अंदर अगर पूरा नहीं रहा तो देश के बाहर बाजार तलाशें। अगर बाहर भेज रहे हैं तो बाहर के रेट पर हमें कम्पीटेटिव होना होगा। आज अगर गोदाम में रख लें और उसको

[श्री नीतीश कुमार]

दो साल, तीन साल तक रखें, यदि वह बाहर नहीं निकलेगा तो पता नहीं उसके बाद वह खाने लायक रहेगा या नहीं। फिर गोदाम में रखेंगे तो अगले साल जो खरीदना है, उसे कहां रखेंगे क्योंकि रातोंरात कोल्ड स्टोरेज नहीं पैदा होगा। सरकार ने रूरल गोडाउन के लिए नीति बनाई है। कोल्ड स्टोरेज की जो स्कीम थी, वह बड़ी सफल स्कीम है। 12 लाख टन का हमारा टारगेट था, उससे हम एक्सीड कर गये हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोल्ड स्टोरेज के लिए जिसमें हम सब्सिडी देते हैं, वह बैक-एन्डेड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है। उस स्कीम को रूरल गोडाउन्स के लिए एक्सटैंड किया जा रहा है। इस बार बजट में प्रस्ताव है, वित्त मंत्री जी ने रख दिया है। उसके लिए स्कीम बनेगी और रूरल गोडाउन बनाया जाएगा लेकिन वह रातों-रात नहीं बनेगा। प्राइवेट सैक्टर को भी कहा जा रहा है कि बड़े गोदाम बनाएं, साइलोस बनाएं। जो हमारी भंडारण क्षमता है, उसे ध्यान में रखते हुए अगर उस भंडारण से अनाज निकले और उचित जगह पर जाए-फिर उसे बाजार मिले। दूसरा क्रिटिसिज्म होता है कि गोडाउन्स में अनाज पड़ा हुआ है और लोग भूखे सो रहे हैं। यह बिल्कुल सामान्य ढंग की बात कह दी जाती है। गोदामों में जो अनाज पड़ा है, वह कीमत देकर खरीदा गया है और भूखे कोई सो रहा है तो गरीबी उन्मूलन के दूसरे कार्यक्रम हैं। दोनों को इस तरह मिला दिया जाता है जो सुनने में अचानक बहुत ठीक लगता है लेकिन इसके बीच का जो इकोनोमिक्स है, उसे अज्ञानतावश या जान-बूझ कर समझने की कोशिश नहीं की जाती। सरकार ने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया-जो सूखा प्रबल क्षेत्र हैं, जहां ड्राउट है, वहां मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है ताकि राज्य वहां फूड फॉर वर्क कार्यक्रम चलाएं। कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि इसे दूसरे राज्यों में एक्सटैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। लोगों को काम दीजिए और काम देने के लिए अनाज की जो जरूरत है, उसे यहां से लीजिए-इस तरह की योजना बन रही है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम गोदाम खोलने के लिए तैयार हैं, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन देश में दोनों बातें चली जाती हैं। अगर हम बाहर भेजें तो इंटरनैशनल मार्किट में उसे कम्पीटिटीव बनाना होगा। देश के अंदर गोदाम खोल कर किसी को नहीं बांटा जा सकता, उसे किसी न किसी योजना के तहत दिया जाएगा क्योंकि यह जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा देश के खजाने में आ रहा है। किसी भी सरकार को उस पैसे को लुटाने का अधिकार नहीं है। कोई न कोई नीति बना कर सरकार चल सकती है, संसद की मोहर लगा कर चल सकती है। इसलिए ऐसे ही अज्ञानताभर तर्क दे दिया जाए-उससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सरकार उस दिशा में भी प्रयत्नशील है। बाहर से क्या आ रहा है? हमारा निर्यात बढ़ रहा है। हम आपको आंकड़ों में नहीं ले जाना चाहते थे लेकिन आपकी आश्वस्ति के लिए इतना जरूर करेंगे कि आप चिन्तामुक्त हों इसलिए मैं आंकड़े देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि इसके बाद आप कुछ न बोलें, जितनी मर्जी हो उतना बोलें, किसी को बोलने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन मन में शान्ति हो जाए, इसलिए मैं इस आंकड़े को दे रहा हूं।

यह हमारे डी.जी.सी.आई. एंड एस. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की फिगर है, सरकारी आंकड़ों में इसे उद्धृत किया जाता है। अप्रैल 1999 से जनवरी 2000 में टोटल एग्रीकल्चर इम्पोर्ट कितना हुआ और अप्रैल 2000 से जनवरी 2001 के बीच में कितना इम्पोर्ट हुआ-यह दो साल के नौ-नौ महीने के आंकड़े हैं। अप्रैल 1999 से जनवरी 2000 के बीच में टोटल ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट यदि करोड़ रुपये में देखें तो 13,799 करोड़ 53 लाख रुपये का एग्रीकल्चर इम्पोर्ट हुआ। अप्रैल 2000 से जनवरी 2001 तक 10,452.72 करोड़ रुपये-यानी इम्पोर्ट घट गया। अब एक्सपोर्ट देखें। इस बीच हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ, उसका हम बार-बार उल्लेख नहीं करना चाहते। अप्रैल 1999 से जनवरी 2000 के बीच में कुल एक्सपोर्ट की वैल्यू 20,058 करोड़ 29 लाख रुपये है और अप्रैल 2000 से जनवरी 2001 में 21,413 करोड़ 41 लाख रुपये का एक्सपोर्ट हुआ। इसका मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट घट रहा है। इसलिए आपको ज्यादा चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमेशा सचेत रहने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है।

कॉमर्स मिनिस्टर ने ऐलान किया है और एक तरह से वार रूम बना दिया, कौन्स्टैंट मौनीटरिंग के लिए कि कौन चीज कितनी मात्रा में आ रही है उस पर नजर रखें। जैसे ही कोई चीज ज्यादा आ रही है, तत्काल कदम बढ़ाएं, या क्या करना है इम्पोर्ट में, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है बाउंड रेट के अंतर्गत। हमने कोशिश की है और आपको निश्चिन्त करना चाहते हैं कि इस सबकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

डेरी प्रोडक्ट्स वगैरह के क्षेत्र में आप सब लोग इम्पोर्ट के बारे में हमेशा चिन्तित रहते होंगे। हम एक ही फिगर देना चाहते हैं, ज्यादा फिगर नहीं देंगे क्योंकि बार-बार मिल्क और क्रीम की चर्चा होती है। अप्रैल 1999 से जनवरी 2000 में कितनी क्वान्टिटी थी-18.42 हजार टन यानी 18,420 टन का इस बीच में इम्पोर्ट हुआ था। उसकी कीमत कितनी थी, 104.68 करोड़ रुपये। यह अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 में कितना इम्पोर्ट हुआ है, 1080 टन और कीमत कितनी है, 6.01 करोड़ रुपये। यह हालत है, लेकिन चारों तरफ चर्चा है कि दूध आ रहा है, किसान बर्बाद हो जायेगा, खैर, बोलने से हम मनाही नहीं कर रहे हैं, जिसको जो मर्जी वह बोले, लेकिन दिल में जरूर चैन रखिये, आश्वस्त रहिये और इतना हम जरूर आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, बाद में बाकी चीज आपको बता देंगे। *...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। आप पूरी बात आप सुनिये। हमारे यहां दूध नहीं खरीद रहे हैं और आप कागज पढ़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: जो कुछ भी है, हम आपको ये आंकड़े दे रहे हैं और मैंने एक घटना का भी उल्लेख किया है कि बाहर से मंगवाकर जो हमने कदम उठाया है, हम सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, वरना दूध के जो एक-एक आर्डर्स इश्यू हुए हैं *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मैं आपके आंकड़ों और वाक चातुर्य पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं।

श्री नीतीश कुमार: हम पहले ही कह चुके हैं। हमको वाक चातुर्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके लिए पब्लिक मीटिंग का फोरम है, वहां हम वाक चातुर्य कर लेंगे, लेकिन यहां सदन सर्वोच्च है, यहां सच्चाई को बता देना चाहिए। विश्लेषण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उसमें कुछ नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: पूरा कवर कर लें, उसके बाद पूछना।

श्री नीतीश कुमार: हम आपको बाद में एक-एक प्रश्न का जवाब दे देंगे, इसलिए कि कुछ पाइंट्स को हम कवर कर लेना चाहते हैं। अभी भड़ाना साहब बोलकर चले गये। उन्होंने कहा था कि किस तरह से किसानों का और हमारे साथियों ने भी कहा था, श्री अरुण जी ने भी कहा था कि किस ढंग से किसानों से कर्ज की वसूली होती है यानी कई जगह पर किसानों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में डाला जाता है और जेल में जो उन पर खर्च होता है, उसको उनके कर्जे की राशि में जोड़ दिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर इंडस्ट्री में कोई डिफाल्टर है तो इस ढंग का व्यवहार उसके साथ नहीं हो सकता, लेकिन कृषि के क्षेत्र में वह किसानों के साथ हो रहा है। हम भी कृषि क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, देहाती क्षेत्र से ही आते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी हमको भी है। इसलिए हमने अपनी तरफ से सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। अगस्त, 2000 में ही हमने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कहा, अगर आप इजाजत दे दें तो हम इसको पढ़ दें, लेकिन अगर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसे सदन के पटल पर रखना चाहते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: उसका अनुपालन होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार: अब सुन लीजिए।

"प्रत्येक फसल के बाद बैंकों द्वारा वसूली शिकायत दर्ज की जाती है। चूक के मामले में अंतर्ग्रस्त धनराशि की भू-राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में घोषणा कर दी जाती है और राज्य प्राधिकारियों द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाते हैं। बंधक रखी गई सम्पत्तियां कुर्क कर दी जाती हैं और ऋण की धनराशि की उगाही करने के लिए उन सम्पत्तियों को बेच दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य अधिनियमों में चूककर्ता को गिरफ्तार करने और नजरबंद करने का प्रावधान है और इस प्रावधान का बहुधा आश्रय लिया जाता है। कार्यवाहियों पर आई लागत और नजरबंदी प्रभारों को भी ऋण राशि में जोड़ दिया जाता है। यह काला कानून ब्रिटिश साम्राज्य की बपौती है जो हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में ठीक नहीं बैठता है।

[हिन्दी]

यह मैंने लिखा है और सभी मुख्यमंत्रियों को आग्रह किया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: इसके लिए तो आपको बधाई, लेकिन राज्य आपके ही पत्र का आदर नहीं कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार: मैंने अपनी तरफ से कहा है और अखिलेश जी ठीक कह रहे हैं कि इसका रैस्पोंस नहीं है। हम चाहते हैं, अभी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है, हम मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी इस सवाल को रखना चाहते हैं। उसमें भी हम उनको कहना चाहते हैं कि जरा इस कानून पर तो नजर डालिये। यह अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, इसको कभी तो बदलेंगे। इस तरह से किसान को बेइज्जत करेंगे, कोई कर्ज नहीं चुकता कर पा रहा है, तो उसके लिए और तरीके हो सकते हैं। एक आदमी के लिए दो सजा, अगर किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया तो वही काफी है। आपने उसको सजा दे दी, वह सजा नहीं हुई, उल्टे वह जेल में रहा तो उसके ऊपर जो खर्च हुआ, उसको भी मूलधन में जोड़ दिया। यह क्या अन्याय है?

इस तरह का अन्याय चला आ रहा है, इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए हम आग्रह करेंगे कि सब लोगों को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इस तरह के कानून को मिटा दिया जाए, अगर वह कर्ज अदा नहीं कर पाता है तो उसको इस तरह से अपमानित न किया जाए। उसके लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यह तरीका नहीं होना चाहिए। अगर यही तरीका है तो सभी प्रकार के कर्जों की वसूली के लिए यह कानून लागू करना चाहिए, चाहे वह इंडस्ट्री में हो या अन्य कहीं

[श्री नीतीश कुमार]

हो। कहां एक तरफ नॉन-फार्मिंग एसेट्स होती है, कानून बना हुआ है, वह बचाता है कि आप उसका नाम नहीं बता सकते और वहा किसान को पकड़ कर उसको बेइज्जत किया जाता है। इसलिए दलगत भावना से ऊपर उठकर हम सब लोगों को मन बनाना चाहिए। कुछ बातें दबी रहती हैं। यह अच्छा होता है कि इन विषयों पर चर्चा होती है और ये दबी हुई बातें उभरती हैं। जब उभरती हैं तो कुछ न कुछ रास्ता निकलता है। यह नहीं है कि सदन में कही गई बातें बेकार चली जाती हैं। हमारे कुछ सदस्य निराश होते हैं कि हम हर बार इस पर चर्चा करते हैं। जब भी हम चर्चा करते हैं, उसका प्रभाव होता है। सदन में कोई चर्चा होती है तो सरकार में जो ढ़िलाई होती है, उसमें चुस्ती आती है। यह संसदीय लोकतंत्र की खासियत है। आप यह न समझें कि चर्चा होती है, उसका प्रभाव नहीं होता, उसका असर पड़ता है इसलिए सदन में चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई अर्द्धसत्य हो, ठीक जानकारी न हो, उसका उल्लेख होता है और कम से कम सच्चाई सामने आ जाती है।

हमारे साथी सुबोध राय जी बोल रहे थे, उन्होंने भूमि सुधार की बात की। नैशनल एग्रीकल्चर पालिसी इसी सदन में मैंने जुलाई 2000 में रखी थी। 1990 से कृषि नीति पर काम हो रहा था। जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, उसमें मधु दण्डवते जी वित्त मंत्री थे। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि देश में राष्ट्रीय कृषि नीति होनी चाहिए। कौन कहता है कि नीति नहीं है, नीतियां रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर समेकित कृषि नीति नहीं रही है। कई सरकारें आई, सबने काम किया। इस सदन में कई ड्राफ्ट रखे गए। बलराम जाखड़ जी के समय भी रखे गए। मैं कृषि संबंधी स्थायी संसदीय समिति का सभापति रहा हूं, मैंने अपनी समिति में इस पर चर्चा करके रिपोर्ट दी है। कई बार इस सदन में चर्चा हुई, राज्य सरकारों के साथ भी हुई। कई ड्राफ्ट बनाए, लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। क्या इतना भी श्रेय नहीं देंगे एक गरीब घर में पैदा हुए इन्सान को, जो देहात के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है, दस साल तक जिसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, उसने इसको इस सरकार में अंतिम रूप दिलाया। यह छोटा सा श्रेय भी नहीं दे रहे, मैं श्रेय की बात नहीं करता, यह हमारा दायित्व था। श्री वाजपेयी ने जब हमसे कहा कि आप कृषि मंत्रालय देखो तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कृषि नीति को अंतिम रूप देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि नीति को अंतिम रूप दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी इस पर चर्चा कर रही है। आपने भूमि सुधार की बात की। कृषि नीति के पैराग्राफ 35 को आप देख लीजिए, मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

छोटे और सीमांत किसानों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता है। संस्थागत सुधारों की इस प्रकार पैरवी की जाएगी ताकि अधिक उत्पादकता और उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनकी शक्तियों का उपयोग किया जा सके।

ग्रामीण विकास और भूमि सुधार के दृष्टिकोण से निम्नलिखित क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा:

- देश भर में जोतों की चकबंदी।
- आरम्भिक शुरुआती पूंजी के साथ भूमिहीन किसानों, बेरोजगार युवकों में सीमित अतिरिक्त भूमि और बंजर भूमि का पुनर्वितरण।

[हिन्दी]

हम लोगों ने अपनी पालिसी में भूमि सुधार को शामिल किया है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"काश्तकारों और हिस्सेदारी पर खेती करने वालों के अधिकारों को मान्यता देने हेतु काश्तकारी सुधार"।

[हिन्दी]

जिसके लिए कितने ही काले झंडे लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया है, यह हमारी कृषि नीति में है। थोड़ी सी प्रशंसा तो कर देते। इसके बाद एक और बात है, जिसको लेकर सारे देश में बावेला मचा हुआ है। उसको भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

"खेती और कृषि व्यापार हेतु निजी भूमि को पट्टे पर देने के लिए कानूनी प्रावधान करके जोत की भूमि को बढ़ाने के लिए पट्टा बाजारों का विकास"

[हिन्दी]

इसको लेकर विवाद हुआ कि मल्टी नेशनल कम्पनीज सारे किसानों की जमीन ले लेगी। मैं इसमें स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि सीलिंग जो बनी हुई है, उसके बाहर होल्डिंग ले जाने का हमारा कोई विचार नहीं है। सीलिंग लॉ को इन्फोर्स करना राज्य का काम है। हम यहां से नहीं कह रहे कि उसको खत्म करो। सीलिंग लॉज के अंतर्गत जो सीलिंग है, उसके अंतर्गत लैंडिंग होल्डिंग के साइज

को बढ़ा सकते हैं, लीज पर दे सकते हो, ले सकते हो। आज एक बीघा जमीन वाला किसान खेती नहीं कर पा रहा, वह दूसरे को दे रहा है। उसका भी अधिकार बरकरार रहता है। इस तरह से होल्डिंग का साइज बढ़ा कर नई टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करें। इसका मकसद कभी यह नहीं है कि कारपोरेट फार्मिंग होगी और वे यहां आकर अनाज पैदा करेंगे। वे दूसरे काम के लिए आएंगे। इसलिए मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कभी न कभी इसकी क्लेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर पॉलिसी पर चर्चा होती तो उसी दरमियान हम उसकी सीलिंग के अंतर्गत ही क्लेरिफिकेशन करते। होल्डिंग के साइज को बढ़ाने की बात का उद्देश्य इसमें है। इसके बाद है:

[अनुवाद]

भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने और उनका सुधार करने के लिए कमप्यूटरीकरण और किसानों को भू-पास बुक जारी करना'

[हिन्दी]

हर किसान को उसकी जमीन की पासबुक मिले। आज कर्ज लेने के लिए किसान को कितना तंग होना पड़ता है, वह जब जमीन बेचता है या खरीदता है तो उस समय उसे कितना तंग होना पड़ता है। यह पासबुक किसान को दी जायेगी तो जब वह जमी नबेचे तो उसमें से उतर जाएगा और खरीदे तो चढ़ जाएगा और वह पासबुक लेकर जा सकता है और बैंक को कह सकता है कि हमारी यह होल्डिंग है, हमारी यह हैसियत है और हमें इतना कर्ज मिलना चाहिए, इसी के आधार पर कर्ज दो। इसलिए जमीन का पैसा किसान को मिलना चाहिए और जब उसके पास पासबुक होगी तो जितने देवी-देवताओं के नाम कई जगह जमीनें हैं, कुत्ता-बिल्ली के नाम जमीनें हैं, छुपाई हुई जमीनें हैं, सीलिंग से फालतू चुराकर रखी गई जमीनें हैं, तभी वे जमीनें निकलेंगी और वे जमीनें लैंडलैस किसानों में बांटी जा सकती हैं। सबको पासबुक देने के पीछे यही उद्देश्य है। इसके बाद है: ''जमीन में महिला अधिकारों की मान्यता'' महिलाओं का अधिकार जमीन में होना चाहिए, उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। यह लैंड रिफॉर्म पॉलिसी है, यह एग्रीकल्चर पॉलिसी है। हम लैंड रिफॉर्म्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम लैंड रिफॉर्म्स देश में सख्ती से लागू करना चाहते हैं। यह हमारा उद्देश्य है, यह नेशनल पॉलिसी है, इसलिए इस मामले में हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। कई सवाल इस बीच में उठे हैं, कुछ बातें भी कही गई। इसमें कई विषय आ जाते हैं। इसमें प्रोक्योरमेंट का विषय भी आ जाता है। इसके बारे में हमने कहा कि अब प्रोक्योरमेंट का काम एफ.सी.आई. स्टेट एजेंसी के सहयोग से करती है खासकर खाद्यान्न का और बाकी दलहन, तिलहन के प्रोक्योरमेंट के लिए एजेंसी 'नैफेड' है। अगर आप कहेंगे तो नैफेड के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट किया गया है, उसके फिगर्स हम आपके सामने रख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रोक्योटर में हम लगातार करते चले जा रहे हैं। लेकिन यदि आप चाहेंगे तो हम आपको ऑयलसीड्स के फिगर्स दे सकते हैं, हमारे पास हैं। 1999-2000 में सोयाबीन का प्रोक्योरमेंट हुआ पांच लाख एक हजार टन का हुआ। उसकी कीमत 439.23 करोड़ रुपये प्रोक्योरमेंट सोयाबीन की हुई। सनफ्लॉवर का प्रोक्योरमेंट 4600 मीट्रिक टन हुआ। 2000-2001 में ग्राउंट नट का 29000 मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुआ। 2000-2001 मं सोयाबीन का प्रोक्योरमेंट 54,660 मीट्रिक टन हुआ है। मस्टर्ड सीड्स का दो लाख पैंतालीस हजार एक मीट्रिक टन हुआ। सनफ्लॉवर सीड्स का प्रोक्योरमेंट 46000 टन का हुआ है। कोपरे की परचेज दो लाख 25 हजार 287 मीट्रिक टन हुई है। इसकी कीमत 765 करोड़ रुपये की आंकी गई है। ग्राउंड नट का 2000-2001 में प्रोक्योरमेंट 28,982 मीट्रिक टन हुआ है। 37 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रोक्योरमेंट हुआ है। जितना भी जहां संभव है, जो दलहनी, तिलहनी फसलें हैं, इनका प्रोक्योरमेंट किया गया है। अभी पिछली बार जब चर्चा शुरू हुई और अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूं तो प्रभा राव जी ने कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। बहुत ठीक बात कही थी। प्रधान मंत्री जी ने आग्रह किया था कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अब जो बहुत ज्यादा गेहूं चावल क्रॉपिंग पैटर्न हो रही है। उससे कुछ जमीन के कुछ हिस्सों को डाइवर्सिफाइ करना चाहिए। यह 12 मार्च से चर्चा शुरू हुई तो कई लोगों ने आलोचना कर डाली। हम चाहेंगे कि आपने जो बात कही है, उसे अपने साथियों को भी अवगत करा दें कि डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है। एक तरफ गेहूं और चावल रखने की जगह नहीं है। किसानों को सब जगह ठीक कीमत नहीं मिल पा रही है। यह समस्या उन राज्यों में पैदा हुई है जहां सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। वहां प्रोक्योरमेंट तक नहीं हुआ है। प्रोक्योरमेंट न होने के कारण किसानों में बेचैनी है।

अगर एक हिस्सा डाइवर्सिफाइ करें, तो बहुत उपाय निकल सकते हैं। आज दलहन में डैफिसियेंसी है, तिलहन में डैफिसियेंसी है, अगर एक हिस्सा होर्टिकल्चर प्रोड्युस की तरफ जाए, तो उससे किसानों को कीमत मिलेगी और चीजों को रखने की समस्या भी नहीं आएगी। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन तभी होगा, जब कीमत मिलेगी। इसलिए रबी की फसल में जब प्राइस पालिसी सरकार ने एनाउन्स की तो हमने गेहूं के किसानों के लिए गेहूं की कीमत बढ़ाई और कीमत 580 रुपये प्रति क्विंटल से 610 रुपये प्रति क्विंटल कीमत बढ़ाई।

[श्री नीतीश कुमार]

जब 12 मार्च को यह चर्चा शुरू हुई थी, तब यहां पर आशंका व्यक्त की गई थी कि गेहूं का मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस घटा दिया जाए। उनको निराशा हाथ लगी होगी, जब गेहूं की कीमत 580 रुपए प्रति क्विंटल से 610 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। हम लोगों ने यह फैसला लिया कि जो कोरस सिरीयल्स हैं, जैसे पलसैस, आयल सीड्स आदि, उनकी कीमत ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ताकि किसान उस ओर जायें। किसान दलहन, तिलहन, आयल सीड्स, पलसैस मार्जिनल लाइन पर उपजाते हैं और रेन-फैड एरिया में ज्यादा उपजाते हैं और उसमें भी ज्यादा पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए उनको उतनी कीमत नहीं मिलती है और नतीजा यह होता है कि हम एक तरफ आत्म-निर्भर नहीं होते हैं और दूसरी तरफ समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए हमने रबी की फसल पर प्राइस-पालिसी बनाई और गेहूं की कीमत बढ़ाई। इसके अलावा, बारले यानि जौ की कीमत भी 500 रुपये प्रति क्विंटल कर दी। स्मरण के आधार पर, सब्जैक्ट-टू-करैक्शन, पहले कीमत 430 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसको बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। इसी तरह से चने की कीमत भी 1015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल हो गई।

कुंवर अखिलेश सिंह: मार्केट बहुत ज्यादा है।

श्री नीतीश कुमार: प्राइस पालिसी का मतलब यही है कि किसान उस ओर जायें। क्राप के बीच में जो इन्टर-से-पैरिटी है, उसको हम इस ढंग से निर्धारित करें कि किसान उस ओर आकर्षित हो। इसीलिए मैंने इस संबंध में आंकड़े पहले प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके बावजूद भी जहां-जहां जरूरत पड़ी है, प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। किसानों को जब कीमत मिलेगी, तो वे उस और डाइवर्सिफाई करेंगे।

दूसरी बात, प्रोसैसिंग से संबंधित है। फ्रूट्स और सब्जियों में हम दूसरे नम्बर पर आ गए हैं। हमारे यहां 1.8 प्रतिशत फ्रूट्स और सब्जियों का प्रोसेसिंग होता है और 98 प्रतिशत फ्रैश तौर पर मार्केटिंग होता है। अगर इस प्रोसैसिंग को दस प्रतिशत के लैवल पर ले जायें, तो मात्र 7 प्रतिशत वैल्यु एडिसन बढ़कर किसानों को 35 परसेंट कीमत ज्यादा मिलेगी और कन्ज्युमर को कम कीमत देनी पड़ेगी। आज अपने देश में किसानों को एक मिलता है, तो कन्ज्युमर को पांच देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में न किसानों को कम कीमत मिलेगी और न कन्ज्युमर्स को ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी और दोनों के बीच में अन्तर घटेगा। प्रोसैसिंग होगा, तो वैल्यु एडिशन होगा और किसानों को ज्यादा कीमत मिलेगी। इसलिए इस बार जब नीति निर्धारित की गई और मंत्रालय ने जब फूड प्रोसैसिंग पालिसी बनाई और उसको लागू कराने की हम लोगों ने मांग की, तो महसूस किया गया कि इनको एक्साइज में एग्जैम्पशन दिया जाए। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने एग्जैम्पशन दिया है। जब एक्साइज में एग्जैम्पशन मिल गया, तो फिर सैल्स टैक्स में भी एग्जैम्पशन मिलना चाहिए। सैल्स टैक्स चूंकि राज्यों का विषय है, इसलिए हमने उनके साथ मीटिंग की और यह तय किया किसी एक कमोडिटी के बारे में विशेष रुख नहीं रखेंगे। उनके यहां इस संबंध में स्टैंडिंग कमेटी है, बात को वहां तक ले जाया गया, ताकि कन्सैसस बनें और सैल्स टैक्स में उनको रियायत मिले। एक तरफ एक्साइज में रियायत मिले और दूसरी तरफ सैल्स टैक्स में रियायत, तो यूनिट ज्यादा लगेंगे और दो परसेंट प्रोसैसिंग लैवल को दस परसेंट करने के लिए दस साल का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार दस साल में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 1.40 लाख करोड़ रुपये इन्वैस्टमेंट के लिए चाहिए। जब इतने लैवल पर प्रोसैसिंग होगा, तो उससे तीन करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे यानि तीन करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे ज्यादा किसी दूसरे क्षेत्र में इतने रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो सकते हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियां मार्केट करें, लेकिन हमारे यहां जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनके लिए जो फूड-प्रोसैसिंग के लिए पालिसी ला रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर के साथ पालिसी स्थापित करते हुए, यह कहा जा रहा है कि हमारे यहां एन्कर इन्डस्ट्रीज हों। किसी एक क्षेत्र में कोई एक एंकरिंग इंडस्ट्री हो और बाकी सब उससे जुड़ी हुई हों, नीचे तक उसकी नैटवर्किंग बने, ताकि गांव में जो छोटा व्यक्ति हो, उसको उसका लाभ मिले। उसे हम इसी साल में बनाना चाहते हैं। उनको मार्किट मिले और उनको बाहर जाने की छूट हो। महाराष्ट्र के लासन गांव में मैं गया था। वहां आज यह स्थिति है कि अगर वहां प्याज होती है तो वे तुरंत फैक्स कर देते हैं। हालांकि यह कॉमर्स मिनिस्टरी करती है लेकिन वे तुरंत फैक्स करते हैं कि एक पोर्ट पर थोड़ा काम रुका हुआ है और हम लोग तुरंत हस्तक्षेप करते हैं ताकि प्याज का एक्सपोर्ट हो ताकि यहां के किसानों को कीमत मिले। ये चीजें ऐसी हैं जिनका एक्सपोर्ट करते रहना चाहिए। यदि देश में कभी इनकी कमी भी हो तो भी उसका सामना करना चाहिए। सन् 1998 जैसे आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। अगर एक बार बाजार से अपना स्थान समाप्त होता है तो दुबारा स्थान प्राप्त करने में मुश्किलें आती हैं। इसलिए किसानों के हक में यह बात है कि अगर एक्सपोर्ट होती है तो होने देना चाहिए। अगर देश में उसकी कमी हो जाए तो उस कमी को झेलिये। यह नहीं होना चाहिए कि एक दम टीन की तरह गरम हों और एक दम टीन की तरह ठंडे हो जाएं। इन सब बातों पर एकमत होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष सब में एका होना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि ये जो कृषि संबंधी मुद्दे हैं इनको आर्टिकूलेट किया जाना चाहिए। कृषि मंत्रालय आर्टिकूलेट करता है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हम एक किसानों की सलाहकार समिति बनाएंगे। जितने किसानों के नेता हैं, शुभचिंतक हैं, संगठन हैं, हम चाहते हैं कि उन सभी को इसमें शामिल किया जाए।

हमारे यहां खरीफ और रबी के दो मौसम हैं। ज्यादा नहीं तो खरीफ से पहले और रबी से पहले और बजट से भी पहले इसको लागू किया जाए। इसको लागू करने से किसानों के मुद्दे सामने आयेंगे और उनको सरकार के अंदर भी आर्टिकूलेट किया जा सकता है ताकि उनको नीति का समर्थन मिल सके। एक तो हमारे विचार हैं और कुछ दूसरे विचार हैं। इन पर पहले भी सदन में चर्चा हुई है। हमें और सरकार को कोई एतराज नहीं है अगर ऐसी कमेटी बनती है जैसे एससी और एसटी की समस्याओं के लिए बनी है। सभी सदस्यों को लेकर अगर ऐसी कमेटी बनती है तो यह प्रसन्नता की बात होगी और हम लोग उसके हक में हैं और यह कमेटी स्पीकर साहब के हाथ में है। एक तो सरकारी स्तर पर किसानों के साथ मिलकर निर्णय करने के लिए, उनके व्यूज को आर्टिकूलेट करने के लिए और दूसरा सदन के बाहर स्थायी तौर पर एक ऐसी व्यवस्था हो और उस दिशा में हम नाम तक तय कर रहे हैं और चारों तरफ से फीड-बैक ले रहे हैं ताकि कोई इलाका अछूता न रहे, कोई महत्व की फसल छूट न जाए। अगर कोई ऐसी कमेटी होगी तो हम सरकार में भी अपनी बात रख सकेंगे।

दूसरा, अगर संसद के अंदर सभी पक्ष के लोगों को मिलाकर कोई इस तरह की कमेटी बनती है तो उसके लिए चेयर की तरफ से फैसला आना होगा। उस पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। यह बात भी सही है कि हमने कृषि नीति तो ला दी और इसको अमल में लाने के लिए हमने कमेटी बनाई और सब इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट उसमें आये। माननीय रघुवंश बाबू बोल रहे थे कि 13-14 डिपार्टमेंट इसमें हैं, लेकिन कृषि नीति से 18 मंत्रालयों का संबंध है। कृषि मंत्रालय में चार विभाग हैं तो शेष 14 विभाग तो बाहर हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफिसर लेवल पर मीटिंग होती है। हमने लैंड-रिफोर्म की बात की तो राज्यों को इसके लिए तैयार कराना है कि इतना सब कुछ करिये। उसके लिए रूरल डेवलेपमेंट मिनिस्ट्री को पहल करनी होगी। इसी तरह से अगर हम पानी का सवाल लेते है तो वाटर रिसोर्सेज की बात आ जाएगी। बिजली की बात होगी तो पावर मिनिस्ट्री की बात आ जाएगी। खाद्यान्न प्रोक्यूरमेंट की बात होगी तो फूड मिनिस्ट्री की बात आ जायेगी। इस तरह से अलग-अलग मिनिस्ट्रीज का इससे संबंध होता है। वित्त मंत्रालय का सबसे संबंध है।

सायं 7.00 बजे

और उसके लैवल पर बात हो रही है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पूरी स्थिति को देखते हुए प्रधान मंत्री जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। उसमें डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी हैं। कृषि मंत्री के अलावा खाद्य मंत्री, रूरल डैवलपमैंट मंत्री को लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है ताकि कृषि संबधी मसलों को देखा जा सके। यह पहला कदम है जिससे लोगों के बीच में समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यहां सरकार की तरफ से कृषि मंत्री के नाते जवाब दे रहा हूं। उससे संबंधित या अन्य दूसरे विभाग से संबंधित जो बातें यहां रखी हैं उस पर कोई बात रखी जा रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है और मैं पूरी गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ इन बातों को रख रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किसानों की समस्या और कृषि क्षेत्र के सभी मसलों पर बहुत गम्भीर चिन्तन और मनन किया जाता है और कृषि क्षेत्र को हर सम्भव सहायता दी जा रही है।

यहां सब्सिडी का मसला कई सदस्यों ने उठाया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन यह ऐसा मसला है जिसे कई सदस्यों ने उठाया और कहा कि सबसिडी को घटाया जा रहा है। खाद पर सबसिडी नहीं घटी है और न ही कुल मिला कर एग्रीकल्चर सैक्टर में सब्सिडी घट रही है। वह बढ़ती जा रही है। राज सहायता बढ़नी भी चाहिए। चाहे यूरिया को ले या दूसरी खाद को लें। दोनों में सब्सिडी बढ़ रही है। आपके मिजाज से ऐसा लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि यह जल्दी डिबेट खत्म हो। कुल मिलाकर सब्सिडी की राशि बढ़ती जा रही है। कल वित्त मंत्री ने कहा कि वह क्रेडिट कार्ड से ज्यादा से ज्यादा किसानों को कवर करना चाहते हैं। इस बार क्रेडिट देने का लक्ष्य 64 हजार करोड़ रुपए है। प्रभा राव जी ने कहा कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन में रिसर्च होता है लेकिन वह किसानों तक नहीं पहुंचता है। आईसीएआर ने कोई फ्रंट लाइन डैमनस्ट्रेशन बंद नहीं किया गया है बल्कि उसे और प्रभावी बनाया गया है। इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन के साथ विलेजेस को लिंक किया जा रहा है जिससे वे डायरैक्ट एक्सटैंशन का काम करें। हालांकि आईसीएआर का एक्सटैंशन का काम नहीं है। वह राज्य सरकारों का काम है। रिसर्च और प्रोडक्शन के बीच में एक्सटैंशन का जो लिंक है, वह कमजोर है। उसे देखते हुए मैंने महसूस किया कि जहां एक तरफ हजारों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करके बेकार हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को आधुनिक जानकारी और अच्छी प्रैक्टिस की जानकारी नहीं मिलती है। उन्हें तमाम कानूनों के बावजूद नकली किस्म के इनपुट्स मिलते हैं।

यहां किसानों के आत्महत्या की बात कही गई। इसका कई बार विश्लेषण हुआ तो पाया गया कि इनपुट्स की गड़बड़ी के चलते उनकी फसल बरबाद हो गई। उसे ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जिस प्रकार बीमार आदमी के इलाज के लिए डाक्टर या क्लीनिक होता है उसी तरह कृषि क्षेत्र में फसलों की बीमारी और कमी दूर करने के लिए कृषि क्लीनिक होने चाहिए। हमने एग्री क्लीनिक की बात की। ग्रेजुएट्स को ज्यादा ट्रेनिंग देकर एक

[श्री नीतीश कुमार]

पैकेज तैयार किया गया। उसमें उनकी जो इच्छा होगी, वे प्रैक्टिस को एडॉप्ट करेंगे और एग्री क्लीनिक खोलेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने इसे अपने बजट भाषण में इसे समाविष्ट किया और कहा कि एग्री क्लीनिक खोले जाएंगे। इसके लिए बैंक उन्हें कर्जा देंगे।

यहां आत्महत्या की बात आई और फसल बीमा की बात आई। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को व्यापक बना कर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाएगी। पहले यह लोनी फार्मर्स के लिए अवेलेबल था। वह उनके लिए आज भी है। जो किसान कर्ज नहीं लेते उनके लिए यह स्कीम उपलब्ध नहीं थी। अब नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में नॉन लोनी फार्मर्स भी कवर होंगे। हम इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे लें। उसमें समीक्षा करने का प्रावधान है। दो-तीन साल के बाद इसकी समीक्षा करने का प्रावधान था। मुझे बताते हुए प्रसननता हो रही है कि मैंने एक साल में उसकी समीक्षा की। राज्य सरकारों के सहयोग से इसे लागू किया जाता है। चूंकि वे लॉस शेयर करते हैं जिसे लॉस असैसमेंट यूनिट कहा जाता है, एरिया यूनिट एप्रोच होता है। वे जिला या ताल्लुक हैं। मुझे लगा कि जब तक इसे पंचायत के स्तर पर नहीं ले जायेंगे, तब तक उतना प्रभावी नहीं हो पायेगा। इसका लाभ किसानों को उस तरह से नहीं मिल पाया। यह संभव है कि यदि एक ताल्लुक को एक यूनिट बनाते हैं तो हो सकता है कि पांच पंचायत को नुकसान हुआ हो और पांच को नुकसान नहीं हुआ हो। हो सकता है कि एक सीमा के अंदर नुकसान नहीं हुआ हो तो किसी को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि हम इसकी समुचित समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद पायलट स्कीम लागू की गई है। हर राज्य एक जिला पंचायत स्तर तक बीमा योजना को लागू कर देगा और उसका परीक्षण हो रहा है। चूंकि यील्ड डॉटा आवश्यक है और किसी चीज के लिए यील्ड डॉटा की जरूरत होती है, लेकिन वह अवेलेबल नहीं था। इसके लिए स्टैटस्टिक्स इंस्टीट्यूशन्स से राय ली गई है और एक फार्मूला बनाया गया। उसमें जी.आई.सी. की और सब लोगों की सहमति हुई तब उसे परीक्षण के तौर पर लागू किया जा रहा है ताकि उसके जो रिजल्ट्स आयेंगे, उसके आधार पर देश भर में राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू करा सकें, तब सही मायने में लोगों को बीमा मिलेगा। इनपुट गड़बड़ मिलता है, सीड कभी ठीक नहीं मिलता है। हम उसे सदन में चर्चा के लिए ला रहे हैं। प्रोटैक्शन आफ वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट बिल में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई प्लांटिंग मैटीरियल उन कंडीशन्स में सफल नहीं होता है तो किसानों को उससे हर्जाना मांगने का अधिकार होगा और प्लांटिंग मैटीरियल का व्यवसाय करने वाले को कम्पनसेट करना होगा। उसी तरह से सीड्स एक्ट में परिवर्तन करना चाहूंगा। यह एक पुराना एक्ट है और उस पर तैयारी चल रही है ताकि किसानों को उत्तम किस्म का बीज मिले और बीज के कारोबार का गोरखधंधा नहीं कर पायें। आज किसान परेशान होते हैं। अगर एग्रीकल्चर क्लीनिक होगा तो इनपुट्स की इसमें टैस्टिंग की व्यवस्था होगी। अगर किसान चाहेंगे तो अपने पैस्टीसाइड्स फर्टिलाइजर, माइक्रो-न्यूट्रिंट्स सबकी टैस्टिंग करा पायेंगे। तब उसको सही इनपुट्स मिलेगा, सही सलाह मिलेगी। आज कई जगहों पर दुखद आत्महत्याओं की घटनायें घट रही हैं, उन पर पाबंदी लग जायेगी। हम आंसू बहा सकते हैं लेकिन हमें कदम उठाना होगा। सत्ता में कोई रहे। अगर किसानों की दुर्दशा होगी, अगर किसान कष्ट को नहीं झेल पायेंगे। वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वह अपमान नहीं झेल पाता है। जब उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो वह उसे कभी कभी झेल नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। हमें इस समस्या को समझना होगा। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस ओर हमें कदम बढ़ाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए इनपुट्स क्वालिटी का मिले, सीड्स के मामले में जो दिक्कत है, उसे देखते हुए हमने अपनी समझ से उसे दुरुस्त करने के लिए कदम उठाया है। जब चर्चा होती है तो नये विचार आते हैं जिसे ध्यान में रखकर नये कदम बढ़ाये जाते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों ने कृषि क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो सुझाव दिये हैं, उन सार्थक सुझावों पर गौर करेंगे। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए कैसे बेहतर से बेहतर रणनीति अपनाई जाये ताकि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ में वृद्धि हो। हमने नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में कहा है कि हम यह ग्रोथ 4 परसेंट से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। हमने न केवल अपनी 100 करोड़ से ज्यादा आबादी को खिलाना है बल्कि उन्हें पौष्टिक भोजन भी देना है। हमें न केवल दुनिया के बाजार में अपनी पहुंच बनानी है बल्कि अपना एक स्थान भी बनाना है ताकि हम किसानों की माली हालत में सुधार ला सकें। जब किसान की माली हालत सुधरेगी, तो देश की माली हालत भी सुधरेगी। इसलिए इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस दशक में हम फूड प्रोडक्शन को दुगना करना चाहते हैं। इस संबंध में जो सुझाव आते हैं, उन सुझावों पर गौर करके एक जनमत बनाकर अधिक से अधिक इस क्षेत्र में निवेश हो सके, इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र में व्यापक समर्थन मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में इनवैस्टमेंट का ऐसा विषय है, यदि इसे लिया जाये तो विस्तृत डिसकशन हो सकती है। कैपिटल इनवैस्टमेंट की एक बात अछूती रह गई है जिस पर हम कुछ कहना चाहते थे लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हम पब्लिक सैक्टर को बढ़ायेंगे। यदि टाइम बाउंड इरिगेशन के

प्रोजैक्ट्स पूरे किये जायें तो इस सिलसिले में पब्लिक इन्वैस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार वाटरशैड मैनेजमेंट के जरिये कई कदम उठा सकते हैं। हमें प्रयत्न करना होगा कि कैपिटल इनवैस्टमैंट बढ़े लेकिन इनवैस्टमेंट इन एग्रीकल्चर या पूंजी निर्माण एक ऐसा शब्द है जिस पर यकीन किया जा सकता है। सरकार जितने प्रोग्राम चलाती हैं, ये कैपिटल फार्मेशन में नहीं माने जाते हैं। केन्द्र सरकार हर वर्ष राज्य सरकारों को हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए देती है जिसे इनवैस्टमेंट में शामिल नहीं किया जाता है। जो यह 64 हजार करोड़ रुपया क्रैडिट में जायेगा वह कृषि क्षेत्र में इनवैस्टमैंट में नहीं आता, वह कैपिटल फोरमेशन में नहीं आता। उसमें स्थायी किस्म की चीजें आती हैं जिनका इस्तेमाल किसान साल दर साल कर सकें, वैसी चीजें इसमें आती हैं। जो कोई स्ट्रक्चर निर्मित हो जाता है, वैसी चीजें भी आती हैं। इसलिए कुल मिलाकर एग्रीकल्चर सैक्टर में कैपिटल फोरमेशन भी हो, इसके लिए किसानों के हक में टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाए, किसानों को ज्यादा मिले इसके लिए कदम उठाये जा रहे हैं और इन सब चीजों के लिए जरूरत है इसके लिए देश में सर्वानुमति बने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सभी दलों के लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। जो विपक्ष में बैठे हैं उनका धर्म है सरकार का आक्षेप लगाना, वे आक्षेप लगाये। अगर वे सरकार पर आक्षेप नहीं लगायेंगे तो उन पर आरोप लगेगा कि ये लोग मिल गये। अगर आक्षेप लगाना है और उससे संतोष होता है तो वे आक्षेप लगायेंगे। लेकिन आपने कृषि के प्रति चिंता व्यक्त की, किसानों के हक में कई बातें कही हैं। इन सबसे सरकार को बल मिलेगा और कृषि क्षेत्र को आगे पहुंचाने में ताकत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री ने इस विषय पर गहराई से चर्चा की है। वह कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों पर कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए सहमत हो गये हैं। अत: आप कृपया संक्षेप में उनसे पूछ सकते हैं। मैं इस ओर से सदस्यों के नाम पुकारना शुरू करूंगा। माननीय मंत्री कृपया इन सभी बातों पर ध्यान देने की कृपा करें।

[हिन्दी]

श्री पप्पू यादव आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो केवल स्पष्टीकरण करें और किसी चीज की जरूरत नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी की काबलियत और ईमानदारी पर पूरे देश को गर्व है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 53 साल हो गये हैं और इस बीच देश में कितनी सरकारें आईं, कितनी नीतियां बनीं और कितने कृषि मंत्री और प्रधान मंत्री आये और चले गये, लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं कि हर बार हर साल नई नीति बनती है, नई बातें आती हैं। किसान जहां 53 साल पहले खड़ा था, आज उस मोड़ से भी नीचे आ चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप स्पष्टीकरण पूछिए, आपको लम्बा भाषण नहीं करना है। अब साढ़े सात बज गये हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सर, मैं स्पष्टीकरण ही पूछ रहा हूं। इन्होंने जितनी बातें कही हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। इनके शब्दों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जितनी बातें इन्होंने कही हैं, क्या ये गांवों में लागू होंगी। क्या इसी तरीके की परिभाषा और शब्दों का उच्चारण लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े सदन में चलता रहेगा। क्या सौ साल बाद भी हम इसी तरह से करते रहेंगे। जहां तक सीलिंग एक्ट का सवाल है, हम कृषि मंत्री जी से आग्रह करेंगे, हमारे वामपंथी साथियों ने जिन बातों को उठाया है कि इस देश में चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन पर कड़े नियम पालन के तहत सीलिंग एक्ट लागू होना चाहिए। लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं, सीलिंग में आने वाले मगरमच्छ हैं, उन पर देश में कोई कानून लागू नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव, मंत्री जी ने सब बातों का खुलासा किया है। आप सिर्फ स्पष्टीकरण पूछिए। अब साढ़े सात बज गये हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सीलिंग एक्ट उन पर लागू होता है जिनके घर में पांच बेटियां और पांच बेटे हैं। जो दस बीघे या बीस बीघे वाला या उससे भी नीचे का किसान है, सीलिंग एक्ट उन पर लागू होता है। जो किसान अपना पेट तक नहीं भर पाते हैं, उन पर कानून लागू होता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इतना लम्बा भाषण कर रहे हैं, आप केवल स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सर, मेरा स्पष्टीकरण भी यही है कि सीलिंग एक्ट कानून को सख्ती से कैसे लागू किया जाए। दूसरे, इन्होंने जो खाद और बीज की बात कही है। आज खाद में मिलावट पाई जाती हैं और यह भी समय पर उपलब्ध नहीं होती है। बीज किसानों को कभी भी सही रूप में उपलब्ध नहीं होता है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां सही रूप से किसानों को बीज उपलब्ध नहीं होता है। इस पर सरकार या हमारे कृषि मंत्री जी किस तरह से ध्यान दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप स्पष्टीकरण नहीं पूछ रहे हैं भाषण कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे ऐसी चीजें समाप्त करनी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि संपूर्ण व्यवस्था जो गड़बड़ है, उस पर इनको ध्यान देना चाहिए ताकि देश की कृषि नीति को संपूर्ण रूप से लागू किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, सरकार इस पर ध्यान देगी।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी रघुवंश जी ने अपने उद्बोधन भाषण में कहा कि 4.15 रुपये की दर से हम विदेशों को गेहूं दे रहे हैं। सरकार ने 5.80 रुपये की दर से पिछले साल गेहूं खरीदा था। उसके भंडारण पर कितना खर्च हुआ है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार: आपके भाषण को कोई हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध इस्तेमाल कर लेगा। कृपया यह बात ध्यान में रखें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं यही जानना चाहता हूं कि इस पर जितना रुपया सरकार खर्च कर रही है क्या वही रुपया सरकार किसानों की उत्पादन लागत को घटाने के लिए खर्च करके उत्पादन लागत घटाएगी? आज किसानों के दिमाग में बात आ रही है कि उत्पादन बढ़ाएं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा सवाल यह है कि जो गेहूं की खरीद की समस्या है क्या सरकार किसानों के घटते बाजार मूल्य को दृष्टि में रखते हुए किसानों के गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदने के समुचित उपाय करेगी?

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): मैं इन तीन पहलुओं की ओर माननीय कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पहले, मैं मूल्य संरक्षण पर आ रहा हूँ। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में उद्धृत कर रहा हूँ। निःसन्देह यह सभी राज्यों पर लागू होती है। कर्नाटक में किसान को आलू का मूल्य 360 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया। जब मुख्यमंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने इसे निर्धारित किया था तो बाजार में आलू का मूल्य दो सौ रुपए था, इसका मूल्य तत्काल चेन्नै, बेंगलूर और अन्य स्थानों पर भी इसका मूल्य तुरंत चार सौ रुपए तक बढ़ गया था। इसी आधार पर सरकार ने ज्वार, मक्का, आलू और जो भी हो, जैसे उत्पादों के लिए बजट में पुनः 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार किसानों की पैदावार के मूल्य को बचाने के लिए राज्यों को बराबर धन और वित्तीय सहायता दे सकती है।

दूसरे, वाणिज्यिक बैंकों अथवा सहकारी बैंकों अथवा नाबार्ड द्वारा जो भी ऋण सुविधा दी जाती है, ब्याज मूल धनराशि से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले तो भारत सरकार का आदेश यही था। मंत्री जी क्या आप ऐसा निदेश जारी कर सकते हैं जिसमें यह कहा गया है कि ब्याज धनराशि मूल धन से अधिक नहीं होना चाहिए-चाहे यह बड़े किसान है अथवा छोटे किसान *...(व्यवधान)*

तीसरे, खेती का कार्य करते समय जब कोई कृषक मजदूर मर जाता है तो उसे दस हजार रुपए दिये जाते हैं। क्या आप इस धनराशि को पच्चीस हजार तक बढ़ा सकते हैं?

श्रीमती प्रभा राव (वर्धा): मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार सिंचाई प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय जल ग्रिड के सृजन पर विचार कर रही है। क्या अब सरकार की ऐसी कोई संभावनाएं हैं?

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): महोदय, मैं निस्सन्देह परामर्शदात्री समिति में हूँ। लेकिन मैं केवल एक बात रहना चाहता हूँ। मंत्री जी, पशुपालन और मछली पालन आपके मंत्रालय के अंग हैं। क्या आप कॉफी बोर्ड और टी बोर्ड को अपने मंत्रालय के तहत नहीं ला सकते क्योंकि आपके पास विशेष पादपों और सभी कृषि संबंधी पैदावारों के संबंध में अधिक विशेषज्ञ हैं? वाणिज्य मंत्रालय को सारी चीजें देने के बजाय आप वाणिज्य पक्ष को उनके पास रख सकते हैं। उत्पादन पक्ष को आप अपने पास क्यों नहीं रखते? यही बात मैं जानना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधे दो सैकिंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ तीन बातें पूछना चाहता हूँ जिन्हें मंत्री जी बहुत खूबसूरती से टाल गए। आपके माध्यम से मैं उनका ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं कि तीन मुख्य मंत्रियों-आंध्र प्रदेश के श्री चन्द्र बाबू नायडू, पंजाब के श्री प्रकाश सिंह बादल एवं हरियाणा के श्री ओम प्रकाश चौटाला, तीनों आपको सपोर्ट करते हैं। मैं उनके बयान कोट नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम नहीं है, तीनों ने विश्व व्यापार समझौते को मौत के वारंट का नाम दिया है। आपने कहा कि आपने सभी मुख्य मंत्रियों की सहमति ली, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भी उसके बारे में आपको मुकम्मल सहमति दी थी? यह बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वे तीनों ही डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमेंट का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। अब यह बात अलग है कि पब्लिक में वे विरोध कर रहे हैं और आपको सहमति दे दी हो। इसलिए कृपया मुझे इसका स्पष्टीकरण चाहिए।

दूसरी बात आपने नैस्ले के बारे में कही कि किसानों को मार्केट मिल रहा है और डॉमैस्टिक किसान को भाव मिल रहा है। चूंकि नैस्ले की कंपनी मेरे लोक सभा क्षेत्र मोगा में है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों से वह कंपनी 8 रुपए प्रति लीटर दूध खरीद रही है और 27 रुपए प्रति लीटर बेच रही है। क्या आप इसको ही भाव मिलना कहते हैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि मुरासोली मारान साहब की एग्रीकल्चर कार्यक्रम के साथ मुकम्मल सहमति है, मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं, यह आर्टीकल किसी ने वैसे ही नहीं लिखा है, इसमें कहा गया है-

[अनुवाद]

यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उस व्यक्ति का नाम उद्धृत करता हूँ *...(व्यवधान)* तत्पश्चात् श्री मारन ने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने श्री पुरी को अपनी सहमति दी थी जिनकी नियुक्ति जिनेवा के राजदूत के रूप में की गई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था कि श्री पुरी की नियुक्ति करने में प्रधान मंत्री मंत्रिमंडल के सहयोगियों में विश्वास की कमी की ओर इंगित कर रहे हैं जो विश्व व्यापार संगठन में जवाबदेह थे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह किस बारे में है।

श्री जे.एस. बराड़: यह विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के बारे में है।

[हिन्दी]

डब्ल्यू.टी.ओ. का एम्बैसेडर जेनेवा में अपांट होना है। आपकी कैबीनेट और प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया है। आप भले ही इसका कोई जवाब मत दीजिए, लेकिन आपने एपाइंटमेंट में पांच बार एक्सटेंशन दी है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार: इन पदों पर सभा में चर्चा नहीं की जाती है *...(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: यह बात पोस्टिंग के बारे में नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: पोस्टिंग्स के बारे में चर्चा करना सभा की कभी भी परम्परा नहीं रही हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़: उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है और मेरा नाम लेकर फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में कहा है, मैं आपके सामने इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो आपके ही महकमे के अंडर है, उसकी वैटरिनरी की एक बड़ी इंस्टीट्यूट इज्जतनगर (बरेली) में है, उसने क्या लिखा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

डा. एम. पी. यादव, निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्वजतनगर, जन्मजात भारतीय नस्ल के पशुओं पर न्यूनाधिक रूप से एक एम.डी. का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह रोग उत्पादकता पर प्रभाव डालता है और सामान्यतया घातक नहीं होता। तथापि, यह विषाणु.....

वायरस के बारे में उन्होंने जिक्र करके कहा है-

"पश्चिमी देशों को मांस और दुग्ध उत्पादों के निर्यात हेतु प्रमाणपत्र अपेक्षित है।"

जो इसका होना चाहिए-

"अरब देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से भारत द्वारा मांस निर्यात जो फरवरी 2001 में 30000 टन था। घटकर 15000 टन रह गया है।"

[हिन्दी]

15 हजार टन की कमी आई है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बारे में आपके महकमे की यह राय है।

उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग जो पशुओं को जलाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो आपको वार्निंग दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री सुबोध राय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डियारा लैंड और टाल लैंड के विकास की क्या सरकार की कोई योजना है?

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के ऊपर जो कर्जा होता है, उसकी अदायगी नहीं करने पर उसको जेल में जाना पड़ता है। जेल में रहने पर उसके ऊपर सरकार को जो खर्च करना होता है, वह धन उस किसान के कर्ज में जमा होता है, यह नियम किस साल का बना हुआ है, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप जो भी उपयुक्त प्रश्न हो, का उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: आप क्या चाहते हैं? मैं आपके पास पूरी राष्ट्रीय फसल कृषि बीमा योजना भेज सकता हूँ *...(व्यवधान)*

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के तहत घाटा का आकलन करने हेतु पुर्ववर्ती तीन वर्षों की औसत उपज को ले रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विवेकानन्द रेड्डी, आप पहले ही इस बारे में बोल चुके हैं। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

मंत्री जी, अब आप उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, बराड़ साहब ने जो बात कही है, शायद मेरी चूक है कि जब हमने वह बात कही तब हम आपको पूरी तरह समझा नहीं सके। *...(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: हमारी गलती है। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमैंट पहले का है। इसे कोई आज की सरकार ने नहीं किया। एग्रीमैंट ऑन एग्रीकल्चर पर मेनडेटेड रिव्यू चल रहा है। उसमें भारत को अपना पक्ष क्या रखना चाहिए, उसमें मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन में भी उस पर चर्चा करके सबकी राय ली। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों से भी चर्चा की और सबको मिलाकर जो डाकूमैंट बना, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। हम नेगोसियेशन में अपना प्रपोजल रख रहे हैं। आपने कोट कर दिया कि तीन मुख्यमंत्रियों की राय ऐसी है। *...(व्यवधान)* हमारी आपकी राय भी हो सकती है। *...(व्यवधान)* आप पूरी बात सुन लें तब बोलें। इससे उसका कोई मतभेद नहीं है। एक तरफ डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमैंट ऑन एग्रीकल्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और यह एग्रीमैंट ठीक है या गलत है-यह एक अलग राय है। सरकार के नाते हम पहले की सरकार के समझौते से बंधे हुए हैं। चूंकि सरकार जब अंतर्राष्ट्रीय करार करती है तो उससे पूरा राष्ट्र बंधता है। इसलिए सरकार के नाते हम उससे बंधे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा उस पर कोई रिव्यू होता है तो वह अपनी बात है। हम बता रहे हैं कि जो रिव्यू चल रहा है उसमें कोई एग्रीमैंट नया नहीं कर रहे हैं। पुराने एग्रीमैंट का रिव्यू चल रहा है। उसमें अपना पक्ष कोई रखे, इसके लिए एक नैशनल कान्सेन्सस हमारी सरकार ने बनाया जिसको हमने रखा है। इसको व्यापक समर्थन मिला, इसका हमने उल्लेख किया। दोनों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। डब्ल्यू.टी.ओ. का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सैक्टर पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करने के लिए भी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया है। *...(व्यवधान)* आप पूरी बात तो सुन नहीं रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: पीपल मूवमैंट की बात तीनों मुख्यमंत्री कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: ठीक है। आप उनसे पूछिए। आपको हम वही तो बतायेंगे कि तीन मुख्यमंत्रियों का नहीं, देश भर के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन है। एगरीकल्चर रिलेटिड इश्यूज, फूड प्रोक्योरमैंट के बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल दिये हैं, फूड इक्नोमिक के बारे में जो बातें कही हैं और डब्ल्यू.टी.ओ. का इम्पैक्ट किस पर है, इसके बारे सारा एजेंडा बनाकर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन अभी 23 अप्रैल को था लेकिन वह नहीं हुआ। अब उसकी डेट 21 मई निर्धारित हुई है। आपको पता है कि कई राज्यों में चुनाव वगैह हैं इसलिए वह सम्मेलन 21 मई को होगा। इसमें इन सब विषयों पर चर्चा होगी। आज की परिस्थिति का हमने उल्लेख किया। आप बार-बार एक पोस्टिंग के बारे में कह रहे हैं। सदन में एग्जीक्यूटिव डिसीजन, पोस्टिंग वगैरह के बारे में कोई सवाल या चर्चा नहीं होती। यह हमेशा गवर्नमैंट का प्रेरोगेटिव है।

श्री जे.एस. बराड़: माननीय मंत्री जी, विश्व व्यापार संगठन एक सेंसटिव मामला है ...*(व्यवधान)* यह हमारा अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: ठीक है। आप नीति पर चर्चा कराइये। पोस्टिंग पर क्या चर्चा करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* आप अपने रूल्स को देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: आप यह बात गलत कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: हम गलत कह रहे हैं तो अपने को सुधार लेंगे। ...*(व्यवधान)* बराड़ साहब, आप भी इस सदन में हैं और हम भी इस सदन में हैं। लेकिन पोस्टिंग की चर्चा सदन में नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: सवाल यह है कि जिसको पी.एम.ओ. ने एप्वाइंट किया, उसके ऊपर दोबारा प्रश्नचिन्ह लगा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी हो, पोस्टिंग के बारे में हमें सभा में चर्चा करनी चाहिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गेहूं की खरीद के बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया इसलिए मैं और हमारी पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है। ...*(व्यवधान)*

सायं 7.28$^{1}/_{2}$ बजे

(तत्पश्चात् कुंवर अखिलेश सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रोक्योरमेंट के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया इसलिए उसके खिलाफ मैं सदन से बहिर्गमन करता हूँ। ...*(व्यवधान)*

(तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह सभा भवन से बाहर चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.29 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2001/7 वैशाख, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।